(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 11] पंचम् विधान सभा के 11वें सत्र का 19वां दिवस [संख्या 15

शुक्रवार,

दिनांक 26 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पशुपालन, गृह, भेड़ व ऊन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, राजस्व, पुरातत्व, देवस्थान, नियुक्ति, चुनाव, वन, उप-निवेशन, खाद्य, नागरिक रसद-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ! श्री अजीतसिंह।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान पशुपालकों से चराई की वसूली

383. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान से सन् 1975 में कितने पशु दूसरे प्रान्तों में चरने गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार राजस्थानी पशुपालकों से निर्धारित दर से दूनी चराई वसूल करती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस समस्या पर कोई विचार कर रही है ?

राज्य मन्त्री, पशु पालन (श्री मुन्शीलाल महावर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध पशु-पालन विभाग से न होकर अकाल राहत विभाग से है इसलिये इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 384

श्री राम रघुनाथ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

ऊन की विदेशों में निर्यात की योजना

385. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत में पैदा हुई ऊन को विदेशों में निर्यात के सम्बन्ध में कोई योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में भारत की 50 प्रतिशत ऊन पैदा होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसका निर्यात करने का इरादा रखती है ?

(2)

राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन (श्री मुंशी लाल महावर) : (1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा विदेशों को ऊन निर्यात के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं तैयार की गई है।

(2) राजस्थान में भारत की करीब 40-45 प्रतिशत ऊन पैदा होती है। ऊन निर्यात का कार्य अधिकतर व्यापारियों द्वारा ही किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या अब बनाने का विचार है सरकार का ?

श्री मुन्शीलाल महावर : माननीय उपाध्यक्षजी, निर्यात का जहां तक सम्बन्ध है यह केन्द्र सरकार का विषय है। हैन्डीक्राफ्ट, हैन्डलूम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन और दूसरे राजकीय व्यापार निगम द्वारा ऊन विदेशों में निर्यात की जाती रही है। राजस्थान हैन्डलूम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के मार्फत अधिक एक्सपोर्ट होती रहती है। यहां राजस्थान से भी जो कालीन और कारपेट के कारखाने हैं वे एक्सपोर्ट करते रहे हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ऊन के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए और उसके निर्यात को उत्साहित करने के लिए क्या काम कर सकती है, क्या मदद कर सकती है इसके बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : माननीय मन्त्री महोदय, इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से बातचीत करेंगे क्या ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय सदस्य ने केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में जो बात कही, आप जानते हैं, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया यह सब्जेक्ट केन्द्रीय सरकार का है और केन्द्र सरकार की जो एजेन्सी है वह एक्सपोर्ट करती है। उनसे बातचीत करके हम इस समस्या को हल करने के लिए कोई न कोई काम करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

आपके पास इस किस्म के आंकड़े हैं, कितना ऊन राजस्थान के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है ? क्या आपके पास यह भी आंकड़े हैं कि मार्जिन ऑफ प्रोफिट कितना है ? क्या आपको यह महसूस नहीं होता है कि सरकार द्वारा अगर ऊन सीधी भेजी जाय तो सरकार की उपलब्धि बढ़ सकती है ?

श्री मुन्शीलाल महावर : माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक एक्सपोर्ट करने के आंकड़ों के बारे में बताया, मैंने कहा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी राजस्थान की ऊन विश्व विख्यात है। कालीन बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग में आती है वह राजस्थान की ऊन आती है और इसका ज्यादा उपयोग यू० पी० में कालीन व कारपेट बनाने के काम में किया जाता है। फिर भी हम इस सारे मसले पर और क्या एक्सपोर्ट करके फारिन एक्सचेन्ज कमा सकते हैं, इस बारे में गहराई से विचार करेंगे। राज्य सरकार का इस ओर चिन्तन है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार जयपुर) : क्या आपको यह जानकारी है कि यहां पर जो कालीन

Page No 3

(3)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बनते हैं, वह आस्ट्रेलिया से ऊन आती है और यहां की ऊन बाहर जाती है ? यहां से कितनी भेजी जाती है और कितनी बाहर से आती है ?

श्री मुन्शीलाल महावर : मैंने निवेदन किया राज्य सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक्सपोर्ट का जितना काम होता है वह भारत सरकार देखती है। फिर भी हम राज्य सरकार की जो एजेन्सी है उससे बातचीत करके जितना उत्साह दिखा सकते हैं, इस पर विचार करेंगे।

श्री करणसिंह (डोग) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी भेड़ व ऊन मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि भेड़ के दूध की मालिश करने से हड्डियों की शक्ति बढ़ जाती है ? क्या यह भी सही है कि भेड़ के दूध की सिर में मालिश की जाय तो वह भी ठीक हो जायगा ?

श्री मुन्शीलाल महावर : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य स्वयं इसका एक्सपेरीमेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा और इस बारे में वे मेडिकल एण्ड हैल्थ मन्त्री हैं उनसे भी कोई सलाह ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मैं माननीय मन्त्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि इस वक्त ऊन के दामों में काफी गिरावट रही है तो भेड़ पालकों को ....

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : अलग से प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं, अलग से कैसे है भेड़ पालकों को नुकसान नहीं हो इसके लिए गिरते हुए भावों के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री मुन्शीलाल महावर : माननीय उपाध्यक्ष जी इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जहां अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में मन्दी रही है और यहां पर भी रा-मेटेरियल, जो ऊन का होता था, पर 25 पर्सेन्ट ड्यूटी लगा दी है। कारपेट फैक्ट्री पर 25 पर्सेन्ट ड्यूटी लगाने से यहां पर ऊन सस्ता मिलने लग गया है, उससे नुकसान अवश्य हुआ है। हमारे यहां गत वर्ष 90 लाख की और इस वर्ष 14 लाख की नीलामी करके, इस तरह 104 लाख की नीलामी करके 53 लाख की ऊन हमने मार्केट में बेच दी है और अब हम और कोशिश करेंगे अगले वर्ष में या कॉर्पोरेशन बन जाता है या फिर हमारी सरकार ऊन खरीदने के लिये प्रयत्न करेगी और फिर उसको ज्यादा से ज्यादा दामों पर बेचने की कोशिश करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : भेड़ों के लिये सरकार क्या-क्या योजनाएं लागू करेगी ?

श्री मुन्शीलाल महावर : मैंने जवाब दिया कि हमारे यहां लघु सीमांत और छोटे काश्तकार व कृषि मजदूरों के लिये 486 लाख की योजना स्वीकृत हो चुकी है।

कई माननीय सदस्य : कहां की योजना ?

(व्यवधान; अश्रव्य)

श्री मुन्शीलाल महावर : भेड़ों के विकास के लिये ऋण भी दिलाया जायगा

Page No 4

(५)

(श्री मुन्शीलाल महावर)

और उसके लिये काफी प्रोत्साहन दिया जायगा । इसके अलावा ए० आई० सेन्टर्स हैं वहां नस्ल सुधार का कार्यक्रम जारी है। डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम में भी पूरी तरह हमारे यहां की भेड़ों व ऊन के विकास के लिये काफी प्रयास किया जा रहा है। शाहपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर आदि में जो सुनाड़ी भेड़े हैं उससे क्रास ब्रीडिंग कराके ऊन की क्वान्टिटी को इन्क्रीज किया जा रहा है। ये सब प्रयत्न राज्य सरकार के जारी हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मदखां (पिड़ावा) : माननीयवर, मेरा भी एक प्रश्न है।

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : No, I have closed it now.

श्रीमती उषा प्रकाश !

श्री हाजी जान मोहम्मद : भेड़ व बकरी मंत्री जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं

(व्यवधान-अश्रव्य)

बकरियों के मंत्री कौन से हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : यह विभाग बकरियों का काम भी देखता है।

भरतपुर जिले में लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत ऋण

386. **श्रीमती उषा प्रकाश** (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले में लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत किस-किस तहसीलों में कितना-कितना रुपया विभिन्न कार्यों के लिये काश्तकारों का ऋण और अनुदान के रूप में दिया गया ? अभी ऐसे कितने प्रकरण अवशेष हैं जिनके आवेदन पत्र तो स्वीकार किये जा चुके हैं किन्तु ऋण की कोई भी किश्त नहीं दी गयी है ? कृपया तहसीलवार आंकड़े दें।

(2) ऐसे कितने प्रकरण शेष हैं जिनमें ऋण की एक या अधिक किश्त देनी शेष है ? कृपया तहसीलवार आंकड़े दें।

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) भरतपुर जिले में लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिये काश्तकारों को ऋण अनुदान के रूप में निम्न प्रकार धन राशि दी गयी है:—

कार्यक्रम	ऋण	अनुदान
1. लघु सिंचाई	105.60 लाख	15.08 लाख
2. डेयरी	35.87 लाख	07.42 लाख
3. गोदाम निर्माण		00.75 लाख

अभी तक जिन आवेदन पत्रों पर एक भी ऋण की किश्त नहीं दी गयी है उनकी स्थिति इस प्रकार है :

लघु सिंचाई कार्यक्रम – 1946

पंचायत समिति वार स्थिति की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) ऐसे प्रकरण जिनकी एक या अधिक किश्त देना शेष है उनकी पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट—1 देखिये)

श्रीमती उषा प्रकाश : ये जो आंकड़े दिये हैं वे भी सूची के साथ मिल जाते तो अच्छा रहता। एक ही प्रश्न पूछना चाहती थी। आपने पिछले वर्ष भी इस सदन में आश्वासन दिया था कि रवी की फसल से पहले दिला देंगे। 1644 मामले ऐसे हैं जिनमें एक किश्त भी नहीं दी और 793 मामले ऐसे हैं जिनमें दूसरी तीसरी किश्त नहीं दी। और वह देना बाकी है। सरकार को चिन्ता नहीं है। कब तक इसको करवा रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : लक्ष्य के मुकाबले में जो उपलब्धियाँ हुई वह मैंने प्रश्न एक के उत्तर में बताई है। इस सम्बन्ध में चर्चा भी की थी। स्पेसिंग के बारे में कठिनाइयां थीं उनको ठीक करवाया। अभी कम्युनिकेट करना है। अलग-अलग पंचायत समितियों में जो स्पेसिंग मंजूर किया है वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ।

डीग 262 मीटर, कामां 213 मीटर नदबई 220 मीटर, राजाखेड़ा, 230 मीटर सेवाड़ 246 मीटर, बयाना 114 मीटर रूपवास 160 मीटर, बाड़ी 160 मीटर बैंक से दो बार चर्चा करने के बाद में अब से अन्तिम रूप से चिट्ठी लिखी है। कम्युनिकेट होना है। वह ट्रान्सफर कर देगा एप्लीकेशन्स। बाकी बचे हुए कैसेज की इन्स्टालमेन्ट पे हो जावेगी। एक दिक्कत यह आ रही है कि जब यह अभियान चलाया गया था उस समय जितनी दरख्वास्तें लेनी चाहिये थीं उनसे ज्यादा ले ली गयी कुछ दरख्वास्तें ऐसी थीं जो लक्ष्य के बाहर थीं कार्मशियल बैंक की स्कीम के मातहत उनको लोन मिल जावेगा यह कहना चाहता हूँ।

श्रीमती उषा प्रकाश : आप कुछ कहते है और बैंक वाले कुछ कहते हैं। आप कहते हैं दिक्कतें दूर होंगी। और बैंक वाले कहते हैं कि दूर नहीं होगी आप कहते हैं कि बैंक वाले ट्रान्सफर कर देंगे और वे कहते हैं कि नहीं। बैंक ने रिजोल्यूशन ले लिया है कि इन आवेदन पत्रों को ट्रान्सफर करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : सहकारी मंत्री जी से चर्चा करके एप्लीकेशन्स को ट्रांसफर करवाने की कोशिश करूंगा।

श्रीमती उषा प्रकाश : जितनी एप्लीकेशन्स दी हैं वे सारी दिखवाली हैं ? गड्डे खोदे हैं, लान देने से पहले, काश्तकार कितना खर्चा कर चुके हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह बात सही है कि 50/- रु. के करीब काश्तकार के खर्च हुए हैं। इस समस्या को सहकारी मन्त्री से चर्चा करके हल करने की कोशिश करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि भरतपुर के अधिकारी ने जो एप्लीकेशन्स एक्सेप्ट की उनको कार्मशियल बैंक एक्सेप्ट करवाने की स्थिति में है या नहीं ? वे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। डी. ए. सी. एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। कर्मशियल बैंक पर दबाव डाल कर उनको एक्सेप्ट करवाना है।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक मेरी जानकारी में है, वे भी उन एप्लीकेशन्स को ट्रान्सफर करने के लिए राजी हैं। खर्चा किया गया वह देने के लिये तैयार नहीं हैं। सहकारी मन्त्रीजी से इसका सम्बन्ध आता है अतः उनके साथ बैठ कर इस प्रश्न को हल करेंगे।

श्रीमती उषा प्रकाश : काफी समय निकल गया है। कृपया इसको जल्दी से जल्दी हल करें।

श्री शिवचरण माथुर : अन्तिम प्रयास उनके साथ बैठ कर इनके लिये करने होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हाजी जान मोहम्मद।

ग्राम भटखेड़ा (तहसील पिड़ावा) में डकैती के मामले की जांच

387. **श्री हाजी जान मोहम्मद खां** (पिड़ावा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भटखेड़ा, थाना रामपुरा, तहसील पिड़ावा में लगभग 2 साल पूर्व श्री भैरूदास बाबा के घर डाका पड़ा था और उसकी पत्नी, पुत्री और लड़के श्री लालचन्द और उसकी पत्नी को डाकुओं ने खूब पीटा था ? क्या यह भी सही है कि इन व्यक्तियों का इलाज रामपुर सरकारी हॉस्पिटल में किया गया था और इस डाके की रिपोर्ट रामपुर थाने में दर्ज करा दी थी ? अगर हां, तो इस केस का क्या हुआ और चोरी का माल आज तक पुलिस ने बरामद किया है या नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार जयपुर से किसी ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी को भेज कर ग्राम भटखेड़ा की उक्त डकैती की जांच करवायेगी ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। इस सम्बन्ध में दर्जशुदा मुकदमा संख्या 6/73 धारा 397 ता० हि० में माल व मुल्जिमान का कोई पता नहीं चलने पर अन्तिम प्रतिवेदन अदमपता में दिया जा चुका है। माल की बरामदगी नहीं हो सकी है।

(2) जांच आवश्यक नहीं है क्योंकि डी० आई० जी०, कोटा द्वारा पूर्व में जांच की जा चुकी है।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां: दो साल पहले जब मैं पिड़ावा यहां से पहुंचा तो चार बजे आदमी आया और उसने बताया कि भैरू दास बाबा के घर डाका पड़ा है। उसको पत्नी, उसको लड़की, उसके लड़के और उसके लड़के की पत्नी को डाकुओं ने खूब मारा पीटा था। इतना मारा कि वे बहुत घायल हो गये। वहां से चार पांच मील दूर पर थाना है। मैं वहां गया। थानेदार नहीं था। एस. पी., झालावाड़ से मिला तुरन्त कार्यवाही करने के लिये। उन्होंने लिखा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस इन्ट्रेस्टेड है और अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। पुलिस वाले रिश्वत खा जाते हैं। मेरी यह मांग है कि इस मामले की यहां से किसी बड़े अफसर को भेज कर इन्क्वायरी करवायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य ने पिछली विधान सभा में भी यह प्रश्न पूछा था। इसी डाके के सिलसिले में पुलिस गोलमाल कर रही है, यह चार्ज भी लगाया। सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इस की जांच कोटा रेंज के डी. आई. जी. से करवा ली जावेगी। तदनुसार

Page No 7

(7)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

इसकी जांच कोटा रेन्ज के डी. आई. जी. से करवायी गयी । जो रिपोर्ट उनकी प्राप्त हुई है और माननीय सदस्य ने जो चार्ज लगाये हैं कि पुलिस गोलमाल कर रही है, शिथिलता बरत रही है, वे सही नहीं पाये गये हैं ।

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : पुलिस को बचाना चाहते हैं । इसकी स्पेशल इन्क्वायरी करायें । बड़ी ज्यादती हो रही है । लोगों को इस प्रकार मारा गया है । आपने, जो रिपोर्ट उन्होंने दी, उसको सही मान लिया । एक एम. एल. ए. को जिम्मेदार नहीं मानते हैं । दुबारा आपको इस डाके की इन्क्वायरी करवानी चाहिये ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पिछले सदन में आश्वासन दिया था । उस समय एस. पी. की इन्क्वायरी से आप सेटिस्फाइड नहीं थे इसलिये मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिये कि इसकी डी. आई. जी. से जांच करवायी जाय । उन्होंने जांच रिपोर्ट भेज दी और उसको राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया । उसमें किसी अधिकारी की लापरवाही और गोलमाल के कारण यह नहीं हुआ । यह डाका पड़ा था और मारपीट की गयी थी । जेवरात लूट कर ले गये । पूरी जांच और कोशिश के बाद भी माल और मुल्जिमान की बरामदगी नहीं हो पायी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार यह मानती है कि डाका पड़ा था तो फिर उसकी कम से कम एफ. आर. दाखिल क्यों हो गयी ? प्रयत्न करके जांच जारी रहनी चाहिए । कई केसेस काफी अर्से बाद भी मिले हैं इसलिए उस एफर्ट को बन्द कर देना जस्टीफाइड नहीं है । डाका पड़ा था यह फेक्ट है तो फिर इन्क्वायरी जारी रहनी चाहिए ।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : डाका पड़ा था यह सही है । जो बात बताई वह भी सही है । जिन लोगों के ऊपर शक था उन्हें गिरफ्तार किया गया है और काफी अर्से तक उनको कस्टडी में रखने के बाद उनसे किसी तरह का माल भी बरामद नहीं हो सका और कोई ऐसा सुराग नहीं मिला । फिर अदालत ने उनको जमानत पर छोड़ दिया । जब कुछ भी सुराग नहीं लगे और वह लोग कस्टडी में भी रहे तो फिर साल डेढ़ साल के बाद और क्या किया जाये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय अब, क्योंकि डकैती हुई है

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : डाका पड़ा था और लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया था........

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : जो जांच करवाई गई है उससे आपका यह कहना कि थानेदार ने कोई गोलमाल की थी तो वह तो साबित नहीं हुआ । पहले एस. पी. से जांच करवाई और एस. पी. ने भी यही कहा । फिर डी. आई. जी. से जांच करवाई तो डी. आई. जी. साहब ने भी यही कहा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गोलमाल तो साबित नहीं हुआ लेकिन क्या गवर्नमेंट ने लोकल थानेदार के अलावा इसकी तफतीश किसी दूसरे आदमी को दी ?

Page No 8

(8)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जी हां।

प्रश्न संख्या 388

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री भगराज चौधरी !-

जालौर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने का विचार

389. **श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रांत में कुल कितने जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है और उसके क्या आधार हैं? सम्बन्धित जिलों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर जिले में भी कुछ उद्योग लगाने हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ?

(3) यदि हां, तो पिछड़ा हुआ घोषित करने में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान में 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है जिसकी सूची पिछड़ा जिला घोषित किये जाने के आधारों सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जालोर जिला घोषित पिछड़ा जिला है अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 16 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये हैं। इन जिलों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। 6 जिले तो वह हैं 16 जिलों में से जो बेकवर्ड तो हैं ही साथ ही उद्योग स्थापित करने के लिए वहां सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। बाकी दस जिले ऐसे हैं कि जो पिछड़े जिले तो हैं औद्योगिक दृष्टि से लेकिन यहां उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से या भारत सरकार की ओर से कोई इन्सेन्टिव नहीं दिया जाता है। तो इसका क्या कारण है ? यह जो वर्गीकरण किया गया है वह जिले कि जहां इन्सेन्टिव दिया जाता है और वह जिले कि जहां इन्सेन्टिव नहीं दिया जाता है यह किस आधार पर किया गया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने उत्तर में निवेदन किया कि क्या आधार हैं जिनकी वजह से भारत सरकार पिछड़े जिले घोषित करती है। वह आधार मैंने उस सूची में दिये हैं। वह यह हैं :

"Per capita production of foodgrains, depending on whether the district is predominantly a producer of foodgrains or rich crops; per capita industrial output, number of factory. employees per lakh of population or, alternatively, number

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

of persons engaged in secondary or tertiary activities per lakh of population; per capita consumption of electricity, length of service roads in relation to population or railway mileage in relation to population."

यह क्राइटेरिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं और इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर भारत सरकार उन जिलों को जो सेन्ट्रल सब्सिडी 15 प्रतिशत मिलती है उसके आधार पर घोषित करती है। राजस्थान सरकार चाहती है कि राजस्थान के 26 ही जिले सेन्ट्रल सब्सिडी के परव्यू में आजायें लेकिन भारत सरकार ने जो क्राइटेरिया निर्धारित किये हुए हैं जो उन आधारों पर जिले नहीं आते हैं वह उनमें घोषित नहीं करती है। अब तक केवल सेन्ट्रल सब्सिडी के हिसाब से 6 जिलों को ही माना है, बाकी में नहीं। केवल जो 6 जिले हैं उनमें 15 प्रतिशत सब्सिडी की विशेष सुविधा है और बाकी जो पिछड़े हुए जिले हैं उनमें बाकी वही सुविधायें हैं जो सारी फैसिलिटीज उनको दी गयी हैं। यह भारत सरकार के क्राइटेरिया के आधार पर इन्हें घोषित नहीं किया गया। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि हमने कई जिलों को, और अधिक जिलों को इसमें लेने के लिए भारत सरकार से निवेदन कर रखा है लेकिन भारत सरकार ने अभी उस पर सहमति प्रदान नहीं की है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या यह सही है कि महाराष्ट्र के अन्दर जिलों को ही पिछड़ा हुआ घोषित नहीं करके पर्टीकुलर एरिया को जिले के अन्दर से निकाल कर पिछड़ा हुआ घोषित किया है। मैं नासिक और और पूना की मिसाल देना चाहता हूं कि जहां प्लानिंग कमीशन ने पूरे जिले को तो बैकवर्ड घोषित नहीं किया लेकिन कुछ हिस्से को जो पिछड़ा हुआ इलाका था उसको बैकवर्ड घोषित करके जो कन्सेशन्स हो सकते थे वह दिये हैं।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह आलटुगेदर डिफरेन्ट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की है। यह बाम्बे में जो इन्डस्ट्रियलाइजेशन भारी हो गया था उसको हटाने के लिए किया गया था। वह स्पेशल स्कीम थी।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि राजस्थान वैसे ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। इसमें आज वह जिले जो घोषित किये गये हैं वह तो हैं ही लेकिन उसमें से 6 जिले इस प्रकार से छांटे गये हैं जहां सब्सिडी दी जाती है जब कि बाकी 10 जिले भी ऐसे हैं जैसे और 6 जिले बैकवर्ड हैं और यहां लोग खाली समय में जब कि बारिश नहीं होती और अकाल पड़ता है तो उन जिलों में भी 6 जिलों के बराबर ही उद्योग स्थापित करने के लिए इन्सेन्टिव दिये जाने चाहिए जिससे कि वहां का रॉ-मेटेरियल, इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर जो खाली बैठी है उसका कुछ उपयोग हो सके। इसके लिए राज्य सरकार को फिर से दुबारा इस पर विचार करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार से यह कहना चाहिए कि हमारे राजस्थान के दो चार क्षेत्र और भी ऐसे हैं कि जिनको इन्सेन्टिव दिया जाना चाहिए और उस सूची में जोड़ा जाना चाहिये

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार ने दो चार जिले नहीं जयपुर शहर और कोटा शहर को छोड़कर और सारे के सारे राजस्थान को एक ही प्रकार से बेकवर्ड माना है और हम ऐसा समझते हैं कि कमोवेश स्थितियां एक ही प्रकार की हैं सारे क्षेत्रों के अन्दर । इसलिए हमने एक बार नहीं अनेक बार रिप्रेजेन्टेशन किया है और जब मैं प्लानिंग कमिशन में गया था एनुअल प्लान की मीटिंग के समय; उस समय भी डिस्कशन हुआ था तो उनकी अपनी विचारधारा है । वह जितना कर सकते है उतना ही करते है ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि 26 जिलों में से 6 जिले बेकवर्ड घोषित हो पाये हैं चार साल में तो हमारी राज्य सरकार की गति बहुत धीमी है । मैं निवेदन करूंगा कि जो क्राइटेरिया आपने बताये हैं उसका सर्वे बाकी 20 जिलों का करवा लिया गया है और किन-किन के केस कब-कब रिकमन्ड किये ? इसको बतायें ताकि जो मेम्बर हैं उनको शांति हो सके ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने गम्भीरतापूर्वक सुनने की कोशिश नहीं की । क्राइटेरिया गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने बनाये हैं । जयपुर शहर और कोटा शहर को राजस्थान सरकार लैस बेकवर्ड मानती है और बाकी सब को बेकवर्ड मानती है और इसके लिए रिप्रेजेन्टेशन एक बार अनेकों बार किया जा चुका है । हिन्दुस्तान में हर प्रान्त में 6 जिलों के अलावा 7वां जिला कोई घोषित नहीं किया है । तो वह 7वां ही नहीं करना चाहते हैं ।

प्रश्न संख्या 390

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ ! (अनुपस्थित) कृपया आगे देखिये ।

श्री अमृतलाल गहलोत

सुमेर हायर सैकेन्डरी स्कूल, जोधपुर को अनुदान

391. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदार पुरा, जोधपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सुमेर हायर सैकेण्डरी स्कूल, जोधपुर को सैकेण्डरी कक्षा तक के व्यय का 80 पर्सेन्ट राजकीय अनुदान मिलता है ? यदि हां, तो यह कितनी राशि बनती है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पाठशाला को हायर सैकेण्डरी कक्षा के व्यय का 50 पर्सेन्ट राजकीय अनुदान मिलता हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि बनती है ?

(3) यदि उपरोक्त शाला की ग्यारहवीं कक्षा बन्द कर दी जाती है और दसवीं तक के छात्रों की संख्या आज जितनी रहती है और सबसे वरिष्ठ अध्यापक राजकीय नियमों के अनुसार संख्या एवं वेतन शृंखला में रखे जाते हैं तो इस शाला को 80 पर्सेन्ट व्यय की दर से दी जाने वाली अनुदान की राशि कितनी बनती है ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस समय उपरोक्त शाला को मिलने वाली कुल अनुदान की राशि उपरोक्त प्रश्न संख्या (3) के उत्तर की राशि से कम बनती है ? यदि हां, तो इसके लिए राज्य सरकार की नीति दोषपूर्ण है या उसकी कार्यान्विति है ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(5) क्या यह उचित है कि उपरोक्त शाला को सैकेन्डरी तक की कक्षाओं के लिए अनुदान के रूप में उपरोक्त प्रश्न संख्या (3) के उत्तर की राशि दी जानी चाहिए एवं हायर सैकेन्डरी कक्षा के लिए कुल व्यय से प्रश्न संख्या (3) के तथ्यों पर आधारित व्यय को कम करके बकाया व्यय पर 50 पर्सेन्ट अनुदान राशि दी जाये ? यदि हां, तो अब कम दी गई राशि का भुगतान शाला को कब तक कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) जी हां। वर्ष 1974-75 में वास्तव में रुपया 66434 बनते हैं।

(2) जी हां, वर्ष 1974-75 में वास्तव में रुपया 44242 बनते हैं।

(3) यद्यपि प्रश्न अस्पष्ट है किन्तु साधारणतया प्रारंभिक अनुदानों के आधार पर संख्या को 75000 रुपये अनुदान के देय होंगे।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 75,000 का आंकड़ा बताया इसको मैं चेलेन्ज करता हूं। यह 1,19,000 रुपया निकलता है। आप मुझे समय दीजिए। यह समस्या सारे राजस्थान में है। सुमेर हायर सैकेन्डरी के अलावा एक माडल हायर सैकेन्डरी स्कूल और जैन हायर सैकेन्डरी स्कूल है। दरअसल परिस्थिति यह है कि जब स्कूल सैकेंडरी होता है तो 1,19,000 होता है और हायर सैकेन्डरी में 1,10,000 रुपया दिया है। ऐसा क्यों है ? आप क्या मेरा यह चेलेन्ज एक्सेप्ट करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं और जानता हूं कि माननीय सदस्य को मेट्रिक से लेकर एम. ए. तक गणित में डिस्टिंक्शन मिला है और इसलिए उन्होंने जो गणित का केलकुलेशन किया है एक लाख और कुछ हजार का, मेरे मतानुसार वह केलकुलेशन करेक्ट नहीं है। लेकिन जो हम अनुदान दिया करते हैं वह अनुदान स्वीकृत क्लासेज के आधार पर दिया जाता है। अगर हमने स्वीकृति ही नहीं दी और आप दसवीं से ग्यारहवीं क्लास खोल दें तो हम ज्यादा एड तो क्या देंगे, हम एड ही बन्द कर देंगे। यह तरीका है हमारा और आपका। हमारे पूछे अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : आपकी ताकत का रौब तो माननीय सदस्य मानते हैं, लेकिन एड का क्या होगा ?

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करता हूं कि इस स्कूल को सैकेन्डरी तक की पहले अस्सी प्रतिशत एड मिली और उसके बाद उन्होंने हायर सैकेन्डरी कक्षाएं चला दीं। उसको सरकार ने मान्यता दे दी और जैसा कि पहले साल में 50 पर्सेन्ट शुरू से एड देते हैं वह पचास पर्सेन्ट एड शुरू कर दी और राज्य मंत्रीजी ने केलकुलेशन करके बतला दिया कि 66434 रु० सैकन्डरी तक के और 44242 रु० हायर सैकेन्डरी के दिए जाते हैं। आप जैसे यह पूछ रहे हैं कि आया कि हम हायर सैकण्डरी को हटा दें और वह टीचर्स रख दें, वही स्टाफ रख दें

Page No 12

(12)

(श्री खेतसिंह)

तो आप हमको क्या देंगे। यह आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। आपकी मर्जी आए जैसा हो जाय यह नहीं हो सकता है। बड़े नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है और आपको भी चलना पड़ेगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : सवाल हायर सैकेन्डरी बन्द करने का नहीं है। सवाल यह है कि वही टीचर्स रहे स्टूडेन्ट्स के मुताबिक और जो आप सैकेण्डरी को 80 पर्सेन्ट एड देने जा रहे हैं तो प्रश्न यह है कि स्केल के मुताबिक 1लाख 19हजार हायर सैकेण्डरी का बनता है 80 पर्सेन्ट के हिसाब से फिर आपने 75 हजार कैसे बता दिया। यही हाल जयपुर की सी स्कीम में महावीर स्कूल है उसका है। आप बैठ कर चर्चा कीजिए और मैं आपको बताता हूं कि जो आपके डिप्टी डायरेक्टर हैं मिस्टर अग्रवाल उन्होंने मेरी चीज को माना है। आप मुझे समय दीजिए, अपने चेम्बर में समय दीजिए और आप उनको भी बुलाइये।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जितना समय चाहेंगे उतना समय दूंगा और उनके साथ में जितना समय वे चाहेंगे उतनी देर बैठूंगा और इस समस्या का आर कोई सोलूशन निकाल दें और विभाग के और हमारे दिमाग में बैठ जावे तो निश्चित रूप से कोई एतराज मुझे नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता था। क्या यह सही है कि सैकेण्डरी तक तो आप 80 पर्सेन्ट एड देते हैं और हायर सैकेण्डरी को 50 पर्सेन्ट एड देंगे। मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सैकेण्डरी तक 80 पर्सेन्ट और हायर सैकेण्डरी को 50 पर्सेन्ट एड देंगे तो क्या सारी टोटल मिला कर 50 पर्सेन्ट देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप मैथेमेटिकल प्रश्न क्यों पूछते हैं ?

श्री खेतसिंह : नहीं, देखिये आपका सैकेण्डरी तक जो एड मिलती है, जैसे आपका ताल्लुक खण्डेलवाल स्कूल से रहता है, 70 पर्सेन्ट आपको एड देते हैं सैकेण्डरी तक वही आपको मिलेगी और अगर हायर सैकेण्डरी आपने अपने यहां की तो 50 पर्सेन्ट शुरू में हायर सैकेण्डरी क्लास के लिए मिलेगी और सैकेण्डरी तक 70 पर्सेन्ट मिलेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बिल्कुल ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केलकुलेशन में फिर सैकेण्डरी का काम कम कैसे हो सकता है। फिर यह कम कैसे हो सकता है।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय मन्त्रीजी ने कह दिया है आप बैठ कर इसको समझ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भोमाराम।

रॉयल क्लब लि०, जयपुर

392. श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रॉयल क्लब लिमिटेड, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, केन्द्रीय सरकार से रजिस्टर्ड है व 6 साल से वैधानिक तरीके;

(श्री भोमाराम चौधरी)

से कार्य कर रहा था ? यदि हां, तो फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों ने इसे बिना वजह बन्द क्यों करवाया ?

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार के क्लब मेसर्स जय क्लब लिमिटेड, सी. स्कीम, जयपुर, जयपुर क्लब, स्टेशन रोड, जयपुर, अशोक क्लब लिमिटेड, सचिवालय के सम्मुख चल रहे हैं ? यदि हां, तो इन्हें क्यों नहीं बन्द कराया गया ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं। पुलिस अधिकारियों ने बन्द नहीं करवाया।

(2) जी हां। पुलिस द्वारा जयपुर के किसी भी क्लब को बन्द नहीं करवाया गया है।

श्री भोमाराम चौधरी: क्या यह सही है कि अभी क्लब को बन्द कराया जा रहा है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह क्लब तो उपाध्यक्ष महोदय, बन्द हुआ है। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि कुछ क्लब जो इसी तरह से रजिस्टर्ड हुए, सबको गलत मानते हैं ? ये बन्द इसलिये नहीं हुए कि कुछ क्लबों में बड़े-बड़े लोग जाते हैं। जैसे जय क्लब है जिसमें आई. ए. एस. के बड़े-बड़े अफसर जाते हैं, बड़े-बड़े सेठ लोग जाते हैं, इसलिए ये तीन क्लब चालू हैं और यह क्लब जो रायल क्लब है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है तो क्या यह सत्य नहीं है कि यह क्लब पुलिस के द्वारा बन्द करवाया गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन क्लबों के अन्दर गैम्बलिंग होता है जो कि कानूनन मना है ? इनमें ताश खेलने के नाम पर गैम्बलिंग होता है जो कि क्रिमिनल आफेंस है लेकिन चूंकि कई बड़े आदमी जाते हैं इसलिए वहां पर कोई कार्यवाही नहीं होती है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : हमारा रिकार्ड देखने से ऐसा लगता है कि पुलिस ने कोई आर्डर नहीं दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बिना आर्डर के हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य ने कहा है कि पुलिस ने बन्द करा दिया; पुलिस ने बन्द नहीं कराया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं अशोक क्लब के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अलग से प्रश्न नहीं है; इसमें दिया हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : वह चालू है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उन क्लबों में जिस प्रकार की बातें होती हैं। हमारा निवेदन है कि जो क्लब बन्द हो गया उसको हम खुलवाना नहीं चाहते लेकिन और क्लबों में ये सारी बातें बन्द होनी चाहिए। क्या राज्य सरकार की यह जानकारी में है ?

श्री हरिदेव जोशी : सरकार को कोई जानकारी नहीं है। एक ही बात पूछी कि अमुक क्लब को बन्द किसने करवाया ?

(श्री हरिदेव जोशी)

जवाब यह दिया गया है कि ग्रॉर्डर देकर किसी क्लब को बन्द नहीं करवाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये क्लब खुले जुए के अड्डे बने हुए हैं। अगर कोई क्लब में इस प्रकार का धन्धा चलता हो, उस क्लब के अन्दर जुए खेले जाते हों, जुए खिलवाने के अड्डे बन जायं तो क्या राज्य सरकार ऐसे क्लबों को बन्द कराने का विचार करेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां कहीं कोई गैर कानूनी कार्यवाही होगी उसको निश्चित रूप से बन्द किया जावेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जिन क्लबों के नाम प्रश्न में रेफर किए गए हैं क्या उनके बारे में जानकारी की गई है कि उनमें जुआ होता है और इसलिए बन्द करना जरूरी है। क्या इस किस्म की जानकारी की है ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न में इस प्रकार का कोई रेफरेंस नहीं था इसलिए अभी कोई जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामानन्द अग्रवाल !

विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ व कर्मचारियों के संगठन

393. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में शिक्षक संघों और अन्य कर्मचारियों के संगठनों को जैसे रूटा, ऊंटा, जुटा और रटाना को भंग कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भंग करने के आदेश किसी केन्द्रीय आदेश के आधार पर दिये गये या तीनों विश्व विद्यालयों ने अपनी ही पहल कदमी पर ऐसे आदेश दिये ? यदि किसी केन्द्रीय आदेश के आधार पर ऐसे आदेश राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा दिए हों तो सम्बन्धित केन्द्रीय आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षकों अथवा अन्य कर्मचारियों के संगठनों को बरखास्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों ने यह कदम किस कानूनी अधिकार के तहत उठाया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : इस प्रश्न को पोस्टपोन करने का निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कारण ?

श्री खेतसिंह : इन्फार्मेशन नहीं आई है। इसमें तीनों विश्वविद्यालयों से इन्फार्मेशन चाही गई है।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न इसी सत्र में लिया जावे। मैंने पिछले सत्र में दिया था और रिपीट हुआ है। जब जनवरी में सेशन हुआ था उस समय मैंने यही क्वेश्चन दिया था और फिर रिपीट किया है। इसका जान-बूझ कर जवाब नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसी सत्र में यह आ जाय इसकी व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मोहरसिंह !

मरु वाले जिलों में पशु चराने की जमीन

394. **श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के मरु वाले जिलों में कितनी कितनी जमीन वन विभाग को दी गई है ? कृपया जिले वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सही है कि वन विभाग ने कांटेदार तार लगा कर इस जमीन को पशु चराने से प्रतिबंधित कर दिया ?

(3) क्या इस जमीन में कितने ही ग्रामों में जोहड़ बड़ी बड़ी बणियां जिन पर गांवाई जनता का कदीमी अधिकार चला आता था शामिल नहीं है ?

(4) अगर हां, तो क्या उपरोक्त जमीन को तारों से घेर लेने से किसानों को भारी असुविधा नहीं हो गई है ?

(5) अगर हां, तो सरकार किसान की असुविधा को मिटाने के लिए क्या प्रयत्न करने जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना भी प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इसको स्थगित करने का निवेदन है।

श्री मोहरसिंह : इस सत्र के बन्द हो जाने तक तो सूचना दे दी जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड। नेक्स्ट श्री गणेशलाल !

पुलिस थाना बनीपार्क (जयपुर) में दर्ज मामला

395. **श्री गणेशलाल** (गंगरार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री चन्द्र प्रकाश चेला श्री विजयदास द्वारा प्रस्तुत मुकदमा संख्या 89/75 धारा 420/406 ता० हि० थाना बनीपार्क से सम्बन्धित है जो कथित पुलिस थाने में अनुसंधान हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह मुकदमा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी है इसलिए इसमें जान बूझ कर उन्हें बचाने की नियत से देरी की जा रही है ? यदि नहीं, तो अब तक जांच पूरी न करने का क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह-शक्तावत) : (1) मुकदमा नं० 89 धारा 420, 406 आई. पी. सी. थाना बनीपार्क पर दर्ज हुआ था तथा इस मुकदमें में अनुसंधान उपरान्त दिनांक 21-7-75 को अंतिम रिपोर्ट "अदम वकुआ" दी जा चुकी है।

(2) जी हां। किन्तु इस मुकदमे में तफतीश पूरी की जा चुकी है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, तफतीश का निर्णय क्या हुआ ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई वकुआ नहीं बना।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न सं० 396 ।

आमेर के महलों का विकास

396. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आमेर स्थित सुप्रसिद्ध जयगढ़ का किला, आमेर के महल एवं अन्य स्थानों पर पुरातत्व विभाग की ओर से दीवार पर नीली प्लेट्स लगाने का क्या अर्थ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थान विभाग ने अपने अन्तर्गत ले लिये हैं ? यदि हां, तो फिर इन स्थानों के विकास के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

राज्य मंत्री, पुरातत्व (श्री फारूक हुसन) : (1) जयगढ़ के अतिरिक्त ये प्लेट्स दर्शकों को स्मारकों का परिचय देने के लिए लगायी गई हैं।

(2) आमेर के महल विभाग के अधीन हैं किन्तु जयगढ़ का किला भूतपूर्व जयपुर नरेश की निजी सम्पत्ति है। आमेर के महलों के जलेबी चौक में उद्यान लगाया गया है तथा रोशनी व फव्वारे लगा कर स्मारक को आकर्षक बनाया गया है। साथ ही यहां के स्मारकों का जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। आमेर पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केन्द्र बन गया है।

जहां तक जयगढ़ के किले के विकास का प्रश्न है, यह निजी सम्पत्ति है अतः इसमें विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जब जयगढ़ भूतपूर्व नरेश जयपुर की सम्पत्ति है तो फिर उसमें जो कार्यवाही हुई थी वह क्या अनधिकृत थी ? अभी जो खुदाई हुई थी वह हमारी सरकार के हाथ में नहीं थी ? हमारे यहां पर जो इकोनोमिक, आर्थिक रूप से लाभ होने वाला था क्या वह नहीं था ? यह प्लेट्स लगा कर यह शो करना कि यह पुरातत्व विभाग का है, उसको मैं क्या समझूं ? वह सरकार के अधिकार में हैं या नहीं हैं ? इसमें कोई संशय नहीं है कि आमेर शुरू से पर्यटक स्थल रहा है।

पुरातत्व मंत्री (श्री खेतसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, विधायिका महोदया ने जो पूछा है जयगढ़ किले के बारे में तो यह हिज हाईनेस की प्रोपर्टी है और उनकी प्रोपर्टी होने के कारण इस फोर्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक आमेर का ताल्लुक है, आपने कहा प्लेटस् लगाई, यह इसलिये लगाई गई है कि उनके ऊपर सारा विवरण दिया है जिससे पर्यटक आवे तो हिन्दी और अंग्रेजी में दोनों में ही इनका विवरण दिया है कि कब आमेर बना, किसने बनाया, इसका थोड़ा-सा संक्षिप्त इतिहास इसमें है। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, वहां फोर्ट तो है ही।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अर्बन प्रोपर्टी सीलिंग में इस की क्या पोजीशन है ? जयपुर नगर की सीमाएं आमेर, सांगानेर तक हो गयी है। तो जयगढ के बारे में राज्य सरकार क्या विचार कर रही है, कार्यवाही करने का इस एक्ट के अन्तर्गत ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह अलग से प्रश्न है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, वह निजी सम्पत्ति थी तो सरकार ने इस पर खर्चा क्यों किया? वहां पर नीली प्लेटस लगी हुई है? मैं चेलेन्ज से कहती हूं, बाहर लगी हुई है। इस जयगढ़ किले पर। दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार कब तक इसको अपने कब्जे में ले लेगी?

श्री हरिदेव जोशी : कई प्रश्न विचाराधीन हैं, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत के संविधान में अभी तक कोई हिज हाईनेस शब्द है क्या, जो अभी माननीय मंत्री ने प्रयोग में लिया है? उपाध्यक्ष महोदय, यह हिज हाईनेस कौन है?

श्री हरिदेव जोशी : भूतपूर्व महाराजा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को ऋण

397. श्री मोहनराज (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों, छोटे काश्तकारों व मजदूर पेशा लोगों को अथवा कार्य व जीवन चलाने हेतु आवश्यक कर्ज न मिलने से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है?

(2) क्या यह सही है कि यदि निकट भविष्य में समाज के इन कमजोर वर्गों को आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने की स्थानीय सुविधाएं मुहैय्या न कराई गई तो पुनः ये लोग शोषक ब्याजखोरों के चंगुल में जाने को बाध्य हो जायेंगे?

(3) राज्य सरकार इस हेतु क्या कदम उठा रही है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना विचाराधीन है? क्या बैंकों से ऋण प्राप्त करने के नियमों में व प्रणाली में सरलीकरण पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न क्योंकि सहकारिता विभाग से संबंधित है इसलिए इस प्रश्न को वहां स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 398

पंचायत श्री दिगम्बर जैन मंदिर बगरुवालान, जयपुर के भवन का उपयोग

398. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बगरुवालान स्टेशन रोड, जयपुर का पंजीकरण किया जा चुका है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 383 दिनांक 27-7-74 है?

(2) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि इस सार्वजनिक धार्मिक संस्थान का भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा निःशुल्क प्रदान की हुई आराजी नम्बर 103 क्षेत्रफल 3 बीघा 1 बिस्वा पर सार्वजनिक दिगम्बर जैन समाज के प्रयोजनार्थ निर्माण

Page No 18

(18)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

किया गया था जिसके वर्तमान नगर परिषद हाउस नम्बर 7 खसरा नंबर 472 लगायत 494 है तथा जिसका वर्तमान मूल्यांकन 50 लाख रुपये से भी ज्यादा है तथा वार्षिक आमदनी एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की आंकी गयी? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सार्वजनिक प्रतिष्ठान के दुरुपयोग (मिसएप्रोप्रिएशन) को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या यह सही है कि धार्मिक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निर्मित उक्त भवन को व्यापारिक काम में नहीं लिया जा सकता? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस विशाल सम्पत्ति के सदुपयोग के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, देवस्थान विभाग (श्री मूल चन्द मीणा): (1) जी हां।

(2) जी हां। यह जमीन जयपुर रियासत से बिना नजराना के मिली है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक इस ट्रस्ट की सम्पत्ति का मूल्यांकन 15 लाख रुपया है और वार्षिक आमदनी 25 हजार रुपया है। यदि ट्रस्टी लोग सम्पत्ति का दुरुपयोग करते हों तो सहायक आयुक्त, देवस्थान उसकी जांच कर सकता है। इस आशय की कोई शिकायत नहीं हुई।

(3) ट्रस्टी अगर चाहे तो ट्रस्ट के भवन को किराये पर दे सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या एक व्यक्ति चिरंजीलाल नाम का इस सार्वजनिक मन्दिर का दुरुपयोग कर रहा है और उसने एक गलत आधार पर कमिश्नर, देवस्थान को अपील फाइल कर रखी है जिसको लेने का कमिश्नर देवस्थान को कोई अधिकार नहीं है, क्या यह सही है? और क्या यह सही है कि यह जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 27-7-74 को, उसके बाद 6 महीने तक कोई दावा दीवानी नहीं किया गया है जैसे कि एक्ट के अन्दर प्राविजन है और इसलिए कमिश्नर देवस्थान को अपील की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या यह सही है कि इस मन्दिर का अधिकारियों की कनाइवेन्स से यह व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है और इस मन्दिर को एक लाख रुपये की आमदनी हो रही है और यह आमदनी मन्दिर के काम में न ली जाकर, एक आदमी की जेब में जा रही है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब होने दें।

देवस्थान मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय उपाध्यक्ष जी, देवस्थान कमिश्नर के पास में पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत अपील पेन्डिंग है जिसका फैसला अभी नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : देवस्थान कमिश्नर को अपील सुनने का अधिकार नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : लिमिटेशन के पहले अपील की गई है तो वह उसकी अपील पर निर्णय दे देगा। फाइनल

(श्री परसराम मदेरणा)

अपील सुन ली गयी है तो उसका फैसला कुछ ही दिनों में होने वाला है। यह सूचना मुझे मिली है । जहां तक सिविल ऑफिसर की कनाइवेन्स से यह हो रहा है तो यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और ट्रस्ट की सभी प्रोपर्टीज़ का उसमें उल्लेख है । आप इसको 50 लाख का बता रहे हैं और इसमें 15 लाख का वेल्यूएशन हुआ है और ट्रस्टीज को भी इसमें एतराज नहीं है । इसलिए जो वेल्यूएशन हुआ है, वह ठीक हुआ है। जिस चिरंजीलाल का आपने नाम लिया है, तो वहां पर दो चिरंजीलाल हैं-एक चिरंजीलाल लुहाड़िया हैं और दूसरे चिरंजीलाल पाटनी हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : चिरंजीलाल पाटनी का जिक्र कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : लुहाड़िया ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं और पाटनी यह कह रहा है यह प्रोपर्टी मेरी है और उसने सिविल कोर्ट में भी दावा किया है और शीघ्र ही फैसला हो जाएगा ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अपील उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। दो साल से पेन्डिंग है।

श्री परसराम मदेरणा : आप स्वयं कानून को जानते हैं । पीरियड आफ लिमिटेशन के बाद में अपील की गयी होगी तो वह खारिज हो जाएगी । यह प्रश्न आप उठा रहे है ? आप क्वेश्चन में देख लें। अपील के सम्बन्ध में यह एक मुद्दा है और पाइन्ट आया, आया यह अपील लिमिटेशन के पीरियड के अन्दर है या बाद में की गई है, इस प्रश्न में आपने स्पष्ट रूप से नहीं पूछा है इसलिए इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका हूं। दूसरे सेक्शन 20 में कमिश्नर ही अदालत है और अदालत के सामने अपील की गई है, कोई भी व्यक्ति, ट्रस्टी एक्ट की धारा 17 से एग्रीव्ड है तो वह अपील करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या 399। श्री मनोहर कोठारी।

मधुमति पत्रिका का प्रकाशन

399. श्री मनोहर कोठारी(नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान साहित्य अकादमी की मुख पत्रिका 'मधुमति' का प्रकाशन अकादमी की स्थापना वर्ष से 1975-76 तक नियमित होता रहा है ?

(2) इसका सम्पादन किस-किस ने कितनी-कितनी अवधि तक किया है तथा पारिश्रमिक स्वरूप कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ?

(3) मधुमति पर प्रकाशन व्यय कितना हुआ व विज्ञापन-ग्राहकों से कितनी आय हुई ? तालिका सदन के पटल पर रखें ।

(4) क्या 'मधुमति' राजस्थान के लेखकों को एक सशक्त, प्रभावशील और प्रतिभा-प्रकाशन का मंच दे सकी है ?

राज्य मंत्री शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) जी हां, केवल नवम्बर, 73 से जून 74 तक के नो अंकों को छोड़ कर।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री फारूक हुसन)

(3) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट–3 देखिये)

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि नवम्बर 73 से लेकर जून, 74 तक के नो अंक प्रकाशित नहीं हुए हैं। तो ये अंक किस वर्ष में और कब कब प्रकाशित हुए हैं?

श्री फारूक हुसन : यह जो नवम्बर 73 से नो अंक प्रकाशित नहीं हुए है, ये पिछले अंकों के साथ बराबर निकलते रहे हैं। इस तरह से ये अंक निकल गये हैं।

श्री मनोहर कोठारी : यह जो लिस्ट आपने दी है, क्रमांक 8 पर, इसमें सब से ज्यादा पारिश्रमिक के आंकड़े दिये गये हैं, 23,300 रुपया है और इसमें अप्रेल, 72 से मई 74 तक का उल्लेख किया गया है। क्या जिस समय बीच में नवम्बर 73 से जून, 74 तक के पीरीयड में अंक प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो उस अवधि का पारिश्रमिक देने की आवश्यकता थी? क्या यह देना उचित था?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने एक तो यह प्रश्न किया कि जो हमने पारिश्रमिक दिया है, वह गलत दिया है। यह फिगर्स 13,300 रुपये है न कि 23,300 रुपये। माननीय सदस्य ने इसको गलत पढ़ा है। इनको हमने पारिश्रमिक 350/–रुपये प्रति माह दिया है और उस हिसाब से अप्रेल, 72 से लगातार मई 75 तक इनका पारिश्रमिक 13,300 रुपया ही होता है, जो उनको दिया गया है।

श्री मनोहर कोठारी : यह जो पीरियड बीच में पड़ता है नवम्बर, 73 से जून, 74 तक जिसमें कि आपके अंक प्रकाशित नहीं हुए हैं, इसका पारिश्रमिक क्यों दिया गया है?

श्री खेतसिंह : जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में पहले बताया है, बाद में ये अंक, कई महीनों के हर महीने के अंकों के साथ साथ में प्रकाशित कर दिये गये। पिछले भी और इस माह के भी, उस हिसाब से दिया गया है।

श्री मनोहर कोठारी: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय कह रहे हैं, ये अंक बाद में प्रकाशित किये गये हैं तो ये अंक मंगल सक्सेना के समय में नहीं निकले हैं और इन अंकों के प्रकाशन में जो आपके निदेशक हैं; वर्तमान में, उन्होंने महनत कर के इनको प्रकाशित किया है। तो इनका पारिश्रमिक किसी और व्यक्ति को दिया जा सकता है क्या? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके विज्ञापन होते हैं 13032 के और खर्चा ज्यादा हो रहा है और जिन लोगों के ग्राहकों के नाम बताये हैं, मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि ये अधिकांश वे लोग हैं जिनको कि ग्राहकों में लिखा गया है, 10/– रुपये उनके लेख में से काटकर उनको ग्राहकों में एनरोल कर दिया है, तो इनकी संख्या कितनी है? आपको पता है, आपके इन्डिपेन्डेंटली ग्राहक बहुत थोड़े हैं।

श्री खेतसिंह : थोड़ी सी आपको भ्रान्ति रह गई है। उसमें यह है कि जुलाई 74 का अंक निकल गया तो नवम्बर, 73 का जो अंक नहीं निकला था वह जुलाई 1974 में निकल गया और उस हिसाब से मई 75 तक निकल रहे हैं इसलिए दो दो अंक निकले हैं वह इनके वक्त में निकले थे।

श्री मनोहर कोठारी : यह तो स्पष्ट है कि इन्होंने नहीं निकाले हैं, और वर्तमान जो आपके निदेशक हैं उन्होंने निकाले हैं। उन्होने मेहनत करके निकाले हैं। उन्होंने निकाले ही नहीं है तो पारिश्रमिक गलत व्यक्ति को दिया है।

श्री खेतसिंह : इसकी मैं जांच करवा लूंगा। मेरे पास जो इन्फर्मेशन है वह यह है कि उनके वक्त में ही निकले हैं। आप यह कहते हैं कि उनके वक्त में नहीं निकले और अब जो विष्णुदत्तजी शर्मा हैं इनके वक्त में निकले हैं। अगर गलत पेमेन्ट किया गया है तो उसकी कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि ग्राहकों का जो नम्बर आप बता रहे हैं तो यह लेखकों से 10–10 रुपये उनके पारिश्रमिक में काटकर उनको ग्राहक बनाया है। आपके और कोई ग्राहक नहीं हैं। राजस्थान सरकार ने इस पत्रिका के ग्राहक विभागीय पुस्तकालयों और कॉलेजों तक को नहीं बताया हैं, इसके क्या कारण हैं ?

श्री खेतसिंह : टोटल ग्राहक 590 हैं और उसमें लेखक ग्राहक 164 हैं। अब लेखक ग्राहक जो हैं उनमें 5 रुपये काटते और उनको बताते है इसलिए कि यह लेखक है और वह इन्ट्रेस्टेड भी हैं उस पत्रिका में इसमें विफलता आपको नहीं होना चाहिए और टोटल ग्राहकों के लिए आपने कहा कि इनके सिवाय और नहीं है तो यह गलत है।

श्री मनोहर कोठारी : इसमें भी राज्य सरकार के सिवाय दूसरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल

स्थगित प्रश्न

दि॰ 12-3-76

चिटफण्ड कम्पनियां द्वारा पैसे का लेन-देन

71. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में इस समय चिटफण्ड नाम की व इसी प्रकार का धन्धा करने वाली कितनी कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने ऐसी चिटफण्ड कम्पनियों के पैसे लेने देने के हिसाब और तरीके की जानकारी की है ? क्या सरकार को मालूम है कि कम्पनियां जनता से भारी ब्याज वसूल करती है और जनता को खूब लूट रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस शोषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसी कई चिटफण्ड कम्पनियां थोड़े समय बाद बन्द हो जाती हैं ? यदि हां, तो 5 वर्ष

Page No 22

(22)

(श्री केशरी मल)

में कितनी चिटफण्ड कम्पनियां बन्द हुई, कितना पैसा जनता का इस प्रकार की कम्पनियों ने दवा लिया और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) चिटफण्ड का धन्धा करने वाली कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या यह सही है कि इस प्रकार की कम्पनियां राजस्थान में कार्य करती हैं और उनकी संख्या क्या है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने जैसा कि आप से निवेदन किया इन कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान सरकार में तो नहीं होता है और भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्दर रजिस्ट्रेशन होता है, और इस अधिनियम के तहत उनके हिसाब-किताब की जाँच भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वही करवाते हैं। उनके द्वारा नियुक्त जो रजिस्ट्रार इनचार्ज कम्पनीज है वही उनके सारे काम को देखता है। इसलिए राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सूचना मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से प्राप्त हुई है उसके अनुसार ऐसी चिटफण्ड का धन्धा करने वाली 24 कम्पनियों को उन्होंने पंजीकृत कर रखा है। इन कम्पनियों का हिसाब वह देखते हैं और वही निगरानी रखते हैं, और अगर कोई कानूनी गलती होती है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का उनको ही अधिकार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के पास कई चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ जनता को धोखा देकर उनका पैसा गबन करके भाग जाने की शिकायतें आई हैं ? इस सदन में भी कई ऐसी कम्पनियों के मामलों की बात उठी हैं और राज्य सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन दिया था ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सप्लीमेन्ट्री कर लूं। क्या राज्य सरकार को ऐसी कम्पनियां जो कि चीटिंग का काम करती हैं न कि चिट फण्ड का उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के अधिकार प्राप्त हैं ? अगर हैं, तो ऐसी कम्पनियों के खिलाफ आपने अपने अख्त्यार को इस्तेमाल किया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इन कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन कम्पनीज एक्ट, 1956 के तहत होता है और उस एक्ट के तहत किसी के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को है। राज्य सरकार के सामने ऐसे मामले जब आते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को लिख देते हैं और वह उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सक्षम अधिकारी हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : चीटिंग के खिलाफ वह अधिकारी हैं या आप ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपका यह अलग से सवाल है। आप पूछेंगे तो जानकारी दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने अलवर के अन्दर इस प्रकार की चिटफण्ड कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था कि लोगों के पैसे लेकर गायब हो गए थे और लोगों की बहुत शिकायतें थीं। तो क्या क्रिमनल केसेज इनके खिलाफ चलाये जा सकते हैं और ऐसी कम्पनियों को खत्म किया जा सकता है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जहां तक क्रिमिनल केसेज का सवाल है उनकी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। राज्य सरकार की, और उनको रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की है, और उनका विभाग करता है। जो चीटिंग के केसेज वहां हो वह इससे सम्बन्धित नहीं है। इसलिए उस बारे में इन्फार्मेशन अभी हमारे पास इस वक्त नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसी कम्पनियां बहुत ही कमजोर तबके में काम करती हैं और उनको लूटती है। कृपया आप इस प्रकार की जांच इनकी गतिविधियों के बारे में करायेंगे ताकि गरीब लोगों का उनके द्वारा चीटिंग न किया जा सके ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसे ही जानकारी आयेगी जांच करायेंगे।

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 75

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रोत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमान सहाय !

स्थगित प्रश्न

दिनांक 18-3-76

ग्राम छाण (तहसील सवाई माधोपुर) में नामान्तरकरण का मामला

163. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम छाण तहसील सवाई माधोपुर की खसरा नम्बर 21613 एवं 21614 की भूमि का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26-2-75 को तस्दीक किया गया था ? यदि हां, तो नामान्तरकरण की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि इस नामान्तरकरण के मामले में राज्य सरकार के पास हलका गिरदावर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्रस्तुत हुई हैं ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा गिरदावर के विरुद्ध जांच के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और जांच रिपोर्ट के परिणाम क्या हैं ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। शिकायत जिलाधीश सवाई माधोपुर के पास दिनांक 26-9-75 को आई थी।

(3) जांच के आदेश जिलाधीश द्वारा दिनांक 26-9-75 को दिये गये हैं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री हनुमान सहाय व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि साल भर का टाइम हो गया है और विभाग की यह जांच पूरी नहीं हुई तो यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जांच शीघ्र ही पूरी हो जायगी, लेकिन इसमें जांच का मुद्दा दूसरा है। जांच गिरदावर के खिलाफ कलेक्टर की शिकायत नहीं है, लेकिन गिरदावर ने तस्दीक नहीं की और म्यूटेशन के लिए पंचायत के पास भेजा। उसमें लिखा है कि यह भंवरसिंह के पक्ष में नामान्तरकरण हुआ तो कैसे हुआ और भंवरसिंह दूसरी पार्टी के पक्ष में नामान्तरकरण कैसे करा रहा है। पहले यह जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की थी। तो वह शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले की जमीन थी या नहीं इसकी एन्क्वायरी तहसील कर रही है। पहले यह जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले के कब्जे में थी तो भंवरसिंह के कब्जे में कैसे आ गई और उसके नाम म्यूटेशन कैसे हो गया, और भंवरसिंह के कब्जे में से कैसे परिवर्तित हो रहा है। धारा 42-43 टिनेन्सी एक्ट के सम्बन्ध में जांच हो रही है। जांच गिरदावर के खिलाफ नहीं है। इन दो मुद्दों की भी जांच थी और वह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री सुखलाल सेंणचा (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 400 को लें उसमें केवल इन्फार्मेशन चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 400।

पुलिस थाना रायपुर (पाली) में दर्ज मामला

400. **श्री सुखलाल सेंणचा (जैतारण)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना रायपुर जिला पाली में सन् 1975 में एक मुकदमा धारा 368, 380 आई. पी. सी. का श्री नूरा सरपंच लोलूबा, श्री नारायणसिंह अध्यापक, लोलूबा के विरुद्ध दर्ज हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि फरारशुदा औरतों के बयान सी. आई. डी. विभाग ने नारी निकेतन में रखने के बाद अदालत में करवाये ?

(3) क्या यह भी सही है कि उन फरारशुदा औरतों ने अपने बयानों में मुलाजिमान नूरा व नारायणसिंह वगैरह के विरुद्ध बयान दिये हैं ? यदि हां, तो फिर अब तक उन मुलाजिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया व राज्य सरकार अब कब तक उन्हें गिरफ्तार करके चालान कर रही है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। श्री नारायणसिंह के विरुद्ध मुकद्मा दर्ज हुआ।

(2) सी. आई. डी. ने सिर्फ एक स्त्री रहमती के बयान नारी निकेतन में रखकर अदालत में कराये थे।

(3) जी हां। परन्तु रहमती के बयान एक अन्य ब्यावर के मुकदमें में पहले ही हो चुके हैं जिसमें उसने अन्य व्यक्तियों को मुलिजम बताया था। इसलिए अभी तफतीश चल रही है।

श्री सुखलाल सेणचा : चालान कब तक हो जायगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में दो केसेज हैं, एक केस तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, जैतारण के आदेश से रायपुर थाने में दर्ज है और दूसरा ब्यावर में भी इसी सम्बन्ध में केस दर्ज हुआ। अभी तक तफतीश से तो यही अन्दाजा लगता है कि जो ब्यावर में 'ओरोजिनल केस दर्ज हुआ था उसको ठीक करने के लिए या उसको निश्चित करने के लिए कुछ दिनों बाद मुन्सिफ कोर्ट, जैतारण में इस प्रकार से इस्तगासा पेश करके इस प्रकार का आदेश ले लिया। तफतीश से ऐसा लगता है कि दो कोर्टस् में किया है तो कोनसा सही है और कोनसा झूठा है इसलिए लोकल पुलिस से हटाकर इस केस को सी. आई. डी. को दिया है। इस केस की फाईल उनको ट्रान्सफर कर दी है ताकि वास्तविकता का पता लग सके, क्योंकि जो पहले केस हुआ था उसकी रिपोर्ट ब्यावर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई थी और वह ब्यावर के रहने वाले थे तो जैतारण जाने की क्या जरूरत थी ? दोनों केसेज सी. आई. डी. को ट्रान्सफर कर दिये हैं जो कि इन्वेस्टीगेशन कर रही है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में ब्यावर में रमजान खां के खिलाफ जो केस है इसका दूसरा केस पाली तहसील में दर्ज हुआ और उससे पहले ब्यावर में दर्ज हुआ ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने निवेदन किया कि इसी वक्त रजिस्टर हुआ है।

श्री मोहम्मदगफ्फार अली : नाम बताइये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुकदमा नम्बर 941 पी. एस., ब्यावर में श्रीमती रहमति पत्नी सुल्तान खां मुस्तगीस है जिसने श्री रमजान खां ब्यावर व सुल्तान खां व उसकी मां अहमदी मुलजिम करार दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि रमजान खां को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने औरत उड़ाने के जुर्म में कांग्रेस से निकाल दिया है और राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसकी कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या कांग्रेस कमेटी को कोई प्रस्ताव मिला है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : कोई प्रस्ताव आया भी होगा, तो इतनी याददाश्त नहीं हो सकती है। You can't say categorically.

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पार्टी का सवाल है, क्या ऐसे प्रश्न सदन में पूछे जा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस थानों में मुकदमों की बढ़ोतरी

384. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने पुलिस थाने हैं तथा उनको कितनी श्रेणियों में विभक्त किया हुआ है ?

(2) पुलिस थाने क्षेत्र के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या तादाद मुकदमों के आधार पर बनाए जाते हैं ? इनमें से किस आधार पर बनाए जाते हैं तथा हर पुलिस थाने पर किस-किस पद के कितने व्यक्ति होते हैं ?

(3) प्रति पुलिस थाने पर कितने सिपाही होते हैं ? दस वर्ष पूर्व व आज की तादाद में क्या अन्तर है ?

(4) प्रति थाने में औसतन पिछले दस वर्षों से आज तक कितने प्रतिशत मुकदमों की बढ़ोतरी हुई ? क्या उसके आधार पर सिपाहियों को या अन्य स्टाफ को बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 538 पुलिस थाने हैं जिनको श्रेणियों में विभक्त किया हुआ नहीं है।

(2) पुलिस थाने मुख्यतः अपराध संख्या पर बनाये जाते हैं पर अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है। साधारणतया एक पुलिस थाने में कम से कम एक उप-निरोक्षक एक हैड कान्सटेबिल, 12 कान्सटेबिलों की नफरी होती है।

(3) इसका उत्तर उपरोक्त भाग 2 में दिया जा चुका है। थाने की नफरी अपराध संख्या के आधार पर तय की जाती है।

(4) प्रति थाने में पिछले दस वर्षों में औसतन 56 प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा गठित पुलिस पुनर्गठन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 1973 में प्रस्तुत की थी जिसको राज्य सरकार ने पूर्णतया जांच कर 1974 में थानों की नफरी मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत की है। अतः अभी नफरी बढ़ाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को सहायता

388. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक किन-किन अध्यापकों को किस-किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा किस-किस प्रकार का अनुदान या सहायता दिये जाने का प्रावधान है ? इस प्रावधान के अनुसार अब तक किस-किस अध्यापक को कब-कब किस-किस प्रकार की सहायता दी गई है और किन-किन अध्यापकों को नहीं और क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा सन् 1972 तक सेवा निवृत्ति होने पर तीन साल तक पुनः नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान था। इसके पश्चात 1973 से ऐसे अध्यापकों को 500/- रु. का नकद पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जितने भी मामले अभिशंषित हो कर आये उन्हें प्रावधान अनुसार लाभ दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सार्वजनिक जैन सराय, सांचोर की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

390. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री भोमाराम पुत्र श्री खेताराम खत्री साकिन सांचोर ने सार्वजनिक सराय के पास बनी सार्वजनिक टट्टियों एवं भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया, उसको हटाने के आदेश जिलाधीश, जालोर ने दिये थे और रेवेन्यू अपीलेट अधिकारी ने भी उसके कब्जे को अवैध माना है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति का कब्जा अभी तक नहीं हटाया गया है जिसके कारण सार्वजनिक जैन सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो इस प्रकार के अवैध कब्जे को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया और सरकार कब तक हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री भोमाराम के द्वारा अनधिकृत कब्जा करने की शिकायत पंचायत से प्राप्त होने पर तहसीलदार ने इसे धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत हटाने का निर्णय किया। अपील में जिलाधीश ने इस निर्णय को सही माना। बाद में राजस्थान अपील अधिकारी के यहां अपील हो गई जो विचाराधीन है।

(2) कब्जा अभी तक नहीं हटाया गया क्योंकि मामले में अभी निर्णय नहीं हुआ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-76)

डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

75. श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973, 74-75 में डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत भू-संरक्षण के कुछ काम चलाये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ? प्रत्येक गांववाइज मजदूरों की संख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(3) भू-संरक्षण विभाग, डूंगरपुर इस समय क्या-क्या काम कर रहा है ?

(4) क्या यह विभाग उक्त जिले में भू-संरक्षण का कार्य समाप्त कर चुका है ? यदि हां, तो उसके पश्चात् यह विभाग क्या काम करेगा ?

(स्थगित किया गया)

Page No 28

(28)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील फागी तथा चाकसू में पटवार घर

206. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील फागी तथा फागी-चाकसू में कहां-कहां पर पटवार घर बने हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील फागी तथा चाकसू में कौन कौन से पटवार हैडक्वार्टर पर पटवार घर नहीं बने हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील चाकसू में 9 पटवार घर व तहसील फागी में 11 पटवार घर बने हुये हैं। सूची संलग्न है।

(2) तहसील चाकसू व फागी में जहां पटवार घर बने हुए नहीं है, उन पटवार मण्डलों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

भू. पू. राजा-महाराजाओं से अवाप्त भूमि

207. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान के भूतपूर्व राजा महा-राजाओं से अब तक कितनी कृषि-भूमि अवाप्त की जा चुकी है ? जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अवाप्त की गई कृषि-भूमि में से कितनी भूमि भूमिहीनों में बांट दी गई है ? कृपया जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति अधिनियम, 1975 के अंतर्गत भूतपूर्व नरेशों से कुल 53,298 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है। प्रत्येक भूतपूर्व नरेश से अवाप्त की गई भूमि का विवरण सूची में अंकित कर दिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अवाप्त की गई भूमि में से 567-74 एकड़ भूमि 128 भूमिहीनों को सिरोही जिले में आवंटित की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जयपुर जिले में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

208. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में सन् 1961 से अब तक कितनी भूमि अवाप्त की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें

(2) कितनी भूमि का मुआवजा बाकी है ? यदि मुआवजे की रकम बाकी है तो कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इस जिले में सन् 1961 से अब तक 6036 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) 4813 बीघा 17 बिस्वा भूमि का मुआवजा रुपये 77 लाख 92 हजार 858-57 पैसे का भुगतान किया जा चुका है। मुआवजे की शेष 5460816-15 रुपये की राशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन

209. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कुल कितनी भूमि का आवंटन किया जाना है ?

(2) भू-आवंटन के लिए कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? कृपया जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नहर परियोजना में अब तक कितनी भूमि का आवंटन हो चुका है ? उसमें कितना प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जन-जातियों का है ?

(4) क्या कमांड क्षेत्र में उपनिवेशन कानून के अमल में कुछ पेचीदगियां हैं ?

(5) क्या इस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था में भी कई नई समस्यायें तहसीलदारों को मालकाना लागू कर देने के कारण उत्पन्न हो गई है ?

(6) क्या राजस्थान नहर परियोजना में विश्व बैंक ने कुछ अन्य कामों के लिए भी रकम लगाना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो इस रकम का उपयोग कितनी जमीन पर किया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण की 13.14 लाख एकड़ में से सिंचाई विभाग ने वर्ष 1975-76 के के लिये 9.30 लाख एकड़ भूमि का सिंचाई कार्यक्रम दिया है। जिसमें से 8.84 लाख एकड़ भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटन एवं प्रबंधित कर दी गई है।

(2) भूमि आवंटन के लिये कुल 204443 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिलेवार सूचना निम्न प्रकार है :

(1) गंगानगर जिला	1,53,358
(2) बीकानेर जिला	23,692
(3) जोधपुर जिला	3,987
(4) चूरू जिला	17,445
(5) नागौर जिला	5,961
कुल—	2,04,433

(3) नहर परियोजना में अब तक 884369 एकड़ भूमि का प्रबंध किया जा चुका है। अनुसूचित जाति/जन-जाति के आवंटियों का 25 प्रतिशत है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां, इस रकम का उपयोग श्री गंगानगर जिले में 2.00 लाख हेक्टेयर भूमि में किया जाना निश्चित हुआ है।

Page No 30

(30)

भारत-पाक युद्ध के समय काम में लिये गये ट्रकों का मुआवजा

210. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय फसलों की हुई हानि तथा युद्ध के समय जिलाधीश, गंगानगर द्वारा प्राप्त किये गये ट्रक नं. आर. जे. के. 3408, 6771, 7197, 7235, 8197, एवं 8747 आदि, जो करीब 35 दिन तक प्रयोग में लाये गये, का मुआवजा आज तक नहीं चुकाये जाने का क्या कारण है ?

(2) (क) यह मुआवजा फसलों का व ट्रकों का कितना-कितना तहसील पदमपुर व करणपुर का बाकी है ?

(ख) और तहसील पदमपुर और करणपुर में आज तक कितना मुआवजा दिया जा चुका है ?

(3) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) प्रश्नगत वाहन अवाप्त कर आर्मी ऑथोरिटी द्वारा अपने स्तर पर काम में लाये गये थे। अतः किराये का भुगतान उन्हीं के द्वारा किया जाना है ? जिसके लिए जिलाधीश, गंगानगर द्वारा उन्हें लिखा हुआ है।

(2) (क) प्रश्नगत वाहन तहसील पदमपुर के हैं जिनका कुल किराया रु० 18000) दिया जाना बाकी है।

(ख) फसलों का मुआवजा तहसील पदमपुर व करणपुर का निम्न प्रकार भुगतान किया गया है:—

कुल मुआवजा आंका गया	भुगतान किया गया	भुगतान करना शेष है
(1) तहसील पदमपुर		
57,750	55,920	830
(2) तहसील करणपुर		
60 35,920	16,50,000	43,85,920

(3) फसलों का बकाया मुआवजा वितरण किया जा रहा है।

अधिकारियों/कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति

211. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपुतली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में इस वर्ष कितने अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्ट आचरण व अन्य कारणों से कम्पलसरी रिटायर किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सूची में भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा का एक भी अधिकारी नहीं है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1975-76 में अब तक 2040 राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया। इन कर्मचारियों की कार्य निष्ठा में कमी अथवा/और सत्यनिष्ठा संदेहजनक पाई जाने पर ही अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई।

(मुख्य मन्त्री)

अनिवार्य सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारियों का ब्योरा इस प्रकार है:—

1–	राज्य सेवा अधिकारी	— 151
2–	अधीनस्थ सेवा कर्मचारी	— 950
3–	मंत्रालयिक सेवा कर्मचारी	— 690
4–	चतुर्थ सेवा कर्मचारी	— 249
	योग....	2040

(2) उक्त संख्या के अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान केडर) के एक अधिकारी को भारत सरकार ने राज्य सरकार की सहमति से अनिवार्य सेवा निवृत्त किया है। भारतीय पुलिस सेवा (राजस्थान केडर) के किसी भी अधिकारी को अनिवार्य सेवा निवृत्त नहीं किया गया है।

20-सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में श्री गंगानगर में बनाई गई समिति की बैठकें

212. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जिला श्री गंगानगर में बनाई गई समिति द्वारा आज तक कितनी बैठकें बुलाई गई, उनमें क्या-क्या कार्यक्रम हाथ में लिया और क्या प्रगति हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि तारीख-18-1-76 को उपरोक्त समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक सदस्य भूमि की उच्चतम सीमा सम्बन्धी अवैधानिकता के सम्बन्ध में तीन दिन के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर, श्रीगंगानगर को दें ताकि उस पर उचित कार्यवाही की जा सके ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन से सदस्य ने क्या-क्या जानकारी दी और उस पर कलेक्टर ने क्या कार्यवाही की ? यदि सदस्यों ने कोई सूचना नहीं दी तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(क) आज तक चार बैठकें बुलाई गई हैं। जिला समिति में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गये कार्य बिन्दुओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय संबंधी कार्य हाथ में लिया है। इन मीटिंग्स का कार्य विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

समिति की बैठक में निम्न सीलिंग प्रकरणों की ओर जिलाधीश, गंगानगर का ध्यान आकर्षित किया गया था।

(1) सीलिंग परिवाद महंत श्रेयोनाथ, चक 7 एल. एल., तहसील गंगानगर इस केस के सीलिंग परिवाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय नहीं किया गया था, तथा इसमें उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण छानबीन का प्रश्न नहीं रहा।

(2) भूतपूर्व महाराजा करणीसिंह का सीलिंग परिवाद, इसके लिये राजस्व अपील अधिकारी का स्थगन आदेश होने के कारण छानबीन नहीं की जा सकी थी।

(3) सेठ सुगमचन्द गंगानगर के सीलिंग परिवाद की छानबीन कर ली गई थी और उसका मामला राज्य सरकार को पुनः खोलने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

(मुख्य मन्त्री)

(4) लीला परिवार के सीलिंग परिवादों के लिये उनको पुनः खोलने की सिफारिश के साथ राज्य सरकार को भेज दिये गये।

(5) रूपसिंह, चक 78 जी. बी. का सीलिंग परिवाद। इनके केसेज प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय नहीं होने के कारण छानबीन करने का प्रश्न नहीं था।

जिला समन्वय समिति की बैठक में उपरोक्त सूचना से अवाप्ति किसी भी सदस्य ने अन्य मामलों के बारे में जानकारी नहीं दी। सदस्यों द्वारा अन्य मामलों की सूचना न देने के कारणों की जानकारी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर के महामंदिर पुलिस स्टेशन के लिये अवाप्त भू-खण्डों का मुआवजा

213. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जोधपुर नगर के महामंदिर पुलिस स्टेशन के विस्तार के लिए किन-किन लोगों के आवासीय भू-खण्ड अवाप्त किये गये और उनका कितना मुआवजा निश्चित किया गया? कृपया उसकी पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अब तक मुआवजे की धनराशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मुआवजे के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17-1-76 को स्वीकृति दे दी गई है। जिसके भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट-10 देखिये)

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन

214. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में केन्द्र की तरफ से कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन मिल रही है? तथा राजस्थान सरकार की तरफ से कितनों को? और केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों की तरफ से कितनों को? और कम से कम कितनी तक ज्यादा कितनी माहवारी पेन्शन मिल रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से आजाद हिन्द फौज के सेनानियों की तादाद कितनी है? कृपया जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें

(3) आजाद हिन्द फौजी के तौर पर जेल जाकर आने के पश्चात् राजाशाही जेलों में उनमें से जाने वाले कितने सेनानियों की पेन्शन हुई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त दोनों किस्म के स्वतन्त्रता सेनानियों में से किस जिले में कितने-कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को कहां-कहां कितनी-कितनी असिंचित व सिंचित भूमि कितनी कीमत में, कितनी किश्तों में कीमत चुकाने हेतु मिली है? कृपया जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 33

(33)

(श्री मोहरसिंह)

(5) जितने स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले अभी पेन्शन पाने हेतु विचाराधीन पड़े हैं उन का कब तक फैसला किया जायेगा ?

(6) जेलों से बाहर सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में भयानक कठिनाइयां उठाकर आहुति पैदा करने वाले कार्यकर्त्ताओं को स्वतन्त्रता सेनानियों की श्रेणी में रखने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक नियमों में इस हेतु परिवर्तन किया जा सकेगा ?

(स्थगित किया गया)

राज्य में वितरण व्यवस्था

215. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में वितरण व्यवस्था के लिए कुल कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं ? इनमें से कितने प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में हैं ?

(2) क्या वितरण व्यवस्था को संचालित करने के लिए मोहल्ला सतर्कता समितियां गठित की गई हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ? क्या यह संख्या पर्याप्त है ?

(3) क्या राज्य ने जाली राशन-कार्डों को भी रद्द किया है ? रद्द कर देने से कितने यूनिटों की बचत हुई ?

(4) क्या अनियमितता बरतने वाली सस्ते गल्ले की राशन की दुकानों के लाइसेन्स रद्द किए गए हैं ? यदि हां, तो कितनी दुकानों के और क्या उन दुकानों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है ?

(5) क्या राजस्थान के प्रत्येक नगर में नये राशन कार्ड बनाये जाने का काम प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में वितरण व्यवस्था के लिये कुल 9513 सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, इनमें से 39 प्रतिशत दुकानें सहकारी क्षेत्र में हैं।

(2) जी हां, वर्तमान में 444 सतर्कता समितियां जिला मुख्यालयों पर गठित की हुई हैं। फिलहाल प्रयोग के तौर पर ही गठित करने का निर्णय लिया हुआ है। इनके कार्य को सफलता को देखकर बाद में इन्हें हर क्षेत्र में गठित किया जा सकेगा।

(3) जी हां, अभी तक 4,56,77 रद्द की गई है।

(4) जी हां, अभी तक अनियमितता बरतने पर 100 सस्ते गल्ले की राशन की दुकानों के लाइसेन्स रद्द किये गये हैं और इन दुकानों की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है।

(5) नये राशन कार्ड बनवाने का कार्य प्रारम्भ करने की बाबत जिलेवार सूचना संलग्न सूची में वर्णित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

चालानों का कोटा

216. श्री गुरदयालसिंह (करणपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में थानेदार व कर्मचारीवार 107 ता० हि० 110 सी आर० पी० सी० व ट्राफिक चालकों का क्या क्या कोटा निर्धारित है और कितने चालान पिछले एक साल में किये गये और कौन-कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चालान कोटे पूरे नहीं हुए ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों के चालान कोटे मुकर्रर हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हे बेगुनाह व शरीफ लोगों के व ट्रैक्टर्स आदि के झूठे चालान करने पड़ते है जिस कारण शरीफ लोगों के चालान किये जा रहे हैं ?

सरकार इस परम्परा को कब तक समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(2) जी नहीं।

इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उपज समिति शुल्क

217. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गत बार राज्य सरकार ने जो कृषि उपज समिति शुल्क राज्य में लागू किया था उसे नियमानुसार सभी मंडियों में निश्चित दिन में लागू न कर अलग अलग मंडियों में अलग अलग दिन से लागू किया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि लागू करने में अन्तर है तो विभिन्न मंडियों द्वारा लागू करने के दिन आदि का ब्योरा देते हुए सभी मंडियों की सूची सदन की मेज पर रखें

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा गत बार दिनांक 15-6-75 के राज-पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा नई अधिघोषित जिन्सों पर मन्डी शुल्क लागू किया गया। नियमानुसार यह प्रकाशन की तिथि से देयवा और इसी प्रकार के आदेश विभाग द्वारा जारी किये गये थे परन्तु सम्भव है कहीं कहीं राजपत्र की प्रतियां मन्डी समितियों को काफी देर से उपलब्ध होने की स्थिति में मन्डी शुल्क जमा कराने में किंचित समय लगा।

किस मन्डी में किस तिथि से मन्डी शुल्क लेना शुरू किया गया उसकी विस्तृत सूचना सभी मण्डियों से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

अस्थायी तौर से नियुक्त अध्यापकों की सेवाएं

213. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कुछ वरिष्ठ अध्यापक अस्थाई रूप से शिक्षा विभाग में काफी अर्से से कार्य कर रहे हैं ? अगर हां, तो कुल कितने-कितने समय से कहां-कहां कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 35

(35)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) क्या यह सत्य है कि जैसे-जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापक उपलब्ध होते जा रहे हैं वैसे वैसे उक्त अस्थाई तौर से नियुक्त अध्यापकों की सेवाएं खत्म की जा रही हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि अभी हाल ही में पांच वरिष्ठ अध्यापकों की सेवाएं शिक्षा विभाग ने खत्म कर दीं ? अगर हां, तो कब एवं उनकी कितने कितने साल की सेवाएं थीं एवं उनमें से क्या कुछ ओवर-एज भी हो चुके हैं ? ऐसे अध्यापकों की सूची 'सदन' की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त अध्यापकों को शिक्षा विभाग में वापिस रखने के बारे में अब तक सरकार ने क्या निर्णय कब लिया है ? ऐसे अध्यापकों की सेवा शिक्षा विभाग में स्थाई करने के बारे में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। 8 व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त की गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन व्यक्तियों को वरिष्ठता में सबसे नीचे होने के कारण पद मुक्त करना पड़ा।

(4) ऐसे समस्त अध्यापकों को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर रखने के लिये मामला विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

देवली के प्राइवेट कालेज को मान्यता

219. श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

देवली जिला टौंक में प्राइवेट कालेज को मान्यता देने का मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 18-6-74 को आश्वासन दिया था ? क्या उस आश्वासन की पूर्ति कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? आगे मान्यता देंगे तो कब तक ?

उत्तर

विभाग को आश्वासन सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है। नेहरू महाविद्यालय, देवली का आवेदन पत्र राज्य सरकार द्वारा पत्र सं० प० 14/1/शि-प्र-प-1-75 दिनांक 23-5-75 द्वारा वाणिज्य संकाय के सम्बन्ध हेतु विश्वविद्यालय को भेजा गया था। इस पर विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण समिति गठित की गई। समिति ने सिफारिश की कि यदि प्रबन्ध समिति अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करले तो सम्बन्ध प्रदान किया जा सकता है। इस आशय का पत्र 16-7-75 को अध्यक्ष, नगर हितकारी समिति, देवली को लिखा गया था जिसका कि जवाब स्मरण पत्र देने पर 20-2-76 को प्राप्त हुआ कि आवश्यक शर्तें पूरी करलीं तथा आर्थिक स्थिति भी अब अच्छी हो गई है। इस परिपालन की पुष्टि के लिये दुबारा उसी कमेटी के संयोजक को विश्वविद्यालय के द्वारा निरीक्षण करने के लिए दिनांक 13-3-76 को लिखा गया है। समिति की रिपोर्ट आने पर सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।

Page No 36

(36)

सिरोही व जालौर जिलों के स्कूलों में प्रधानाध्यापक

220. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही व जालौर जिले में कितने माध्यमिक विद्यालय व कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं तथा किस-किस में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही और जालौर जिले के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकतर प्रधानाध्यापक दूसरे जिलों से आये हुए हैं ? यदि हां, तो उनके नाम व कौन कहां-कहां के हैं, का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सिरोही व जालौर के माध्यमिक विद्यालय में फर्नीचर की बहुत कमी है ? यदि हां, तो फर्नीचर पूरा कराने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि सिरोही व जालौर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में पी. टी. आई. के अध्यापक पर्याप्त नहीं हैं ? यदि हां, तो इनकी कब तक पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) नव क्रमोन्नत विद्यालय में फर्नीचर की कमी है । 75-76 में नई क्रमोन्नत माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर के लिये अतिरिक्त धनराशि 3,500) रु० प्रति शाला आवंटित कर दी गई है ।

(4) जी हां । पहले पी. टी. आई. की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध था । इस कारण नियुक्तियां नहीं की जा रही थीं । अब प्रतिबन्ध हट गया है और शीघ्र नियुक्तियों की व्यवस्था की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

तहसील श्री डूंगरगढ़ में कुओं से पानी की पिलाई

221. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1972-73 व 1973-74 में जिलाधीश, चूरू के आदेश से पिलाई पर अकालग्रस्त क्षेत्र तहसील श्री डूंगरगढ़ में पीने के पानी के लिये कुएं चलाये गये थे ?

(2) यदि हां, तो वर्षवार, गांववार या गांव के कुएवार तथा कुआ चलाने वाले ठेकेदार ने कितने समय कुआ चलाया, किस दर से चलाया, कितने रुपये उसके हुए, उनमें से कितने रुपये भुगतान किये गये व कितने रुपये बकाया रहे, के विवरण को दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार व जिलाधीश तथा तहसीलदार को समय-समय पर भुगतान न मिलने सम्बन्धी कुए चलाने वाले ठेकेदारों

(श्री लूणाराम)

की शिकायतें मिलती रही हैं ? यदि हाँ, तो किस-किस ठेकेदार की ओर से किस-किस अधिकारी को ?

(4) क्या यह सही है कि मार्च, 74 में तहसीलदार श्री डूंगरगढ़ ने ट्रेजरी से इन ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए रकम उठा कर सब-ट्रेजरी में जमा करवादी और इन्हें भुगतान नहीं किया गया ?

(5) यदि हां, तो कारण सहित बताने का कष्ट करें कि अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी हां। लूनाराम पुत्र कालूराम पूनिया, देवीसिंह पुत्र बालसिंह ने जिलाधीश कार्यालय में तथा गोविन्दराम, ईश्वरसिंह, माघाराम आदि ने सहायता विभाग में शिकायत प्रस्तुत की थी।

(4) जी हां।

(5) जांच विचाराधीन होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11-3-76)

सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में दिये गये सरकारी हथियार

2. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्रीगंगानगर के पाकिस्तान के साथ लगते भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में 1956 व उसके आस-पास से लेकर आज तक जो सरकारी हथियार और लाइसेन्स दिये गये थे उन हथियारों को वापिस लिये जाने और उस क्षेत्र की जनता के लाइसेन्स कैंसिल करने का क्या कारण है ?

(2) जो हथियार दिये गये थे वे किस-किस गांव में कितने-कितने और जो वापिस लिये गये हैं वे किस-किस के और जो लाईसेन्स कैंसिल किये गये हैं और वह किस गांव में कितने-कितने हैं और उसका क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी और जो बोर्डर क्षेत्र में अमला लिया जा रहा है और कैंसिल किये जा रहे हैं उसे बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुछ शस्त्र तो लोगों ने स्वयं ने जमा कराए हैं व कुछ शस्त्र अब उन व्यक्तियों के पास रखने की आवश्यकता न होने से वापिस जमा कराए गए।

(2) यह सूचना देना जन-हित में नहीं है।

(3) शस्त्र आवश्यकतानुसार ही दिये जा सकते हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-76)

उपनिवेशन तहसील लूणकरणसर क्षेत्र की सीमा का पुर्निर्धारण

94. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर प्रशासन द्वारा लिफ्ट कैनाल द्वारा सिंचित

(श्री भीमसेन)

रकबे जो कि उपनिवेशन तहसील लूणकरणसर में शामिल है कि चक प्लान्स उपनिवेशन विभाग को भेजे जा चुके हैं ?

(2) अगर हां, तो राजस्थान नहर प्रशासन द्वारा उपनिवेशन तहसील, लूणकरणसर के चक प्लान्स के मुताबिक उपनिवेशन तहसील क्षेत्र की सीमा का पुनर्निर्धारण सरकारी विज्ञप्ति निकाल कर उपनिवेशन विभाग क्यों नहीं करता ताकि असिंचित क्षेत्र के काश्तकार व्यर्थ की परेशानियों से मुक्ति पा सकें तथा अपनी कृषि भूमि की सीमाबन्दी एवं खातेदारी हकों से महरूम न रह सकें ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर प्रशासन ने उपनिवेशन घोषित क्षेत्र तहसील लूणकरणसर के कुल 41 गांवों के, जिनका क्षेत्रफल 404951 एकड़ है, में है। अभी तक केवल 144 चकों के चक प्लान ही उपलब्ध कराये हैं जिसमें 64,100 एकड़ भूमि कमाण्ड एवं 37159 एकड़ अन-कमाण्ड में आती है।

(2) जब तक राजस्थान नहर प्रशासन द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता कि 144 चकों के चक प्लान्स के क्षेत्र के अलावा लूणकरणसर लिफ्ट में और किसी क्षेत्र के सिंचित होने की संभावनाएं नहीं है तहसीलों की सीमा का पुनर्निर्धारण करना संभव नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-76)

जयपुर जिले की जमाबंदियां

95. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कौन से सन् तक की जमाबन्दियां तैयार हो चुकी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में सन् 1974 तक की कितनी जमाबन्दी बाकी है ? कृपया तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बाकी जमाबन्दियां कब तक तैयार हो जावेंगी ?

उत्तर

(1) जिले की तहसीलों में सम्वत् 2015 तक की जमाबन्दियां पूर्ण कर ली गई हैं।

(2) जिले में सन् 1974 तक की 115 जमाबन्दियां पूर्ण होने से शेष है। तहसील वाइज सूची संलग्न है।

(3) सभी शेष जमाबन्दियां जून, 76 तक हर स्तर पर पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-76)

राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति

96. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व निरीक्षकों की एप्रूव्ड सीनियोरिटी सूची में से क्रम संख्या 135, 125, 158 व 187 पर अंकित व्यक्तियों को तहसीलदार के पद

(श्री रामसिंह कुड़ी)

पर लगा दिया है एवं क्रम संख्या 108 अ. श्री करामत अली व श्री अर्जुनसिंह नायब तहसीलदार, नागोर को अच्छी सी. आर. होते हुए भी अभी तक तहसीलदार नहीं लगाया गया है ?

(2) क्या नियमों में यह प्रावधान है कि जूनियर होते हुए भी कोई व्यक्ति पहले नायब तहसीलदार लग जावे तो ऐसा प्रमोशन सीनियोरिटी को प्रभावित नहीं करता ? क्या इस नियम की तहसीलदार पदों पर लगाते वक्त कोई अवहेलना की गयी ? यदि हां तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार जांच कराने को तैयार है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्व निरीक्षकों की अनुमोदित वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 135,125 व 187 पर अंकित व्यक्तियों को एडहॉक रूप से तहसीलदारों के पदों पर लगाया गया है। यह सही नहीं है कि इस सूची के क्रम संख्या 158 पर अंकित व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है। यह सही है कि क्रम संख्या 108 'अ' श्री करामत अली और अर्जुनसिंह नायब तहसीलदार नागोर को एडहॉक रूप से तहसीलदार नहीं बनाया गया क्योंकि ऐसे नायब तहसीलदार की सूची में, जो लगातार इस पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य कर रहे हैं; श्री करामत अली व श्री अर्जुनसिंह उपरोक्त से कनिष्ठ हैं।

(2) जी हां। परन्तु नायब तहसीलदार के पद से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति देते समय लगातार कार्यवाहक रूप से नायब तहसीलदार पद पर कार्य करने की अवधि को भी विचार हेतु लिया गया है।

सदन से अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री गुमानमल लोढ़ा एवं श्री भानुकुमार शास्त्री को 8 मार्च, 1976 से सत्रांत तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने मार्च, 1976 से सत्र के अन्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

माननीय मुख्य मन्त्रीजी !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक (क-3) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 6 (6) कार्मिक-3)/74, दिनांक 9 मई, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974, प्रकाशित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन
राजकीय उप-क्रम समिति के 27 वें से 35 वें प्रतिवेदन का उप-स्थापन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन—

श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति राजकीय उपक्रम समिति, 1975-76 समिति के निम्न प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:—

(1) राजकीय वूलन मिल, बीकानेर की स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समिति का 27 वां प्रतिवेदन।

(2) स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना की स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समिति का 28 वां प्रतिवेदन।

(3) पलाना कोयला खान की स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समिति का 29 वां प्रतिवेदन।

(4) जयपुर दुग्ध वितरण योजना की स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समिति का 30 वां प्रतिवेदन।

(5) राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समिति का 31 वां प्रतिवेदन।

(6) राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समिति का 32 वां प्रतिवेदन।

(7) राजस्थान राज्य कृषि उद्देश्य निगम की स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समिति का 33 वां प्रतिवेदन।

(8) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की स्थापना के उद्देश्यों से सम्बन्धित समिति का 34 वां प्रतिवेदन, एवं

(9) राजस्थान आवासन बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित समिति का 35 वां प्रतिवेदन।

प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में संशोधन

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में संशोधन।

माननीय संसदीय कार्य विभाग मन्त्रीजी।

श्री खेतसिंह (संसदीय कार्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 249 में निम्न संशोधन और नियम 253 एफ. के पश्चात् निम्नांकित नये नियम जोड़े जायं :

नियम 249 के खण्ड (1) के अन्त में प्रयुक्त शब्द

"Deputy Speaker" के स्थान पर

शब्द "Chairman" प्रस्थापित किया जाय।

नियम 253 एफ. के पश्चात् निम्न नियम जोड़ा जायः—

"(o) General Purposes Committee.

(श्री शान्तिस्वरूप अग्निहोत्री)

253-G. Constitution of Committee.—(1) There shall be a General Purposes Committee consisting of not more than seven members including the Chairman.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and shall hold office for a term not exceeding one year.

253-H. Functions of Committee- The functions of the Committee shall be to consider and advise on such matters concerning the aftairs of the House as may be referred to it by the Speaker from time to time."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य विभाग मन्त्रीजी ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 249 में जो संशोधन और नियम 253 एफ. के पश्चात् जो नियम जोड़ने का प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। माननीय मुख्य मन्त्रीजी !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां, सत्र खत्म होने से पहले उत्तर मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वह बात कर लेंगे। मेरे से मिल लेना।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 27, 12, 43 व 46 का उपस्थापन

आय-व्ययक (बजट) 1976-77। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। माननीय वित्त मन्त्रीजी !

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,95,23,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,98,90,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,13,47,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानें वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,01,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 27, 12, 43 व 46 पर कटौती प्रस्ताव

श्री दीपंकर (लाडनूं) :

1. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्याधिकारियों द्वारा शराबबन्दी को विफल करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328-खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स के आधुनिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 339-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

4. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देशी शराब खुली बेचने, ठेके पर पिलाने व ठेके स्कूल व मन्दिर के पास होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर की पेयजल समस्या के समाधान में ढील बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में खनिज के सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर का पर्यटन की दृष्टि से विकास न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) :

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

8. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अफीम खरीद में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों के आकर्षण हेतु नाहरगढ़ से जल महल तक रोप-वे निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) :

10. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों से बकाया रकम की वसूली में आबकारी विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

11. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक–239 –राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शराब पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक–239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जलपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू नगर एवं कस्बा फागी में नल योजना शीघ्र लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जलपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में नल योजना शीघ्र लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–328 –खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में माइन्स के आधुनिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसील में खनिज सर्वेक्षण हेतु चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–339— पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–339 —पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पर्यटन के विकास की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग) :

19. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक–239 —राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में ठेकेदारों को लाइसेन्स देने की प्रक्रिया के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328 – खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स विभाग में ठेकेदारों को लाइसेन्स देने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्यटक स्थलों के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

22. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा मद्यनिषेध न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

Page No 44

(44)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

23. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति के गांवों में पानी की समस्या को हल करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

24. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कम कर दिया जाय (अलवर जिले के गावों को पीने का पानी नल योजना द्वारा उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

25. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण नशाबन्दी की नीति जल्दी से जल्दी अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

26. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने जिन जिलों में शराब बन्दी की है वहां आबकारी विभाग अवैध देशी शराब की बिक्री एवं प्रयोग के रोकने में असफल रहा है जिसके कारण शराब बन्दी आन्दोलन नीति को ठेस पहुँच रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

27. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक-282—लोक-स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में पानी की सुचारु रूप से व्यवस्था के लिये जो संशोधन योजना स्वीकृत की गई है उक्त योजना के लिये जो प्रावधान किया गया है वह अपर्याप्त है इससे जनता की आवश्यकता से बहुत कम जल प्राप्त हो रहा है, गर्मी के दिनों में स्थिति भयंकर रूप लेगी जिसके लिये स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

28. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक-282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जल समस्या को हल करने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं वे समस्या की गंभीरता को देखते हुये अपर्याप्त है जिसके कारण जिन क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर रूप लिये हुये है वहां की जनता में व्याप्त तीव्र असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

29. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक-282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में निम्न ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं का सम्पूर्ण रूप से क्रियान्वयन कर सम्बन्धित गांवों में 15 अप्रेल, 1976 तक जल पहुँचाने की आवश्यकता पर (1) गिराब–खडीन (2) भाडावा–देरासर (3) मगना की ढाणी (कुडला) एवं समसर कुआ (रावतवर) का जल पहुँचाने पर चर्चा के लिये) ।

30. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक-282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को बनाते समय पशुओं की गणना का ध्यान नहीं रखा जाता है जबकि पशु अधिक पानी पीते हैं, अतः उक्त योजनाओं में इस बात पर ध्यान दिये जाने पर बल देने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

31. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक-282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में पांचवी पंचवर्षीय योजना के सन् 76-77 में जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

32. मांग संख्या 27; मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसी नीति निर्धारित की जावे जिससे कि किसी व्यक्ति को पानी लाने के लिये दो मील से अधिक दूर न जाना पड़े, इस पर चर्चा के लिये) ।

33 मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण 'जल प्रदाय योजना जो स्वीकृति के लिये भेजी गई है उन सभी योजनाओं को सन् 76-77 में प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये) ।

34. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खनिज सम्पदा की खोज के लिये नये सिरे से सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

35. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में राक-फास्फेट की बाहुल्यता होते हुये भी उसका उपयोग करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

36. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर तहसील के गागरिया रेल्वे स्टेशन में जिप्सम का अधिक भंडार है परन्तु उसके खनन में खनिज विभाग द्वारा उदासीनता का रुख अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : (चित्तौड़गढ़)

37. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब की बिक्री अत्यधिक होने से जनता के शारीरिक हनन पर चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स के माध्यम से राजस्थान की आय बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 46

(46)

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

(वर्तमान माइनिंग व्यवस्था के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

40. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ के पर्यटन विकास हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री ओंकारलाल चौहान (डींग) :

41. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239–राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शीघ्रातिशीघ्र नशाबन्दी लागू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

43. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स के लीज होल्डर्स की समस्याओं के समाधान हेतु विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

43. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

44. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239–राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग संख्या में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज शराब के निर्माण को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

45. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239–राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग शराब में मिलावट रोकने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये) ।

46. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में चल रही माइन्स को सड़कों से जोड़ने में विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

47. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239–राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मद्य निषेध शीघ्रातिशीघ्र लागू किये जाने पर चर्चा के लिए ।

48. मांग संख्या 27; मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा नगर की रीआर्गनाइजेशन स्कीम की क्रियान्विति एवं कारून्डा एवं चिकारडा ग्राम की जल योजनाओं के प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये) ।

49. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328 खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से100 रुपया कम कर दिया जाय(माइनिंग विभाग की लाइसेन्सिंग पालिसी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

50. मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

239 राज्य उत्पादक शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब जैसी नशीली चीजों पर सरकार द्वारा अब तक रोक नहीं लगाने से जनता में व्याप्त घोर असंतोष पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जन साधारण को पीने के पानी की उचित सुविधा नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के ठेके गरीब तबके के लोगों को नहीं दिये जाते इसके संबंध में चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन स्थलों के विकास के लिये समुचित धनराशि उपलब्ध नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह (मांडल): 54. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239–राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब की दुकानें कम की जायं इसके संबंध में चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन ग्रामों में नल योजनाएं हैं वहां गलियों में कीचड़ को हटाने हेतु, जल निकासी हेतु योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण नल योजनाओं के लिये बजट में प्रावधान कम होने से प्रदेश की ग्रामीण जनता को पर्याप्त रुप से पानी उपलब्ध न होने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में मिटको का दफ्तर खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर):

58. मांग संख्या 12; मुख्य शीर्षक-239–राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहर में शराब की दुकानों को कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु पानी का उचित दबाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 43; मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की खनिज सम्पदा का उचित सर्वेक्षण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

61. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन के स्थानों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

62. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर के समस्त मुख्य द्वारों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सुन्दर बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

63. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239–राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब की दुकानें मिल क्षेत्र में खोलने और अनियमित रूप से शराब बेचने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

64. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के लिये जल की व्यवस्था करने हेतु बनास योजना का कार्य शुरू करने में हो रही देरी पर चर्चा के लिये

65. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(माइन्स पर काम करने वाले श्रमिकों को जवाजा क्षेत्र में माइन्स एक्ट के तहत सुविधा न देने पर चर्चा के लिये) ।

66. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइनिंग विभाग द्वारा माइन्स के ठेके अब भी श्रमिक सहकारिता समितियों को न देने पर चर्चा के लिये) ।

67. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (बन्द पड़ी वर मारबल माइन्स को वापिस चालू करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

68. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (जवाजा के पास फास्फर और कुटिस की खानें बन्द किये जाने के बाद श्रमिकों द्वारा चलवाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

69. मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक—239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर एवं बाड़मेर जिलों में शराब एवं अफीम के नाजायज धन्धे की रोकथाम करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

70. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक—239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में शराब बन्दी की असफलता एवं सरकार की शराब बन्दी की नीति की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

71. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक—282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र

Page No 49

49

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सांचोर में क्षेत्रीय एवं जलप्रदाय योजनाओं द्वारा पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में माइनिंग सर्वेक्षण कराने एवं जालोर में ग्रेनाईट चीनी मिट्टी की खानों के विकास के हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):

73. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक–239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अब तक पूर्ण शराबबन्दी लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक–239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में वेतन के दिन शराब की दुकानें बन्द नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री खेतराम (टोडा भीम):

75. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक–239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में नाजायज शराब बनाने एवं बेचने की कारगर ढंग से रोकथाम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100/-रुपया कम कर दिया जाय (नादोती तहसील के ग्रामों में जल प्रदाय योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100/-रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सवाई माधोपुर–भरतपुर की खानों के क्षेत्र के विकास की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक–339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों की सुविधा हेतु सवाई माधोपुर में पर्यटन विभाग द्वारा कोई पहल नहीं किये जाने पर रणथम्भोर में टाइगर प्रोजेक्ट के विकास पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन):

79. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक–239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन क्षेत्र की जनता की सुख-सुविधा के लिए वहां पर पूर्ण नशाबन्दी लागू किये जाने पर चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100/- रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन की जनता को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग

Page No 50

(50)

(श्री उम्मेदीलाल)

में से 100/रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डोन के खनिजों का सर्वे नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी)

82. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेके देने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत की गई बूंदी शहर की जल पूर्ति योजना शीघ्र पूरी करने हेतु चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी की पेयजल समस्या के समाधान करने हेतु चम्बल के पानी का उपयोग करने हेतु योजना पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरियाणा राज्य की तुलना में राजस्थान राज्य को केन्द्रीय सरकार से पर्यटन विकास हेतु कम राशि मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 339-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रमणीय स्थान बून्दी में टूरिस्ट बंगले के अभाव पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा बून्दी में कोटा स्टोन व सिलिका की खानों को खनन हेतु छोटे-छोटे श्रमिकों को देने पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा नया गांव बोड़मड़ी के गांव, तहसील रामगंज मण्डी, जिला कोटा में एक अनुसूचित जाति की सहकारी समिति की लीज को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

89. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने हेतु चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा नगर में पेय जल समस्या के निवारण हेतु पानी के टेंक का निर्माण न करवाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल

(श्री मीठालाल व श्री मूलचन्द)

पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा नगर में पानी का वितरण सुचारु रूप से न होने पर चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा के ऊंचे भाग में पानी न पहुँचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें व खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के खनिजों को अधिकाधिक मात्रा में विदोहन हेतु चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के खनिजों का पूर्ण उपयोग न होने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर):

95. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब बन्दी लागू करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज अभियन्ताओं द्वारा खानों के विकास का उचित योजनाबद्ध विकास नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयसमन्द जैसे स्थान को पर्यटन स्थल नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री नत्थासिंह (नदबई):

98. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में अवैध शराब के बनाने एवं बेचने पर कारगर ढंग से रोक-थाम करने हेतु चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना व भरतपुर में खनिज सम्पदा के सर्वे कराये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में माइन्स विभाग की लापरवाही से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक 339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटन विभाग की लापरवाही से पर्यटकों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)।

श्री रतिराम यादव (तिजारा):

102. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत

(श्री रतिराम यादव)

मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की गरीब जनता को शोषण से बचाने के लिये शराब पर पूर्ण पाबन्दी लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने से होने वाली सामाजिक एवं नैतिक क्षति पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 27; मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले पानी के गांवों को स्वच्छ पानी प्रदान करने की योजना में प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 46; मुख्य शीर्षक-339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पर्यटन स्थलों को अधिकाधिक आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाने में राज्य सरकार द्वारा बरती जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 46; मुख्य शीर्षक-339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नये पर्यटन स्थलों की खोज करने और उनका विकास करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर):

108. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239—राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले में मद्य निषेध लागू होने के उपरान्त भी शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले में अधूरे पड़े पेयजल कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू पर्वत पर पर्यटन विभाग की ओर से की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह):

111. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 239 राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धार्मिक स्थानों के पास लगाई गई शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडा रायसिंह नगर के क्षेत्र में खनिजों की खोज हेतु छोटे परमिट नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

113. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेकों पर आबकारी विभाग का नियंत्रण पूर्णतया न होने के कारण जनता में फैली अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल-पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोड़ी ग्राम तथा रामसर ग्राम को नल योजना आरम्भ करने हेतु चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328-खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के लोगों को लीज पर खानें न देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328-खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीनगर में खनिज का सर्वे चालू करवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :

117. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महकमा आबकारी में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब बन्दी एरिया में विदेशी शराब की दुकान खोलने पर पाबन्दी लगाई जावे, इस हेतु चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शराब बन्दी क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल-पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील राजगढ़ से सुरखनिया चांदगोठी जलप्रदाय योजनाओं में बचे हुए पास के ग्रामों को जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

121. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [वर्षा ऋतु में राजगढ़ कस्बा (जिला चूरू) में पानी इकट्ठा हो जाने से उस की निकासी हेतु चर्चा के लिये]।

122. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ तहसील के दक्षिणी गांवों में हैन्ड पम्प कार्यक्रम के सर्वेक्षण पर चर्चा के लिये)

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व):

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

123. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत

(श्री माणकचन्द सोगानी एवं वृद्धिचन्द्र जैन) मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में सम्पूर्ण नशाबन्दी लागू करने पर चर्चा के लिये)।

श्री माणकचन्द सोगानी :

124. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–282– लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर में पानी की समस्या का स्थायी रूप से हल करने के बारे में चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर में वितरण किये जाने वाले पानी के उचित दबाव की समस्या को हल करने हेतु चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर और पुष्कर में पर्यटन विकास की ओर राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) :

127. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक-239–राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र शाहबाद में शराब बन्दी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282 लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र राजपुर, छबड़ा; छीपाबड़ोद, शाहबाद आदि कोटा जिले मे पाइपों से जल पूर्ति योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगंज तहसील के गांवों को हैन्ड पम्प लगाने की सूची में जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में हैन्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा थाना भंवरगढ़ नल योजनाओं की स्वीकृति हेतु एवं नाहरगढ़; किशनगंज रामगढ़ जिला कोटा में नल योजनाओं को बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की संकटपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 43; मुख्य शीर्षक-328– खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री रामगोपाल)

(शाहबाद में खनिजों का सर्वेक्षण करा कर आदिवासी क्षेत्र का विकास किये जाने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339- पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की शाहबाद पंचायत समिति के पहाड़ी व प्राकृतिक अंचलों में स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की पंचायत समिति शाहबाद के सीताबाडी कण्यादह, कपिलधारा व रामगढ़ आदि धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों का पर्यटन दृष्टिकोण से विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) :

136. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के पानी में बहुतायत से पाये जाने वाले फ्लोराइड तत्व से होने वाली हानियों पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के ग्राम बुडाणा लालपुर तथा कासिमपुरा को रीजनल पाइप वाटर स्कीम बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पर्यटन विभाग की निम्न वर्ग के प्रति बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा) :

139. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282- लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साहुना-लखुवाली क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में भादरा तहसील के 40 खारे पानी के गावों को सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल (अकलेरा) :

140. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, बकानी क्षेत्र के सराड़ा ग्राम की स्वीकृत पेयजल नल योजना वर्ष 75-76 में पूरी करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

141. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328-खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना लिगनाइट माइन्स को चलाने में सरकार की पूर्ण असफलता पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सरकार द्वारा गंगानगर जिले में खुदाई के उपरान्त हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के स्थल पाये जाने वाले स्थानों को पर्यटन स्थल बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरड़ (परबतसर) :

143. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमि में जो विभाग द्वारा खानें दी हुई हैं परन्तु वह खनिज क्षेत्र में नहीं होने से उन पर राजस्व विभाग ने मुकदमे चला रखे हैं उनको तुरन्त ही खनिज क्षेत्र घोषित करने की चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा खनन पट्टाधारियों के सीमांकन झगड़े यथाशीघ्र न सुलझाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देशी व विदेशी पर्यटकों के काफी संख्या में मकराना स्थित संगमरमर उद्योग एवम् खानों को देखने के लिए आने के बावजूद भी उनके ठहरने की कोई समुचित व्यवस्था न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) :

146. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर की इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आफ लेन्स व अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में पानी के नलों के लिए राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त धनराशि आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में निर्माणाधीन महा मन्दिर स्टेशन से कमला नेहरू हाल तक की सीवर लाइन का कार्य शीघ्र समाप्त करने के हेतु चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग में कार्य करने वाले इंजीनियर्स एवं ओवरसियर्स के ट्रांसफर की नीति के अभाव में उनमें फैली हुई निराशा के संबंध में चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में अपर्याप्त एवं टूटी हुई सड़कों के निर्माण, सुधार एवं मरम्मत के लिए राज्य विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) :

150. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाए जाने के लिये उस पर आधारित खनिजों का

(श्री हनुमान सहाय व्यास)
सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम राड़ावास खोरी, मेड़, साहीवाड़ त० बिराटनगर में नल योजनाएं स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

152. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिराटनगर में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

153. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य; सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में गांव चावण्ड की नल योजना को शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

154. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जावर माइन्स में मजदूरों के निवास के लिये पांच हजार क्वाटरों का और निर्माण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में नठारा की पाल की लोहे की खान के लिये सर्वे कराने पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा गांव से भारी की नल योजना निर्मित की है उसकी टंकी में पानी नहीं भर कर सीधा नल से देने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

157. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर; तहसील सराड़ा के गांव चावण्ड की नल योजना एवं गांव झाडोल सराड़ा की नल योजना का कार्य चालू कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

158. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर के अन्दर नठारा की पाल में लोहे की माइन्स को राज्य सरकार द्वारा शुरू कराने पर चर्चा के लिये) ।

159. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में भूतपूर्व महाराणा की भूमि को सरकार अपने हाथ में लेकर वहां पर्यटन स्थल बनाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये) ।

160. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों को

Page No 58

(58)

(श्री देवीलाल)

आकर्षित करने हेतु जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में चावण्ड में वीर महाराणा प्रताप के निवास स्थान के पुराने महलों एवं मूर्ति के स्थानों का विकास हेतु चर्चा के लिये) ।

161. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में श्री महाराणा प्रताप की वीर भूमि चावण्ड में पुराने महलों के पास पर्यटकों के लिये टूरिस्ट बंगले का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रावतराम (छापर):

162. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जल–प्रदाय योजना के अन्तर्गत खारे व विराये पानी के गांवों में मीठा पानी पहुंचाने के बारे में चर्चा के लिये)

163. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को माइन्स के पट्टे आदि देने पर प्राथमिकता दिलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) :

164. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के स्थाई पेय जल समस्या के समाधान के लिये बनास योजना शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

165. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में जलदाय विभाग द्वारा दूषित पेय जल वितरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

166. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य; सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में वर्षा के पानी के निकास के लिये बाजारों में पटरियों के नीचे बनी नहर और घाटगेट से नव निर्मित इन्दिरा मार्केट तक की नहर की सफाई वर्षा काल से पहले कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

167. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्रह्मपुरी खुर्रे से सड़क के दोनो तरफ बने कच्चे नाले को पक्का करके गटर लाइन द्वारा जल महल तक और पन्नीगरों के नाले में बड़ी गटर लाइन द्वारा गन्दे पानी को निकाले जाने पर चर्चा के लिये) ।

168. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल–पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्पूर्ण जयपुर शहर में छोटी गटर लाईन की जगह बड़ी गटर लाईन और जहां गटर लाईन नहीं डली है वहां शीघ्र डाले जाने पर चर्चा के लिये) ।

169. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल–पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दिया जाय (जयपुर नगर में आग बुझाने के लिये पानी लेने के लिये प्रत्येक कच्ची बस्ती नई व पुरानी उप नगरियों में नये हाइड्रेन्टस् बनाए जाने और नगर में पुराने हाईड्रेन्टों को चालू किये जाने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328-खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की सम्पूर्ण खनिज संपदा का ठीक प्रकार से उपयोग न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-258-लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय मुद्रणालय द्वारा समय पर सामग्री सप्लाई न करने के कारण विभागीय कार्मो में रुकावट से जन-असुविधा पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100-रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के पर्यटन केन्द्रों को आकर्षक बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339-पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100-रुपया कम कर दिया जाय (नाहरगढ़ किले के आस पास वाले क्षेत्र को पर्यटकों के आवास हेतु व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डोली) :

174. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले के हिन्डोली क्षेत्र में पेय जल की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328-खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में स्थित माइन्स की उचित व्यवस्था नही होने पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सुंडा (फतेहपुर) :

176. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर तहसील के ग्यारह गावों में से केवल चार गावों को ही मीठा पेय जल उपलब्ध करने और शेष छः गांव में मीठा पेय जल के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा):

177. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर एवं बाड़मेर जिलों में जल प्रदाय योजना की स्वीकृति हेतु एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (बारां) :

178. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282-लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (बारां क्षेत्र; जिला कोटा में विजयपुर खेराली, राजपुरा, चैंतपुरा, चन्द्राहेडी ग्रामों में कुओं के पानी की खराबी को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण (लसाड़िया) :

179. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील धरियावद, जिला उदयपुर के ग्राम कुण, लसाड़िया, मूंगाणा, माण्डवी में पेय जल की व्यवस्था हैण्ड पम्प द्वारा करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) :

180. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ जलदाय विभाग में पानी की टंकी की क्षमता बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ जलदाय विभाग में स्वीकृत शुदा अमला की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़ कल्याणपुरा नावां तहसील किशनगढ़ के खनिजों का सर्वे कराने पर चर्चा के लिये) :

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

183. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीने के पानी के तालावों की की उचित व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर और पचपदरा तहसीलों की बड़ी जन संख्या और पशु धन के लिये पीने के पानी की कोई सुविधा उपलब्ध न होने से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन्डू से गिड़ा कुपलिया की नल योजना को इतने लम्बे समय तक पूरा न कर पाने से उत्पन्न समस्यायों पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

186. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चारणास गांव का पानी खारा पट्टी वाला होने से दूसरा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को खारे पानी वाले क्षेत्र में लागू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

188. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराने के संगमरमर की खानों का योजनाबद्ध विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

189. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना टंगस्टन माइन के विकास हेतु चर्चा के लिये) ।

190. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय मार्गों पर अल्पाहार गृहों की सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

191. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पर्यटक आवास के सुधार हेतु चर्चा के लिये) ।

192. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक-339–पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में पर्यटकों के आकर्षण हेतु झील के निर्माण हेतु विभाग द्वारा योजना नहीं बनाने पर पर चर्चा के लिये) ।

श्री लूणाराम : (डूंगरगढ़)

193. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बरगंवर के ग्राम केऊ को पशुओं को पानी पीने देने तथा टंकियों व घड़ों से पानी न देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

194. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल स्कीम लिखमीसर उतरादा के पार्ट 1 के ग्राम लिखमीसर दिखनादा में सिर्फ 1 रोज ही पानी दिया गया तथा ग्राम रागढ़ व बापेसर को पानी दिया ही नहीं गया जब कि योजना 3 साल से चालू बतलाई जाती है इस पर चर्चा के लिये) ।

195. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल स्कीम ग्राम रोड़ी के ग्रामों को व रोड़ी को पानी न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

196. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल स्कीम सांवतसर से दुसारना बास पंडरीकजी व बड़ा को पानी न देने से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये) ।

197. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल स्कीम तोलियासर के अन्तर्गत ग्रामों को पानी नहीं दिया जा रहा है, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

198. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय क्षेत्र में योजना बद्ध ढंग से पीने के पानी की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

(श्री चूणाराम)

199. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-328–खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोलायत के जिप्सम की खानों को पृथक-पृथक बताकर उनके अनियमित ठेके दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

200. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल स्कीम सोनियासर को पीने का पानी देने में हुए विलम्ब एवं अभी तक भी जल स्त्रोत का निश्चय न कर पाने पर चर्चा के लिये) ।

201. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलदाय योजना सोनियासर के ग्राम केऊ के लोगों से पैसे लेकर बीदासर जलदाय योजना के ग्राम बजरंगसर में पानी देने की शिकायतों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

202. मांग संख्या 27; मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलदाय योजना बीदासर के स्त्रोत ग्राम बजरंगसर से स्वीकृत ग्राम धनेरू को जो पानी नहीं दिया जा रहा है, इससे जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

203. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक-482–लोक स्वास्थ्य; सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बजरंगसर से ग्राम बाडेला में पेय-जल प्राप्त करने हेतु स्वीकृत होने पर भी जल उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

204. मांग संख्या 27; मुख्य शीर्षक-282–लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असनावर ग्राम की नल योजना से हाउस कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

205. मांग संख्या 43; मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में माइन्स तक पक्की सड़कें न होने पर भी विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

206. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजनाओं द्वारा पर्याप्त रूप से पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

207. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में खानों की रायल्टी की चोरी रोकने में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर चर्चा के लिये) ।

208. मांग संख्या 43; मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में लीज पर दी गई खानों में कानून को उल्लंघन को रोकने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों में से किसानों को कृषि कार्य के लिये पत्थर लेने को दी गई छूट का ठेकेदारों द्वारा उपयोग न करने देने व अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (वाड़ी) :

210. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक, 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाड़ी में खनिजों का सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :

211. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक, 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालयों के प्रकाशन विभाग में अधिनियम व इनके अन्तर्गत विरचित नियम व अन्य राजकीय प्रकाशन के उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :

212. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक, 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाईम्स एवं जिप्सम खानों पर कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा माइन्स एक्ट के तहत सुविधा न देने पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक, 328—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर इलाके में जिप्सम खनन का कार्य एक ही एजेन्सी आर० आई० एण्ड एम० डी० सी० से करवाने एवं ए० सी० सी० व एफ० सी० आई० की लीज समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक, 328.—खानें और खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर इलाके में उपलब्ध जिप्सम के खनन व विकास हेतु श्री एल० के० नाथनी ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है उसे क्रियान्वित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :

215. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक, 339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन स्थलों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

216. मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक, 339—पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजसमन्द नौचोकी की पाल पर पर्यटन केन्द्र बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

217. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक, 282—लोक स्वास्थ्य सफाई और जल-पूर्ति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री सांवरमल मोर)

दिया जाय (विभाग द्वारा सम्पादित योजनाओं का कार्य समय पर पूरा न कराने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 27, 12, 43 एवं 46 पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष: श्री दीपंकर ।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आबकारी विभाग के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य में विभिन्न सामाजिक सुधारों की दिशा में जो शराब बन्दी के बारे में एक आम वातावरण बनाने की कोशिश की थी और इस नीति को सिद्धान्त रूप से हमारी पार्टी ने और सरकार ने स्वीकार किया था, उसीके तहत राजस्थान में कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसी तहसीलें हैं जहां पर शराबबन्दी लागू की गई, उनमें हमारा जिला, नागौर जिला भी चुना गया है । उपाध्यक्ष महोदय, शराब बन्दी एक ऐसी चीज है कि जिसके लिये मैं आपके माध्यम से, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके विभाग में शराब बन्दी के लिये जो पार्टी मुकर्रर कर रखी है, जो निगरानीदार है, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि उनको मालूम है कि शराब कहां बनती है, शराब बनाने वालों को पकड़ने वाले जो इनफोर्समेन्ट ऑफिसर्स हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, वे ही अधिकतर शराब पीते हैं और ऐसी जगह पर वे शराब पीते हैं लोगों को मालूम भी है कि वहां शराब है और इसका वे स्वयं उपयोग कर रहे हैं और इसका उल्टा असर समाज पर पड़ता है । इसलिए जरूरी है कि इस तरह की यह प्रदर्शन की बात है इसे रोका जाना चाहिए । इसमें कोई शक नहीं है कि जो शराब को अन्धाधुन्ध पीने की आदत थी उसमें फर्क आया है परन्तु इस तरह के फर्क लाने से काम चलने वाला नहीं है । स्थिति यह है कि शराब अवश्य काम में लाई जा रही है, महंगी अवश्य हो गई है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सरकारी विभाग, चाहे और विभाग का सम्बन्ध हो चाहे आबकारी विभाग का सम्बन्ध हो, इस शराब बन्दी के लिए कुछ अनुदान की राशि संस्थाओं को दे रखी है, उसके जरिये से वे पोस्टर लगाती है प्रचार करता है । लेकिन प्रचार मात्र से यह रुकने वाला नहीं है । इसके लिए जब तक ग्राम पंचायत को सहयोग में नहीं लेंगे तब तक शराब, अवैध शराब का निर्माण रुक नहीं सकता है । हर गांव में अवैध शराब बनती है, अवैध शराब बनाना चेक नहीं हो पाता है । इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि जिस प्रकार संखिया होता है, उस प्रकार अमूमन शराब जल्दी बने, जल्दी बिके और जल्दी लोग पियें इस जल्द बाजी में अमूमन इस तरह की चीजों का उपयोग करते है । धतूरे के पत्ते और न जाने क्या क्या विषैले पदार्थों को उसमें सम्मिलित किया जाता है ताकि जल्दी उबटन आ जाय, जल्दी तैयार हो जाय और लोग पी लें । शराब बन्दी करके आपने जहां ठेके बन्द किये हैं, वहां पुलिस के सहयोग से चुपचाप वहां ठेकेदार रातों रात शराब को लाते हैं दूसरे जिले से और वहां बिक्री करते है । लाडनूं में कम से कम दो हजार बोतल शराब की पकड़ी गई हैं । उनका चालान भी हुआ है । वहां पर एक कार से शराब बरामद हुई है, शराब उसमें रखी हुई थी इससे अन्दाज लगा सकते हैं

Page No 65

65

(श्री दीपंकर)

कि आपकी निगरानी पूरी नहीं है। इसलिए पूरी निगरानी करवायें और इस तरह जो अवैध शराब बनती है, अथवा बिकती है, अथवा विभाग की शराब लाकर बंदिश के एरिया में बिक्री का धन्धा करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा की कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसा कानून लागू करें जैसा मिलावट के बारे में कानून भारत सरकार ने लागू कर सरकार ने मिलावट को रोकने की दिशा में कदम उठाया है। जिसे देख कर लोग कांपते हैं और मिलावट में कमी आई है। मैं आशा करता हूं कि जिन जिलों में शराबबन्दी की है, वहां ऐसे कानून से ही शराब बन्दी हो सकती है, अन्यथा बराये नाम घोषणा करने से शराबबन्दी लागू नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में जहां शादी होती है, मेहमान आते हैं, आप गांवों में पता लगा सकते हैं, वहां अमूमन लोग शराब प्राइवेटली निकालते हैं और वह काम में आती है। आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वह शराब काम में न आ सके। वह आपके विभाग की जानकारी में है, अमूमन उसकी निगाह में है, बहुत से आदमियों को कम्प्रोमाइज कर के छोड़ दिया जाता है, ऐसे लोग उनकी निगाह में हैं जो शराब का निर्माण करते हैं, सहन करते है, झाड़ों में करते हैं, कई कच्चे स्थानों में करते हैं। इस अवैध शराब के निर्माण को जब तक बन्द नहीं करायेंगे, इसके लिए कारगर उपाय काम में नहीं लेंगे तब तक शराबबन्दी का कार्यक्रम पूर्ण रूपेण राज्य में लागू नहीं हो सकता है मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय जिन जिलों में शराबबन्दी को लागू कर चुके हैं, वहां इस कार्यक्रम को कार्य रूप में परिणित करने के लिए कड़े नियम बनायें और निगरानी अच्छी हो। आपके पास सहयोग स्वरूप पुलिस महकमा है, जिसमें अमूमन लोग बागों का शराब पीने से सम्बन्ध है। उनको आप कह नहीं सकते और न विभाग के अधिकारी रोक सकते हैं। रात में गश्त करने वाले पुलिस कान्स्टेबल को आप देख सकते हैं वह अमूमन शराब पीते हैं। आज सारे आदमी यह भावना प्रदर्शित करते हैं कि सरकारी अधिकारी शराब को काम में लेते हैं, दूसरी तरफ जनता को समझाना चाहते हैं—इससे विरोधाभास खड़ा हो जाता है। लोगों के अन्दर इससे शक पैदा होता है कि यह शराबबन्दी किसके लिए है। इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पूर्व आपने गांजा बन्द कर दिया। आपने इसके साथ अफीम के लिये लाइसेन्स जारी कर दिया। इसके साथ आपने सुलफा बन्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आज भी भांग के ठेकेदार गांजा नहीं बेचते हैं? आज भी गांजे के ठेके पर सुलफा नहीं बेचते? आज भी लाइसेन्स होल्डर हैं, जिनको आदत है अमल खाने की, उनको क्या अमल खाने को नहीं मिलती है? आज भी अमल काफी आती है और लोगों के काम में आती है। कहां कोटा रह गया? कहां जैसलमेर की सीमा रह गई। वहां जितने बड़े मेहमान जायेंगे, उतनी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में किलो, दो किलो अफीम घुलती है। जहां शराब नहीं है वहां अमल काम में आती है। यह होता है कि आप कानून में मना कर दें, लेकिन कानून में मना की

(श्री दीपंकर)

हुई चीजों का उपयोग होता है। एक तरफ ग्रमल घुलती रहे और दूसरी तरफ आप कानून बनाते चले जायें। क्या इसमें सरकार की तौहीन नहीं होती है? और सुधार का कार्यक्रम भी नहीं होता है।

इसके साथ-साथ आज जो कुछ भी भारत सरकार के समक्ष पार्टी की रीति नीति है, उसके अनुसार सामाजिक सुधार के निमित्त इस तरह की बात करना चाहते हैं। लेकिन यह कहना जरूरी है कि उसके विपरीत आचरण हो रहा है और उसका असर पड़ता है समाज के ऊपर। साधारण आदमी कह देता है कि इस सरकार की मन्शा शराबबन्दी के विपरीत है। यह सरकार हुक्म जारी कर देती है लेकिन कामयों का यों चल रहा है इसलिये शराब और दूसरे जो नशे हैं उनका समाज में प्रयोग होता है। इनसे लोगों की अल्प आयु हो जाती है, बीमार हो जाते हैं लोग और जल्दी मर जाते हैं। यह अवैध शराब है, इसको कितने लोगों को पिला कर, जहरीले पदार्थ पिला कर उनके जीवन को जल्दी समाप्त कर देते हैं। इसलिये आपका ध्यान मैं अवैध शराब के निर्माण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन में उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के अन्दर अवैध शराब, कच्ची शराब, गन्दी शराब से लोगों की मृत्यु के बारे में प्रश्न उठे, भूख हड़ताल की है सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और इस सदन के सदस्यों ने भी भूख हड़ताल की है। यह चर्चा का विषय रहा है कि किस तरह से गरीब मोहल्लों में, रेगर, भंगी, बलाई हैं, इस तरह की जाति है, उनके मोहल्लों में इस तरह के ठेके चला कर, इस तरह की दुकानें खोल कर चुपचाप बाड़ी में दबा कर अवैध शराब का धन्धा किया जाता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसको चैकिंग करवायें। इसमें आप समाज कल्याण विभाग का सहयोग लीजिये ताकि अवैध शराब का निर्माण बन्द हो। जब तक यह बन्द नहीं होगा तब तक जिन जिलों में शराबबन्दी कर दी है, वह घोषणा मात्र रहेगी और दूसरे आपकी आमदनी भी जा रही है। अवैध रूप से डिपार्टमेंन्ट की तरफ से दी हुई शराब लोग पीते जा रहे हैं। शराबबन्दी के लिए जो संस्थाएं राजस्थान में चल रही हैं, दो तीन जगह, सरदारपुर में है, एक और है, उनको रुपया देते हैं। वह थोड़ा बहुत प्रचार कर लेते हैं। भींत पर मांड देते हैं, शराब पीना बिल्कुल गलत है। इससे काम चलने वाला नहीं है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं लोक स्वास्थ्य के बारे में। यह जरूरी है कि लोक स्वास्थ्य किस तरह बन सके, उसके लिए अच्छे ढंग से पीने का पानी जब तक नहीं देंगे तब तक लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पीने के पानी से कुष्ट हो जाता है, लोग का अंग भंग हो जाते हैं। ऐसे इलाकों को आपको प्राथमिकता देनी चाहिये ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, लोगों के पिछड़े हुए रहने की वजह से वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है और विशेष प्रोजेक्ट बनाया है। उसकी मैं तारीफ करता हूं, सरकार की सराहना करता हूं कि उन इलाकों की तरफ ध्यान गया। उन इलाकों की तरफ ध्यान देना भी चाहिए क्योंकि अन्न नहीं मिले तो आदमी जी सकता है। अगर पानी नहीं मिले तो

(श्री दीपंकर)

जी नहीं सकता। इसलिए इसकी प्राथमिक आवश्यकता है। प्राथमिक आवश्यकता वास्तव में उसकी है ही, और सरकार की नीति भी है, इसके हिसाब से ऐसे इलाकों की खोज की जानी चाहिए क्योंकि बिना पीने के पानी के लोग अपने कीमती पशुओं को खो देते हैं, गरमी के दिनों में हजारों लाखों का नुकसान हो जाता है, दुधारू पशु मर जाते हैं। हमारे इलाके में नागोरी बेल हैं, उनकी कीमत आठ हजार, दस हजार है और अमूमन हम भारत के प्रान्तों में बहुत से निर्यात करते हैं। हमारे यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। मुझे अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ा है कि प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए कुओं की योजनायें बनायें राजस्थान में प्रमुख आवश्यकता है तो वह पीने के पानी की है और मैं चाहता हूं कि उनके मंत्रीत्व-काल में किसी तरह से भारत सरकार को विश्वास में लेकर किसी विभाग या किसी आर्थिक दृष्टि से सहयोग करने वाली ऐजेन्सी के मारफत अपने कार्यकाल में घोषणा करें कि पीने के पानी की समस्या का समाधान कर चुके हैं तो राजस्थान की जनता का बहुत भला होगा। एक प्रमुख आवश्यकता की पूर्ती हो जायगी और हमारा बार-बार राजस्थान जैसे रेतीले इलाके में जो स्वास्थ्य खराब होता है, वे लोग अल्पायु में ही मर जाते हैं, शारीरिक व आर्थिक दृष्टि से उनको हानि पहुँचती है। पशुओं को पिलाने के लिए; खुद पीने के लिए, नहाना तो दूर रहा, केवल स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए और जीवन को बचाने के लिए 4-4, 6-6 मीलों की दूरी से पानी लाना पड़ता है, ऐसे इलाकों में पानी पहुँचाने की कोशिश करें। मन्त्रीजी ने प्रयत्न किया है लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : हमारे बहुत से इलाके में ऐसी स्थिति है जो खारी पट्टी कहलाती है, पानी वहां का खारा नहीं होता है परन्तु नीचे जो खनिज हैं उनके सम्पर्क से उसमें जहरीलापन आ जाता है; लोगों को विकलांग करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे इलाकों के लिए एक सघन योजना बनाकर राजस्थान की समस्या का समाधान करें। इसी आशा के साथ मैं मांग करता हूं कि आज के अपने इस बजट सत्र में जो मांगे रखने जा रहे हैं मेहरबानी करके इसका स्थाई हल खोज निकालेंगे और आप घोषणा करेंगे कि ऐसे इलाकों को; इस साल योजना बनाकर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आप जनता का विश्वास हासिल कर सकेंगे। हम जिस इलाके से आते हैं वहां लोग कहते हैं कि सड़कों को जाने दे और बातों को जाने दें, मीठा पानी तो उपलब्ध करायें। पानी एक ऐसी चीज है जो विभिन्न प्रकार के धर्मों में जहां जुलुस अमूमन निकलते हैं, प्याऊ लगाते हैं। तो क्या सरकार इस तरह से अपने साधनों के जरिए, एजेंसीस के जरिए, अपने प्रयत्नों के जरिये भारत सरकार के सहयोग के जरिये, पीने के पानी की व्यवस्था कर सकेगी? यह प्रमुख आवश्यकता है जिसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूं राजस्थान की जनता को, ग्रामों में रहने वाले गरीब लोगों को, उन इलाकों के लोगों को, जिनके पास मिट्टी के बर्तन भी काफी संख्या में नहीं हैं, वे ज्यादा पानी का

(श्री दीपंकर)

प्रयोग भी नहीं कर सके, जितनी जरूरत होती है उतना ही लाते हैं। इसलिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। तो मैं आशा करता हूं कि इस मांग के जवाब में पानी की समस्या का कोई न कोई समाधान खोज निकालेंगे और घोषणा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : मैंने अपने क्षेत्र के लिए जल प्रदाय योजना के बारे में कटौती प्रस्ताव दिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लीड़ी ग्राम की ऐसी स्थिति है कि जहां कम से कम 1500 अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। पीने की दृष्टि से पानी खराब है। जिला कमेटी में कई बार इस बात पर विचार किया था और उसका सर्वे भी कराया गया था लेकिन न जाने किस कारण से अभी तक उस योजना को मंत्रीजी हाथ में नहीं ले रहे हैं। जितना ग्राम पंचायत को अनुदान देना था उन्होंने जमा करा दिया। मंत्रीजी कहेंगे कि आपकी धनराशि सुरक्षित पड़ी है लेकिन जहां 1500 की जन संख्या के लिए पानी हर दृष्टि से खराब है तो वहां पर इस योजना को हाथ में लिया जाए। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्वयं गांव में पधारकर इस बात को देखें। आपका पत्र भी आया था कि यदि जिला कमेटी इसको प्राथमिकता देती है तो हमें इसको लेने में आपत्ति नहीं। जिला कमेटी ने प्रस्ताव भेजा था लेकिन गत वर्ष देरी हो गई और इस वर्ष आपके पास प्राथमिकता के आधार पर आने वाली है वह योजना। मुझे आशा है आप इस चीज को जरूर हाथ में लेंगे।

इसके अलावा रामसर जल योजना के बारे में मुझे निवेदन करना है। कोई 5 हजार से ऊपर जन संख्या इस गांव में है जहां अल्प संख्यक लोग हैं। ऐसी स्कीम को जहां 5 हजार से ऊपर जनसंख्या निवास करे और पीने के लिये त्राहि-त्राहि करे तो मंत्रीजी इस पर जरूर विचार करेंगे और उस स्कीम को अपने हाथ में लेंगे और जैसी आपकी नीति है, इस पर जिला स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया गया है तो आप लीड़ी और रामसर दोनों योजनाओं को हाथ में लेने की कृपा करेंगे।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है शराब-बंदी के बारे में। एक तरफ इस बात पर जोर दिया जाता है कि शराबबंदी हो, उसके कई कारण भी हैं क्योंकि उसको फ्री करने का मतलब गरीबों की आर्थिक स्थिति को खराब करना। कई जिलों में शराबबंदी की है लेकिन आपका विभाग जिसका कर्त्तव्य है निगरानी करना, एक तरफ राष्ट्र और राज्य जोर दे रहा है कि शराबबंदी हो और दूसरी तरफ लोग अपने घरों में अनधिकृत रूप से शराब निकालें, इसका मतलब कहीं न कहीं शिथिलता है। मैं अपने गांव के लिए निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस बात पर यकीन करें तो बिना पूछे कल छापा मारें तो आपको पता लगेगा। होली के दिन भी झगड़े हुए शराब के कारण क्योंकि शराब के ठेके की दुकानें बंद थीं, सरकार ने मना कर दी थी। लेकिन होली से पहले जो इसमें

(श्री शंकरसिंह रावत)

काम करने वाले हैं। एक लड़का और एक रेलवे कर्मचारी उन्होंने शराब बेची। जब राज्य सरकार ने होली पर तीन दिन के लिए ठेके की दुकाने बंद कर दी, उन दिनों में भी उन लड़कों ने बंद नहीं की तो यह दुर्भाग्य है। पुलिस के नोटिस में लाया गया लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

आज अजमेर से जयपुर के रास्ते पर आते हैं तो सड़क के किनारे शराब के ठेके लगे हुए हैं और एक्सीडेंट्स का कारण भी यही है। आपको किशनगढ़ व दूदू के बीच में ज्यादा एक्सीडेंट्स मिलेंगे क्योंकि वहां पर शराब की दुकानें बिल्कुल सड़क के किनारे हैं आपके एक्साइज कमिश्नर स्वयं जानते हैं रास्ते में सड़क के किनारे शराब बिकती है। अगर 6-6 मील भी दूर किया जाए तो जो एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं उनमें बचाव हो सकता है।

इसके अलावा खनिजों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने एक-एक आदमी को 8-8 खानें दे रखी हैं जबकि वे एक या दो खानें चलाते हैं। नियमों में प्रावधान है कि लीज पर देने से तीन माह बाद खानों का काम शुरू कर देना चाहिए। अगर श्रीनगर खान का सर्वे करायेंगे या जिलेवार खानों का सर्वे करायेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी लीज पर हैं, कितनी चालू हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें देखने की बात है कि कितनी खानें चालू हैं और कितनी चालू हो जानी चाहिये थीं। इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा खास तौर से कि हमारे वहां श्री नगर में ऐसे कितने ही लोग है जिन्होंने एक-एक व्यक्ति ने एक ही नहीं बल्कि 8-8 और दस-दस खानें लीज पर ले रखी हैं और एक खान पर तो काम चालू रखते हैं बाकी खानों को बन्द रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब कि माइनिंग डिपार्टमेंट में माइनिंग के रूल में है कि कोई भी व्यक्ति अगर खान लेता है तो उसको वह खान तीन महीने में चालू कर देनी चाहिये और अगर वह खान तीन महीने में खान का मालिक चालू नहीं करता है तो उसका लाइसेन्स केन्सिल कर दिया जाता है। इसलिए आपको श्री नगर में ऐसे जो लोग है जिनको कि तीन महीनों से ज्यादा खान लिये हो गया है पर अभी तक खान को चालू नहीं किया है, उनके लाइसेन्स कैन्सिल करके आपको उन खानों को शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राईब के लोगों में दे देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जयपुर में भी अजमेर रोड पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को खानें मिली थीं उसमें एक व्यक्ति को एक महीने के लिये खान का टेम्परेरी लाइसेन्स दिया था लेकिन उस लाइसेन्स के ऑर्डर की प्रतिलिपि फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुँचने के कारण फोरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसका सामान उठा कर ले गये वह व्यक्ति जिसका सामान उठा कर ले गये थे। उनका नाम था कानाराम भांभी वह मेरे पास आया तो मैंने कहा कि जब तुम्हें राज्य सरकार ने खान को लीज पर दिया है तो आपका सामान कैसे ले जा सकते हैं। पर, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि जिस व्यक्ति को खान लीज पर दी जाती है उसके एक ऑर्डर की कापी फोरेस्ट

(श्री शंकरसिंह रावत)

डिपार्टमेंट में जाना अनिवार्य होता है, वहां नहीं पहुंची । उस कापी के फोरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के पास जाने के बाद वह कुछ उससे उस जमीन का मुआवजा लेते और बाद में वह अपनी खान पर काम कर सकता है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस जगह पर 8 आदमियों को खान लीज पर दी गई थी पर सिर्फ सामान उस कानाराम भांभी का ही वन विभाग वाले उठा कर लगये। दूसरे खान वालों का नहीं ले गये और उसके खिलाफ में मुकदमा भी दायर कर दिया। अब बाकी आठ आदमियों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया और उनका सामान क्यों नहीं उठा कर ले गये। इस रेन्ज के बारे में मैं जानना नहीं चाहता हूं लेकिन इस प्रकार का गरीब लोगों के साथ ही अन्याय किया जाय कहां तक उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय; मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का दोहरा बर्ताव हो रहा है, वह नहीं होना चाहिये। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि आज जो आये दिन खानों में दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी तरफ भी कम से कम राज्य सरकार को ध्यान दे कर कुछ उपाय निकालने चाहियें कि जिससे खानों में दुर्घटनाएं कम हों। अभी चसनाला खान में जो दुर्घटना हुई उसका भी यही कारण था कि खानों में मजदूरों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर राज्य सरकार सोचे और वहां पर मजदूरों के साथ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो उसके लिये कारगार कदम उठावे। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है, खास तौर से कि आज माइनिंग विभाग की गलती से अगर किसी गरीब का सामान वगैरहा कोई उठाकर ले जावे सिर्फ इसलिये कि प्रतिलिपि वन विभाग के पास नहीं पहुंचे और फिर उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है तो यह कहां तक उचित है। इस डर से यह शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राईब के लोग बेचारे डर के मारे कोई काम में हाथ नहीं डालते हैं। और वह लोग बेकार रहते हैं। आज उपाध्यक्ष महोदय, हम 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति कर रहे हैं उसमें हमें इस कमजोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना है उसमें यह माइनिंग डिपार्टमेन्ट के लोगों की लापरवाही से बेचारे शिड्यूल कास्ट के लोगों की इस प्रकार की कार्यवाही करना कहां तक उचित है ? अब इसके लिये अधिक आपका समय नहीं लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, जन-स्वास्थ्य विभाग के मन्त्रीजी को रामसर की जल योजना को अपने हाथों में लेने के लिये निवेदन करना चाहूंगा आप इसे जल्दी हाथ में लें। वहां पर भी 100 परिवार रह रहे हैं और वह भी कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। आप 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वहां पर दौरा बना कर देखें कि

(12.24 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन सभापति, पदासीन)

कितनी वहां के लोगों को पानी के बिना तकलीफ होती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने अजमेर जिले को हमेशा से ही नेगलेक्ट किया है। वहां पर पूरे अजमेर जिले में त्राहि त्राहि मची हुई है पानी के लिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि अजमेर जिले में जल्दी से जल्दी नल योजनायें शुरू कर दें।

(श्री-शंकरसिंह रावत)

अब थोड़ा मैं आबकारी विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे अजमेर जिले में गगवाना एक गांव है वहां 95 प्रतिशत मुसलमान लोगों की आबादी है और पांच प्रतिशत वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं। उन पांच प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये आपने शराब की दुकान गगवाना में खोल रखी है। जब कि 95 प्रतिशत मुसलमान लोग ऐसे हैं जो कि शराब को बिलकुल छूते तक नहीं हैं। इसलिये मैं आबकारी मन्त्रीजी और आबकारी कमिश्नर साहब से यह निवेदन करूंगा कि आप, जहां के लोग 95 प्रतिशत शराब को छूते तक नहीं हैं वहां से शराब की दूकान को तुरन्त हटावें। इसके अलावा अन्त में मैं मंत्री महोदय से फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि खानों के काम शुरू हुए या नहीं इसके लिये सर्वे कराया जाना चाहिये और एक ही व्यक्ति 8-10 खानों को लीज पर ले रखा हैं उनमें से कितनी खानें ऐसी हैं जो कि बिदइन तीन महीने के चालू हो गयी और जहां भी एक खान को ही चालू किया गया हो और बाकी उस व्यक्ति की खानें अगर बन्द पड़ी हों और तीन महीने गुजर गये हों तो आपको चाहिये कि आप उनके लाइसेन्स कैन्सिल कर दें। मैं तो इसके लिये सबसे पहले श्रीनगर की खानों के बारे में सर्वे करने के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक ही व्यक्ति ने आठ दस खानें ले रखी हैं एक खान पर काम चालू किया और बाकी खानें बन्द पड़ी हैं, तीन महीने से ज्यादा से बन्द पड़ी हैं उनके लिये आपको चाहिये कि आप उन खानों के लाइसेन्स कैन्सिल करके उनको शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों या आप चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पर दे दें तो राज्य सरकार को भी लाभ होगा और जनता में थोड़ी बेरोजगारी भी हटेगी। बस इतना ही कह कर मैंने जो दो तीन मुद्दे उठाये उन पर मुझे आशा है कि राज्य सरकार जरूर विचार करेगी।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, आज सदन में जन-स्वास्थ्य खनिज और आबकारी विभाग की मांगों, पर बहस चल रही है। मैंने भी जन-स्वास्थ्य, खनिज और आबकारी विभागों की मांगों पर अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। सबसे पहले; सभापति महोदय, मैं अपने विचार जन स्वास्थ्य विभाग पर प्रगट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं, सभापति महोदय, जन स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रगति विवरण की पुस्तिका माननीय सदस्यों को दी है वह वास्तव में बहुत अच्छी पुस्तक दी है। सभापति महोदय, यह एक ऐसी अच्छी पुस्तिका है जिसमें जन-स्वास्थ्य विभाग के बारे में सम्पूर्ण विवरण दिया गया है। सभापति महोदय, सदन में जितनी भी मांगें आयी हैं उन सभी में मैं लगातार भाग लेता आ रहा हूं सभी पर मैंने अपने विचार प्रकट किये थे। मैंने जितने भी मुझे आज तक इस सेशन में प्रगति विवरण मिले थे उन पुस्तिकाओं का अध्ययन किया। लेकिन इतनी डिटेल में किसी भी विभाग ने अपनी प्रगति विवरण की पुस्तिका नहीं भेजी इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे विभाग भी जब कभी अपने विभाग की प्रगति विवरण की पुस्तिका प्रस्तुत करें तो इस प्रकार का प्रकाशन करना चाहिये

(22)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जैसा कि जन-स्वास्थ्य विभाग ने किया है। ताकि माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी उस विभाग के बारे में मिल जाये और वह सदन में अपने विचार अच्छी तरह से प्रकट कर सकें। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि जन-स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर विशेष रूप से बल दे। वैसे तो, सभापति महोदय, हमने नगरीय क्षेत्रों में तो बहुत कुछ कार्य किया है और जो कार्य हमने किया है वह सराहनीय है। और उसमें जो भी हमने सफलताएं प्राप्त की हों, वह भी सराहनीय हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपलब्धि हमारी है वह सराहनीय नहीं है। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई विशेष प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं किया। हमने सिर्फ 50 हजार रुपये खर्च किये थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने सिर्फ 2 करोड़ 89 लाख रुपये खर्च किये थे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने 280 लाख रुपये खर्च किये हैं लेकिन हमारा ध्यान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसकी ओर गया तब हमें इस समस्या का विशेष रूप से अनुभव होने लगा तो हमने 20 करोड़ रुपये खर्च किये और अब पंचम पंचवर्षीय योजना में पहले साल और दूसरे और अब तीसरे साल में यानी 76-77 में जो अब चलेगा पहले 74-75 में हमने 590 लाख रुपये खर्च किये और 75-76 में हमने 614 लाख रुपये खर्च किये। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक काम करना है। हमने जो उपलब्धियां की हैं वह सिर्फ 17.4 प्रतिशत ही है। और यह 17.4 प्रतिशत की उपलब्धि से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की 37 लाख जनता ही लाभान्वित हुई है। जो राशि हमने खर्च की है वह 22 करोड़ रुपये है आज के मूल्य के आधार पर सिर्फ। इस प्रकार का खर्चा हम 8 करोड़ भी हर साल करें तो हम 30 वर्षों में जाकर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं पर काबू पा लेंगे। तो मेरा निवेदन है कि, सभापति महोदय, अब ग्रामीण क्षेत्र की जनता तीस साल तक इन्तजार नहीं कर सकेगी। वह इतने अर्से तक बरदाश्त नहीं कर सकेगी। आपने शहरों के लिये व्यवस्था जो की है वह आज तक 99 प्रतिशत की है और शहरी क्षेत्रों की आबादी ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों आपको स्कीम्स भी रिवाइज करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आपके ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है वह भी बढ़ती जायेगी और उस आबादी के बढ़ने के साथ-साथ आपको इन ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को भी रिवाइज करना पडेगा। तो इसके लिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये और राज्य सरकार से मैं यह चाहता हूं वह स्पष्ट करें कि इस समस्या को हल करने के लिये कितने वर्ष लेगी? वह स्पष्ट घोषणा करें, यह मैं चाहता हूं कि इतने वर्षों में समस्या का हल कर सकेंगे और हल कर सकेंगे तो उसके लिये प्रोविजन रखने की आवश्यकता है। मैं यह चाहता हूं जो 20 सूत्री कार्यक्रम लिया गया है उसमें यह कार्यक्रम नहीं लिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि यह कार्यक्रम श्रीमती इन्दिरा गान्धी के ध्यान में क्यों नहीं आया। हमारी सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये और 20 सूत्री कार्य-क्रम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

में एक यह भी लेकर इस तहत 21 सूत्री प्रोग्राम बनाकर इस जल समस्या को हल करना चाहिये।

हम लोगों को प्लाट देना चाहते हैं और प्लाट देकर उनको बसाना चाहते हैं लेकिन पीने के पानी की जो आवश्यक आवश्यकता है, वह पूरी न हो तो इस जनतन्त्र के युग में आवश्यक मांग में देरी करें तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिये प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नीति के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जिले में ऐसे गांव है-बारसा ग्राम जो 50 स्क्वा यर मील, कहीं-कहीं 100 वर्ग मील में आपने अगर एक जगह पानी भी पहुँचा दिया तो आप कहते हैं कि हमने अचीवमेंट कर लिया। अगर बारसा ग्राम में एक स्थान पर पानी उपलब्ध करा दिया तो उससे समस्या का हल नहीं होता है। अगर एक जगह पानी की व्यवस्था होती है तो उस गांव में भी ट्यूब वैल खोदकर दोनों में बराबर लागू किया जाय नहीं तो उनको भी 8-8, 10-10 मील दूर जाना पड़ता है पानी के लिये। तो आपको यह नीति निर्धारित करनी पड़ेगी कि पानी के लिये दो मील से ज्यादा नहीं जाना पड़े जैसा प्राथमिक स्कूलों के और प्राइमरी स्कूलों के लिये दो मील से ज्यादा नहीं जाना पड़े। उसी प्रकार आपको यह नीति भी निर्धारित करनी पड़ेगी कि पानी के लिये दो मील से ज्यादा न जाना पड़े। आप ज्यादा से ज्यादा ढाई मील तक कर सकते है। तो इस दृष्टिकोण को देखने की अत्यन्त आवश्यकता है।

जब योजना बनाते हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम यह व्यवस्था करते हैं कि प्रति व्यक्ति 10 गैलन पानी दिया जाये। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पशु बहुत अधिक है। बाड़मेर जिले में आबादी है मनुष्यों की 8 लाख और पशुओं की आबादी है 22 लाख पशु भी पानी चाहते हैं। उनको भी पीने के पानी की आवश्यकता पड़ती है और जब हम पशु नस्ल सुधार के लिये आगे बढ़ रहे हैं तो हम चाहते है पशुओं को पीने का अच्छा पानी मिले जो खारा और गन्दा पानी मिलता है उससे पशुओं में बीमारी फैलने की ज्यादा आशंका रहती है। आज जब हम तरक्की करना चाहते हैं तो उनके लिये अच्छे पानी की आवश्यकता है। इसलिये यह योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये कि पशुओं की संख्या का कन्सीडरेशन करना चाहिये। अब पशुओं के बारे में राज्य सरकार सोच रही है कि 8 गैलन प्रति जानवर दिया जाय। यह जो सोचा जा रहा है, अगर इस प्रकार का फैसला कर लें और योजना बना में तभी हमारे क्षेत्रों को लाभ पहुँचा सकेंगे।

अब मैं बाड़मेर की संशोधित योजना के बारे में, क्योंकि कल मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है अधिक उल्लेख नहीं करूंगा। बाड़मेर नगर की आबादी 50 हजार की हो गई है और 10 हजार की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की आती है मिलिट्री और उत्तरी हवाई अड्डा यह सब मिला कर। अगर पानी की व्यवस्था करनी पड़े तो 30 साल की योजना को हमें सोचना पड़ेगा बार-बार रिवाइज न करना पड़े तो हम करीब 18 लाख गैलन की योजना बनावें तब हम पानी सप्लाई कर सकते हैं। रिवाइज एस्टीमेट में 30 लाख गैलन की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री कुम्भारसिंह : 18 लाख गैलन की है रिचार्ज में।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 18 लाख की नहीं होनी चाहिये। मन्त्री महोदय, 20 को स्वीकार कर रहे हैं। इस समय वहां ट्यूब वैल बनाने में भी देरी हो रही है तो ट्यूब वैल विकसित करके बनाने चाहिये और ट्यूब वैल के साथ जो रिजर्वोयर बनाते हैं बाड़मेर टाउन में उसकी गति बहुत धीमी है। उसकी प्रोग्रेस धीमी है और यह सब बनाने के बाद 12 इन्च को पाइप लाइन बनानी पड़ेगी अन्यथा जो पानी इकट्ठा कर रहे हैं उससे अधिक पानी नहीं पहुंचा सकेंगे।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं दूसरी मांग....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आज समय का ध्यान रखना होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आबकारी के लिये मुझे कहना है कि महात्मा गान्धी ने यह कहा था "शराब को मैं चोरी और व्यभिचार से भी अधिक निन्दनीय समझता हूं।" हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी ने ये विचार प्रकट किये थे। किन्तु हम इस पर कितना अमल कर रहे हैं। हम तो और आय बढ़ा रहे हैं और 12 करोड़ से 20 करोड़ करने में हमारे वित्त मंत्री जी को प्रसन्नता हो रही है। 20 करोड़ की आय की बात करते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार की आय प्राप्त करके हम गरीब आदमियों के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, उनके चरित्र का हनन कर रहे हैं। यह हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां जब शराब बन्दी हुई तो और अधिक शराब बढ़ी। देश में शराब अवैध तरीके से बढ़ी है और गवर्नमेंट का जो नियंत्रण है वह बहुत ढीला रहा है, कमजोर रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है पहले कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रोहिबीशन एक्ट के लिए मैंने प्रश्न भी रखा था और मंत्री महोदय ने विश्वास भी दिलाया था कि हम इस प्रकार का विधेयक बनाने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं उस विधेयक में नान-कम्पाउन्डेबल और नान बेलेबल तथा कॉग्निजेबल आफेन्स हो तो फिर इस बारे में सख्ती से कदम उठाया जा सकता है।

तीसरा, मैं खनन के बारे में केवल दो मिनिट कहना चाहता हूं। खनन के बारे में हमारे मंत्री महोदय ने हमारे जिले में बहुत ही प्रयास किये हैं और उन्हीं के प्रयास से सर्वे का कार्य चालू हुआ। सिलिसियस सर्वे के कार्य में सर्वे कराया जा रहा है। विशिष्ट भू वैज्ञानिक का कार्यालय भी स्थापित हुआ है और कार्य आगे बढ़ रहा है। उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मेरा यह निवेदन है कि राकफास्फेट, बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला दोनों में मिला हुआ है, वहां पर इन्फीरियर क्वालिटी का उपलब्ध है। आप झामर कोटड़ा में, जहां का राकफास्फेट पूअर क्वालिटी का है वहां पर आप बेनिफिशियेशन कर रहे हैं उसका, तो बाड़मेर जैसलमेर के राकफास्फेट का भी आपको करवाना चाहिये।

मैं सड़कों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। खनिज विभाग की ओर से इसके लिये बहुत कम राशि का प्रोविजन कर रहे हैं। हमारे जिले में आपने कोई

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

रोड इसके लिये नहीं बनायी। मानपुर से आंखली इस रोड को तो आप कम से कम पूरा करवादें। इससे सुविधा होगी, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, मैं पहले मेरा आबकारी पर जो कट मोशन है उस पर निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी 28 साल की आजादी के बाद भी आज हम यह आबकारी महकमा देखते हैं। अफसोस इस बात का है कि जो महात्मा गांधी का सपना था उसको साकार नहीं कर पाये। आज भी आबकारी मंत्री हैं आज भी आबकारी कमिश्नर हैं, और आज भी आबकारी का बहुत बड़ा महकमा एक्जिस्ट करता है। अगर शराब बन्दी कर दी होती और देश में शराब का प्रचलन खत्म हो जाता तो इस महकमे की जरूरत ही नहीं होती।

सरकार शराब के ठेके दिन-प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है - आबकारी का अमला भी उसके साथ-साथ बढ़ाते जा रहे हैं। और आमदनी भी आप बराबर बढ़ाते जा रहे हैं। और आबकारी मंत्री बड़े प्रसन्न होते हैं जब यह देखते हैं कि मेरे महकमे में इतनी आमदनी बढ़ी है। आप शराब को अपनी आमदनी का एक जरिया मानते हैं। और आप यह उम्मीद करते हैं कि इस आमदनी के जरिये से हिन्दुस्तान के लोगों का, राजस्थान के लोगों का स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग बढ़ेगा उनकी बेहबुदी होगी और इस आमदनी से उनका विकास होगा। आप इस शराब की आमदनी से विकास की बात करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि गरीब लोगों का स्टेन्डर्ड बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह उम्मीद करता था कि जो काम सालों पहले हो जाना चाहिये था वह आज तक क्यों नहीं हुआ ? जो नाजायज तरीके से आमदनी सरकार बढ़ाना चाहती है और इसके बलबूते पर उनका विकास करना चाहती है जो गरीब हैं। गरीब को उसके हाल पर इस आमदनी के बिना ही छोड़ दीजिये वह वैसे ही उत्पादन करके, अपना स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग बढ़ा लेगा और सक्षम हो जावेगा। आप नाजायज तरीके से शराब बेच कर इस आमदनी से प्रसन्न होना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही सरकार ने स्वयं ने शराब बेची है। ठेकेदार के माध्यम से नहीं बेची है, स्वयं ने बेची है अपनी दुकाने खोल कर। यह बड़े ही शर्म की बात है कि जहां शराब जैसी बुरी चीज को, पोइजन को, खत्म करने की सोचती वहां सरकार स्वयं ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये व्यापार कर रही है। सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने का एक ही तरीका समझा है। सरकार आय बढ़ाने की तो सोचती है देश के नागरिक के लिये कि नहीं सोचना चाहती है शराब के कारण खानदान के खानदान समाप्त हो रहे हैं, उनकी स्वयं की गाढ़ी कमाई को समाप्त कर रहा है और उसको स्वयं को गरीब बना रहा है। उस आमदनी के लिये आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? इस तरह से आखिर आप क्यों आमदनी कर रहे हैं ? यह क्या तरीका है ? जहां देश में इस बात की मांग है कि आप शराब बंदी

(श्री विजयसिंह)

करे उसके बजाय आप यह बतीरा काम में ले रहे हैं कि आपकी उससे इन्कम बढ़े और इससे आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप कहते हैं कि हमने कीमत बढ़ा दी इसलिये लोग कम काम में लेंगे। लेकिन लोगों ने शराब छोड़ी नहीं है। कीमत बढ़ा दी है तो आदमी ज्यादा गरीब हुआ है। स्प्रिट पी रहे हैं लोग और स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। दाम बढ़ाने का परिणाम यह भी हुआ है कि घर-घर भट्टियां शराब की बनी हैं। शराब निकालने के जो आपके पास एपरेटस हैं उनके मुकाबले में एपरेटस तैयार करके, मशीनें तैयार करके लोगों ने खुद ने निकालना शुरू कर दिया है। जहां प्रिवेन्टिव फोर्स हैं वहां पर इल्लीसिट लिकर निकलता है वहां आपके अधिकारी कुछ नहीं करते। पहले वे स्वयं पीते है, और फिर कम्पाउन्ड करते हैं पकड़ते भी हैं, तो छोड़ देते हैं। आप उन लोगों को एरेस्ट नहीं करते हैं। इसको कोग्नीजेबल आफेन्स नहीं बनायेंगे, नोन वेलेबल नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप उनको नान कम्पाउन्डेबल; नान काग्नीजिबल और नोन बेलेबल करिये ताकि उनको पकड़ सकें और इस प्रकार नाजायज शराब बनना बन्द हो जाय और लोगों का स्वास्थ्य न बिगड़े।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि होली पर एक दिन के लिए शराब बेचना बंद कर दिया। दूसरे तीसरे दिन लोगों ने खूब पी। 15 तारीख को नहीं बेची तो 16/17 तारीख को खूब बेची। खुले आम शराब बिक रही थी। कई लोग घुस देखे गये और पीते हुए देखे गये। इस प्रकार से ये जो गैर कानूनी रूप से चीजें चलती हैं शराब का महकमा गरीब लोगों को और गरीब बना रहा है और उनकी गरीबी को बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है।

हमारे यहां पर महुआ एक पेड़ होता है इसके फल को सड़ा कर शराब बनायी जाती है। महुआ का फल और किसी काम में नहीं आता है और आता भी होगा तो एक पर्सेन्ट आता होगा। फोरेस्ट विभाग उसका ठेका नीलाम करता है। ठेकेदार उसको लेते हैं और शराब निकालने वाले लोग इसको ले जाते हैं। इससे वे लोग शराब निकालते हैं। सरकार इस बात को जानती है कि शराब बनती है। इस प्रकार स्वयं सरकार महुआ बेच कर नाजायज शराब बनवाती है। सरकारी नोलेज में यह इल्लीसिट लीकर का प्रोडक्शन हो रहा है। आपको यह घोषणा है कि धीरे-धीरे राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी कर दी जायगी। मैं समझता हूं कि जो स्थिति आज है उससे तो आप की आशा के बिलकुल विपरीत है। इस तरह से शराब बन्दी राजस्थान में नहीं कर पायेंगे।

इंगलिश वाइन के गांधी जयन्ती वर्ष में 100 स्टोर्स खुले होंगे। पहले कायदा यह था कि यहां पर विदेशी लोग आते थे उनको इंगलिश वाइन की जरूरत होती या आबादी के आधार पर म्युनिसिपैलिटी की सिफारिश पर खुला करती थी। अब तो जिसके जंचे वह खोले। गांधी जयन्ती वर्ष में 100 से ऊपर स्टोर्स शराब के खोले हैं। कम से कम आप एक साल पहले यह कर देते। लेकिन आपने गांधी जयन्ती वर्ष में यह क्या निर्णय लिया, जिसने चाहा उसने खोल दिया। यह बड़ी शर्मनाक बात है और इससे बड़ी वेदना होती है।

(श्री विजयसिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक हार्ड केस के बारे में निवेदन करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी कान्स्टीटुएन्सी के अन्दर भीमड़ियास गांव है उसमें भूपालसिंह नाम का एक आदमी है वह 200 बोतल रोज इल्लिसिट वाइन बेचता है और उससे उसको 5 हजार रुपये की बिक्री रोजाना होती है। जिसमें वहां का ए० सी० भीलवाड़ा का मिला हुआ है और उसका सारा स्टाफ मिला हुआ है। उसकी कई बार शिकायत करके देखी तो वह स्टाफ वाले जाने के पहले ही उसके पास इत्तला भिजवा देते हैं ताकि वह अपना माल इधर उधर कर दे और सचेत हो जाय अगर मंत्री महोदय हिम्मत करें और इन आफिसर्स की मर्जी के खिलाफ किसी को भेजकर आज तलाश करायें और मेरे यहां बोलने के साथ ही उसके यहां छापा मारें तो वहां पर 500 बोतलें नहीं मिल जायें तो आप मुझे कहना। इस तरह की स्थिति है जिसमें आपका सारा स्टाफ मिला हुआ है और वह बराबर शराब इल्लिसिट रोजाना निकालता है और बेचता है। आज नहीं वह दस साल से कर रहा है। पांच हजार रुपये रोज की बिक्री है। अगर कोई ठेकेदार उसकी शिकायत कर दे तो आफिसर्स उसको ठेका नहीं देते। यहां तक उसका दबदबा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को आप कम से कम कन्ट्रोल करो। आप कर सकते हैं। सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं। आप बुद्धि का थोड़ा बहुत प्रयोग इधर भी तो करो। आपने तो सारी बुद्धि वित्त में ही लगा दी इधर भी थोड़ी लगाइये ताकि वह लोग कन्ट्रोल में आयें।

श्री ओंकारलाल चौहान : बुद्धि तो कुशाग्र है।

श्री विजयसिंह : लेकिन वह कुशाग्र बुद्धि थोड़ी इधर भी तो आये। मैं खुद कायल हूं मंत्री महोदय की बुद्धि का लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि आप कान में तेल डालकर चुप बैठे रहें और इस प्रकार से लोग नाजायज शराब बनाकर बेचते हैं और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में।

इसके बाद मैं सेल्स टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सेल्स टैक्स की आज हालत यह है........

श्री चन्दनमल बैद : सेल्स टैक्स आज है ही नहीं।

श्री विजयसिंह : मैं क्षमा चाहता हूं।

अब मैं नल योजनाओं के बारे में निवेदन करूंगा। नल योजनायें मेरे यहां भी आपने चालू की हैं उसके लिए तो धन्यवाद लेकिन जो खटाई में पड़ी हैं उनको आप पूरा करवायें। कुछ नल योजनायें ऐसी हैं कि जिसमें अधूरा काम हो गया, कुए नहीं खुदे और टैंक बन गये और कहीं कुए बने हैं तो वह अधूरे पड़े हैं। ऐसे ही नागौर मॉडिल तहसील में हैं, उनको आप देखिये और अधूरी पड़ी नल योजनाओं को आप पूरा करवायें।

नल योजनाओं के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में नल योजनायें बनाते हैं तो वहां पर यह स्वाभाविक बात है कि पानी ज्यादा खर्च होता है और जो पानी वहां

(श्री विजयसिंह)

पर ही यूज होता है उससे पूरे गांव में इतनी कीचड़ हो जाती है कि सर्दी के अन्दर तो वहां के लोगों का जुकाम ही नहीं निकलता इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह का कोई न कोई प्रावधान हो जिससे वह वेस्ट वाटर किसी नाली के द्वारा बहता हुआ निकल जाये। चाहे पंचायतें नल योजना बनवायें, वह इसके लिए और रकम दें और सरकार से इसके लिए अलग रकम लें लेकिन ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि कीचड़ नहीं हो। जहां-जहां हमारे यहां नल योजनायें हैं वहां म्युनिसिपैलिटीज तो हैं नहीं, पंचायतें हैं और पंचायतों की इतनी बुरी हालत है कि न तो उनके पास पैसा है कि जिससे नालियां बनवा सकें या कोई और काम करवा सकें। इसलिये जगह-जगह कीचड़ हो रही है। हम चाहते हैं कि नल योजनायें ज्यादा से ज्यादा बनें और पानी जितने लोगों को हम दे सकें दें लेकिन इस गन्दगी को भी मिटाना चाहिए कि जो कीचड़ हो जाती है उससे स्वास्थ्य के ऊपर भी आम तौर पर असर पड़ता है। अतः मेरा सुझाव है कि जिस समय नल योजना का एस्टीमेट बने उसी समय उसके साथ में नालियों का एस्टीमेट भी जोड़ा जाना चाहिए तब यह बात खतम हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बाद एक बात और निवेदन करूंगा मांडल के अन्दर जो पानी है और जो नल योजनाओं से मिल रहा है उसकी जांच करवा ली गई है और वह बहुत खराब पानी है और वह हैल्थ के लिए खराब है। इसके लिए कई बार लिखा है और उस पानी को लोग पी रहे हैं जिससे उनकी तन्दरुस्ती पर बुरा असर पड़ रहा है उसके पास ही एक जगह है वहां की सर्वे की हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंन्ट ने और उन्होंने पता लगाया कि वहां का पानी टैप करके लाया जाये तो यह समस्या हल हो सकती है। हमने कई बार लिखा लेकिन पता नहीं उसके कागजात कहां पड़े हैं। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन भी किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। होना यह चाहिए कि जब विधायक कोई बात लिखे तो उसका उत्तर तो कम से कम दें लेकिन पता नहीं क्या बात है मालुम ही नहीं पड़ता कि कागजात कहां पड़े हैं। पता नहीं प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहीं गुमा दिये या पी. ए. ने गुमा दिये। तो उस समस्या को मिटाने के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारे यहां भीलवाड़ा में अभ्रक की खानें बहुत ज्यादा हैं और वहां काफी गड़बड़ियां हो रही हैं वह मंत्री महोदय से छिपी हुई नहीं है। वहां पर छोटे-छोटे ऐसे ठेकेदार और लीज होल्डर्स हैं जिनका हिसाब बहुत ज्यादा नहीं है। वह काम तो करते हैं लेकिन मजदूरों का पेमेन्ट वक्त पर नहीं कर पाते हैं। उसका मूल कारण यही है कि हमारे वहां पर मिटको की ब्रांच नहीं है। जो माइका वह ठेकेदार लोग निकालते हैं उसको वह बेच नहीं पाते हैं और जब बेच नहीं पाते हैं तो पैसा नहीं आता है। इसलिए मजदूरों को पेमेन्ट नहीं होता है। इसलिए आम तौर पर 6-6 महीने तक पेमेन्ट नहीं होता है। मिटको के रिप्रेजेन्टेव भीलवाड़ा में माल खरीदने के लिए नहीं आते हैं। मैंने इसके लिए पहले भी निवेदन किया था

(श्री विजयसिंह)

और लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक शाखा भीलवाड़ा में आप खुलवायें जिससे व्यापारियों को और मजदूरों को दिक्कत नहीं हो। इससे आप अधिक से अधिक फोरेन एक्सचेन्ज भी प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा मैं खनिज मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां खानों पर कम से कम आप बिजली दिलवाने के लिए अवश्य प्रयत्न करें। आज हम चाहते है कि खनिजों का प्रोडक्शन बढ़े लेकिन इसके लिए हम उनको क्या सहूलियतें देते हैं? क्या सहयोग देते हैं। डिपार्टमेंन्ट की तरफ से तो वह नगण्य है। आपके यहां से जो भी डिपार्टमेंन्ट के लोग जियोलाजिस्ट या माइनिंग इन्जीनियर वगैरह जाते हैं उनके पास लूटने के सिवाय दूसरा कोई धंधा नहीं है। होना तो यह चाहिए कि डिपार्टमेंन्ट की तरफ से उनको सहूलियतें दी जानी चाहिए। आप क्यों नहीं उनको बिजली मुहैय्या करवाते ताकि वह इनको डवलप कर सकें और सस्ते में माइका निकाल सके और अच्छा भाव उनको मिल सके। यह तो आप करते नहीं है। आप बिजली मंत्री जी के ऊपर अपना प्रभाव इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी भी माइका की खान के ऊपर बिजली नहीं है। सिर्फ एक दो परसेंण्ट के ऊपर ही बिजली होगी लेकिन कई खानें ऐसी हैं कि जिनसे करोड़ों रुपयों का माल निकाला जा सकता है और वहां आपकी आंख नहीं उठती है। मेरा निवेदन है कि आप इनको जल्दी से जल्दी दें। यह इम्पार्टेन्ट इन्डस्ट्री है जिससे आपको फारेन एक्सचेंज मिलती है। यह मेरा निवेदन है। यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माणकचन्द सोगानी।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): सभापति महोदय, मुझे जेल के संबंध में निवेदन करना है। वैसे तो पूरे राजस्थान के लिए ही योजनायें बनाई जा रही हैं मगर इस समय मैं अजमेर जिले के बारे में खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह हर एक की जानकारी में है कि गर्मी का मौसम जब आने लगता है तो अजमेर के अन्दर पानी की व्यवस्था के लिए त्राहि त्राहि मचने लगती है। सौभाग्यवश पिछली साल वहां पर बहुत पानी पड़ा। मेरा इसमें यह निवेदन करना है कि वहां एक झील है जिसे आनासागर झील कहते हैं वह बहुत पुरानी झील है। अभी वह पूरी लबरेज भरी हुई है। अगर अब थोड़ी भी बरसात पड़ेगी तो तुरन्त ही पानी चादर से बहने लगेगा। क्या इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि उस पानी को फिल्टर करके पानी को काम लिया जा सके जब कि एक तरफ हम पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, कुदरत ने पानी हमारे यहां पर इस वक्त दे रखा है, उसका सदुपयोग करने का मेरा आग्रह है। आप उसको जांच करेंगे कि उस पानी को किस तरह काम में लिया जाय। बरसात में तमाम पानी बह कर निकल जाएगा। वह बरसात का मीठा पानी इस तरह से निकल जाता है उसको रोकना जरूरी है। यह रोकने के साथ ही हमारे यहां मंत्री महोदय इसका ध्यान रख कर उस पानी को काम में लें।

दूसरा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले बनास नदी से

80

(श्री माणकचन्द सोगानी)

पाइप लाईन अजमेर तक गेरी गई। अब उस वक्त यह प्रावधान रखा गया था कि एक पाईप लाइन से काम नहीं चलेगा, पाइप लाईन एक और गेरी जाय लेकिन अभी तक उस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है करीब दस करोड़ रुपया इसके लिए चाहिए। इसको फेजेज में ही रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक साथ तो निकाल नहीं सकती लेकिन इस तरह वर्षों निकल जायेंगे। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है अभी बीस लाख रुपया निकाला है। मेरा अनुरोध है कि यह रकम नगण्य है। इस रकम को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अजमेर शहर की तरक्की जो पानी की वजह से रुकी हुई है यह काम जल्दी होगा तो पानी प्राप्त होने से वहां की तरक्की होगी।

सभापति महोदय, बनास नदी जहां से यह पानी का वितरण करने का प्रबन्ध किया गया है वहां पर एक बीयर बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी तक उस तरफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि वह निगाह में आवे कि यह काम जल्दी सम्पूर्ण होगा। मेरे अनुमान से भी अभी सर्वे हो रहा है। इस तरह से सर्वे होने में काफी टाईम लग रहा है। इस काम में कम से कम तीन साल लग जावेंगे। तीन साल में जब तक बांध बंधे तब तक मेरा यह प्रार्थना करना है कि उधर बांध बने साथ ही साथ लाईन भी गिरती जाय ताकि फिर हमारे को इसमें समय नहीं लगे। दोनों काम एक साथ पूरे कर दिये जावें। इधर पानी का बांध बंधे, इधर लाईन का गेरना शुरू किया जाय, यह मेरा अर्ज करना है।

एक चीज मैंने देखी है वहां अजमेर के अन्दर, पानी विभाग अभी तक म्युनिसिपैलिटी के अन्दर था, अब पी. एच. ई. डी. ने लिया है। वहां पर गवर्नमेंट ने चाहे केन्द्रीय गवर्नमेंट की तरह हो, शिड्यूल्ड कास्ट की लोकेलिटी के अन्दर पानी देने को व्यवस्था के लिए रकम जो निकाली है तो पानी की पाईप लाईन तो गेर दी जाएगी मगर बाहर जब तक इण्डा नहीं निकाल कर पानी सप्लाई नहीं करेंगे तो वह आखिर किस काम के लिए दी गई है यह रकम। यह सवाल बड़ा विचारणीय है कि निजी पाइप देते नहीं है, यहां तक तो समझ लिया कि नए पाईप नहीं देते हैं लेकिन जो राशि शिड्यूल्ड कास्ट के लिए निकाली गई है और इसलिए पाईप लाईन गेरी गई है लेकिन जब तक पाईप नहीं देंगे उस बस्ती में तो यह समस्या कैसे हल होगी। क्या यह रुपया जमीन के अन्दर पाईप को गेर कर खराब कर देना है। उस पर आप विचार करके उसमें पाईप बाहर निकाल कर माउथ पीस लगाना जरूरी है यह मेरा निवेदन करना है।

साथ के साथ जितने पाइप म्युनिसिपैलिटी के टाईम के अन्दर पब्लिक स्टैंड थे उसकी संख्या जितनी भी थी वह मंत्री महोदय ने अजमेर सर्किट हाउस में विश्वास दिलाया था कि उतनी पूर्ति कर दी जाएगी। जो बन्द हो गए हैं उनको चालू कर दिया जावेगा। इसमें अभी तक पूरी तौर पर प्रबन्ध नहीं हुआ है। इसकी संख्या के बारे में तो मैं वहां पर बात कर लूंगा कि कितने पाईप कनेक्शन बन्द हैं, कितने लागू नहीं हुए हैं ताकि बची हुई संख्या के बराबर लगा दिए जावें ताकि इस गर्मी के मौसम में लोगों से कोई प्रकार की शिकायत सुनने को नहीं मिले।

(श्री माणकचन्द सोगानी)

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एक परमानेंट सोलूशन के लिए मैंने लिखा है इस सम्बन्ध में बात भी हुई थी सर्किट हाऊस अजमेर में। वहां पर नई बस्तियां जो बन रही हैं, एक तो शास्त्री नगर है जहां काफी लोग वहां पर जाकर बसे हैं मगर पानी की दिक्कत है। एक दूसरा एरिया नाका-मदार है। वह भी नई बस्ती बसती जा रही है, वहां पर भी पानी की दिक्कत है। इसके लिए ओवरहैड टैंक लगाना जरूरी है। एक ओवर हैड में 2 ढाई लाख रुपया लगता है। वैसे तो कितने ही टैंक लगे किन्तु अभी कम से कम दो टैंक ओवर हैड लगाना एकदम जरूरी है। जिन जगहों के मैंने नाम बताये हैं, मैं निवेदन करूंगा कि राज्य मंत्रीजी कृपा करके ध्यान रखें और शास्त्री नगर और नाका मदार के एरिया में जरूर देंगे। आप समय दें तो मैं आपके साथ वहां पर जाना चाहता हूं ताकि आप वहां की वेदना देखेंगे, फिर इस काम में ढिलाई नहीं होगी। इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ओवरहैड टैंक के लिए इस बजट में राशि निर्धारित होना अवश्यम्भावी है। इसके लिए कृपा करके आप ध्यान दें।

एक ओर यू० आई० टी० नई बस्तियां बसाती चली जा रही है। पानी के लिए और डवलपमेंट के लिए वह रुपये भी लेती है मगर किसी प्रकार से यह यू०आई०टी० के मार्फत काम पूरा नहीं हो रहा है, तो यह क्यों नही किया जाता है पानी की रकम जो यू० आई० टी० के पास जमा होती वह यहां से भेजी जाती है वह पी० एच०ई०डी० को क्यों नहीं दे दी जाय ताकि कोई प्रकार की बीच की एजेन्सी गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेंट की तरफ होती है उस एजेन्सी की जरूरत नहीं रहे और पी०एच०ई० डी० सीधे ही लगा दे तो उन एरियाज के अन्दर फिर हमें शिकायत नहीं रहेगी। यह यू० आई० टी० को देने से और पी० एच०ई० डी० को सीधे नहीं देने से इस प्रकार से देरी हो रही है। कृपा करके इस पर भी आप ध्यान दें। किसी प्रकार से भी अजमेर यू० आई० टी० को आर्थिक स्थिति अच्छी नही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पी० एच० ई० डी० को पानी के सम्बन्ध की रकम डायरेक्ट दे दी जाय तो वह लाभकारी साबित होगी।

एल० आई० सी० से लोन लेने का प्रावधान रखा गया है। वह लोन आप कब तक ले करके पूरा करेंगे यह कृपा करके जब आप उत्तर दें इसके बारे में वाकिफ करा दें।

इसके बाद सभापति महोदय, उस सम्बन्ध में बात करना चाहता हूं जो मदिरा के सम्बन्ध में है। पूर्व वक्ताओं ने काफी इस सम्बन्ध में कहा है। मैं तो इतना ही और जोड़ देना चाहता हूं कि मनुष्य का स्वभाव बदलने के लिए जो शराब पीने के आदी हो गए हैं वह आदत आसानी से छूटती नहीं है और दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या यह उपयुक्त नहीं है कि सिनेमा के माध्यम से इसको पीने से क्या रोग होते हैं, यह दिखायें तो कम से कम बच्चे देखने लगे। आगे की आने वाली जो वन्शावली है उसको आप रोकने का प्रावधान करें। अभी तो हम उसी के लिए ज्यादा कहने से जो लोग आदी हैं, जो बराबर नशे के बगैर काम नहीं चला सकते

(माणकचन्द सोगानी)

अगर उनको शराब नहीं मिलेगी तो वह छुप कर बनाकर पीयेंगे। उसके लिए तो आप कानून से करें लेकिन पूरे एरियाज के अन्दर बन्द करें तो सार्थकता होती है। पिछली दफा दो डिस्ट्रिक्ट में बन्द कर दिया लेकिन वे लोग जो पीने वाले है, जहां मिलती है वहां से ले लेते हैं। यह आप उपाय करें कि पूरी तौर से बन्द हो। मगर वह उपाय भी साथ साथ जरूरी हैं कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए आपको जैसा में अर्ज कर चुका हूं सिनेमा स्लाइड्स और सिनेमा की तस्वीरों के मार्फत उससे क्या नुकसान होता है, यह जरूर दिखाना शुरू करें। आप तो जानते हैं कि शराब पीने वाला आदमी ज्यादातर कमजोर वर्ग के हैं जिसके पास दिन भर की कमाई का पैसा आया, वह घर को अनाज बाद में ले जाएगा लेकिन पैसे जैब में आते ही पहले शराब के ठेके पर पहुँचेगा। और फिर बाद में शिकायत सुनते हैं कि इनकी गरीबी मिटती नहीं हैं। यह गरीबी मिटेगी कैसे दो घरों के आदमी साथ-साथ रहते हैं। एक शराब का आदी है और दूसरा नहीं है जो शराब नहीं पीता है वह निश्चित बात है कि पैसा जोड़ेगा, उसका जीवन सुखमय होगा, बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन जो पीने वाला है उसके घर में झगड़े रहेंगे क्योंकि पीने में काफी खर्चा होता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कदम उठाते हैं तो पूरी तौर से उठायें। हैफ हैजर्ड वे में और हाफ हार्टडेली मत करिए। तो इसके लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस पर कृपा करके गौर करें।

एक विषय है पर्यटन का अजमेर सौभाग्य से ऐसा स्थान है जहां पर धार्मिक क्षेत्र है। पुष्कर राज है जहां पर ब्रह्माजी का मन्दिर भी है। देश भर के आदमी वहां पर आते अपनी पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए यात्रा के लिए, वहां पर आते हैं। इसी तरह शहर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। ये दोनों स्थान इतने माननीय हैं और एक वहां पर सेठ भागचन्दजी सोनी की नशियां है तो इसी तरह से इसाईयों का वहां पर बहुत बड़ा चर्च है तो ऐसा स्थान आपके पर्यटन के लिहाज से है। इस बात का विचार प्रगट करके कि आपने पर्यटक बंगले में विंग बना दी। विंग तो इसलिए बना दी कि यात्री आये तो उनको ठहरने की कुछ सुगमता प्राप्त हो। मेरा निवेदन है यात्रियों का बुलाने के लिए जो आकर्षण आपको देना चाहिए उस तरफ भी ध्यान देना होगा। जहां तक आकर्षण के लिए सवाल आता है, प्रकृति ने वहां पर पूरी कृपा कर रखी है। वह ऐसी जगह बसा है जो घाटी के बीच में है। लोग वहां जाने वाले कभी भी आयेंगे। तो ऐसा लगेगा कि गर्मी का मौसम भी बड़ा सुहावना हैं और हरियाली भी अगर थोड़ी बरसात होती है तो बहुत होती है। इतना सुरम्य दृश्य प्रकृति ने दिया है कि इसको कई दफा पहाड़ी स्टेशन भी कहते हैं। परन्तु वहां पर आज पेड़ के लिहाज से पेड़ कतई नहीं हैं। अभी बीकानेर के जलसे में मैं हाजिर हुआ था और मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पर यह विश्वास दिलाया था कि 55 लाख वृक्ष राजस्थान में लगाये जाएंगे। सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि इसको सुरम्य बनाने के लिये जो यहां से अनाउन्समेन्ट हुआ था, तो इसको अजमेर से शुरूआत करें इस काम को आप अजमेर से शुरू करें और वृक्ष लगाने को केवल यही मतलब नहीं है

(श्री माणकचन्द सोगानी)

कि वृक्ष लगा दिये। वृक्ष लगाने के बाद उनको पानी पिलाने और उनका पालन करने की कोई व्यवस्था की गई है या नहीं? इस तरह वृक्ष लगाना तो आसान होगा लेकिन इन वृक्षों को निरन्तर पानी देने, उनकी देख-रेख करने, की भी सख्त जरूरत है। कृपा करके इस तरफ भी ध्यान दें...... (समय-समाप्ति सूचक-घंटी)......... एक दो मिनिट और लूंगा।

मेरा यह अर्ज करना है कि इन स्थानों पर हिन्दुस्तान भर के यात्री आते हैं। यहां तक मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज यह इन्टरनेशनल पोजीशन की जगह है—किस तरह से इसको अधिक उपयोगी पर्यटन के लिए आप बना सकेंगे, इसके बारे में अपने विचार मंत्री महोदय बताएं, गवर्नमेन्ट ने क्या सोचा है जिससे कि यात्री इस ओर आकृष्ट हो सकें। एक टूरिस्ट हाउस की जगह दो टूरिस्ट हाउस हों तो मैं समझूंगा कि आपने सन्तोष दिलाने का काम किया है। जो कुछ रकम आपने वहां पर लगाई है वह उतनी नहीं है कि जो यात्री वहां पर आते हैं उनके लिये काफी हो। पुष्करराज के लिये जो यात्री आते हैं वहां पर यात्रियों के ठहरने के लिये व्यवस्था करें, उसको और डवलप करें। इसी तरह से तारागढ़ है। इतनी अच्छी जगह है कोई भी आदमी अजमेर आयेगा तो वह तारागढ़ जाना चाहेगा। किसी तरह आसानी से यात्री वहां पर पहुंच सके इस तरह की व्यवस्था वहां होनी चाहिये। इसी प्रकार पुष्करराज का सवाल है, वहां पर सावित्रीजी का मन्दिर है, जो यात्री इस मन्दिर को देखने जाते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। वहां पर चढ़ाई है। इसलिए वहां पर सीढ़ियों की कोई व्यवस्था आप करें। पर्यटन विभाग के जो राज्य मन्त्री हैं उन्होंने इस कार्य में बहुत दिलचस्पी ली है। पुष्कर मेले पर भी वे पधारे थे और जो कुछ विश्वास उन्होंने दिलाया था, उस सम्बन्ध में उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इसको और बढ़ावें और सभापतिजी, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल!

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय सभापतिजी, खनिज से सम्बन्धित मांग के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक कटौती प्रस्ताव भी मैंने प्रस्तुत किया है।

सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य का जो बजट प्रस्तुत हुआ है और जिस बजट के अन्तर्गत यह डिमान्ड चल रही है; उसको देखने से ऐसा लगता है कि हमको घाटे का बजट पास करना पड़ रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी कि घाटे का बजट इस अर्थ में अच्छा होता है जब वह जनहित के लाभकारी कार्यों के लिए हो, यह एक प्रिन्सीपल है और इसके अनुसार अक्सर घाटे का बजट अच्छा माना जाता है। इसी सन्दर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय होगा माननीय, सभापतिजी, कि खनिज का जो महकमा है, जो माइन्स का एक सीगा है वह एक ऐसा सीगा है जो कि हमको नान टैक्स रेवेन्यू देता है। दूसरे जो डिपार्टमेन्ट हैं या दूसरी जो मद हैं उनमें अधिकतर खर्चे का ही प्रोविजन होता है। खनिज के माध्यम से हम अधिक से अधिक हमारे राज्य की आय को बढ़ा सकते हैं और राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधार सकते

(श्री ओंकारलाल चौहान)

हैं। मेरा निवेदन है इस सम्बन्ध में कि राजस्थान को खनिज सम्पदा की दृष्टि से, जैसा कि इस रिपोर्ट को देखने से लगता है, इसमें भी अंकित किया है—देश में सबसे पहला प्रदेश है, 'राजस्थान खनिज सम्पदा की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्यों में से एक है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में, इसमें उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। नान टैक्स रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो इस गेप को आमदनी के स्रोत से पूरा करें ताकि जनता पर कर का भार न पड़े और अधिक से अधिक जनता के हित की दृष्टि से डवलपमेन्ट प्लान, डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स मे राज्य को किस प्रकार विकास की गति दे सकें, इनको एक्सप्लाइट करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा उन्हीं के आंकड़ों की ओर, राक फास्फेट का जिक्र इसमें आया है। यह उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है जो इसमें प्रगति की है। इस सम्बन्ध में, नान टैक्स रेवेन्यू के आधार पर एवं खनन के जरिये वर्ष 1976-77 में इससे आय प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, जितना इसको एक्सप्लाइट करने का लक्ष्य रखा गया है, वह ठीक है लेकिन मेरा यह एक सुझाव है कि जितनी भी झामरकोटडा की माइन्स को आपने एक्सप्लाइट किया है, वह पर्याप्त है, इसकी क्या वजह थी ? मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि इस रॉक फास्फेट के खनन में किन कारणों से बीच में मंदी आई। यह हमारा आमदनी का स्रोत है, जो हमारे लिए विदेशी मुद्रा कमाने का एक कारण है; मैं यह मालूम करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या कारण थे जिससे हमको इससे जितनी आमदनी होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई। माननीय सभापतिजी, हमारा प्रदेश कई हिस्सों में बंटा हुआ है। ईस्टर्न जोन के अन्दर इसमें काफी प्रगति की है। वेस्टर्न जोन का जो इलाका आता है, इस रिपोर्ट में है कि फ्लोराइट एवं बेराइट आदि खनिजों के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। माननीय सभापतिजी, इस पूरे का एक प्लान चाक आउट होना चाहिये। जहां हम इसको प्रगति का आधार मानते हैं, राज्य की आय का स्रोत मानते है, तो इसकी एक योजना बनावें। इस रिपोर्ट के अन्दर कहीं भी इस प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है कि सारे प्रदेश में एक्सप्लाइट करने की दृष्टि से क्या योजनाएं बनायी गयी हैं। इसमें कहीं भी इस प्रकार की बात देखने को नहीं मिलती है मेरा निवेदन है कि एक काम्प्रेहेन्सिव स्कीम इसके लिए बननी चाहिये कि इसके माध्यम से हम किस प्रकार से खनिज उपलब्ध करा सकेंगे। वह योजना विस्तार से आनी चाहिये।

इसी के साथ साथ बीस सूत्री कार्यक्रम का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसमें रायल्टीज को चेक करने का, कुछ आपके पट्टे खनन आदि के, लीज के, उसको देने का जिक्र किया है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज पर रायल्टी की चोरी रोकने हेतु विभाग ने एक उड़न दस्ते का गठन किया है और इस अभियान के द्वारा 7946 रुपया वसूल किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लीकेज है, जितना अधिक स्रोत यह आमदनी के लीकेज का है, उसको रोकना चाहिये एक उड़न दस्ता कायम किया गया है, और उसने कुछ

(श्री ओंकारलाल चोहान)

7946 रुपये अनधिकृत रूप से खनिज ले जाने के रूप में वसूल किये, यह नेगलीजिबल है। कुछ भी विशेष नहीं है। यह कह सकते हैं कि इस दिशा में आपका यह प्रयास है। प्रयास मात्र है जिससे कुछ भी नहीं मिला। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं रायल्टीज की चोरी रोकने के लिए कदम नहीं उठाये गये हैं। कई जगह अनधिकृत खनन के कार्य चल रहे हैं. उनको रोकने के लिए आपने कोई उपाय, कदम नहीं उठाये हैं। रिपोर्ट में कहीं कहीं एक अक्षर लिख दिया गया है परन्तु कोई ऐसा ठोस प्रोग्राम नहीं दिया गया है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में यह कदम उठाये हैं।

इसी के साथ-साथ, माननीय सभापतिजी, जितने भी पट्टे इस काल में दिये गये हैं; शिड्यूल्ड कास्ट्स और जनजातियों के लोगों को वितरण किये गये है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन उसके इसमें डिटेल नहीं है। इसमें यह दिया गया है खनन पट्टा 2, अल्पावधि अनुमति पत्र 23 और रैन्ट कम रायल्टी के पट्टे 26 दिये हैं। इस तरह के पट्टे दिये हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को कितने दिये हैं यह नहीं दिया गया है; और यह केवल एक खानापूरी या तकमील जिसको कहते हैं नाममात्र की तकमील कीगई है। मेरा यह सुझाव है मंत्री महोदय, से इस सम्बन्ध में कि जो वर्ग मजदूर पेशा है, जो श्रम करता है और जिनका सारा जीवन श्रम में गुजरा है और आगे भी गुजरने वाला है। वह श्रम करने वाला छोटी जाति का होता है, कमजोर वर्ग होता है; उसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। वह वर्ग जो महनत करता है उसको पैसा कम मिलता है और जो ठरदारोदार हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है। जिससे काम कराया जाता है उसकी आमदनी कम और जो घर पर बैठा रहता है उसकी आमदनी ज्यादा होती है। इसके अन्दर सिर्फ यह लिखा है कि पट्टे वितरण कर दिये। खनन पट्टे 2, 5 या 10 लोगों को देने से उनकी आर्थिक समस्या हल नहीं होने वाली है। यह आपका भी अनुभव होगा इस बात का कि सारे देश में 80 पर्सेन्ट लोग गरीब हैं, कोई काश्तकार की शकल में, कोई मजदूर की शकल में कोई दूसरी शकल हैं तो ऐसे लोग जो कि पिछड़े लोग हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को समान करना चाहते हैं तो एक जरिया है, एक माध्यम है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर सकते हैं तो एक डेफिनिट स्कीम बनानी चाहिए। तो पट्टा देने में उनको कुछ लिहाज करना चाहिए, कुछ कन्सेशन देना चाहिए जिससे अधिक से अधिक उस दायरे के अन्दर, या अगर रिजर्वेशन की बात करें तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा, लेकिन कोई न कोई इस प्रकार की हमको एक योजना तैयार करना चाहिए और उन लोगों को कन्सेशन देना चाहिए उनके विकास के लिए। तो यह प्रयास जरूर किया गया है उनको कुछ पट्टे मिले हैं, कुछ उनको ज्यादा काम मिला है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उनका जीवन सुधारने के लिए एक आशा उनको मिली है, लेकिन एक योजना बनानी चाहिए कि किस प्रकार से उनको पट्टे देने चाहिएं और किस प्रकार से श्रमिकों को उनके श्रम का मूल्य मिलना चाहिये। यह सब इस किताब में नहीं हैं।

इसी के साथ-साथ इसमें जो अपियां हैं मैं उसकी ओर भी आपका

(श्री ओंकारलाल चौहान)

ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आखिर यह सारे का सारा सेक्टर जो इस तरह का हो रहा है, इस तरह की रुकावट है जैसा कि जिक्र किया है इस रिपोर्ट के अन्दर है सड़क और रेल मार्ग का, इसको टाप प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो आमदनी के जरिये हैं हमारे राज्य के उनको हम टाप प्रायोरिटी नहीं देंगे, और टाप प्रायोरिटी नहीं मिलती है तो आमदनी कम होगी। इसलिए मंत्रीजी को जो इनके साथी मंत्रीजी हैं पी० डब्ल्यू० डी० के या दूसरे विभाग के उनके साथ बैठ कर टाप प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए जिससे उनको सुविधा मिल सके और वहां पर अधिक से अधिक इन खनिजों का उपयोग किया जा सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, कई जगह ऐसा भी देखने में आया है कि खानों में पानी भर जाता है, दो-तीन दिन पहले माननीय मन्त्रीजी को शायद याद होगा कि जब वे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लीज होल्डर के साथ शर्त में यह नहीं आता है कि पानी निकलवाये। 1 हजार श्रमिक बेकार हो गये। जवाब आयेगा कि प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन क्या प्रोडक्शन दूसरी माइन देने से नहीं बढ़ सकता है? क्या उन श्रमिकों ने इमर्जेन्सी के जमाने में अधिक काम करके उसकी आमदनी को नहीं बढ़ाया? लेकिन उस मकराने की खान के अन्दर पानी भर जाने से बेकार हुए उनका क्या उपचार किया? जवाब यह आ सकता है कि श्रमिकों का सम्बन्ध लेबर डिपार्टमेन्ट से है। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बात कि जहां पर माइन्स का डिपार्टमेन्ट है और जहां माइन्स की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है तो उसके साथ साथ उससे सम्बन्धित दिक्कतों को, कोई हमारी आपस में अड़चन हो तो उनको हल करना पड़ेगा। सम्बन्धित मन्त्रीजी से बात करनी चाहिए थी, आपको स्पाट पर जाना चाहिए था, लीज होल्डर से बात करनी चाहिए थी। अगर लीज होल्डर को दिक्कत आती है तो उससे बात करके राज्य सरकार को उन बेकारों की ओर ध्यान देना चाहिए था और लेबर डिपार्टमेन्ट से पूछना चाहिए था ताकि वह बेघर बार न होते। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं........

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हमें नेशनलाइजेशन की ओर जाना चाहिए। यहां पर मजदूरों का शोषण बहुत होता है, और मजदूरों का शोषण हर स्तर पर किया जाता है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को सक्सेसफुल करके उस सम्बन्ध में श्रमिकों को बढ़ाना चाहिए जिससे उनको पूरी राहत मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : जल्दी ही रिप्लाई शुरू किया जायगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : आबकारी की बात रह गई। यह कहा जाता है कि शराब से आय होगी उससे देश का काम चलाया

Page No 87

(87)

(श्री ओंकारलाल चौहान)

जाय या राजस्थान का काम चलाया जाय यह हमारी घोषित नीति के बिल्कुल विपरीत है। यह किसी प्रकार से न्याय संगत और उचित बात नहीं हो सकती है। राजस्थान सरकार शराब से आमदनी करे मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से न्याय संगत और उचित नहीं है। एक तरफ तो माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि यह देश के लिए कलंक है इसको बन्द किया जाना चाहिए........

एक माननीय सदस्य : आप पक्ष में नहीं हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं इसके पक्ष में हूं या नहीं........

श्री श्रीराम गोटेवाला : पक्ष में हों यह क्लियर नहीं है। छिप कर पीते हैं और ओपनली दूसरी बात करते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य का आरोप गलत है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आरोप नहीं लगा रहा हूं आप पर।

श्री ओंकारलाल चौहान : न मैं शराब पीता हूं और न पी है और न आगे पीने का इरादा है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा।

(1.37 म० प०)

(श्री रघुनाथ विशनोई, सभापति, पीठासीन)

लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर यही जरिया है कि शराब की दुकानों का खुल कर नीलाम करें तो यह अच्छा साधन बनाया आपने। अल्टीमेटली इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए अपने राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इसको आप माध्यम बना सकते हैं। लेकिन मनुष्यों के जीवन, जन-जीवन के लिए, सामान्य जीवन के लिए यह किसी प्रकार भी सही नहीं है, किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे, और इसको अपनी आमदनी का जरिया नहीं बनायेंगे। इस रिपोर्ट के अन्दर यह कहा गया है कि दो जिले लिये हैं। दो जिलों का नहीं सारे प्रदेश का सोचिए। सारे प्रदेश का सोचेंगे तो वह सौभाग्य की बात होगी।

कई जगहों का इस किताब के अन्दर जिक्र किया है और माननीय मन्त्रीजी ने माना है कि कई जगहों पर धार्मिक स्थानों के पास, स्कूलों के पास और हरिजनों की बस्तियों के पास यह दुकाने हैं। यह उसी जगह पर खोली जाती हैं जहां पर मजदूर लोग रहते हैं वहीं पर यह सारी दुकानें होती हैं जिससे सुबह से शाम तक कार्य करे और शाम को चण्डूखाने में चला जाय और वह अपना गम गलत करे। ठीक है उसको राहत मिलती है, लेकिन वह अपनी आदत को बदल कर चाय भी पी सकता है। शराब पीने से तो उसके बच्चे भूखे मरते हैं, उसका खानदान बरबाद होता है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसको आपने आमदनी का जरिया ही मान लिया

(श्री ओंकारलाल चौहान)

है। आपको घोषणा करनी चाहिए कि ऐसी कालोनीज में कतई शराब की दुकानें नहीं होंगी। आप इसका सर्वे कराइये। आप में बोल्डनेस है। वित्त मन्त्री जी को मैं काफी हिम्मत वाला मानता हूं, इस बारे में मैं उनकी तारीफ करता हूं लेकिन इस हिम्मत का उपयोग सही समय पर और सही जगह पर करेंगे तो राजस्थान के लिए अच्छा होगा, राजस्थान की प्रगति होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। मैं जन-स्वास्थ्य विभाग के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस विभाग में बड़ी तरक्की हो रही है, यह बड़ी खुशी की बात है। करीब 8 हजार लोग उसमें लगे हुए हैं और एक हजार के करीब अधिकारी लोग हैं मेरे ख्याल से 7 हजार के करीब कर्मचारी हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये से माननीय मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन करना यह है कि इस विभाग में करीब तीन हजार लोगों को वर्क चार्ज पर रखा हुआ है। इन सात हजार लोगों में से करीब तीन हजार लोग ऐसे हैं जिनको वर्षों से सरकार ने वर्क चार्ज के रूप में लटका कर रखा है। मैंने स्वागत किया है इस विभाग में बहुत तरक्की हो रही है, यह विभाग बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसकी गति धीमी है, धीमी गति से बढ़ रहा है। यह तो अच्छी बात है कि इसकी प्रगति हो और ज्यादा लोग काम पर लगाये जायं। लेकिन उन लोगों को, जो हजारों की तादाद में इस विभाग में काम कर रहे हैं, आपने वर्क चार्ज पर लगाकर रखा हुआ है, उनके पूरे अधिकार भी आप उनको नहीं दे रहे हैं, यह मैं उचित नहीं मानता हूं। इसलिए सबसे पहले तो माननीय सभापति जी, आपके मार्फत मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना है कि इस विभाग में जो भी वर्क चार्ज कर्मचारी हैं उन सबको स्थायी कर दिया जाय और उनको वे सारे अधिकार दिलाये जायें जो कि स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं। इस विषय में विभाग का ध्यान कई बार कमेटियों के अन्दर भी और रिपोर्ट के जरिये भी खींचा गया है, कि ऐसे लोगों को जो वर्षों से काम कर रहे हैं वर्क चार्ज के तौर पर चलाना कहां तक उचित है?

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है। कि प्रगति रिपोर्ट को मैंने देखा है, उसमें एक अधीक्षण अभियन्ता का पद है, लेकिन हमने तो कभी उनको देखा नहीं, हो सकता है वह बाहर कहीं रहता हो। प्रगति रिपोर्ट को देखने से तो पता लगता है कि अधिकारियों को जितनी भी पोस्टें हैं, सेक्शन्ड पोस्टें, वे तो सारी की सारी भरी हुई हैं, लेकिन क्लास फोर्थ कर्मचारियों की संख्या जो नो सौ और कुछ है उनमें करीब 100 के कर्मचारी की पोस्टें खाली हैं, वे भरी नहीं गयी हैं। ये दो दृष्टान्त मैंने आपके सामने दिये। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन पोस्टों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। अधिकारियों को पोस्टें तो सारी भरी हुई हैं लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है जिससे यह होता है कि जो मौजूदा कर्मचारी हैं उन पर अधिक काम का बोझ पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि अधिकारियों को आपने पूरे अधि-

(श्री केशरीमल)

कार दे रखे हैं, उनको तो सुविधायें भी मिलती हैं लेकिन मजदूर और दूसरे कर्मचारी, जिनकी संख्या भी अधिक है, तादाद में भी उनसे ज्यादा है करीब तीन हजार के उनको आप वर्कचार्ज के तौर पर चलाये जा रहे हैं, को पूरे अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं। यह आपकी नीति सम्बन्धी प्रश्न हो सकता है लेकिन सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है, क्या सोच रही है? कई बार रिपोर्टों के जरिये और कमेटियों के जरिये इस ओर ध्यान खींचा गया है लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करना मेरा यह है कि इस विभाग में काम ठेके पर दिये जाते हैं। यहां पर ठेकेदारी प्रथा अभी भी जारी है और ठेकेदार पूरा कभी नहीं करते, अधूरे काम छोड़कर चले जाते हैं, उनके अधिकारियों से कमीशन भी बन्धे हुए हैं। इनसे काम भी खराब होता है लेकिन फिर भी उनसे काम करवाया जाता है। अभी भी काम को ठेकेदारी प्रथा से जोड़ा हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ठेकेदारी प्रथा को तुरन्त समाप्त कर दिया जाय और ठेकेदारों को कोई काम बिलकुल नहीं दिया जाना चाहिये। इससे काम कम होता है और खर्च ज्यादा होगा। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठेकेदार लोग मजदूरों से काम करवाते हैं, और उनको पूरा पैसा भी नहीं देते हैं, बीच में ही काम को बन्द करके चले जाते हैं, अधूरा काम छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिये।

जहां तक इन अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी न करने की बात कही गई है, उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है जिन कर्मचारियों को काम करते 6 महीने से अधिक हो गये हैं उनको स्थायी नहीं करना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है। यह विभाग ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के नियम उस पर लागू नहीं हों, या आर. एस. आर. वहां पर लागू नहीं होता है। 6 महीने से अधिक हो जाय तो निश्चित रूप से उनको स्थायी कर दिया जाना चाहिये। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कई वर्षों से उनको वर्क चार्ज पर चलाया जा रहा है और उनको स्थायी नहीं करना उन पर बहुत ज्यादती है। विभाग के अन्दर कई मामले ऐसे हैं जो वर्षों से चल रहे हैं, उनको निपटाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि जो शहरी क्षेत्र में कर्मचारियों को सुविधाएं मिली हुई है वह गांवों में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलती। हमने कई जगह घूम कर देखा है और मालूम किया है, गांवों में लोगों को मालूम ही नहीं है और न उनको सुविधाएं दी जाती हैं। उनको वर्दियां तक नहीं मिलतीं। इसी प्रकार से उनको रक्षा के भी साधन मिलने चाहिएं, उनकी पूरी तरह से कोई व्यवस्था नहीं की जाती, जो कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए, जो रिटायर हो गये हैं, उनको वर्षों तक न तो पेन्शन का लाभ मिलता है, न प्रोवीडेन्ट फन्ड और ग्रेच्युटी ही दी जाती है। बे बेचारे वर्षों तक भटकते रहते हैं और दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत से ऐसे केसेज होंगे और जो कर्मचारी रिटायर हो गये हैं उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है।

(श्री केशरीमल)

इस विभाग का काम जहां तक जल की व्यवस्था करना है, माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अजमेर जिले के बारे में, कि अजमेर जिले के करीब सभी गांवों में पेय जल की भारी तकलीफ है उनको पानी नहीं मिलता, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे अजमेर और चाहे ब्यावर को ले लीजिये। माननीय सभापति महोदय, यहां पर बहुत कोशिश की गई है और लम्बे अर्से से इस ओर ध्यान खींचा जा रहा है कि इन शहरों के अन्दर पानी की उचित व्यवस्था की जाय जिससे उनमें उद्योगों की तरक्की हो और आबादी को राहत मिले। आप देखेंगे कि ब्यावर के अन्दर जो कि एक इण्डस्ट्रियल नगर है, राजस्थान में सबसे पहला औद्योगिक नगर है जहां पर 1885 में पहला उद्योग लगा था, लेकिन आज कोई उद्योग नहीं लगाये जा रहे हैं। इसलिये कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से वहां पर उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं और इस तरह से वहां की तरक्की में रुकावट हो रही है, जिसके लिये लगातार राज्य सरकार का ध्यान खींचा जा रहा है। परन्तु चाहे ब्यावर हो, चाहे अजमेर, पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अगर वहां पर आप मजबूती के साथ वहां के उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते हों तो वहां पर पानी की व्यवस्था कीजिये। यह योजना बनायी गई ब्यावर के सम्बन्ध में, कि आसीन्द से या चम्बल से या गोविन्दगढ़ से पानी लाया जायगा। अब उन सबके बाद में यह निश्चय किया गया है कि बनास से पानी पहुँचाया जायगा। माननीय सभापति महोदय, यह बात तीन चार वर्ष से बराबर चल रही है। लेकिन इस कार्य की गति है वह इतनी धीमी है कि हम कह नहीं सकते कि चार साल के अन्दर उसमें क्या प्रगति हुई? यह भी नहीं कह सकते कि वह योजना पूरी तरह से स्वीकार हो गई है या स्कीम अभी भी अटकी पड़ी है। योजना भी ऐसी बनाई है कि वह समाप्त कर दी जायगी आगे पीछे जाकर—मुझे यह भी शक है। मुझे यह कहा जा रहा है कि बनास की योजना से पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यह पानी मिल सकेगा या नहीं क्योंकि यह योजना ही ऐसी है। जो अभी पानी की कमी पड़ती है, उसको पूरा करने के लिए और अकाल के टाइम पर सप्लाई करने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। अजमेर जिले में अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है। जब तक बनास की योजना चालू नहीं की जायगी और वहां से पानी नहीं लाया जायेगा तब तक अजमेर और अजमेर जिले के अन्दर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अजमेर जिले में जब तक पानी को लाने के लिये यह योजना स्वीकार कर इसको पूरा करने का काम नहीं चलेगा, तब तक अजमेर की जनता पानी की तकलीफ पायेगी। मेरा निवेदन है कि इस योजना को शीघ्र स्वीकार कर उस पर काम शुरू करें और वह काम भी गति से हो। लाइन बनाने का इस तरफ काम हो तो वहां टंकी बनाने का काम हो—समानान्तर काम जब तक नहीं चलता है तब तक यह काम जल्दी पूरा नहीं हो सकता है, यहां तक कि दस साल में भी नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन करना है कि इस योजना को शीघ्र लागू करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा यह

(श्री केशरीमल)

निवेदन करना है कि इस विभाग के पास पैसा बहुत कम है, लेकिन पैसा कम होते हुए भी कुछ पैसे को एडजस्ट करने की बात है जो राज्य सरकार में बाकी है। राज्य सरकार में लाखों का पैसा बाकी है, वह तो एडजस्ट करना है लेकिन केन्द्रीय सरकार में सात लाख बाकी है, पुराने राजा-महाराजाओं में आठ, दस लाख बाकी है। इस प्रकार लाखों रुपया बाकी है। खैर, राज्य सरकार का पैसा तो एडजस्ट हो जायेगा और केन्द्रीय सरकार से पैसा वसूल हो जायगा, लेकिन जो पुराने सामन्तों के पास पैसा बकाया है, वह वसूल क्यों नहीं हो रहा है ? छोटे-छोटे लोगों के घरों में नल लगे हुए हैं, अगर वह एक महीने बिल नहीं जमा करायें तो छोटे लोगों के नल को काट दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े लोगों में जो लाखों बकाया है, उनके कनेक्शन नहीं काटते हैं। जो राजा-महाराजाओं में पैसा बाकी है वह पैसे की वसूली किस तरह से की जायेगी ? यह पैसा हाथ में आये तो पानी की योजना का काम है, उसको पूरा कर सकते हैं और शहरों और गांवों में पानी सप्लाई करने की व्यवस्था हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अजमेर जिले की योजना जितनी जल्दी लागू की जा सकती है, वह लागू करने का प्रयास करें।

जहां तक खनिज का प्रश्न है, मेरा निवेदन करना है कि हमारे प्रान्त के लिए जितने लोग कहते हैं वह यह कहते हैं कि यह बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है। लेकिन जो प्रगति रिपोर्ट है खनिज के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट है, उससे मालूम पड़ता है कि हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ नहीं है। हमारे प्रान्त में जितना सोना, ताम्बा, जस्ता-यह सब भरा पड़ा है, उतना हिन्दुस्तान के किसी और प्रान्त में मिलेगा नहीं। यह ऐसी मिसाल है, जिसके घर पर अनाज है, लेकिन उसे रोटी नहीं मिले या जिसके घर पर कपास है लेकिन उसके पास कपड़ा नहीं हो। सोने की डलिया हो लेकिन उसके पास जेवर नहीं हो। और वह कहता फिरे मैं भूखा मर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पिछड़ा हुआ हूं; मेरे पास कुछ नहीं है। जिस राज्य में ताम्बा है, सीमेन्ट पत्थर है, राक फास्फेट है, इतने खनिज हमारे यहां पर हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, उद्योग नहीं लगा सकते तो इतना माल होते हुए भी हम भूखे हैं, हम कंगाल हैं। हमारी यह कंगाली तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक राज्य सरकार ढंग से खनिज को निकालने का काम न करे। हमारे यहां जिप्सम निकलता है वह देश का अस्सी प्रतिशत निकलता है। लेकिन जिप्सम से लगने वाले उद्योग हमारे प्रान्त में नहीं लगे हैं क्या हम प्लास्टर आफ पेरिस का उद्योग नहीं लगा सकते ? सोवियत यूनियन के अन्दर जिप्सम का पाउडर तैयार करने के बाद स्फटिक पत्थर बनाने का तरीका निकाला गया है, वह इतना बढ़िया बनता है कि कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमारे यहां इतना जिप्सम निकलता है, हम उसे काम में नहीं ले सकते? क्या हम प्लास्टर आफ पेरिस का कारखाना नहीं लगा सकते ? क्या और चीज नहीं बना सकते ? इससे सम्बन्धित जो कारखाने बन सकते हैं, वह नहीं बना सकते ? आज

(श्री केशरीमल)

तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इसी तरह से सीमेन्ट के पत्थर का मामला है। सीमेन्ट का पत्थर हमारे प्रान्त में बेहद है। मेरे जिले में तो इतना है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, मील के मील तक पत्थर है। वहां सीमेन्ट का कारखाना लगाने की बात आयी लेकिन लगा नहीं रहे हैं। ब्यावर में सीमेन्ट का कारखाना लगाने की बात बहुत पहले कही थी, लेकिन दस साल से वह नहीं लगा। क्या कारण है ? खुदा जाने। लेकिन नहीं लगा। सीमेन्ट का कारखाना लगायें तो इतने लोगों को रोजगार पर लगा सकते हैं और वह सीमेन्ट देश के काम में आ सकता है और प्रान्त को पैसा मिल सकता है। फिर इस कारखाने के लिए यह क्यों इन्तजार किया जाय कि कोई पूंजीपति आये और वह कारखाना लगाये। यह राजकीय क्षेत्र में क्यों नहीं लगाया जाय ? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाय कि कोपरेटिव सेक्टर में यह कारखाना लगे। कोई तरीका निकाल कर, हमारे बहुत से कार्पोरेशन हैं, जो पिछले दिनों बने हैं, उनके जरिये से इस कारखाने को लगाया जा सकता है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सीमेन्ट पत्थर अजमेर जिले में बहुत है, और जगह भी बहुत है।

हमारे यहां लकड़ी ऐसे जल रही है कि वन समाप्त हो जायेगा। लेकिन हमारे इलाके में लिग्नाइट है, वह बहुत है बीकानेर के इलाके में लेकिन उसको ताले में बन्द कर रखा है। कहते हैं आग लग जायेगी इसलिए बन्द कर रखा है। कई कमेटी बनी रिपोर्ट उनकी आयी। कइयों ने कहा कि यह काम में आ सकता है। मैं जी. डी. आर. में गया था मैंने देखा कि लिग्नाइट कैसे काम में आ सकता है। लिग्नाइट की ब्रिक्स बना कर उसको काम में ले सकते हैं। जर्मनी में कोयला नहीं है तो उन्होंने लिग्नाइट को काम में ले लिया। यहां यह कहा गया कि यह काम में आ सकता है, इसकी योजना बनायें तो लोगों को काम पर लगा सकते हैं और लकड़ी की जगह जलाने के काम में आ सकता है, ब्रिक्स बना कर काम में लिया जा सकता है लेकिन इतने अर्से से यह खान बन्द है। सरकार का इसकी ओर ध्यान नहीं है। कई कमेटी बनी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, बहुत से लोग मदद देने को तैयार हैं, जिन देशों से दोस्ताना है उनसे बात करके इस खान को काम में ले सकते हैं, और प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं है।

सफेद सीमेन्ट बनाने का हमारे यहां रा-मेटिरियल है। यह सबसे बड़ी बात है कि बर के पास संगमरमर पत्थर है वह काफी बड़ी तादाद में है। मेरे खयाल में बर में वह साहू जैन ने चलायी थी, लेकिन बाद में बन्द कर दी और लाखों रुपया सरकार का बाकी है। वह इतना बढ़िया पत्थर है सफेद जाति का। इस पर काफी लोगों को काम पर लगा सकते हैं लेकिन यह पत्थर की खान बन्द कर रखी है और उसको चलवाते नहीं हैं। हमने निवेदन किया था कि मजदूरों को यह खान दे दीजिये, वह अपने आप चलायें ऐसी व्यवस्था हो जाय। वह चलावेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। इससे एक तरफ लोगों को काम मिलेगा दूसरी ओर आपके

(श्री केसरीमल)

पास पैसा आयेगा जो विकास के काम में ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने रिफ्यूज कर दिया। वह खान बन्द पड़ी है एक पूंजीपति को इसे चलाने के लिए पैसा दिया था लेकिन उसने पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया और खान को बन्द करके भाग गया।

यही नहीं, खर के पास ताम्बे के भण्डार का पता लगा है। खरबे के पास और सिरोही के पास भी पता लगा है। आपको ढेर सारी चीजें मिल सकती हैं, और यह आपको रिपोर्ट भी कहती है कि इनका पता लगाया है। लेकिन क्यों इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि खान की सम्पदा है, इसको निकालने के काम को हाथ में लेना आवश्यक है। वैज्ञानिक तरीके से खान की खुदाई की शिक्षा भी देना आवश्यक है। इसके साथ साथ निवेदन करना है वैसे तो कोटा के हीराभाई, या क्या नाम है, ने वह पत्थर को निकाल कर बाहर भेज कर प्रान्त को बहुत लूटा है, बहुत गड़बड़ियां की हैं। उनके बारे में इस सदन में बहुत कुछ आ चुका है। आप एक आदमी को सारी खान देकर, या चार आदमियों को देकर खानें चलावें।

जहां जहां बड़ी बड़ी खानें हैं, जिनके लिए ऐसी मशीनरी की जरूरत है जो छोटे आदमी नहीं खरीद सकते तो सरकार नीति बनाये जिसमें चाहे कम्प्रेशर मशीन हो या दूसरा सामान लगने वाला हो या कटिंग करने के लिए मशीनरी चाहिए उन सारी मशीनों में से, कुछ तो हमारे देश में बन सकती हैं, जरूरत पड़े तो बाहर से मंगाई जा सकती हैं; उसके स्टेण्डर्ड तैयार जायं चाहे मकराना हो चाहे संघरा हो। वहां मशीनों को लगा कर सरकार की तरफ से रखा जाए, लोग किराए पर लेकर काम करें; वे भारी मशीनें नहीं खरीद सकते। ऐसी व्यवस्था की जाए तो यह काम बहुत प्रगति कर सकता है। इससे सम्बद्ध कारखाने व दूसरे कारखाने खुलने वाले हैं, कापर जगह-जगह मिला है। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अगर सरकार करे और लोगों को रोजगार दे सके तो उसका फायदा भी हो सकेगा और हमारे हाथ में पैसा भी आएगा। बहुत कुछ पैसा सरकार के हाथ में आया है, इसका राष्ट्रीय उपयोग है, इस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहां पर इलाका है उसका उपयोग वहां पर हो सकता है, उससे सम्बन्धित कारखाना लगाया जाए। तो कारखाना लगाने की व्यवस्था सरकार करे चाहे छोटे-छोटे उद्योगों के रूप में जो खनन करने वाले है, उनको सोसाइटीज बनाकर काम दें। छोटी-छोटी खानें भी उनको दें और बड़ी खानें भी सहकारिता के आधार पर करें तो फायदा हो सकता है।

अब टूरिस्ट्स के बारे में मुझे निवेदन करना है। जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनके लिए हाथियों का इस्तेमाल करते हैं। तोम एजेन्सीज, जो सप्लाई करती हैं, एक-एक हाथी पर 8-8 रुपये वसूल करती हैं। ये हाथी रखने वाले गरीब लोग हैं और इनके पास हाथी रखने के लिए जगह भी नहीं। हाथी रखने की जगह न होने से वे शहर में रखते हैं जो जिन मोहल्लों में रहते है वहां गन्दगी रहती है। रहने के लिए अच्छे स्थान होने चाहिए। आमेर की तरफ वहां इन 25-30 हाथियों को

(श्री केशरीमल)

रख सकते है चाहे शेड लगा कर ही जिनको लोग देखने भी जायं और शहर में गन्दगी भी न हो। तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इन हाथियों को वहां पर रखने की व्यवस्था न होने के कारण गर्मियों में खास तौर से बीमारी फैलती है। इसके अलावा इन हाथी वालों को जो हाथियों के उपयोग के लिए पैसा दिया जाता है वह अपर्याप्त है। जो डाइरेक्ट भी हाथी को किराए पर चलाते हैं उनसे 8 रु० एजेन्सी वाले वसूल करते है, यह अन्याय है। इससे हमें फोरन एक्सचेन्ज मिलता है, हम हाथी वालों की मदद के लिए मांग करते हैं। तो इन हाथियों को रखने वाले लोगों को सहूलियत दी जाए और पैसा बचा सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति : श्री श्रीनिवास शारदा।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : सभापति जी, आज की मांगों पर मेरे कट मोशन्स हैं, उनके सन्दर्भ में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम पी० एच० ई० विभाग से सम्बन्धित मेरे क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं और ऐसी समस्यायें हैं कि जो पिछले कई वर्षों से मुंह निकाले खड़ी है और खास करके अप्रेल, मई, जून व जुलाई इन 4 महीनों में कस्बे के लोगों को भयंकर परेशानी उठानी पड़ती है। सर्वप्रथम तो निम्बाहेड़ा के लिए थी। इस स्कीम को बने हुए लगभग 5 वर्ष से ज्यादा हो गए। पहली बात यह है कि एक प्रश्न खड़ा होता है कि निम्बाहेड़ा को जो पानी सप्लाई करना था तो जो स्कीम बनी वह विफल साबित हुई, फिर रिआर्गनाईजेशन स्कीम बनाई मैं मानकर चलता हूं कि आखिर एक स्कीम बने, वह फेल हो जाए इसके बाद में रिआर्गनाइजेशन स्कीम बनानी पड़े तो स्टेट गवर्नमेन्ट का इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा होगा। हमारी जो स्कीम्स हों वे ऐसी पूरी होनी चाहिएं कि बाद में जाकर आने वाले 10 या 15 वर्ष में कोई दुविधा पैदा न हो और अकारण एक नया खर्चा न करना पड़े।

मुझे कहते हुए खेद होता है कि जो प्राइवेट एन्ट्रेप्रिन्योर हैं या उद्योगपति हैं ये जब अपनी फैक्ट्री प्रेमिसेज या अपनी कालोनीज को फीड करने के लिए स्कीम्स बनाते हैं तो उनकी इतनी पर्फेक्ट स्कीम्स होती हैं कि बाद में उनको रीआर्गनाइज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आखिर हमारी प्लानिंग में कहीं न कहीं ऐसा डिफेक्ट तो है। अगर है तो इसके कारण ही स्टेट को नुकसान होता है। तो जिन हालत में भी हमारे टेक्निशियन्स वर्क करते हैं, मैं अपनी राय दे दूंगा वह मेरी राय मंजूर मानी जाएगी, इस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूं। छोटी सादड़ी व चित्तौड़गढ़ कस्बों के लिए भी वाटर वर्क्स की योजनायें बनीं, फेल हो गईं, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, सोर्सेज दूसरे टेप करने पड़े और इस तरह का घाटा स्टेट को हुआ और वहां लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो थोड़ा अगर इस स्थिति को टाला जाए तो उपयुक्त होगा और थोड़ा हमारे टेक्निशियन्स के पार्ट पर भी ये जो लेप्सेज हैं उनमें सुधार होगा। निम्बाहेड़ा के बारे में मैं निवेदन कर रहा था पिछले 4-5 वर्षों में हर वर्ष गर्मियों के 4 महीने तकलीफ देह साबित होते हैं। पी० एच० ई० डी० निम्बाहेड़ा की जनसंख्या को 11 या 16

(श्री श्रीनिवास शारदा)

हजार मानकर चलता है, जब कि आज की तारीख में वहां की जनसंख्या 25 हजार हो गई है। आप पानी दे रहे हैं लेकिन ऊंची बस्ती है वहां पहुंच पा रहा है या नहीं। चाहे पानी पहुंचे या नहीं, उनसे चार्जेज तो वसूल किए जाते ही हैं और वह लोग दे भी देते हैं। दूसरे आपने कनेक्शन्स में फ्लेट चार्जेज या नोमीनल चार्जेज भी लगा रखे हैं। आपने दोनों ही लगा रखे हैं तो बेचारे लोगों को जो भी उनसे मांगा जाता है, उन्हें देना पड़ता है। वह यही सोच कर देते है कि आज नहीं तो कल वहां पर उसकी पूर्ति हो जायेगी। और अगर नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में कनेक्शन काट भी दिये जायेंगे और बाद में उन लोगों को दिक्कत होगी। अब थोड़ा मेरी आर्गेनाईजेशन स्कीम्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में तो नल लगा रखे हैं उसके बारे में आपने योजनायें बना दी हैं और न कोई आपने क्रियान्वित भी की है। लेकिन कस्बों को आर्गेनाइजेशन स्कीम को बने इतने साल हो गये आपने इन पिछले पांच वर्षों में कोई काम नहीं किया। आखिर आप उन योजनाओं की पूर्ति कस्बों के लिए करें। ताकि वहां की दिक्कतें दूर हों। इसमें जो भी कठिनाई आती हैं उनके लिये आपको कौनसे-कौनसे सोर्सेज टेप करने हैं इसका हमें तो पता नहीं पर आप उनको टेप करके उन दिक्कत को तो दूर करें। आज जनता उससे परेशान हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब इस समस्या का हल निकलना ही चाहिये वरना यह समस्या अब बहुत ही भयंकर रूप ग्रामीण और कस्बों के क्षेत्र में ले रही है।

सभापति महोदय, इस वर्ष के बजट में ऐसा दिखाई देता है कि आप अर्बन एरिया के लिये कुछ प्रोविजन्स करने जा रहे हैं। इसलिये निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ के जिले के बारे में मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप अर्बन सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आपने जो रूरल स्कीम्स बनायी है उसके लिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के गांवों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें खास तौर से छोटी सादड़ी पंचायत समिति के कारूंदा गांव के स्कीम के बारे में पंचायत समिति डूंगला के चिकारड़ा गांव की योजना की ओर जरूर ध्यान रखा जाय। आपने इन स्कीम्स की क्रियान्विति के लिए कुछ पिपुल्स पार्टिसिपेशन भी रखा था जिसमें आपने पांच दस प्रतिशत रखा था और अब शायद आपने उसको ढाई परसेन्ट कर दिया है। उन स्कीमों को पहले कार्यान्वित करें। इसमें उन्होंने रुपये डिपोजिट्स भी करा दिये थे। अब इसमें, सभापति महोदय, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है लोग पहले पैसा इकट्ठा करते हैं और इस उम्मीद से पैसा जमा कराते हैं कि वह अगर पैसा जमा करा देंगे तो उनके यहां इस स्कीम को जल्दी से जल्दी जमा करायेंगे तो हमारे यहां पर स्कीम की क्रियान्विति पहले होगी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस क्षेत्र की जनता का माहौल क्या होगा जहां पर पैसा जमा कराये वर्षों हो जाते हैं और उसके बाद में भी वहां पर स्कीम का एक्सपीडाइट नहीं किया जाता। यह उचित तरीका नहीं है। आपको ऐसी स्कीम्स को निश्चित रूप से अब तो टेक अप कर लेना चाहिये। इससे अच्छा तो यह होता कि

(श्री श्रीनिवास शारदा)

आप उन लोगों को डिपोजिट जमा कराने को नहीं कहते ताकि उन लोगों को यह हो आशा नहीं हो कि हमने पैसे जमा कराये हैं इसलिये वहां पर नल योजना शुरू हो जायगी। आज आपने रूरल स्कीम के लिये यह बना रखा है कि, दो हजार वाले पापूलेशन के गांवों के लिये आपने रूरल स्कीम चालू करने का रखा है। पर आप इसको इतना रिजीडिटी से क्यों फालो करते हैं कि अगर वहां पर 25 आदमियों की जनसंख्या में कमी हो जावे तो आप वहां पर कनेक्शन नहीं दें। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन रूरल एरिया में में आप इन्ट्रेस्टेड होते हैं उनमें तो आप आसपास के गावों की पोपूलेशन को मान कर भी वहां पर स्कीम को लागू कर देते हैं। तो यह कोई तुक नहीं हुआ कि आप जहां पर एकोमोडेट करना चाहते हैं वहां तो अपना नजरिया और रखते हैं, वहां नहीं करना चाहते वहां आबादो का नजरिया अलग रखते हैं। आपका नजरिया जनता के लिये एक होना चाहिये। इसके अलावा आपने जो दो हजार की आबादी वाले गावों को रूरल स्कीम के अन्तर्गत लेने की बात कही है तो आपने एक पर्टीक्युलर गांव के दो हजार की आबादी को लक्ष्मण रेखा क्यों मान रखा है? इस तरह तो आप थोड़ी सी आबादी की कमी के कारण उन इलाकों के साथ इनजस्टिस करते हैं। अगर कहीं पर 1800 की जनसंख्या हो तो आपको अगर उनको फीड करना होता है तो आप आसपास की जनसंख्या को शरीक करके पूरा कर देते हैं तो यह बात गलत है। आपको यूनिफार्मिटी रखनी चाहिये। मेरे इलाके चितौड़गढ़ के अन्दर कोई गांव ऐसे है जिनकी जनसंख्या इनमें आती है: आपको चूंकि उन्होंने डिपोजिट करा दिये है आपको उन योजनाओं की क्रियान्विति करवा देना चाहिये। अगर कहीं थोड़ी कमी बेशी हो तो आपको उन स्कीम को रीजनल स्कीम्स के आधार पर एकामाडेट कर देना चाहिये। और उन गांवों में उस स्कीम को वायेबल बना कर दे दिया जाय। चूंकि इस साल आपके पास पूरा बजट है इसलिये आपको इन योजनाओं की क्रियान्विति कर देनी चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा आबकारी विभाग की मांगों पर भी कट मोशन है हमारी राजस्थान की प्रोहीबीशन की पोंलिसी के बारे में। प्रोहीबीशन की पोलिसी के बारे में कई माननीय सदस्यों ने विचार सदन में व्यक्त किये और उसमें यह कहा गया कि शहरों में पूर्णतया मद्य निषेध हो जाना चाहिये। कुछ माननीय सदस्य एक ही रट लगाते रहे हैं कि राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी हो। मैं भी मद्य निषेध का हामी हूं। सभापति महोदय एक बात स्पष्ट है कि हमारा राजस्थान का इलाका पिछड़ा है और गरीब भी है। इस इलाके को पिछड़ा भी कहते हैं, इस इलाके को गरीब इलाका भी कहते हैं पर अब हम राजस्थान में प्रोहीबीशन को पूरी तरह से लागू नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम रिच थे गरीब नहीं थे और अब चूंकि इसको लागू नहीं कर रहे हैं तो मतलब यह हुआ कि हम रिच हैं। और जब रिच हो गये तो मैं समझता हूं कि हमारी माली हालत ठीक है। तो भी नशा एक खराब चोज है हमें इसको लागू कर देना चाहिये। लेकिन यह बात नहीं है। दरअसल में यह नशा जो है, वह हमारे यहां

श्री श्रीनिवास शारदा)

के गरीब लोगों को दारू नशे से थकान दूर करती है और वह लोग आराम की नींद इस नशे में लेते हैं। तो जब आप यह कहते हैं कि बैकवर्ड स्टेट के होते हुए भी हमने हर बात में पहल की है। इसके लिये आप कहते हैं कि हमने पंचायतों राज के लिये पहल की, हमने भू-आवन्टन में पहल की और भी जो कार्यक्रम होते हैं आप अपने आपको पहले मानते हैं और इसमें भी आप शान से कहते हैं कि राजस्थान मद्य निषेध में भी लीड लिये हुए है। इसमें लीड लेने का प्रश्न नहीं है। नशाबन्दी का मूलभूत आधार हम यह मानते हैं कि नशाबन्दी से हम अपने प्रदेश के लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं। आप उनके चरित्र को ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात को नजरन्दाज करे नहीं चलता हूं कि आज की तारीख में वित्त मन्त्री महोदय, वित्त विभाग को इस दारू से होने वाली आय को नहीं छोड़ना चाहते। यह बात नहीं है कि वित्त मन्त्री जी को नशे से कोई लगाव है। आज हमारे प्रदेश का कोई भी सदस्य हो जो भी उनसे परिचित है वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वित्त मन्त्री जी को दारू से प्रेम है। और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दारू के प्रति लगाव होना उनकी नैतिकता से परे है। पर जब यह बात है तो कमजोरी कहां पर है। इसके माध्यम से आप 18-20 करोड़ रुपये राजकोष में प्राप्त कर लेते हैं। मैं यह मानता हूं कि उन्हें इस बात की पीड़ा है। वह समझ सकते है कि दारू खराब चीज है। लेकिन शायद इसमें एक बात हो सकती है कि वित्त मन्त्रालय के मन्त्री होने के नाते उन्हें सारे विभागों की वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना अनिवार्य है। उनको सभी वित्तीय साधनों को विठाये रखना पड़ता है। और किसी रिसोर्सेज को कम करके राजस्थान के विकास को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता; उनके सामने यह स्थिति हो सकती है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि चरित्र का विकास है सबसे बड़ा विकास है। हमने बहुत कुछ हांसिल कर लिया अगर हमने चरित्र को बना लिया तो। और अगर हमने चरित्र को खो दिया तो हमने सब कुछ खो दिया। और कई बार भारत सरकार से यह संकेत मिले कि अगर स्टेट गवर्नमेन्ट्स पूर्ण नशाबन्दी को लागू करें तो भारत सरकार उनको प्राहीबीशन पोलिसी को क्रियान्वित करने में जरूर मदद करेगी। भारत सरकार आपको कम्पनसेट करेगी। यह क्या बात हुई कि आपने कुछ इलाकों में नशाबन्दी को लागू कर दिया। एक साल बजट में पांच जगह बता दो उसके दूसरे साल कुछ जिले आपने और ले लिये। यह क्या लोगों को पीना होगा तो वह वहां से जाकर पी लेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप किसी पोलिसी को लागू करना चाहते हैं और क्रेडिट लेना चाहते हैं सिर्फ हर साल बजट में एक दो जिले में नशाबन्दी लागू करना तो बेकार है; यह तो आपका हाफ हार्टेडली इस योजना को लागू करना हुआ। मैं आपकी इस प्रकार की नीति को हाफ हर्टेड एप्रोच मानकर चलता हूं। क्योंकि अगर आप चित्तौड़गढ़ में मान लो दारू बन्द करते हैं तो लोग आस पास के गांवों में, जहां पर दारू बन्द नहीं है, वहां जाकर दारू पी लेंगे और फिर इसका अन्त वैसा होता है जैसा कि गुजरात में हुआ। फिर लोग उदाहरण

(श्री श्रीनिवास शारदा)

के रूप में गुजरात का उदाहरण देकर यही कहेंगे कि जो वहां परिणाम निकला वही यहां पर परिणाम निकलेगा। सभापति महोदय, मैं ऐसी दलीलों में बहुत कम विश्वास चाहता रखता हूं। गुजरात में दारूबन्दी हुई, गुजरात से पर्यटक राजस्थान आते हैं। मालदार लोग उदयपुर आते हैं और पोकर चले जाते हैं। एक दो बोतल घर लेकर चले जाते होंगे लेकिन मैं समझता हूं आदिवासी गुजरात से दारू पीने नहीं आया गुजरात एक छोटा सा प्रान्त नहीं है। जिस प्रदेश में करोड़ों की जनसंख्या है उस प्रदेश के लाखों आदमी बोर्डर पर आकर दारू पीकर चले जाते हों तो भी काफी लोग पीने से बच जाते है। अतः मैं यह चाहता हूं हाफ हर्टेड अप्रोच जो आपको है वह कहने के लिये है, लोगों की तसल्ली के लिये है। अन्यथा आप स्वयं अपनी अन्तरात्मा में मानकर चलेंगे।

आपके सामने आर्थिक घाटे का प्रश्न है और वह हमेशा दिमाग में घर किये रहता है। इसके साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि आप दारूबन्दी न करें, न करें और फैलाना चाहे ज्यादा फैला दीजिये लेकिन हमें यह स्टेसटिक्स तो दीजिए कि आपके प्रदेश में दारू पीने वाले कितने हैं। आपके पास बड़ी लम्बी चौड़ी फौज है, इंसपेक्टर्स की फौज है, आफिसर्स की, कर्मचारियों की उनसे पता तो लगायें कि दारू पीने वाले कितने लोग हैं।

श्री विजयसिंह : विधान सभा में कितने हैं, इसका भी पता लगायें।

श्री श्रीनिवास शारदा : माननीय सदस्य, कुछ एक को आप जानते होंगे, कुछ एक को मैं जानता हूंगा और कुछ एक के बारे में गलतफहमी भी हो सकती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम दुनियां भर के स्टेटिसटिक्स इकट्ठे कर लेते हैं लेकिन दारू पीने वालों के स्टेटिसटिक्स क्या हैं। कितनी संख्या में राजस्थान में दारू पीते हैं उनकी संख्या क्या है। मेहरबानी करके यह तो बता दीजिए।

श्री श्री राम गोटेवाला : ये वित्त मन्त्री जी आ गये इनसे पूछ लें।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : क्या पूछना चाहते हैं दारू पीने के बारे में पूछना चाहते हैं, मत पीजिये।

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं कहता हूं अगर कम करना चाहते हैं तो लाइसेन्स सिस्टम कर दीजिये और दारू पीने वालों पर एक रुपया सालाना लाइसेन्स रख दीजिये।

श्री विजयसिंह : इससे छूट मिल जायगी।

श्री श्रीनिवास शारदा : उसमें उसकी मात्रा तय कर दीजिये, उसकी हैल्थ के अनुसार

एक माननीय सदस्य : बान्दरी को बिच्छू दिखाकर लाइसेन्स सिस्टम ....

श्री विजयसिंह : दारू पीने का सही तरीका निकाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो छिप कर पीते हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : जो छिपकर पीते हैं, उनका प्रोसीक्यूशन करें तरीके

(श्री श्रीनिवास शारदा)

आदमी पकड़ा जाय तो एक रुपया फाइन कर दें; पांच रुपया फाइन कर दें लेकिन मालदार पकड़ा जाय तो एक लाख रुपये फाइन करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गरीब ही पकड़ा जाता है। मालदार कोई पकड़े जाते हैं क्या ? यह तो आप भी जानते हैं।

श्री चन्दन मल बैद : गोटेवाले जी नहीं पकड़े जायेंगे।

श्री श्रीनिवास शारदा : तो मैं दारू बन्दी के लिये यही सुझाव देना चाहता हूँ कि दारू बन्दी में राजस्थान पहल करे और मौजूदा माननीय वित्त मंत्री जी के लिये यह सम्भव है जिनसे अपेक्षा भी की जाती है। दूसरा जो आप घोषणाएं करते हैं कि सरे आम दारू की दुकान नहीं होगी यह नहीं होगी, वह नहीं होगी लेकिन समय-समय पर माननीय वित्त मंत्री जी आपके पास शिकायतें आती होंगी। आज की तारीख में दारू की जितनी दुकानें हैं वे सब इम्पार्टेन्ट साइट्स पर है और सरे आम दुकाने लिये बैठे हैं। यहां तक की कालेज और हायर सेकेन्डरी स्कूलों के सामने दुकानें लगी हुई हैं। हमारी जो घोषणाएं हैं वे असत्य साबित हुई हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है, आप क्यों नहीं फैसला करते हैं कि जो दुकानें होंगी वे बेगर हाऊसिंग के सामने होंगी या पुलिस स्टेशन के पास होंगी। इससे बहुत कुछ समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन आप ऐसा निर्णय लें तब।

एक सुझाव हैं माननीय खनिज मंत्री जी को। माननीय खनिज मंत्री जी आपका जो छोटे-छोटे खान वालों को लाइसेन्स देने का सिस्टम है, मैं समझता हूं दुनियां में जो लाइसेन्स सिस्टम है उसमें आपका एक निराला सिस्टम है। मैंने इस बारे में पहले भी अपने विचार व्यक्त किये हैं क्योंकि जिस दृष्टिकोण से आप सोचते हैं वह बिलकुल गलत है इस धन्धे में इल्लिट्रेट लोग ज्यादा इन्वोल्व है आपने कभी उस नजरिये से नहीं देखा। आप 31 मार्च, 1976 तक जो लाइसेन्स देते है तो उससे पहले आप कैसे उसे पिनडाउन कर सकते हैं। भारत सरकार के भी आंकड़े हैं तो आपको रिप्रजेन्ट करना चाहिये। पहले से कैसे पाबन्दी कर सकते हैं ? ज्यादा से ज्यादा रिन्यूअल के लिये मियाद की समाप्ति से एक दिन पूर्व 6 महीने पहले क्यों करें और नहीं करे तो आप उस पर पेनेल्टी लगा देते हैं और पेनेल्टी यह कि लगभग आपकी लीज मनी तीन महीने में डबल हो जायेगी। मैं तो यह चाहता हूं जितने छोटे-छोटे लाइसेन्स होल्डर्स है, आप कैपेटिलिस्ट की बात छोड़ दीजिये उनको तो आप रियायत देंगे लेकिन जो छोटे-छोटे लोग हैं उनके लिये सोचिये।

आपके सीनियर माइन्स फोरमेन हैं उनको नोटिस देना चाहिये कि लाइसेन्स खत्म हो रहा है और तीन महीने में रिन्यूअल करा लिजिये। आप जानते है, कितने छोटे-छोटे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। एक छोटी सी जमीन जिसका डायमेन्शन 50 बाई 50 या 50 बाई 100 की हो उसका ओवर बर्डन हटाने के लिये 500 रुपये खर्च होते है और यहां तक कि कभी-कभी पांच हजार खर्च होते है। आपके माइनिंग विभाग के लोग सतर्क होकर ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़

(श्री श्रीनिवास शारदा)

करते हैं और यह होता है जो पहले अप्लाई कर दिया उसको नया लाइसेन्स मिल जायगा और उसका रिन्यूअल केन्सिल हो जायगा। कभी आपने इस विषय में सोचा है ? मैं यह आपको निवेदन करना चाहता हूं और दूसरा मैं यह चाहूंगा पिछले एक-दो वर्ष में आपने सड़कें बनाने में किस इलाके में कितनी रेवेन्यू हुई और उस इलाके में रोड को डवलप करने के लिये आपने कितना पैसा दिया।

मेरी निगाह में ऐसे इलाके हैं, काफी रेवेन्यू उन इलाकों से मिलती है और चार पैसे आपने सड़कों के लिये नहीं दिये। इस साल जो सड़कों के निर्माण की योजना है, मैं चाहूंगा आप इस प्रकार की पालिसी तय करें कि माइनिंग एरिया से, माइनिंग से रेवेन्यू की इन्कम कितनी हुई इन सारे प्रासपेक्ट्स पर और उनकी रिक्वायरमेंट्स पर जब आप सड़कों का काम इस साल शुरू करें तो यह मेरा संकेत है कि निम्बाहेड़ा और भमेसर तहसील जिन पर लाखों रुपया लाइसेन्स रेन्ट का मिलता है, निश्चित ही उस इलाके की उपेक्षा नहीं की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने पर्यटन, आबकारी और जलदाय विभाग के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आबकारी के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे बुजर्ग अभी शारदा साहब बोल रहे थे। मैं वित्त मंत्री जी से अपेक्षा कर रहा था कि वे शराब से बिलकुल दूर है तो कम से कम शराब बन्दी कर दें। मैं इस सम्बन्ध में एक छोटी सी बात कह कर इस विषय को समाप्त करना चाहूंगा। एक औरत के सिर में दर्द था। वह एक ठाकुर साहब के पास गई कि मेरे सिर में दर्द है और लोगों का कहना है कि शराब से सिर दर्द मिट जावेगा।

श्री विजयसिंह : सेठ साहब के पास नहीं गई होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सेठ साहब की बात तो बाद में आवेगी। तो वह ठाकुर साहब के पास गई और कहा कि मुझे किसी ने कहा कि शराब पीने से सिर दर्द मिट जावेगा। आप शराब थोड़ी दे दीजियेगा। उन्होंने उसको दे दी। फिर उनसे पूछा कि सचमुच में मिट जावेगा या नहीं। उसने कहा कि तू सिर की बात करती है मेरा तो सारा गढ़ ही मिट गया। माननीय वित्त मन्त्री जी सदन में कहा करते हैं कि शराब उनके यहां तीन पीढ़ी से रही नहीं और उससे क्या बरबादी होती है वह उसको जानते नहीं। जुझारसिंहजी के पास में यह महकमा होता तो शायद वे जानकारी देते और कदम भी उठाते। वह (वित्त मन्त्री) भी पत्थर पर फूल उगाने की बात कह रहे हैं। कितने ही ऐसे गढ़ मिट गये और कितनी ही झोंपड़ियां। कितनी परेशानी होती है। इसलिये निवेदन है कि इसका तजुर्बा करें ……

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके तजुर्बे की बात है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे तजुर्बे की बात तो सार्वजनिक रूप से नहीं करता। शराब बन्दी के सम्बन्ध में और इस अपव्यय को रोकें, इसके लिये आप हम सब दस्तखत करके आये थे।

सभापति महोदय, तीन चार साल से जयपुर में, जिसको मैं रिप्रजेन्ट करता हूं, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हुई है। पहले प्रदर्शन बाजी हुआ करती थी और उन सबके अन्दर यह बात कही जाती थी कि पानी का संकट है, वह मिटे। मैं बराबर इस बात के लिये निवेदन करता हूं कि इसके लिये कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये। सिंचाई विभाग की बात हो रही थी तो उस समय विशलपुर बांध की मांग उठाई गई तो माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने कहा कि जलदाय मन्त्रीजी ने विशलपुर बांध की योजना को भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा है। उस जमाने में यह 24 करोड़ की योजना थी। जहां एक ओर ग्रामीण जलदाय योजनाओं से पूर्ति करें वहां की, वहां दूसरी ओर यह भी आवश्यक है, वैसे यह राजस्थान पर एक कलंक है कि सारे गांवों में इतने वर्षों में भी मीठे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये जिसके लिये प्रयास करना चाहिये। साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि शहरों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। आज बीसवीं शताब्दी में रह रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर ये बड़े-बड़े शहर हैं और जो अच्छे ढंग से बसे हुए हैं इनके लिये योजनाबद्ध तरीके से इस बात की व्यवस्था करके चलना चाहिये कि जल के अभाव में यहां के लोग परेशान न हों। सिंचाई की डिमॉन्ड के दिन जमुवा रामगढ़ की बात भी हुई थी कि इसका केचमेंट एरिया बढ़ाया जाय। हमारे वहां पर तकनीकी विशेषज्ञ वगैरह हैं। सब कुछ हैं। उस समय यह भी कहा था कि विशलपुर पर बांध बनाया जाता है तो जयपुर शहर ही नहीं 8 शहरों की जल प्रदाय योजनाएँ पूरी होती हैं। यह राजस्थान के बल-बूते की बात नहीं है। राजस्थान सरकार का जैसा कि आज तक रवैया रहा है, यह संभव नहीं लगता है कि यह 30 करोड़ रुपया इसके लिये खर्च कर सकेगी। भारत सरकार से फण्ड्स की बात करते हैं, तो यह योजना निश्चित रूप से स्वीकृत होगी।

जहां हम पीने के पानी की बात कहते हैं, वहां जलदाय विभाग के पास गन्दे पानी के निस्तरण की योजना का भी प्रश्न आता है। मैंने बजट के सारे हैड्स को उठा कर देख लिया लेकिन मुझे कहीं ऐसी योजना नहीं दिखाई दी कि आपने ड्रेनेज वगैरह की स्कीम के लिये बात सोची हो। परसों जैसे मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 65 लाख रुपया इस सारे काम के लिये रखा गया था। मुझे याद है कि भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री खुराणा साहब के चेम्बर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जन प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और मैं भी जनप्रतिनिधि के हैसियत से वहां पर मौजूद था। उस समय जलदाय विभाग के अभियन्ता ने यह कहा कि गन्दा पानी जो पड़ता है सीवेज लाइन की व्यवस्था करके उसको रुकवा देंगे। उसके लिये योजना है। काल अटेन्शन मोशन देकर भी यह प्रयास किया था कि योजना की क्रियान्विति हो लेकिन पता नहीं उस योजना का क्या हुआ। हर साल प्रोविजन करते हैं। वित्त

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मंत्री जी ने कृपा पूर्वक कहा कि 5 लाख खर्च किया है। 30 लाख का प्रोविजन और एल. आई. सी. से लेकर इसको पूरा कराने की बात थी। इतनी महत्वपूर्ण योजना, प्रशासनिक सतर्कता रहती तो एक तरफ तो शहर का बिगाड़ रुकता और, पर्यटन विभाग की बात मैं आगे करूंगा लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटकों के ऊपर भी बुरा असर पड़ने से रुकता।

सारे राजस्थान के जो शहर और कस्बे हैं, 150 से ऊपर जिनकी संख्या है, उनमें इस प्रकार की योजना बना कर किस प्रकार ऐसे पानी को निकालने की व्यवस्था करेंगे क्या इसके लिये आपने कभी सोचा है? लाखों करोड़ों रुपया शहरों की सड़कों के लिये आपने लगाया लेकिन आप पानी के निकास की व्यवस्था नहीं कर पाये। जगह जगह पर सड़कों की हालत खस्ता हो गयी है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको प्राथमिकता देकर सोचें।

पिछली दफा कहा था कि जयपुर में ड्रेनेज डालने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। उस वक्त यह बताया गया था कि 14 करोड़ का इस पर खर्च आता है। करोड़ों रुपयों की बात करता हूं तो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्य कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि सारा खर्च जयपुर शहर पर हो जायेगा, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जहां खर्च की बात करता हूं वहां आमदनी की भी बात करना चाहूंगा। कुल 5 करोड़ की अलदाय विभाग की आमदनी है जिसमें से, उस आमदनी में से अकेला जयपुर शहर ही 11 करोड़ रुपये की आमदनी देता है और उस शहर में आधुनिक सुविधायें भी उपलब्ध न कराओ, आज से भी बढ़िया जब जयपुर बना था जिसको देखने के लिये ही यहां पर विदेशी लोग आते हैं; उसको बिगाड़ने के लिये बात करें तो यह मानना चाहिये कि हम अपने लिये हित की बात नहीं कर रहे हैं।

तो मैं ड्रेनेज की बात कर रहा था। कम से कम यह तय करें कि इतने बढ़िया सुन्दर शहर को, लाखों करोड़ों रुपया लगा कर विकसित करने का काम किया है, उसकी दुर्व्यवस्था को दूर करने की बात करें। जब मैं ड्रेनेज की बात करता हूं तो कहना चाहूंगा कि यू.आई.टी., पी डब्ल्यू डी., नगरपालिका बनाती हैं इस तरह से अनप्लान्ड वे में बनाती हैं, राज्य का हो तो पैसा है, तीनों संस्थाओं की आमदनी केवल जनता की जेब से ही तो मिलती है, मैं यू आई.टी में बैठा था तो मैंने वहां कहा था कि आपने ड्रेनेज तो बना दी। लेकिन आगे उसका पानी का निकास कहां है यह आपने देखा भी है। कहा, कि नहीं देखा। आपके पास इन्जीनियर्स हैं। मैं सारे राजस्थान की बात करता हूं। आप राजस्थान की बात करें या न करें और अपने इलाके से आये माननीय सदस्य अपनी बात करेंगे, मैं तो जयपुर शहर की बात करना चाहूंगा। यहां पर इस शहर की सुन्दरता को बचाने के लिए लाखों और करोड़ों लगाकर जो सुन्दरता को आपने मेन्टेन किया है उसको ठीक ढंग से रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि ड्रेनेज और सीवर लाइन का प्रोग्राम आप अपने हाथ में लें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा ट्रीटमेंट प्लान्ट के बारे में और कई बार यहां पर बातें इस सम्बन्ध में हुई और इस ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के बारे में मैं यह निवेदन करता हूं कि यह काफी प्राफीटेबल प्लान्ट है और इसका नतीजा यह होगा कि यहां के लोगों के पेट में जो कीड़े हैं उससे उनको मुक्ति मिलेगी। यही नहीं कि जो जयपुर शहर के प्रतिनिधि हैं उनके पेट में कीड़े हों, जयपुर शहर के रहने वाले हैं उनके ही पेट में कीड़े हों बल्कि जो लोग बाहर से आये हुए हैं और अधिकांश लोग यहां बाहर से ही आये हुए हैं और जयपुर शहर के तो 30 प्रतिशत ही होंगे, उन सब के पेट में गटर के पानी की वजह से कीड़े हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस ट्रीटमेंट प्लान्ट के बारे में आप शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही करने की बात करें।

यहां कम्पोस्ट प्लान्ट के लिए भी अखबारों में बहुत चर्चा सुन रहे हैं। जहां तक सभापति महोदय, मुझे जानकारी है इसके लिए 33 पर्सेन्ट सबसीडी भारत सरकार का कृषि मन्त्रालय देता है और 67 पर्सेन्ट पैसा आप नगरपालिका या एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के बारे में सुनते हैं आप व्यवस्था करना चाहते हैं। सभापति महोदय, जहां तक मुझे जानकारी मिली है टेक्नीकली इस योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जिस प्रकार से गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं और उसे दूर करने के लिए जहां कम्पोस्ट प्लान्ट के अन्तर्गत व्हीकल्स मिलेगी और सारे कूड़े-करकट को इकट्ठा करके शहर की सफाई व्यवस्था को ठीक कर पायेंगे साथ ही दूसरी तरफ किसान को सस्ती से सस्ती खाद को उपलब्ध कराने में हम सफल होंगे। अब तो प्रश्न यह है कि जन स्वास्थ्य मंत्री यह कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वहां से रुपया कैसे मिले और किस प्रकार से यह योजना शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित हो जाये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

समाप्त कर रहा हूं, साहब।

अब मैं पर्यटन विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आप ने नाहरगढ़ के किले के लिए 4 लाख 94 हजार रुपये की सड़क के लिए स्वीकृति दी है उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। इस बात के लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से लेकर अब तक राजस्थान में इस पर्यटन विभाग में जिस ढंग से कार्य हुआ उसको देखने के बाद और पिछले तीन वर्षों में जो कार्य हुआ उसको देखने के बाद निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी कार्य रुचि लेकर किया। जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे ऐसा लगता है कि पिछले बीस वर्षों में हम केवल मात्र एक करोड़ रुपया इस पर्यटन विभाग के ऊपर खर्च कर पाये हैं जब कि हरियाणा जो कि एक बहुत छोटा राज्य है और जहां टूरिज्म के लिए कोई जगह नहीं थी वहां पिछले तीन सालों में वहां पर टूरिज्म के डवलपमेंट के लिए लगभग 2 करोड़ रुपया उस राज्य ने खर्च किया है और आपकी जो भविष्य की योजना है और जो पर्यटन विभाग से जानकारी मिली और जो पुस्तिका उपलब्ध हुई है उससे ऐसा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लगता है कि पांच वर्ष के अन्दर राजस्थान के अन्दर पर्यटन के ऊपर 2 करोड़ रुपया हम खर्च करना चाहते हैं। तो मैं इन आंकड़ों को देखकर, सभापति महोदय; बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कहां छोटी सी स्टेट जो इस प्रकार से खर्च कर रही है और कहां आप को स्टेट आप खुद ही आंकड़े दे रहे हैं कि 4 लाख सारे हिंदुस्तान में प्रति वर्ष टूरिस्ट्स आते हैं और उसमें से 66,000 टूरिस्ट्स हमारे राजस्थान में आते हैं। आपने आंकड़े दिये हैं उनमें आपने बताया है कि 1 करोड़ 32 लाख रुपया प्रतिवर्ष इन टूरिस्ट्स से आपकी इन्कम होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि इससे बढ़कर धंधा और कौन सा हो सकता है जहां आपका इनवेस्टमेंट पांच वर्षों में केवल मात्र 2 करोड़ होगा। पहले एक करोड़ रुपया ही इनवेस्ट किया है और जिस इनवेस्टमेंट से आपको इतना बड़ा लाभ होता है, मेरी समझ में नहीं आता कि इस सारे काम को तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है।

मैंने पहले कहा है कि आपने विद्याधर का बाग का डवलपमेन्ट किया रामनिवास बाग में फव्वारा लगाया और एरोड्रम तक आपने सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाये। इसकी तो मैं तारीफ करता हूं लेकिन कई दफा मुझे टूरिस्ट्स से बातें करने का मौका मिलता है तो वह कहते हैं कि शाम को टाइम बिताने के लिए कहीं कुछ नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन आपने एक बार किया था और एक पार्टी के साथ मैं रामबाग होटल गया था तो वहां विदेशियों ने उसको काफी सराहा था। मैं कहना चाहता हूं कि इस कला के मामले में राजस्थान पिछड़ा हुआ नहीं है। हां, इस मामले में हम जरूर पिछड़े हुए हैं कि इसको हमने प्रोत्साहित नहीं किया। राजस्थान का घूमर विदेशों के अन्दर काफी प्रसिद्ध है। कई एजेन्सियों ने भी मुझे इसके लिए कहा है कि विदेशों में इसके बारे में बड़ा प्रचार है और विदेशी लोग इसको देखना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां पर सांस्कृतिक संध्या का लगातार आप आयोजन करते रहे ताकि विदेशी लोग यहां आयें। जहां 1½ लाख के करीब राजस्थान की राजधानी में लोग आते हैं और जो कि दिल्ली के नजदीक हैं और सारे लोग दिल्ली से आना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां देखने के लिए आयें तो शाम का समय सांस्कृतिक संध्या के बारे में आप कार्यक्रम बनायें और इस प्रकार की योजना बनायें तो मैं समझता हूं कि वह राजस्थान के टूरिज्म के विकास के लिए काफी अच्छा कदम हो सकता है।

यहां पर सभापति महोदय, काफी पानी अवेलेबल है। जलमहल की झील को डवलप करके अच्छे ढंग से बोटिंग के उपयोग में उसको ला सकते हैं। प्रश्न यह है कि आप थोड़ी सी दिक्कत लेकर और प्रयत्न करें कि किस ढंग से सारी बात को करके जो विदेशी आते हैं उनको ठीक ढंग से सुविधायें दे सकें। एक बार योजना भी थी लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ। नाहरगढ़ पर लाइट एण्ड साउण्ड के प्रोग्राम के बारे में व्यवस्था थी लेकिन पता नहीं उसका भी क्या हुआ। आप नाहरगढ़ किले के ऊपर इसकी व्यवस्था करें तो नया आकर्षण यह भी हो सकता है। आमेर के महलों के नीचे हाथी की सवारी का

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

शौक सारे विदेशियों को होता है और वहां काफी संख्या में लोग जाते हैं और सदन में कई बार चर्चा हुई है कि हाथियों की एक तरह की मोनोपाली है। दूसरे हाथियों को जयपुर तक आना पड़ता है। अगर उनको वहीं बसाने की व्यवस्था कर दें और किस तरह से बैठते हैं, क्या करते हैं और महावत की भी आप वही व्यवस्था कर दो तो वह भी अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और हाथी के साथ में ऊंट की बात भी आप कर लें क्यों कि मैं यह मान कर चलता हूं कि राजस्थान में ऊंट की सवारी करने का न केवल विदेशियों को शौक है बल्कि हिन्दुस्तान के भी कई हिस्सों के लोगों ने रेगिस्तान के जहाज को नहीं देखा है तो उनको भी चाव रहता है ऊंट की सवारी का मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसके बारे में भी कोई व्यवस्था करने की सोचें। मेरे सम्माननीय सदस्य कुछ भी चाहें मैं निश्चित रूप से मानकर चलता हूं कि अगर यह सब कुछ होता है तो एक तरफ तो यहां के काम करने वाले शिल्पी लोगों को धन्धा मिलता है और उनको रोजगार मिलता है वही दूसरी तरफ राज्य की भी आय का बहुत बड़ा साधन है।

इसके साथ ही एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दिल्ली में लोग कहते हैं कि जयपुर में अच्छे होटल और सस्ती होटलों की काफी कमी है। जहां भारत सरकार होटल उद्योग को प्रोत्साहन देती है, वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां भी होटल बिजनेस को और डवलप करने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में छूट दे रखी है थोड़ी छूट आप भी दें और कर्जे की व्यवस्था करें तो क्योंकि दिल्ली में बहुत कान्फ्रेन्सेज होती हैं और दिल्ली में बड़ा रश रहता है और वह कई बार कहते हैं कि जयपुर दिल्ली के पास है और यहां पर हम कान्फ्रेन्सेज करना चाहते हैं। अगर यहां पर समुचित व्यवस्था हो जावे, ठीक ढंग की व्यवस्था हो सके तो वे लोग चाहते हैं कि जयपुर में कांफ्रेंसेज वगैरा की जा सकती है। कई बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय ग्रुप आते हैं सारे लोगों के लिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यहां पर इस होटल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने का प्रयास भी किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जैसलमेर जैसे क्षेत्र को काफी विकसित किया और डायरेक्ट टूरिस्ट नक्से पर जैसलमेर को ले आए और जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 44 ग्रुप केवल मात्र जैसलमेर को देखने आए उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान के अन्दर जैसलमेर ही नहीं सैकड़ों ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में आप ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से प्रचार की व्यवस्था आर्गनाइज करें तो काफी अच्छी संख्या के अन्दर यहां फोरिनर्स आकर्षित कर सकते हैं और करोड़ों रुपयों की आमदनी बढ़ सकती है।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में काफी महत्वपूर्ण मांगें वाद-विवाद के लिए प्रस्तुत हैं। मैं सर्वप्रथम जलप्रदाय योजनाओं के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। जन स्वास्थ्य विभाग का जहां तक सम्बन्ध है जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य अभी थोड़ी देर पहले ही फरमा रहे थे कि यहां पर केवल हमने जलप्रदाय योजनाओं के बारे में राजस्थान में काफी खर्चा किया है। नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के बारे में जैसा कि वह कह रहे थे, मैं उनके विपरीत कहना चाहूंगी। उनका तो यह कहना था कि नगरपालिकाओं के क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए लेकिन मैं यह कहूंगी कि नगरपालिका क्षेत्रों का ही अभी तक ध्यान रखा गया है लेकिन ग्रामीण जलप्रदाय को और उसके मुकाबले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो माननीय जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह शहरी लोग बीच में और बैठे हैं, इनको हटाकर बात कहो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह शहरी और गांव का सवाल नहीं है। न मैं कोई शहर और गांव को लेकर इस तरह का वैमनस्य फैलाने की बात करना चाहती हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने तो मेरे यहां जो काम हुए उसके लिए धन्यवाद दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपस में शहर और गांव की चर्चा करके कोई वैमनस्य पैदा करने वाली बात नहीं करना चाहती हूं। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमने कुछ चार पंचवर्षीय योजनाओं में जितना खर्चा किया है उस खर्चे को देखें तो आज चार वर्ष पूर्व राजस्थान में कुल नगरपालिकाओं की संख्या थी 145। इन सारी की सारी 145 नगरपालिकाओं में सब जगह पर आज जलप्रदाय योजनाएं हैं। आप कल्पना करिये उस समय की जब राजस्थान बनने के पूर्व केवल सात नगरपालिकाओं में जलप्रदाय की व्यवस्था थी और आज सम्पूर्ण राजस्थान की जितनी नगरपालिकाएं हैं, जो 145 नगरपालिकाएं हैं उन सारी की सारी नगरपालिकाओं में जल प्रदाय की व्यवस्था है। लेकिन नगरपालिकाओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हर साल कोई न कोई पंचायत कन्वर्ट हो जाती है नगरपालिका और जहां नगरपालिकाओं की संख्या कुल 145 थी आज नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ कर 178 हो गई है। तो इन 178 नगरपालिकाओं में से कोई दो, तीन, चार नगरपालिकाओं की बात तो मैं नहीं कह सकती, जो बहुत रीसेंटली बनी हों लेकिन पांच सात महीने पूर्व भी जो बनी हैं, करीब करीब सभी नगरपालिकाओं में जलप्रदाय योजना प्रारम्भ करने के बारे में सोचा जा रहा है। जयपुर को ही लीजिए. यह ठीक है कि मैं भी जयपुर में रहती हूं, माननीय सदस्य भी रहते हैं मुझे इससे एतराज नहीं है कि साढे 24 करोड़ रुपये क्यों खर्च किये जायें? इससे भी अधिक की व्यवस्था यदि राज्य सरकार कर सकती है तो अवश्य करे। अजमेर की ढाई लाख की आबादी के लिए हमने 3.65 करोड़ खर्च किया, करना चाहिए था इसलिए किया। मैं उसके लिए नहीं कहती कि क्यों किया। मेरा निवेदन करने का मतलब यही है कि आखिर एक डिस्पेरिटी की, एक डिस्क्रिमिनेशन की भी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सीमा होती है। लोग कब तक बर्दाश्त करें। आपको यह बात समझनी चाहिए। जयपुर में रहने वालों को आप बीस गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी देना चाहते हैं और गांव में रहने वाले को केवल दस गैलन देना चाहते हैं। इसमें भी सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि कल बालोतरा से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था, यह वास्तविक समस्या है, बहुत प्रेक्टिकल समस्या है कि गावों के अन्दर जो जल प्रदाय योजनाओं के तखमीने बनाए जाते हैं उसमें पेशुओं की संख्या को नहीं जोड़ा जाता है और पशु भी राजस्थान के कई जिलों में आदमी के मुकाबले में कहीं ज्यादा होते हैं। ऊंट के पीने के लिए ही इतना पानी खर्च होता है कि जो चार आदमियों के उपयोग के बराबर होगा। चार आदमियों में जितना पानी का कंजम्पशन होता हैं उतना एक अकेले ऊंट में होता है। तो यह अब तक इतने साल बीतने के बाद भी इस प्रेक्टिकल बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं जावे तो मैं समझती हूं कि यह भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि पशुधन को जिन्दा रखने के लिए जो लोग मरुस्थल में रहते हैं उनको पीने के पानी की समस्या वैसे ही हल नहीं हो पाई है और फिर यदि खुशकिस्मती से पानी हमने पहुंचाया है वहां पर हम यदि इस बात का ध्यान नहीं रखें और पशुओं की संख्या को सम्मिलित नहीं करें तो उसकी वजह से जल प्रदाय योजना होते हुए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है उन मुक प्राणियों को संख्या को भी सम्मिलित किया जावे तो माननीय जन स्वास्थ्य मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगी की आज भी उनका वायदा है, आजादी के बाद में 28 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, शुरू-शुरू में जब वे जन स्वास्थ्य मन्त्री बने, जन स्वास्थ्य विभाग उनके पास आया तो बड़े जोश खरोश के साथ घोषणा की थी कि मैं राजस्थान के अंदर जहां कहीं अस्वस्थ पानी है, अस्वास्थ्यकर पानी है और जहां कहीं भी फ्लोराइड वाले तत्व पाये जाने वाला पानी है, रोगग्रस्त पानी है, ऐसे इलाकों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर उनके साथ विशेष बर्ताव किया जावेगा। आपने अपने जिले में तो बहुत कुछ किया है। नागौर में करीब-करीब सारे गांवों को ले लिया। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उनको नजर आते जाते बिल्कुल पास में जो इलाका झुंझुनू का है वह उनकी नजर में क्यों नहीं आता है। यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं इस सम्बन्ध में कई बार जन स्वास्थ्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कर चुकी हूं, झुंझुनू जिले में नागोर की बांका-पट्टी के मुकाबले भी पानी में फ्लोराइड कन्टेन जितना परमीसिबल होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत है और मैं उनको यह भी कई बार निमन्त्रण दे चुकी हूं कि एक इलाका ऐसा भी है कि जिसकी एक रीजनल स्कीम बन गई करीब 75 लाख की, आस पास के दूसरे भी कुछ गांवों की स्कीम बन गई लेकिन बीच कुछ गांवों का समूह रह गया, 10-15 गांव का। उनके लिए भी उतनी ही मुश्किल है, उतनी ही भयंकरता है जितनी नागौर की बांका पट्टी की थी। उनके सरदार-शहर इलाके से भी कहीं ज्यादा इस स्थान पर है। कई बार लिख चुकी हूं कि एक एक बार कम से कम जाकर देखें तो सही कि आज भी इस कल्याणकारी राज्य के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अन्दर, देश की 28 साल आजादी के बाद में·······

श्री चन्दनमल बैद : मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कुछ गांव ऐसे हैं कि चालीस साल का आदमी सीधा खड़ा नहीं हो पाता फ्लोराइड कन्टेन की बहुतायत पानी के अन्दर होने से, हानिकारक तत्व होने के कारण उसका सीधा असर हड्डियों पर पड़ता है और 40-45 साल की उम्र के बाद में आदमी सीधा खड़ा रह नहीं सकता। उसके पांव टेड़े हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है और बिल्कुल कुबड़ा हो जाता है और 45 साल के होते होते सब दांत गिर जाते हैं·······

एक माननीय सदस्य : बाल भी सफेद हो जाते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाल सफेद हो जायं तो कोई बात नहीं लेकिन खाने को दांत न हीं, सीधा खड़ा न रह सके, ठीक चल नहीं सके और सबसे बड़ी परेशानी, जब एक बार मैं वहां पर गई तो मुझे पता चल कि सुबह जब सोकर उठते हैं तो खाट से उठने में बडी तकलीफ होती है पांच-दस मिनिट में बैलेंस करके खड़े हो पाते हैं, खाट से उठ कर सीधे खड़े नहीं हो पाते। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आज वह ऐसे इलाकों को जिन इलाकों में हानि के तत्व हैं, जहां फ्लोराइड वाटर है ब्रेकिस वाटर है; नाहरू का रोग है, अस्वास्थ्यकर पानी है, जहां पर खारापन है, ऐसे इलाकों को प्राथमिकता के आधार पर लें। और यह ठीक है कि शहरों के अन्दर बड़े लोग बसते हैं, यह भी ठीक है कि माननीय वित्त मन्त्रीजी शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी ठीक है कि जन स्वास्थ्य मन्त्रीजी शहर की तरफ से आते हैं माननीय सदस्य जो शहरों से आते हैं उनको तरफ मैं यह नहीं कहती कि ध्यान नहीं देना चाहिये लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान इतना बड़ा प्रान्त है, राजस्थान एक रेगिस्तानी प्रान्त है, और इस प्रान्त के अन्दर आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मीलों से लोगों को पानी लाना पड़े, जहां पीने का पानी अलग हो, पशुओं को पिलाने का पानी अलग हो, खाना बनाने का पानी अलग हो, ऐसा विचित्र प्रान्त राजस्थान है। इसके बारे में एस्टीमेट कमेटी ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा था मैं कहना चाहूंगी:—

पानी पीवण और है, नावण ने हैं और।
घन धावण ने और है, वाहरे नंद किशोर।।

(3.02 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

हे कृष्ण भगवान, यह कैसी तेरी विचित्र लीला है, जहां पर पीने का पानी अलग है; नहाने का पानी अलग है, और पशुओं को पिलाने के लिए पानी और है। ऐसी कैसी विचित्र लीला है इस देश के अन्दर।····

एक माननीय सदस्य : साबुन नहाने का और है और कपड़े धोने का और है? ····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : साबुन के बिना तो नहा सकते हैं, परन्तु पानी के बिना नहीं नहा सकते, न जी ही सकते हैं। बिना पानी के कपड़े धो सकते हैं। मेरा खास मतलब खारे से भी धोते हैं।

श्री शंकरलाल : विना पानी के कैसे कपड़े धो सकते हैं, बिना साबुन के कपड़े धो सकते हैं ?....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रही थी कि दुनियां के किसी भी सूबे में, प्रान्त में, हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां पशुओं के लिये पानी अलग हो, जहां नहाने का पानी अलग हो। यह तो राजस्थान के जन स्वास्थ्य मन्त्री जी की लीला है, जहां पीने का पानी, नहाने का पानी और पशुओं के पीने का पानी अलग अलग है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह लीला तो आपके जिले के पास ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सब लोगों ने उनको घेर रखा है। अपनी समस्याओं से उनको निकलने ही नहीं देते हैं।

मैं निवेदन यह कर रही थी; इस बारे में कि बहुत कुछ करना बाकी है। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) .... उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं ? यह तो मेरे साथ ज्यादती है।

श्री उपाध्यक्ष : Excuse me today I cannot allow.

श्री शंकरलाल : अभी तो भूमिका हुई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शीघ्र ही निवेदन कर दूंगी।

इन योजनाओं के बारे में आपकी वर्तमान समय की जो परम्परा है, वह यह है कि जिला आयोजना समितियां आपने बना रखी हैं। पहले जिला आयोजना समिति इन स्कीम को पास करे, चाहे वह वाटर सप्लाई स्कीम हो, पाइप स्कीम हो, या कोई हो और जिला आयोजना समिति की सिफारिश के बाद राज्य सरकार उस स्कीम को स्वीकृत करती है। उपाध्यक्ष महोदय, जिला आयोजना समिति की मीटिंग मुश्किल से होती है, साल भर में एक-आध बार मीटिंग होती है, किसी वजह से नहीं जाना हो सके और मौजूद भी होवें तो उसके अन्दर प्रायोरिटीज हैं, कोई चाहता है कि मेरे इलाके में हो, कोई कहता है कि पहले मेरे इलाके में हो, परन्तु वहां पर प्रायोरिटीज तय कर रखी है। इसलिये सरकार का यह दायित्व है, कर्त्तव्य है कि वह उन इलाकों में पानी पहले पहुँचावे, जहां लोग आज भी, अभी भी, अस्वस्थकर पानी पी रहे हैं, जहां पर लोग खारा पानी पी रहे हैं, इस तरह का पानी पी रहे हैं जो उनके शरीर को हानि पहुँचाता है, वह रोगग्रस्त पानी पी रहे हैं। इसलिये मैं जन स्वास्थ्य मन्त्री को यह निवेदन करना चाहूंगी कि वे मौजूदा जन आयोजना समिति द्वारा भेजी गई, योजनाओं को स्वीकृत करने का जो नियम है, उसको बदलें और राज्य सरकार इसके अपने पास रखे और इन प्रायोरिटीज के आधार पर तय करे कि जिस जगह हानिकारक पानी मिलता है, उस गांव की स्कीम को पहले लें। इसे आयोजना समिति के परव्यू से लेकर राज्य सरकार अपने पास में रखे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, टूरिज्म के बारे में भी मुझे कुछ निवेदन करना था। वैसे तो यह बात सही है कि टूरिज्म डिपार्ट-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मेन्ट के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है और हमारे राज्य की मुख्य इन्कम का स्रोत भी यह डिपार्टमेन्ट बन सकता है, सैलानियों के लिये आकर्षक केन्द्र बना कर। मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि हमने अब तक बड़े पैसे वाले टूरिस्टों की आशाओं, आकांक्षाओं को ध्यान में रखा है लेकिन यह जो हमारा राज्य है, वह जन कल्याणकारी राज्य है। आज बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू करने का मकसद यह है कि समाज के सब से पिछड़े हुए लोग हैं, जो सबसे ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, उनके बारे में, उनकी आर्थिक प्रगती के बारे में हम सोचें, और उनको आगे बढ़ाने की बात करें। तो इस संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है, ठीक है कि हमने पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने की बात की है, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज टूरिस्ट डिपार्टमेंट को ऐसे होटल बनाने चाहिये जहां दो रुपये, चार रुपये, पांच रुपये तक में कमरे किराये पर मिलें और जिनके अन्दर एक साधारण गरीब आदमी भी आकर के ठहर सके और सस्ता भोजन भी पा सके। बीस रुपया, पचीस रुपया, सौ रुपया खर्च करने की जिनकी हैसियत है, जयपुर जैसे नगर के अंदर बड़े-बड़े अच्छे होटल क्लार्क आमेर, रामबाग पैलेस, हैं जो दिल्ली के किसी भी होटल की सानी कर सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं ऐसे जयपुर शहर में है, लेकिन आम आदमी के लिए जो अपने काम से आता है, या पर्यटन के दृष्टिकोण से आता है जो आज टूरिस्ट आते हैं उनके लिए आप ठहरने की व्यवस्था करें जहां पर वह ठहरे और वह आपके पर्यटन केन्द्रों की सैर कर सकें, उनको एन्जाय कर सकें। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जो दिया जाना चाहिये। मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इस बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के पीछे जो भावना है, वह यह है कि इन गरीब लोगों को, इन शोषित लोगों को गांवों से आने वाले इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, इनके लिए चीपर रेट के टूरिस्ट बंगलो बनने चाहियें। ताकि इन टूरिस्टों की समस्याओं का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी मंत्री जी को मैं अपनी ओर से निवेदन करना चाहती हूं। वैसे ठीक है, राज्य सरकार को काफी बड़ी इन्कम इस शराब से होती है और बार-बार शराब बन्दी की बात होती हैं तो हमेशा यह कहते हैं कि 18 करोड़ रुपये, इतनी बड़ी राशि को छोड़ने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। और न ही ऐसा हमारी राज्य सरकार कर पाती है। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहती हूं, यह पापाचार की कमाई यह अनाचार की कमाई इससे आप आखिर कैसा इन्सान बनाना चाहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में कहा है, इस शराब के कारण बड़े से बड़ा व्यक्ति मिट गया, सल्तनत की सल्तनत मिट गयी, राजाओं के राज्य चले गये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस 18 करोड़ के लोभ का संवरण करें, इस कमाई की ओर न जाएं। यह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पापाचार की कमाई है, यह अनाचार की कमाई है और किसी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह अच्छी बात नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य इस तरह पापाचार, अनाचार की कमाई की तरफ आकर्षित हो, यह कहे कि यह हमारी इन्कम का बहुत बड़ा स्रोत है तो इस स्रोत को 18 करोड़ को छोड़ना पड़े तो छोड़ दें और निश्चित तोर से राजस्थान के अन्दर शराब बंदी कर के हमारी राज्य सरकार को और वित्त मंत्री महोदय को एक उदाहरण देश के सामने पेश करना चाहिये। परन्तु हमारे वित्त मंत्री महोदय का सारे राजस्थान को ओर ध्यान नहीं हैं, उन्होंने तो अपने जिले को ड्राय कर लिया है। यह बात सही है और इससे झुंझुनू जिले वाले शराब के ठेकेदारों की मौज बन गई। जितने भी लोग हैं, कान्ट्रैक्टर हैं वे अपनी तरफ से शराब वहां भेजते हैं, सीमा लगती हुई है, वहां से वहां शराब पहुँचती है। कहने को उन्होंने अपने जिले को सब से पहले लिया ताकि उनके जो दोस्त, मित्र हैं वे इन बुराई से दूर रहें परन्तु उनको दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मुझे न चाहते हुए भी यह निवेदन करना पड़ेगा कि हमारे झुंझुनू जिले में एक बहुत अच्छे कांग्रेसी, पुराने वर्कर थे। उनसे लोगों ने पूछा कि आप कैसे इतने लोगों को एक साथ राजी रख लेते हैं, आपका कोई दुश्मन नहीं है। और जो दुश्मन हैं वे आपके सामने टिक नहीं पाते उन्होंने बताया कि मैं एक बात में विश्वास करता हूँ और वह यह है कि वेरी की औलाद को, दुश्मन की सन्तान में अपने पैसे से बुरी आदत डालो। वह शराब पीता हो तो शराब पिलाओ, बीड़ी पिलाओ। दुश्मन को खत्म करने का यह आसान तरीका है। उसमें शराब पीने की आदत डाल कर उसको औलाद को बिगाड़ दो तो अपने आप ही दुश्मन खत्म हो जायगा। उल्टा सीधा काम करने लगेगा। यह निवेदन करते हुए इस सम्बन्ध में सोचें जैसा मैंने कहा है। यहां पर कई बार वाटर बोर्ड बनाने की बात करते हैं, कई बार कमीशन बनाने की बात सोचते हैं और कई बार रूरल वाटर सप्लाई की प्राब्लम्स को हल करने के बारे में कहते हैं परन्तु होता कुछ भी नहीं है। उस पर उन्होंने कुछ घोषणा की है। मैं तो उनसे एक बात निवेदन करना चाहती हूँ कि अब तक जो कुछ खर्चा हुआ है वह शहरों के रहने वाले लोगों पर हुआ है। गांवों में जो रहते हैं उनके दिमाग में जबरदस्त असन्तोष है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को जितना जागरूक और जितना सचेष्ट रहना चाहिए था उतनी सरकार नहीं रही, अब कम से कम भविष्य मे ऐसी गलती तो न करें और पूर्ण रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जागरूक रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों को यहां पर रखती हूँ।

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों के सम्बन्ध में घोषणाएं

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि राजकीय उपक्रम समिति, 1976-77, प्राक्कलन समिति,

(श्री उपाध्यक्ष)

1976–77 व जनलेखा समिति, 1976–77 के लिए प्राप्त नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों में से कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अपने नाम निर्धारित अवधि के भीतर वापस लेने के पश्चात् निम्नांकित माननीय सदस्य उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये जाते हैं:–

राजकीय उपक्रम समिति, 1976–77

(1) श्री गुरदयालसिंह सन्धु
(2) श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा
(3) श्री अमृतलाल गहलोत
(4) श्री मोहम्मद गफ्फार अली
(5) श्री रामचरण
(6) श्री भुवनेश चतुर्वेदी
(7) श्री प्रद्युम्नसिंह
(8) श्री दलपतसिंह
(9) श्री घासीराम
(10) श्रीमती जमुना सोलंकी
(11) श्री गोकुलचन्द
(12) श्री गोपाल जोशी
(13) श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय
(14) श्री राजेन्द्रसिंह
(15) श्रीमती सुमित्रा सिंह

प्राक्कलन समिति, 1976–77

(1) श्री अजीतसिंह
(2) श्री मोहरसिंह (138)
(3) श्री प्रदीप्रसाद गुप्ता
(4) श्री केसरदेव
(5) श्रीमती नगेन्द्र बाला
(6) श्री भंवरसिंह
(7) श्री सुरेशचन्द्र शर्मा
(8) श्री रामरघुनाथ
(9) श्री ज्ञानसिंह चौधरी
(10) श्री जेठमल आर्य
(11) श्री पूनमचन्द बिश्नोई
(12) श्री नाथूराम
(13) श्री विजयसिंह
(14) श्री गौरी शंकर
(15) श्री रामप्रसाद बोहरा
(16) श्रीमती गौरी पूनिया
(17) श्री कालूराम आर्य
(18) श्रीमती निर्मला कुमारी
(19) श्री नंदलाल बैरवा
(20) श्री सांवरमल मोर
(21) श्री किशोरीलाल शर्मा

जन-लेखा समिति, 1976–77

(1) श्री मूलचन्द सामरिया
(2) श्री रतीराम यादव
(3) श्रीमती प्रभा मिश्रा
(4) श्रीमती कान्ता कथूरिया
(5) श्री भीमसेन
(6) श्रीमती मदन कौर
(7) श्री सुरेन्द्र व्यास
(8) श्री दीपंकर
(9) श्री विद्यासागर
(10) श्री वृद्धिचन्द्र जैन
(11) श्री रघुनाथ विश्नोई
(12) श्री सहदेव शर्मा
(13) श्री ओंकारलाल
(14) श्रीमती उषा प्रकाश
(15) श्री मोहरसिंह (111)

मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 183 (1) के अनुसरण में राजकीय उपक्रम समिति के सभापति पद पर श्री प्रद्युम्नसिंह, जन-लेखा समिति के सभापति पद पर श्रीमती प्रभा मिश्रा तथा प्राक्कलन समिति के सभापति पद पर श्रीमती नगेन्द्र बाला को नियुक्त करता हूँ।

मांग सं. 27,12,43 व 46 पर अग्रेत्तर विचार

माननीय मंत्री जी !

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री पर्यटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 43 और मांग संख्या 46 के ऊपर माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों और बहस का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष, निश्चित टाइम में से आधे टाइम में मुझको इन दो मांगों पर अपनी बहस समाप्त करनी है, इसलिए मैं मुख्य मुख्य मुद्दों पर बोलना चाहूंगा और मैं पहले मांग संख्या 46, टूरिज्म के बारे में बोलना पसन्द करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि टूरिज्म के पाइन्ट आफ व्यू से राजस्थान एक काफी इम्पार्टेन्ट स्टेट है, और पिछले दिनों से टूरिज्म को यहां पर काफी प्रोत्साहन भी मिला है, लेकिन जिस तरह से यहां के लिए टूरिस्टों का आकर्षण हो और जितनी तादाद में उनको जो फैसिलिटीज उपलब्ध होनी चाहिए उनको वह पूरी तरह से अभी तक उपलब्ध नहीं करा सके हैं। यह बात भी सही है कि पिछले दो-तीन सालों से टूरिज्म डिपार्टमेंट को पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा रुपया उपलब्ध होने लगा है और उसी की बदौलत ऐसा लगता है कि यहां पर टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यहां पर हरियाणा के मुकाबले टूरिज्म की कम फैसिलिटीज हैं। हरियाणा टूरिज्म फैसिलिटीज में काफी तरक्की कर रहा है। इस बात को मैं भी मानता हूं लेकिन हरियाणा में जो टूरिज्म के लिए फिफ्थ फाइव इयर प्लान में इस मद की स्वीकृति हुई है वह 3 करोड़ की है, और उनका जो एन्युअल बजट है उसमें करीब 70 लाख रुपये साल के टूरिज्म डिपार्टमेंट पर खर्च कर रहे हैं। यही नहीं हरियाणा साइज में राजस्थान से काफी छोटा है, और हरियाणा का टूरिज्म एक विशेष तरह का टूरिज्म है जिसमें वे-साइड फैसिलिटीज का हरियाणा में ऐसी जगहों का उल्लेख है। दिल्ली आने वाला आदमी जहां कहीं हिन्दुस्तान में जाना चाहता है उसको हरियाणा से होकर जाना पड़ता है। इसलिए आज जो टूरिस्ट ट्रेवल करता है और फैसिलिटीज उपलब्ध हैं वे साइड पर मिल जाती हैं तो ठहरकर चाय पीना पसन्द करता है। इन फैसिलिटीज को लोकेशनल एडवान्टेज, फायदा मिल सकता है तो उन्होंने जगह जगह वे साइड फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हरियाणा ने टूरिज्म के पाइन्ट आफ व्यू से काफी उन्नति की है। राजस्थान में टूरिज्म हरियाणा के मुकाबले में डिफरेन्ट टाइप का टूरिज्म है। यहां पर आने वाला टूरिज्म राजस्थान देखने की ही गरज से आता है, और जब वह देश से चलता है तो उस समय उसके दिमाग में यह बात होती है वह इस जगह भी आयें, और साथ में पहले से यहां पर बुकिंग हो जाता है और वह डेस्टीनेशन आफ टूरिज्म का होता है।

इस किताब में जो रूपरेखा दी है कि उसमें बताया गया है कि पिछले टाइम हमारे यहां पर पिछले सालों के मुकाबले काफी बढ़ा है। इस साल जब कई देशों में टूरिज्म के नम्बर में कमी आई है तो यह खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान में टूरिस्ट

(श्री जुझारसिंह)

ट्रैफिक बढ़ा है और हिन्दुस्तान का जो पर्सेन्टेज बढ़ा है उसमें राजस्थान में टूरिस्ट्स ज्यादा आये हैं। पिछले साल हमारे प्रदेश में 66207 टूरिस्ट्स आये हैं जो 74-75 के मुकाबले में 10426 ज्यादा थे। यही नहीं पिछले साल हमारा जो डेजर्ट एरिया है उसमें पहली बार इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट गये है, और मैं खुद अपने अनुभव से निवेदन कर सकता हूं और आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो हमने हमारी रिपोर्ट में बताया है कि वहां पर 44 टूरिस्ट ग्रुप एजेन्ट जो कि तादाद में 1020 थे वह जैसलमेर पहुंचे। लेकिन यह ऐसे टूरिस्ट्स थे जो केवल इस एरिया में जाने के लिए आये थे और अपने देश से चलकर हिन्दुस्तान में कितने दिन ठहरे वह जैसलमेर बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के सिवाय और दूसरी जगहों पर नहीं गये। यही नहीं यह जो टूरिस्ट थे वह आर्डिनरी टूरिस्ट नहीं थे। यह टूरिज्म को प्रोमोट करने वाले टूरिस्ट्स थे जिनको ट्रैवल एजेन्ट भी कहते हैं, राइडर्स भी थे और ऐसे आदमी थे जो सर्वे करने के प्वाइन्ट आफ व्यू से आये हैं आगे जाकर अब इनके माध्यम से और भी टूरिस्ट उन देशों से यहां पर आयेंगे तो यह बड़ी खुशी की बात है कि पिछले साल में हमको एक ऐसा एरिया जो कि कई कारणों से टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाया था; कम्युनिकेशन्स की फेसिलिटीज नहीं होने की वजह से जयपुर राजधानी से और हवाई जहाज के मार्ग से बहुत दूर होने की वजह से और किन्हीं वजह से डिफिकल्टीज उन एरियाज में होती थी, उसके बावजूद भी इस साल उस एरिया में काफी टूरिस्ट्स गये हैं। लेकिन मुझे यह कह कर खुशी होती है कि जो भी टूरिस्ट उस एरिया में गये हैं जैसलमेर, जोधपुर में या बीकानेर; में, और आने के बाद में जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें सब का यह इम्प्रेशन था कि ये जगहें सबसे बढ़िया जगहें हैं और इनको डवलप किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, टूरिज्म के लिए पिछले साल में हमने टूरिस्ट फेसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रयत्न किये हैं। 1974-76 से पहले हमारे यहां पर टूरिस्ट बंगले कितने थे हमारे यहां पर टूरिस्ट बंगले जो थे उनमें 526 बेड्स की फेसिलिटीज अभी तक थी। 74-75 में हमने नये टूरिस्ट बंगले बनाकर एक्जिस्टिंग टूरिस्ट बंगलों में एडिशनल फेसिलिटीज प्रोवाइड करके 58 बेड्स और बढ़ाये हैं। एग्जिस्टिंग टूरिस्ट बंगलोज में 58 बेड की और व्यवस्था की गई है और पिछले साल 64 बेड्स बढ़ाये गये हैं, इस तरह से आज जो हमारे पास व्यवस्था है वह 648 बेड्स की है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, चालू पंचवर्षीय योजना में हमको 75 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान मिला था जिसमें पिछले तीन सालों से करीब 16 लाख रुपये प्रति वर्ष करते आ रहे हैं और इसी का फल है कि संख्या हमारे वहां पर बढ़ती जा रही है और इसी का परिणाम है कि राजस्थान में टूरिस्टों को ज्यादा सहूलियतें मिलती जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, टूरिस्टों के ठहरने की व्यवस्था के साथ-साथ उनको हमारे यहां पर घूमने फिरने की सहूलियतें देना भी आवश्यक होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये ट्रान्सपोर्ट विंग बनाने को

(श्री जुझारसिंह)

कोशिश की है, कुछ स्थलों पर पहले से ही व्यवस्था ली फिर भी टूरिज्म की आमदनी को देखते हुए और टूरिज्म की इम्पोर्टेन्ट को देखते हुए टूरिस्ट विभाग ने यह महसूस किया है कि जो ट्रान्सपोर्ट विंग है उसको स्ट्रेन्थन करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दो डीलक्स बसें दिल्ली सरिस्का और जयपुर मार्ग पर चलाने की व्यवस्था की गई है। इनकी सेवाएं नेक्स्ट ईयर से उपलब्ध हो जाया करेंगी। इनको हम दिल्ली और जयपुर के बीच में चलाना चाहते हैं जहां पर अधिक संख्या में टूरिस्ट आया जाया करते हैं। इसके अलावा कुछ और स्थानों पर भी हम बसें चलाने का विचार कर रहे हैं; इसके अलावा हमारा ट्रान्सपोर्ट विंग को स्ट्रेन्थन करने का विचार है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये हमने अगले पांच वर्षो में बीस लाख रुपये का प्रावधान रखा है, मैं ऐसा खयाल करता हूं कि इस फैसिलिटी के उपलब्ध हो जाने के बाद में राजस्थान के लिये टूरिज्म का अट्रैक्शन बढ़ेगा। टूरिस्ट प्लेसेज को डवलप करने के लिये जिनमें उनका सौन्दर्यीकरण करना भी आवश्यक है, जिनको कि टूरिस्ट यहां पर आने के बाद देखना चाहते हैं उनको डवलप करने के लिये पंचवर्षीय योजना में 60 लाख रुपयों का प्रोवीजन था जिसका हमने काफी अच्छा उपयोग किया है। जयपुर में भी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था पिछले साल विद्याधर के बाग को डवलप किया गया, आमेर को भी इम्प्रुव किया, उदयपुर में जो सज्जन निवास बाग और दूसरी जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनको डवलप करने की कोशिश की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले दो सालों में आबू को इम्प्रुवमेन्ट करने के लिए भी दस लाख रुपये खर्च किये गये है और उसकी वजह से टूरिस्टों के लिये आबू में पहले के मुकाबले टूरिस्टों के लिये काफी अट्रैक्शन हो गया है और टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ी है और आने वाले वर्षों में और भी अधिक बढ़ेगी। इसी तरह से टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों में अपने विकास साधनों से टूरिज्म को बढ़ाने और विकास करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के फेयर्स और फेस्टीवल्स के लिए भी टूरिस्टों में काफी अट्रैक्शन रहता है; यह हमारी पुरानी परम्पराएं हैं और इनकी वजह से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। टूरिस्ट विभाग की यह भी कोशिश रही है कि हमारे फेयर; फेस्टिवल्स और दूसरे जो साधन हैं जिनसे टूरिस्टों को अट्रैक्ट किया जा सकता है; उनका भी विकास किया जाय। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय; पिछले दिनों पुष्कर फेयर को पापूलराइज करने की कोशिश की गई है और मेरे को सदन में यह सूचना देते हुए हर्ष होता है कि पुष्कर का फेयर हिन्दुस्तान में ही नहीं, इन्टरनेशनल महत्व का फेयर हो गया है; उस दृष्टि से काफी टूरिस्ट पिछले साल से पुष्कर फेयर में आने लगे हैं। पिछले साल ही चार-पांच तो एम्बेसेडर भी आये थे, इस साल भी पहले के मुकाबले पुष्कर फेयर में ज्यादा टूरिस्ट आये हैं और करीब दो सौ जगहों पर डिफरेन्ट कन्ट्रीज में इसको, टेलिवीजन पर भी दिखाया गया है, यह

(श्री जुझारसिंह)

एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और दूसरे फेस्टीवल्स भी हम चाहते हैं, जैसा गणगौर का मेला है, होली है इनको भी टूरिस्टों के लिये अट्रैक्ट और पापूलराइज करने के लिये जैसे-जैसे हमारे पास साधन होते जायेंगे, हम चाहते हैं कि इनका भी विकास किया जाय क्योंकि यह भी हमारे देश की परम्पराओं के मुख्य अंग हैं इनको भी जीवित रखा जाना चाहिए। इसलिये इनको पापूलराइज करने के लिये भी जैसे-जैसे हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे उनका भी विकास किया जायगा।

यही नहीं राजस्थान का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का सेन्टर गेम सेंक्च्यूरी है, देहली से काफी नजदीक और मोटरेबल डिस्टेन्स पर हैं उसको भी हम काफी अच्छी तरह से विकसित कर पाये हैं। सरिस्का को इसी प्रकार से बनाने की दृष्टि से जनता में और टूरिस्टों में वाइल्ड लाइफ की तरफ अट्रैक्शन पैदा करने की दृष्टि से हमने डवलप किया है और पिछले साल वहां पर 18 बेड्स और जोड़े हैं। इससे वहां पर भी बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं और यहां की वाइल्ड लाइफ को देखने की उनकी रुचि बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में पिछले सालों की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में जैसा कि मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को थोड़े से टाइम में बोलना है, दूसरे डिपार्टमेन्ट के नोट में भी कुछ कहना पड़ेगा। पिछले साल भरतपुर में हमारे यहां आडोबन सोसायटी का सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिका के बर्ड हन्टर्स भी बहुत बड़ी तादाद में आये और उन्होंने एक सेमिनार का भी आयोजन किया जिसमें हिन्दुस्तान की बर्ड लाइफ के ऊपर भी काफी डिस्कसन्स हुए। मेरे को सदन में सूचना देते हुए खुशी है कि इस सेमिनार की वजह से भरतपुर में काफी अट्रैक्शन पैदा हुआ और इस सेंक्च्यूरी की वजह से बहुत से लोग भरतपुर में आते हैं जो लोग नहीं जानते थे अब इस सेमिनार के बाद बहुत बड़ी संख्या में आने लगे हैं। मैं कह सकता हूं कि अगले आने वाले साल से बहुत बड़ी बर्ड सेन्च्यूरी बनने वाली है, यह एक आकर्षण का केन्द्र होगा वहां पह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के टूरिस्ट कार्पोरेशन ने एक फारेस्ट लाइफ की फिल्म भी बनवाई है जिससे काफी अच्छी सुविधा हो गई है। पिछले साल टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा बनाये गये कल्चरल प्रोग्राम भी रखे गये और पहली बार कई स्थलों पर फॉक डान्सेज के लिए जो अच्छे जानकार व्यक्ति हैं उनको बुलाया गया और इस तरह के कार्यक्रम रखे गये। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान की डेजर्ट की जो कल्चर है उसको लोगों को देखने का मौका मिला और बाहर के लोगों ने उसको काफी अप्रिशिएट किया। उदयपुर में भी और जैसलमेर में भी इसी तरह के प्रोग्राम किये गये और मैं ऐसा खयाल करता हूं कि जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने टूरिस्ट डिपार्टमेंट के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, टूरिस्ट डिपार्टमेंट अपने तौर पर करने की कोशिश करता रहा है लेकिन यह एक रेग्युलर फोरम हो जाय और हर अकेजन पर इसका कुछ इन्तजाम किया जा सके, इसके बारे में यहां के बड़े होटल्स हैं उनसे बातचीत करके कुछ किया जा सकता है क्योंकि यह परमानेन्टली डिपार्टमेंट के द्वारा इन तरह का इन्तजाम किया जाना सम्भव नहीं है। यह बहुत एक्सपेंसिव

(श्री जुझारसिंह)

आइटम हो जाता है। हमारे फॉक डांसेज या म्युजिक को पापूलेराइज करने के लिये जो बड़े टूरिस्ट ग्रुप आते हैं, या और टूरिस्ट आते हैं जिनको यह बताने की वजह से फॉक डांसेज और म्युजिक पापूलेराइज हो-इसलिये यह बताना आवश्यक हो जाता है, ऐसे फॉक-डांसेज किये जायं, म्युजिक किया जाय-ऐसे आयोजन किये जायं—उससे यह बात सही है टूरिस्ट्स के लिये अट्रैक्शन होता है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे बड़े-बड़े होटल्स हैं इनसे बातचीत करके इवनिंग एन्टरटेनमेंट प्रोग्राम परमानेन्ट वे में चलाये जा सकें—इसका मैं स्वागत करूंगा और इसके लिए कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये यह भी बताना चाहता हूं कि इस साल एक फ्रेन्च फिल्म बनाने वाले ने हमारी फिल्म का निर्माण शुरू किया है। थोड़े दिनों में फिल्म पूरी कर लेगा, पाबू जी की फड़। उस पर फिल्म बनाने के लिये टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने उसे सुविधा दी है और 25 हजार रुपये दिये हैं ताकि वह डेजर्ट में जा सके और फोटोग्राफी कर सके, ताकि फिल्म बनवा कर राजस्थान के डेजर्ट एरिया को पापूलेराइज कर सकें। इसकी एवज में वह फिल्म टूरिस्ट डिपार्टमेंट को देगा और मैं समझता हूं कि वह फिल्म विदेशों में प्रदर्शित होगी तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

यह मोटे तौर पर; उपाध्यक्ष महोदय, पिछली साल के अचिवमेंट थे; यह प्रोग्राम थे; उसके बारे में मैंने जिक्र किया। आगे आने वाली साल में हम चाहते हैं कि हमारे यहां ऐसे टूरिस्ट के अट्रैक्शन के साधन हों, उनकी तरफ धनाभाव के कारण हम ध्यान नहीं दे सके हैं, उनको बढ़ावा दे सकें—इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने वे साइड फेसेलिटी हैं उनकी तरफ थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट बहरोड़ में एक होटल बना रहा है, ताकि दिल्ली जाने वाले लोगों के लिये चाय पीने या ठहरने की व्यवस्था हो सके। एक महुआ में बनाने की योजना है। मैं आशा करता हूं कि इन स्थानों पर मोटल बनाने से दिल्ली और आगरा आने वाले टूरिस्ट्स को पूरी फ़ेसेलिटी प्राप्त हो सकेगी। यह बात सही है कि यह काम्पलेक्स इतना बड़ा नहीं होगा जितना हरियाणा में है, वह इतने बड़े हैं कि रात को ठहरने की भी व्यवस्था है। लेकिन उतने पैमाने पर हम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शन की दृष्टि से ऐसे स्थान हैं जहां ज्यादा इनवेस्टमेंट करने से ज्यादा उपलब्धि हो सकती है। वहां थोड़ी बहुत फेसेलिटी मिल सके इस दृष्टि से दो मोटल बनाने का प्रोग्राम है।

इसके अलावा अगली साल, आज से तीन दिन बाद हल्दीघाटी को चार सौ वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस बात को महसूस करते हुए हल्दी घाटी के डेवलपमेंट के लिये टूरिस्ट डिपार्टमेंट कुछ करना चाहता है और 21 जून तक; हम कोशिश करते हैं, वह तमाम प्रोग्राम शुरू करदें। इसके लिये एक लाख टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से साढ़े तीन लाख गवर्नमेण्ट की तरफ से सैंक्शन हुए हैं; साढ़े चार लाख सैंक्शन होने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हल्दी घाटी टूरिस्ट पाइन्ट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव प्लेस हो जायेगी। अभी वह अट्रैक्टिव नहीं है

(श्री जुझारसिंह)

इसलिये टूरिस्ट को अट्रेक्ट नहीं कर पारहीहै टूरिस्ट आते हैं और डिस्अपाइन्ट होकर जाते हैं। उनके लिये अट्रेक्शन हो सकेगा यह अगली साल से प्रोग्राम चालू हो जायगा।

इसी तरह से जौहर स्थल को भी राजस्थान में डवलप करना चाहते हैं क्योंकि यह ऐसी चीज है, जो केवल राजस्थान में इस तरह की बात देखने को मिलती है, हिन्दुस्तान में कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जहां जौहर हुआ हो, या सोचने तक की बात हुई हो, वर्ल्ड में भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती होगी। यह यूनिक चीज राजस्थान में थी। हम चाहते हैं कि उसको पब्लिसिटी मिले और इस जौहर स्थल के साथ नेशनल इन्ट्रेगेशन इमोशनल इन्ट्रेगेशन होगा—वह भी होगा और नया अट्रेक्शन टूरिस्ट को अट्रेक्ट करने के लिए राजस्थान में कायम कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टूरिज्म के बारे में इतना ही कह कर उन बातों के ऊपर; जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाया है, ज्यादा माननीय नहीं बोले हैं; लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये हैं, उन माननीय सदस्यों की बात का जवाब दूंगा और फिर दूसरी चीजों पर कुछ कहना चाहूंगा, बाकी जिन माननीय सदस्यों के कट मोशन आये हैं, उनको कट मोशन का जवाब भेज दिया जायेगा। माननीय सदस्यों ने हाउस में कुछ कहा है, उनकी बातों पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।

किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पाइन्ट उठाया कि यह अलाटमेंट कम हुआ है। मैं खुद महसूस करता हूं कि अलाटमेंट कम है। लेकिन जो भी अलाटमेंट है वह पहले के मुकाबले में काफी है और अलाटमेंट जो हुआ है उससे रिजल्ट भी आये हैं। हरियाणा के मुकाबले में डेफिनेटली हम कम महसूस करते हैं। जैसे-जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, अट्रेक्शन बढ़ेगा, वैसे-वैसे राजस्थान सरकार भी इस पर विचार करेगी। लेकिन अभी जो कुछ दिया गया है, पंचवर्षीय योजना में जो धन राशि उपलब्ध कराई गई है, वह पिछले चार साल के मुकाबले में डबल है, यह बहुत अच्छा प्रयास है।

इवनिंग एन्टरटेनमेंट के बारे में निवेदन कर दिया। अच्छे होटल की भी कमी है। ज्यादातर एक्सपेंसिव होटल हैं; उसके बाद छोटी होटल है जिनमें इतनी फेसेलिटी उपलब्ध नहीं होती। यह बात सही है। इसलिए थ्री स्टार होटल की, मीडियम स्तर की होटल की आवश्यकता है, जिनमें साधारण आदमी ठहर सकें। यह कमी है। इस बारे में हमारे पास सुझाव आये हैं। टूरिस्ट्स का भी खयाल है कि फाइव स्टार काफी एक्सपेंसिव होता है। उसके बीच का होटल यहां पर कायम किया जा सके जहां साधारण आदमी ठहर सकें—यह सुझाव दिया है। इस बात को महसूस करके गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस बात पर भी थोड़ा विचार किया जा सके।

एक माननीय सदस्य ने यह बात बतायी कि हम होम टूरिस्ट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं; ज्यादातर टूरिस्ट; फारिन टूरिस्ट के लिए करते हैं। मैं बता दूं, यह धारणा है, वह माननीय सदस्यों की ठीक नहीं है। हमने हमारे होम टूरिस्ट

(श्री जुझारसिंह)

के लिए भी प्रयास किया है बजाय फारिन टूरिस्ट के। जो टूरिस्ट बंगला है वहां ज्यादातर होम टूरिस्ट ठहरते हैं, वह उनके लिए ही है। फारिन टूरिस्ट को अट्रेक्ट करने के लिए पब्लिसिटी है या उनको जानकारी देने का प्रश्न आता है, फेअर्स वगैरह, या हमारी गेम्स सेंक्च्यूरी है, उनसे जरूर फारिन टूरिस्ट अट्रेक्ट हुए हैं। जो फैसेलिटी प्रोवाइड की गई है, उसके बारे में बताऊं कि 648 बेड अवेलेबल हैं, जिनका ज्यादातर उपयोग होम टूरिस्ट करते हैं। होम टूरिस्ट के बारे में पहले से ही फैसेलिटी दी हुई है; वह फारिन टूरिस्ट अपने काम में नहीं लेते हैं।

नाथद्वारा, रणकपुर के अन्दर ऐसे धार्मिक स्थल हैं; माउण्ट आबू है, जिनके ऊपर टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने खर्च किया है - वह होम टूरिस्ट के अट्रेक्शन की प्लेस है। नाथद्वारा में ज्यादातर आते हैं धार्मिक भावना से, वह होम टूरिस्ट है। गुजरात से ज्यादा आते हैं, रणकपुर में होम टूरिस्ट के लिए फैसेलिटी की है। इसलिए यह कहना कि होम टूरिस्ट के लिए ज्यादा नहीं किया गया है, यह सही नहीं है। होम टूरिस्ट के लिए काफी किया गया है.... और होम टूरिस्ट्स की संख्या भी फारेन टूरिस्ट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा है। पिछले साल करीब 2,90,000 होम टूरिस्ट्स आए हैं। जो धर्मशालाएं या टूरिस्ट्स बंगलोज के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, मैंने आपको बताए हैं। बहुत से ऐसे भी टूरिस्ट्स भी हो सकते हैं जो प्राईवेट के रूप में ठहरते हों, उनका रेकार्ड उपलब्ध नहीं है लेकिन जो उपलब्ध होता है उसके आधार पर कह सकता हूं कि होम टूरिस्ट्स यहां पर ज्यादा आए हैं और उनके लिए ज्यादा फैसिलीटीज प्रोवाइड की गई हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, जो टूरिस्ट्स विभाग के बारे में बहस के दौरान मुद्दे उठाए उनका जवाब निवेदन किया और आशा करता हूं कि उससे माननीय सदस्यों को संतोष होगा।

उपाध्यक्षजी, थोड़े समय के लिए माइन्स विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। ज्यादा नहीं कहूंगा, जरूरी जानकारी जो है उस बारे में मैं सदन को अवगत कराना पसंद करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, कि पिछले तीन या चार साल में खनिज विभाग की आमदनी काफी बढ़ी है। वैसे माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि 1972-73 में टोटल इन्कम जो रायल्टीज से वसूल होती थी 2,25,98,000 राक फास्फेट से 2,87, 22,000, टोटल इन्कम 5.13 करोड़। 1973-74 में 5.28 करोड़ 1974-75 में वह आमदनी 5.88 करोड़ से बढ़ कर 12,43,70,468 हो गई। इस साल जो इन्कम है वह 15 करोड़ रुपये की है जिसमें 10.75 करोड़ राक फास्फेट से व 4.45 करोड़ रायल्टीज से वसूल हुई है। इस तरह से जहां तक आमदनी का प्रश्न है खनिज विभाग अब इन्कम पाइंट आफ व्यू से राजस्थान में काफी महत्वपूर्ण विभाग है। मैं समझता हूं 3-4 विभागों को छोड़कर हमारे विभाग की आमदनी राजस्थान में सबसे ज्यादा है और राजस्व विभाग के मुकाबले में भी खनिज विभाग की आमदनी ज्यादा हो रही है।

पिछले दिनों लीसिज में भी वृद्धि हुई है। 1974 मे मेजर मिनरल्स 990 थे

(श्री जुझारसिंह)

उनके मुकाबले में 1975-76 में बढ़कर एक हजार हो गए और माइनर मिनरल्स 2231 से बढ़कर 2250 हुए हैं। इसी तरह से आर०सी०आर० में भी बढ़ोतरी हुई है। मिनरल वेल्थ को असेस करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, कि हम मिनरल वेल्थ का पूरी तरह से सर्वे करा सकें, प्रास्पेक्टिंग करा सकें और उसके बाद इस बात का अंदाजा लगा सके कि हमारे पास कौन-कौन से मिनरल्स उपलब्ध हैं; कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका किस तरह से एक्सप्लाइटेशन हो सकता है। यह जानना जरूरी है। इसके लिए खनिज विभाग से करीब 25-30 खानों का हर साल प्रास्पेक्टिंग किया जाता है और उसके कारण ही हमने पिछले सालों में बहुत से मिनरल्स का अंदाजा लगाया है उसके आधार पर उद्योग भी पनपे हैं।

जिन मिनरल्स की पिछले दिनों में प्रास्पेक्टिंग के जरिए राजस्थान के भू-गर्भ विभाग के प्रयासों से जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मिनरल राक फास्फेट है जिससे हमारे राजस्थान में काफी आमदनी उपलब्ध होने लगी है, करीब 10 करोड़ की आमदनी पिछले साल हुई है। यह हमारी इन्कम का बहुत समय से बड़ा सोर्स रहने वाला है। उसके अलावा हमने लाइमस्टोन की डिपाजिट्स को जगह-जगह पर प्रास्पेक्टिंग किया, उनका पता लगाकर और लाइम स्टोन की डिपाजिट्स पर तीन कारखाने सीमेंट फैक्ट्री के लग चुके हैं। उदयपुर में सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान के भू-गर्भ विभाग के प्रास्पेक्टिंग से जो पता लगा और जो डिपाजिट्स का पता लगा, उसके आधार पर कायम हुई निम्बाहेड़ा में कायम हुई। इसी तरह से चित्तौड़गढ़ में भी कायम हुई। इसके अलावा शम्भूपुरा और नीम का थाना, ब्यावर, सिरोही में बहुत सी जगह लाइमस्टोन डिपाजिट्स का पता लगा है। और बहुत सी पार्टीज इन्ट्रेस्टेड भी हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट की कठिनाई की वजह से, फिनिस्ड प्राडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट करने की दिक्कत होने से जितनी तेजी से फैक्ट्रीज लगनी चाहिये वह नहीं हो पाया है लेकिन फिर भी किन्हीं जगह आने वाले समय में सीमेन्ट फैक्ट्रीज आ सकती हैं तो 3-4 जगह पर माइनिंग लीसिज के लिए एप्लाई किया हुआ है। यहां पर सीमेन्ट फैक्ट्रीज इन्ट्रेस्टेड हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : बूंदी ?

श्री जुझारसिंह : बूंदी और चित्तौड़गढ़ के बीच में भी डिपाजिट्स हैं लेकिन बूंदी में कम्यूनिकेशन की फैसिलीटीज नहीं हैं, रेल्वे की सुविधा न होने से कोई पार्टी इन्ट्रेस्टेड नहीं है लेकिन मुंडक में पार्टीज इन्ट्रेस्टेड हैं क्योंकि रेल्वे की फैसिलिटी और पानी की फैसिलिटीज हैं। पार्टीज ने माइनिंग लीसिज के लिए एप्लाई किया हुआ है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान में अधिक तादाद में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। मैंने अभी जैसे बताया प्रास्पेक्टिंग में जहां जहां पर डिपाजिट्स के बारे में पता लगा सकें, वह ऐसी जगह पर हो जहां पर एक्सप्लाइटेशन की सहूलियत से किया जा सकता हो, वहां पर औद्योगीकरण हुआ है। हिंदुस्तान कापर में पिछले दिनों

(श्री जुझारसिंह)

काफी विकास हुआ और पिछले साल उत्पादन भी शुरू हुआ। वह भी स्टेट की आमदनी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। पिछले साल राजस्थान राज्य को 19 लाख की रायल्टी की आमदनी हुई। उसी तरह से हिन्दुस्तान जिंक का उत्पादन पिछले दिनों में बढ़ा है और डिपाजिट्स मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के रूप में है जो काम में लिए जा रहे हैं, उससे राजस्थान को 90 लाख की आमदनी मिली है। ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़ेगा और ज्यादा इन्कम का सोर्स राजस्थान को होगा.... उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में बहुत माइनिंग रोड्स के बारे में कहा गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि माइनिंग रोड्स होनी चाहिये। और माइनिंग डिपार्टमेंन्ट द्वारा बनायीं जानी चाहिये। लेकिन हमारे पास धन की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण हम माईनिंग रोड्स सभी जगह पर नहीं बना सकते हैं हालांकि पिछले साल जब माननीन सदस्यों ने इस बारे में कहा तो हमने इसके लिये कुछ धन राशि उपलब्ध करायी। और उसके अन्तर्गत कुछ सड़कें बनी भी थीं। हमारे यहां माइनिंग रोड्स की मांग को देखते हुए हमारे यहां पर टोटल राजस्थान में 800 किलोमीटर की सड़कें बनायी जानी चाहिये और इतनी लम्बी सड़कें बनाने के लिये हमारे पास बहुत अधिक पैसा चाहिये। यह एक बहुत बड़ी डिमान्ड है और इतनी बड़ी डिमान्ड को माइनिंग डिपार्टमेंन्ट पूरी नहीं कर सकता है। हालांकि मैं यह मानता हूं कि अगर यह रोड्स बन जावे तो इन माईनिंग रोड्स से प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। यह माइनिंग रोड्स बहुत ही प्रोडेक्टिव होती है और इससे माइन्स में बढ़ोतरी होती है और इससे रोयल्टी भी बढ़ती है। इस बात को मैं महसूस करता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल 16 लाख रुपये की रोड़ इन माइन्स को लिन्क करती हुई बनायी है। और इस साल हमने 19 लाख रुपये का प्रावधान इन माइन्स रोड्स के लिये रखा है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन माइनिंग रोड्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये ताकि प्रोडेक्शन बढ़े। इसके अच्छे रिजल्ट्स आये हैं। लेकिन छोटे छोटे एरिया में तो सड़कें जो बनायी गयी हैं इसमें झालावाड़ के क्षेत्र में खानों के नजदीक बनायी है इससे प्रोडक्शन बढ़ा है और कोस्ट के अनुरूप में बहुत अधिक फायदा हुआ है। माननीय सदस्यों ने जो प्रोपोजल्स रखे हैं उन सभी को राज्य सरकार नहीं मान सकती है लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि माईनिंग डिपार्टमेन्ट धीरे धीरे खर्चा करके माइनिंग रोड्स बनायी जायेगी। पहले राज्य सरकार छोटे-छोटे रोड्स के कार्य हाथ में लगी जो कि माइन्स के एडज्योनिंग है। यह वह रोड्स है जोकि तीन चार किलोमीटर्स के नजदीक है। लेकिन कहीं-कहीं पर 20 किलोमीटर्स दूर है तो उसके लिये समय लगेगा। हम खुद इसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और राज्य सरकार को अधिक से अधिक लाभ हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करता हूं कि मैंने काफी समय ले लिया है और मेरे बाद वित्त मंत्रीजी भी बोलेंगे तो मैं अधिक न कह कर थोड़ासा ही निवेदन कर एक बात जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने सदन में बार-बार कहा रॉक फास्फेट के बारे में। मैं माननीय सदस्यों

(श्री जुझारसिंह)

की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि रॉक फास्फेट के प्रोडक्शन में काफी सुधार हुआ है पहले यहां पर थोड़ी डिफीकल्टी आयी थी, लेकिन अब काफी बढ़ा है। और हमारी क्षमता भी अधिक हो गयी है और हम इसका अधिक प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रॉक फास्फेट के प्रोडक्शन को डवलप करने के लिये सात करोड़ रुपये की मशीनरी हमने विदेशों से मंगायी है, और तीन करोड़ रुपये की मशीनरी के ऑर्डर दिये हुए हैं। इससे हमारे यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। अब हम इस पोजिशन में आगये हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाये और इसकी डिमान्ड भी बढ़ सकती है। पिछले दिनों उपाध्यक्ष महोदय; झामर कोटड़ा में और मशीनरी थी, उससे हमने एक लाख चालीस हजार टन रॉक फास्फेट माइन्स से प्राप्त किया। उसमें 40 और 50 हजार और हैं, बाकी ओवर बर्डन काफी था। उसको भी निकाला गया। वह कुल 14 लाख टन था पहले हमारे यहां पर इसकी समस्या हो गयी थी, लेकिन अब इस समस्या का हल निकल गया है और हम अब इस पोजिशन में हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना चाहिये। इसके अलावा अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और अपना माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विजयसिंह : भीलवाड़ा जिले में माइका बहुत होता है उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। जबकि वह दो हजार रुपया पर किलोग्राम बिकता है। भीलवाड़ा रिचेस्ट है माइका में। उसके लिये आपने जवाब नहीं दिया।

श्री ओंकारलाल चौहान : What about concessions to scheduled caste and scheduled tribe lease holders ?

क्या आप इस पर भी प्रकाश डालेंगे।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों ही इम्पोरटेन्ट मसले हैं। अभी जैसा कि मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ....

श्री विजयसिंह : मांडलगढ़ नहीं मांडल।

श्री जुझारसिंह : मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने माइका की प्रोबलम के बारे में कुछ मेरा निवेदन है कि अभी हमारे डाइरेक्टर माइन्स एण्ड ज्योलोजिकल सर्वे के दिल्ली गये थे उन्होंने वहां इस मामले को डिसकस किया और मिटको से बात की और राज्य सरकार ने उनकी मंजूरी भी दे दी। उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो उन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसके बारे में यह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब के लोगों के बारे में क्या किया गया। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जबसे 20 सूत्री कार्यक्रम को हाथ में लिया है उसके बाद में राज्य सरकार ने उनको बहुत अलॉटमेंट किये हैं लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल के पहले हमारे यहां पर 253 लोगों के पास माइन्स लीज थी। अब उसके मुकाबले 487 लोगों को दिया गया है। इस प्रकार 22 प्रतिशत लोगों को दिया।

(श्री जुझारसिंह)

और आर० सी० आर० में दस हजार लोगों में से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स लोग 7323 हैं और शोर्ट टर्म परमिट का जहां तक सवाल है 191 लोगों को पहले परमिट दिये गये थे लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल करने के बाद 1071 लोगों को एस० टी० पी० के लीजेज दिये हैं जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स तथा हाथ से काम करने वाले लोगों को दिये हैं।

(श्री ओंकारलाल चौहान के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : जब मन्त्रीजी जवाब दे चुके, तब आप पूछ लेना।

श्री जुझारसिंह : इसमें आर० सी० आर० एण्ड माइनर मिनरल में शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राईब्स के लोगों को लीजेज दी है और अब उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : उनको खानों के पट्टे दिये या नहीं और उन्हें खान को लीज पर देने के लिये क्या आपने रूल्स में प्रोविजन रखा है।

श्री जुझारसिंह : रूल्स के तहत किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में आबकारी विभाग और पी० एच० ई० डी० विभाग की मांगों के सम्बन्ध में कट मोशन के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने शराब बन्दी के बारे में आबकारी विभागों की मांगों के सम्बन्ध में पी० एच० ई० डी० विभाग की मांगों पर और ज्यादातर पानी की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किये। इन सभी माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनको उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी पसन्द के अनुसार अपने विचार व्यक्त किये। जिन माननीय सदस्यों को शराबबन्दी पसन्द थी उन लोगों ने शराबबन्दी के बारे में ज्यादा बल दिया। जिनकी पसन्द पानी पर थी उन्होंने पानी पर ज्यादा बल दिया। जैसा कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शराब के बारे में...

मैं ज्यादा बातें नहीं जानता हूं। उन्होंने शराब के बारे में अपनी अनभिज्ञता पैदा करते हुए पानी के प्रति ज्यादा प्रिफरेन्स देना पसन्द किया। और समय रहा और आपने मेरा मुख बन्द नहीं किया, माननीय सदस्यों का मुख बन्द हो जाता है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आज तो वित्त मन्त्री का मुख बन्द होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक जहां तक ग्रामीण जल प्रदाय योजना का सम्बन्ध है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1320 गांवों के लिये हम योजना बना चुके हैं और उनमें 23 लाख 24 हजार जनता को लाभ मिला है और सारे राजस्थान में 11.55 प्रतिशत को लाभ मिला है। चतुर्थ योजना तक जितने काम किये, उसके बाद 74-75, 75-76 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई उसमें हमने इसको बढ़ाकर जहां 1320

(श्री चन्दनमल वैद)

गांव थे, 2476 कर दिये यानी करीब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक और पांचवी योजना के प्रथम वर्ष तक 1320 गांवों में जहां जल प्रदाय योजना थी वहां केवल 1100 और कुछ गांवों को फायदा पहुँचाया था और जहां 24 लाख को फायदा पहुँचा था वहां अब 37 लाख का फायदा पहुँचा है उस समय 11.55 प्रतिशत ग्रामीण जनता को लाभ मिला था वह बढ़कर अब 17.40 हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जानता हूँ कि राजस्थान में पीने के पानी जैसी समस्या है। उस समस्या को देखते हुए हमें बहुत कुछ काम करना है लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ जो हमारे वित्तीय साधन है; उनको देखते हुए जो कदम हम उठा रहे हैं वह काफी नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं - मैंने कोशिश की है और जो दूसरे प्रदेशों के बजट आये हैं इस साल में अध्ययन करूं और देखूं तो मैंने देखा है जितना राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर पैसा खर्च कर रहा है उतना दूसरी जगहों पर नहीं हो रहा है। हम इस बात को समझते हैं कि हमारे यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है और उसको हल करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब साधन जुटाने की बात आती है चाहे अमीरों पर ही टेक्स लगाया जाये लेकिन इस सदन में जो अमीर पर टेक्स लगता है, वह गरीब हो जाता है। पिछले साल मैंने हलवाइयों से साधन जुटाने की कोशिश की तो सदन के हर माननीय सदस्य चिल्लाने लग गये कि आपने छोटे-छोटे हलवाईयों पर टेक्स लगा दिया और यहां तक माननीय सदस्यों ने कहा कचोरी बेचने वाले पर टेक्स लगा दिया, भुजिये बेचने वाले पर टेक्स लगा दिया और आज जब उन किसानों पर टेक्स लगाया जिनके पास सिंचित भूमि है तो माननीय सदस्य कहने लगे किसान पर टेक्स का इतना बोझ डाल दिया कि उसकी कमर टूट जाएगी और जब विकास करने की बात आती है तो कहते हैं तेजी से विकास क्यों नहीं करते हैं। आखिर उपाध्यक्ष महोदय; साधन बनायेंगे तब ही तो विकास कर पायेंगे। माननीय सदस्यों का कहना कि आजादी के 28 वर्ष बाद भी पीने का पानी नहीं दे सके यह मैं भी सोचता हूँ लेकिन हमारे साधन जितने हैं उतना ही तो कर पायेंगे। हमारी कोशिश तो यह है कि हर गांव में पीने का पानी मुहय्या करें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय; जिन गांवों में आज पीने के पानी की समस्या है। चाहे खारा पानी हो, चाहे खराब पानी निकले और चाहे दूर से पानी लाना पड़े और जिस पानी से नहाने से रोग पैदा हो जाते हैं वह भी हम करें तो आज की कीमतों के अनुसार 222 करोड़ की आवश्यकता होगी। आज हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, आज जो प्लानिंग कमीशन ने मन्जूर किया है वह 6 करोड़ किया है। हमने बड़ी मुश्किल से साधन जुटाये हैं और साधन जुटाकर कोई पैसे को खजाने में नहीं डाला है बल्कि जितने साधन जुटाये हैं सामाजिक आवश्यकता में लगा दिये और उसमें से दो करोड़ रुपया हमने ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं में भी खर्च किया है। इसके बजाय बल्कि माननीय सदस्य मुझे यह कहते और साधन जुटाये और खर्च करें तब तो ठीक था लेकिन जब मंत्री साधन जुटाने की बात करता है तो उसको हर

(श्री चन्दनमल वैद)

माननीय सदस्य उलाहना देते हैं और जहां विकास की बात आती है वहां कहते हैं विकास नहीं कर रहे।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा आप हमारी मदद कीजिये, आप भी समस्या हल करना चाहते हैं और मैं भी समस्या हल करना चाहता हूं तो उन समस्याओं को हल करने के लिये सरकार के हाथ मजबूत कीजिये और फिर उलाहना दीजिये कि आपने काम नहीं किया तब तो आपका उलाहना वाजिब है। हम सभी विकास करना चाहते हैं लेकिन विकास के लिए साधनों की आवश्यकतायें हैं और साधनों की आवश्यकतायें तभी पूरी हो सकती हैं जब सब माननीय सदस्यों का सहयोग हो।

यह भी कहा गया कि शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम ध्यान दिया जा रहा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक यह बात थी, हम शहरों में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे और गांवों में कम पैसा खर्च कर रहे थे लेकिन मैं आपको बताऊं 73-74—74-75 और 75-76 के बजट की तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूं तो स्पष्ट है कि ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं पर अब अधिक खर्च हो रहा है और शहरी इलाकों पर कम कर रहे हैं। हम जो शहरी लोगों पर खर्च कर रहे हैं वह है 2 करोड़ 92 लाख और देहातों में जो हम खर्च कर रहे हैं वह है 8 करोड़। इससे मालूम होगा आज हमारा जोर देहातों में खर्च करने की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय; यह भी नहीं है कि शहरों में पानी की सारी सुविधायें पर्याप्त हो गई हों, ऐसी बात नहीं है। आज अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर, जयपुर और दूसरे शहरों में पानी की समस्यायें हैं ? और यह भी हो सकता है कि किसी शहर में पानी की अभी समस्या नहीं हो लेकिन वहां भी पानी की समस्या निकट भविष्य में होने वाली है। किशनगढ़, नसीराबाद, निम्बाहेड़ा में है और यह स्थिति बहुत जल्दी जयपुर और बीकानेर में भी आने वाली है। लेकिन हम यह जानते हैं कि किसी जगह 15-20 गैलन प्रति व्यक्ति पानी दे रहे है तो कहीं 1-2 गैलन ही पानी दे रहे हैं तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जिनको कम पानी दे रहे हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें और जिनको ठीक ठीक पानी दे रहे है उनकी तरफ कम ध्यान दें।

झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या, अभी यहां नहीं है वे कह रही थीं विवेक से काम किया जाय। शहरों और गांवों में काफी भेद कर रखा है। यह बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, और मेरे लिये यह कहा कि मैं शहरी कान्स्टीट्यूएन्सी से आ रहा हूं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मेरी कान्स्टीट्यून्सी का 70 प्रतिशत हिस्सा देहात में है और उस देहात में है जिसमें पीने का पानी नहीं है, क्योंकि जब बजट पर सामान्य वाद-विवाद हो रहा था तो मेरे जिले के माननीय सदस्य ने आरोप लगाया था कि सारे राजस्थान का पैसा चूरू जिले में तारानगर में खर्च हो रहा है लेकिन मैं इस समय यही अर्ज करना चाहता हूं शहरों और गांवों में कोई विवेक का सवाल नहीं है। हमारी ज्यादा आबादी देहातों में रहती है।

(श्री चन्दनमल वैद)

आज एक प्रश्न यह उठता है मनुष्यों के लिये तो पीने के पानी का इन्तजाम कर रहे हैं लेकिन पशुओं के लिये पीने के पानी का इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। आगे के लिये हमने सोचा है 10 गैलन प्रति व्यक्ति मनुष्यों के लिये इन्तजाम करेंगे तो पांच गैलन पानी प्रति पशु के लिये भी इन्तजाम करेंगे जिससे पशुओं का पालन हो सके। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, धन की कमी तो है ही लेकिन पानी की भी कमी है। लाख कोशिश करने के बाद हजारों गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन के नीचे पानी नहीं है और यदि पानी निकल भी जायगा तो वह खारा निकलेगा, पीने लायक नहीं निकलेगा और यदि ज्यादा खोदा गया तो अधिक गहराई तक जाते जाते पानी का स्वाद खराब हो जाता है और फिर स्थिति यह है कि एक आदमी को एक गैलन, आधा गैलन पानी मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है जहां पानी कम है, लोग पानी का उपयोग बहुत अच्छी तरह करते हैं नहाते नहीं है, बेकार पानी नहीं जाने देते हैं लेकिन ज्योंही जलप्रदाय योजना लागू होती है लोग उसका ज्यादा उपयोग करने लग जाते हैं और अपनी कम पानी वाली आदत को छोड़ देते हैं। नीचे का पानी खारा होता है, इसलिये इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि पैसे की भी कमी है और पानी की भी कमी है। अगर पानी मिल जाय तो शायद पैसा तो हम भारत सरकार से या वर्ल्ड बैंक से लड़ झगड़कर ले आयें। अभी जयपुर की बात चली। जयपुर में पानी रामगढ़ बन्ध से सप्लाई होता है और हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि अभी माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उन्होंने ही जयपुर की बात की और सिंचाई के पानी के लिये शिकायत की। हम चाहते हैं रामगढ़ बन्ध में पानी रिजर्व रखें लेकिन शिकायत यह रहती है कि सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता है। जहां ट्यूब वेल खोद रहे हैं वहां भी किसानों की शिकायत है कि ज्योंही ट्यूबवेल खोदते हैं उनका वाटर लेवल गहरा हो जाता है। इस तरीके से समस्या यह होती है कि जयपुर के लिये पानी कहां से लायें। बनास की स्कीम हाथ में लें, पहले यह 24 करोड़ की स्कीम थी, अब 35–40 करोड़ और न जाने कितनी होगी। अजमेर के लिये नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर के लिये बनास से पानी ला रहे हैं, वहां पर पानी उपलब्ध है। इस सारे कामों के लिये कितने करोड़ रुपये की धन राशि चाहिये इस सारे पैसे का अन्दाज लगाते हैं तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि इतनी धनराशि कहां से आवेगी हम यह कोशिश करते हैं कि जितना पैसा निकाल सकें, निकालें। वर्ल्ड बैंक, एल. आई. सी. जहां से भी मिल सकता है जलप्रदाय योजनाओं के लिये लायें और इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बिसलपुर की 24 करोड़ की योजना थी जो 6 शहरों के लिये थी इसमें और कहां से बढ़ गये?

श्री चन्दनमल वैद : बिसलपुर की योजना सिंचाई और पीने का पानी दोनों के लिये थी। सिंचाई विभाग ने इससे हाथ खींच लिया क्योंकि यह योजना दोनों के लिये संभव नहीं हो सकेगी। इस योजना को दो हिस्सों में संशोधित करके रखा गया। एक टोंक पर एक बांध बांध कर और एक

(श्री चन्दनमल वैद)

अजमेर के पास बांध बना कर पानी की व्यवस्था की जाय यह योजना बनायी गयी। इसको अलग अलग टुकड़ों में क्रियान्वित करें जिससे जयपुर और अजमेर का भी काम हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग ने पिछले जैसा मैंने अर्ज किया दो साल में जितने काम किये हैं उतने काम पहले नहीं किये गये। और राहत पहुंचाने की कोशिश की। छोटी मोटी त्रुटियां होना स्वाभाविक है और माननीय सदस्य जब कभी शिकायत करते हैं कि विभाग में यह गलती है, तो मैं ही नहीं सारा विभाग उन शिकायतों को दूर करने की बराबर कोशिश करते रहे हैं। इस विभाग में समुचित तत्परता से काम किया है। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया कि बकाया पड़ा है और आप वसूल नहीं करते हैं वरना धन की कमी नहीं रहेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मार्च, 1975 तक हमारा जो लेना बाकी था वह था 25 लाख 17 हजार। यह बकाया था। उसमें से हमने सितम्बर 1975 तक 12,29,000 रुपये वसूल कर लिये हैं। कुल बकाया अब मुश्किल से 12, 13 लाख के करीब है। मैं समझता हूं कि अगले साल इसमें से काफी वसूली कर लेंगे सिवाय उन लोगों से जो कि लापता हैं और भाग गये हैं। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य रोज राजा महाराजाओं के लिये कहते हैं और जब तक वे इनके बारे में वे न कहें उनका भाषण पूरा नहीं होता है। राजा महाराजाओं में कुल बकाया राशि 17 लाख 23 हजार थी जो अब तक 6 लाख 76 हजार रह गयी है और यह हाईकोर्ट के स्टे के कारण से है। यह वसूली भी कर लेते तो क्या बहुत बड़ी रकम हो जाती यह चार्ज लगाया जाय कि पैसा वसूल नहीं किया इसलिये काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह वाजिब बात नहीं है।

जल विभाग के जो दूसरे एरीयस हैं इस विभाग ने उन चार्जेज को वसूल करने में बड़ी मुस्तैदी दिखायी है। पिछले साल 4,56,60,000 रुपये वसूल किये गये और इस साल 5 करोड़ 27 लाख की वसूली हम कर लेंगे। यह मैं इस विभाग के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा इमरजेन्सी लगने के बाद बहुत से डिपार्टमेन्ट्स यह एलान कर रहे थे कि हम हड़ताल नहीं करेंगे जब कि जल प्रदाय विभाग इमरजेन्सी से पहले ही, और यह पहला ही विभाग था कि इसने इमरजेन्सी लगने से पूर्व ही यह घोषणा कर दी थी हम पांच साल तक हड़ताल नहीं करेंगे। इस विभाग की ओर से कोई हड़ताल अब तक नहीं हुई और जनता की सेवा करना यह विभाग अपना कर्तव्य समझता है और वह ऐसे कामों में भाग नहीं लेगा जहां जनता को असुविधा हो और उसके बाद सरकार ने भी घोषणा की कि एक हाई लेवल कमेटी बिठायी गयी है जिसमें मजदूरों और सरकार के प्रतिनिधि होंगे और उसका चेयरमेन पी. एच. ई.डी. का मिनिस्टर होगा। अब तक इस विभाग का उस हाई लेवल कमेटी के पास एक भी मसला नहीं पेश किया गया है जिसमें इस कमेटी को फसला करने की नौबत आये। उसमें आने से पहले ही मजदूरों के मामलों में फैसला हो जाता है और यह खुशी की बात है।

(श्री चन्दनमल वैद)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने दबी जबान से कहा कि वित्त मंत्री चूरू जिले से आते हैं उसकी समस्या हल हो गयी होगी। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बाड़मेर में आज तक जलप्रदाय के लिये योजना के लिये 3,17,26,000 रुपये की योजना मंजूर हुई है। इसी प्रकार से बीकानेर के लिये 1,84,56,000 रु. की योजना मंजूर हुई। चूरू के लिये 2,91, 30,000, जैसलमेर 183,03,000 जालोर 2,46,22,0 0 झुंझुनू 1,26,00, 000, जोधपुर के लिये 3,16,69,000 पाली में, जिसके लिये सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिकायत कि थी कि चूरू जिले की समस्या को तो आपने हल कर दिया बाकी की समस्याओं के लिये क्या हुआ, उनको मैं यह निवेदन कर दूं कि पाली जिले के लिये 2,39,32,000 रु. की योजना मंजूर हुई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चूरू जिले में कोई खास पानी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल वैद : चूरू जिले में कैसा पानी है वह तो जयपुर के लोग देख ही रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि चूरू जिले में पानी के लिये ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। मैं सारे जिलों के लिये मंत्री हूं और केवल चूरू जिले के लिये ही नही हूं और मैं यह देखता हूं कि राजस्थान में जहां कहीं भी ज्यादा समस्या है वहां पर ज्यादा खर्च किया जाय और किसी प्रकार से पैसे का आवंटन किया जाय जिससे कि वह समस्या मिटे।

अब आप चाहें तो मैं यह भी अर्ज कर सकता हूं किस-किस जिले में कितना-कितना पैसा खर्च किया गया है।

बाड़मेर 286,92,000, बीकानेर 1,89, 95,000, चूरू, 2,84,07,000, जैसलमेर 1,82,99,000, जालोर में 2,34,20,000 झुंझुनू 1,40,47,000 जोधपुर 2,90 65,000, नागौर 2,85,81,000 और पाली में 2,72,28,000।

इस तरह से आप देखेंगे कि जहां जहां पानी की समस्या देहात में हुई है वहां ज्यादा धन राशि खर्च करने की कोशिश की है। एक बार सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिकायत की थी चूरू में ज्यादा खर्च हो रहा है और नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तारा नगर में सारा पैसा खर्च कर दिया। जो जमीन पर सोते हैं वे भी इस प्रकार कहें तो असत्य की सीमा नहीं है। जब से मैं फाइनेन्स मिनिस्टर बना हूं 1972-73 में सारे जिलों का और किस किस तहसील में कितना कितना पैसा खर्च हुआ उसके आंकडे मैंने निकलवाये हैं और वह मैं यह सदन में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये प्रस्तुत करूंगा

श्री खेतसिंह : मान गये।

श्री चन्दनमल वैद : मुख्य सचेतक मान गये। लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी में न लाऊं तो उनको बराबर शिकायत बनी रह जावेगी।

(श्री चन्दनमल वैद)

डूंगरगढ़ 72;73;74,75 आज तक जो खर्चा हुआ है वह 57 लाख 85 हजार रुपया, सरदार शहर में चार साल में जो खर्चा हुआ है वह है 37,98,000 रुपया। चूरू में 45,88,000 रुपया खर्च हुआ और तारानगर में 2,14,000 रुपया खर्च हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : बहुत कम है।

श्री चन्दनमल वैद : हां, बहुत कम है। इसका कारण है कि वहां जमीन के नीचे पीने का पानी है ही नहीं इसलिए वहां कोई योजना बन ही नहीं सकती।

एक माननीय सदस्य : पानी ही नहीं था।

श्री चन्दनमल वैद : एक जगह था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारा भी यही कहना था कि तारानगर में पानी है ही नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : इसलिए वहां एक लाख की आबादी को जहर देकर मार देना चाहिए। यही मतलब है ? तो यह बात सदन में कहना कि चूंकि वित्त मंत्री तारानगर कान्स्टीटुएन्सी से जीतकर आये हैं इसलिए सारा पैसा तारानगर में खर्च हो रहा है यह नितान्त असत्य बात है। जहां कुल 57 लाख रुपया खर्च हुआ उसमें से तारानगर में 2 लाख की राशि खर्च हुई है यह साबित करता है कि जमीन पर सोने वाले की ओर असत्य भाषण बोलने वाले की कोई भी लिमिट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पानी की समस्या के बारे में विभिन्न माननीय सदस्यों ने काफी अपने विचार प्रकट किये हैं। बहुत सी जगह जहां पानी की योजनाएं अभी तक मन्जूर नहीं हुई हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों ने विभिन्न विचार प्रकट किये हैं। कुछ का कहना है कि जिला आयोजना समिति से मन्जूरी होते ही योजना मन्जूर हो जानी चाहिए। झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि जिला आयोजना समिति का चक्कर ही आपको समाप्त कर देना चाहिए....

श्री प्रद्युम्नसिंह उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत से लोगों की मांग है। आपकी जिला आयोजना समिति में कोई काम नहीं होता है और काफी दिक्कतें और परेशानियां होती हैं....

श्री चन्दनमल वैद : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मेरे बीच में दखल न दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इस सिस्टम को समाप्त क्यों नहीं कर देते। जिला आयोजना समिति की मीटिंग बुलाई जाती है और हमें इन्फार्म नहीं किया जाता है।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जिला आयोजना समिति में कौन बैठते हैं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यह फालतू है और कोई काम नहीं करती है....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह जिला आयोजना समिति की अच्छी व्यवस्था है और इस तरीके को अपनाना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कई बार तो मीटिंग ही नहीं बुलाते हैं....

श्री शंकरलाल : किसी जगह मीटिंग नहीं बुलाई होगी। पूरे राजस्थान में ऐसा नहीं है। यह गलत है। डेमोक्रेटिक तरीका वही होगा कि जिला स्तर पर योजना बनकर आये और वहां के एम० एल० ए० और इन्जीनियर मिल कर योजना बनायें यह बिलकुल सही तरीका है।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो जिला स्तर पर निर्णय होते हैं उनको भी ठीक ढंग से गवर्नमेन्ट के पास नहीं भेजा जाता है। उसमें जिला कमेटियां गड़बड़ियां करती हैं।

श्री चन्दनमल वैद: उस जिला आयोजना समिति में कौन है? माननीय सदस्य हैं, कलेक्टर हैं या फिर सलाह देने के लिए हमारे इन्जीनियर्स हैं। वैसे इन्जीनियर्स उस कमेटी के मेम्बर नहीं हैं, वोट वह करते नहीं हैं लेकिन वह सिर्फ सलाह देने के लिए हो है अब गलती होती है तो मैं माननीय सदस्यों से यही कहूंगा कि जहां बैठते हैं उस कमेटी में भी गड़बड़ियां होती हैं तो मेरे लिए कोई चारा नहीं है। मैं तो केवल यही कहूंगा कि इससे बढ़ कर प्रजातान्त्रिक तरीका नहीं हो सकता कि सारे जिलों की योजनायें जिला आयोजना समिति से बन कर आयें और वह उनको हम स्वीकार करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1975-76 में जितनी भी योजनाएं मन्जूर हुई हैं वह सारी की सारी योजनायें जिला आयोजना समिति द्वारा मन्जूर होकर आई हैं और उसके अलावा एक भी योजना मन्जूर नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए शराब के प्रकरण पर भी आना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि शराबबन्दी इसलिए नहीं की जा रही है कि शराब से आने वाली आय को सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। शराब से सरकार को आय तो होती है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और इस दूसरे पहलू को माननीय सदस्य नजर-अन्दाज कर रहे हैं। वह दूसरा पहलू यह है कि जब तक हमारे प्रान्त के चारों तरफ ऐसे प्रदेश हैं कि जहां शराबबन्दी नहीं है तो हमारे प्रदेश में शराबबन्दी को लागू करना पूर्णतया सम्भव नहीं है। हरियाणा, पन्जाब, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और मध्यप्रदेश जब तक यह प्रदेश अपने यहां पर शराबबन्दी लागू नही करें हमारे यहां शराबबन्दी लागू नहीं हो सकती। शराबबन्दी केवल सरकार के बन्द करने से नहीं होती, इसके लिए सामाजिक शिक्षा जरूरी है। केवल यह कहते रहें कि हमने शराबबन्दी की घोषणा कर दी तो जो नाजायज शराब बनाने वाले लोग हैं और नाजायज शराब बनाकर बेचने वाले लोग हैं हम उनको प्रोत्साहन देते हैं। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जहां हमारी शराबबन्दी नहीं है वहां भी शराब बनाने वाले लोग हैं और नाजायज शराब बनाने वाले लोग हैं और उनके घरों में पांच पांच सो बोतलें मिल सकती हैं। उन माननीय सदस्य को एक आदमी की ही जानकारी है लेकिन हम तो हजारों केसेज पकड़ते हैं जो कि नाजायज शराब बनाते हैं और नाजायज शराब को बेचते हैं।

श्री विजयसिंह : 11 साल से उसको नहीं पकड़ रहे है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप यह बतायें कि शराबबन्दी में क्राईम का परसेन्टेज कितना बढ़ा है इस बात के आंकड़े तो दें।

श्री चन्दनमल बैद : इस बात के आंकड़े नहीं मिलाये जा सकते कि क्राईम की परसेन्टेज बढ़ गयी या घट गयी लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, और चूरू और नागौर इन 8 जिलों में आज शराबबन्दी है और इन आठों जिलो के माननीय सदस्य प्रतिनिधि यहां बैठे हैं वह मुझे बताने की कृपा करें कि क्या उन 8 जिलों में पहले जितनी शराब बिकती थी या जितनी नाजायज शराब बनती थी उसमें कितनी मात्रा में कमी हुई और वहां नाजायज शराब का धन्धा होता है या नहीं और वहां लोग नाजायज शराब पीते हैं या नहीं और कैसे लोग उसके द्वारा पनप रहे हैं। यह माननीय सदस्य ही बताने का कष्ट करें। मैंने अलग अलग माननीय सदस्यों से बात करने की कोशिश की है और मैं साफ तौर से अर्ज करना चाहता हूं कि शराबबन्दी के पक्ष में सरकार है। लेकिन साथ ही सरकार यह भी चाहती है कि अगर शराबबन्दी से नाजायज शराब बनाने वालों को प्रोत्साहन मिलता है तो वह सरकार नहीं चाहती सरकार यह चाहती है कि नाजायज शराब न तो लोग बनायें ही और न पीयें ही। अगर सरकार अपनी दुकानें बन्द कर दे और कुछ लोग नाजायज शराब बनाय और फिर उसको बेचें तो मैं उसका हामी नहीं हूं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि शराबबन्दी हो इसलिए सरकार ने जो 12 सूत्री कार्यक्रम हमको दिया है उसके ऊपर हम कड़ाई के साथ अमल करना चाहते हैं और कड़ाई के साथ अमल हम करेंगे, यह निश्चित बात है मेरे पास इस समय वक्त नहीं है नहीं तो मैं बताता कि 12 सूत्री कार्यक्रम को पूर्ण रूप में हमने अमल किया है और हम चाहते हैं कि सारा राष्ट्र जिस एक नीति पर चल रहा है उस नीति के रास्ते पर हम भी चलें और उस पर हम चलना चाहते हैं। जहां तक शराबबन्दी का सवाल है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शराबबन्दी में भी राजस्थान सारे प्रदेशों में तीसरे नम्बर पर है गुजरात और तामिलनाडु हमसे आगे हैं और दूसरा कोई भी प्रदेश हमसे शराबबन्दी के मामले में आगे नहीं है और जहां तक 12 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने का सवाल है राजस्थान अधिकांश सूत्रों का पालन कर चुका है। अगर समय होता तो 12 सूत्रों में से एक एक को मैं पढ़कर सुनाता कि हमने उनका कितना पालन कर लिया है। लेकिन आप यह चाहते हैं कि हम अपनी आमदनी छोड़ दें और वह आमदनी खराब लोगों के लिए छोड़दें, उन गुण्डों के लिए छोड़ दें जो कि नाजायज शराब बनाये और उसको बेचें तो यह उचित नहीं होगा। आज चूरू और नागौर में जो हम महसूस करते हैं कि नाजायज शराब गांव गांव में बन रही है। आखिर नाजायज शराब बनाने के लिए कोई बहुत बड़े कारखाने को लगाने की जरूरत नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, यही शब्द कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Page No 132

(132)

मुख बन्द

मांग सं० 27,12,43 व 46 तथा अन्य मांगों का पारण

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुख बन्द का प्रयोग करता हूँ और मांगों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,95,23,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,98,90,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय; को 8, 13, 47,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 23,01,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 50,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 61,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,38,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 के सम्बन्ध में 31 मार्च; 1977 समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 1,97,87,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,51,26;000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 19,04,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 22,85,000- रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय; को 2,02,37,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 के सम्बन्ध में 31 मार्च; 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 86,02,04,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,47,57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,31,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 के सम्बन्ध में 31 मार्च; 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,62;64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,68,45;000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(34)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,43,71,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 53,41,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,45;000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 के सम्बन्ध में 31 मार्च; 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,55,14;000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय वित्त मन्त्रीजी।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष। विचारार्थ के लिए प्रस्ताव नहीं करेंगे?

(विराम)

कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद: आज पारित होने के लिए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 मार्च.........

श्री खेतसिंह: 28 मार्च नहीं साहब, 27 मार्च.........

श्री उपाध्यक्ष: यस 27 मार्च को

श्री खेतसिंह: सोमवार भी नहीं शनिवार को।

श्री उपाध्यक्ष। सदन की कार्यवाही शनिवार दिनांक 27 मार्च को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० 4.36 बजे शनिवार दिनांक 27 मार्च; 1976 को म० पू० 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 386 की सूची

परिशिष्ट "क"

क्रमांक	पंचायत समिति	ऋण आवेदन-पत्र जिन पर एक भी ऋण की किश्त नहीं दी गई है।
1.	सेवर	230
2.	नदबई	57
3.	कामां	106
4.	कुम्हेर	81
5.	नगर	108
6.	रूपवास	203
7.	डीग	133
8.	बयाना	182
9.	वैर	216
10.	बाड़ी	227
11.	बसेडी	174
12.	धौलपुर	7.
13.	राजाखेड़ा	224
		योग.... 1,946

———

(136)

परिशिष्ट "ख"

क्रमांक	पंचायत समिति	एक या अधिक किश्त दिये जाने योग्य है ।
1.	सेवर	43
2.	नदबई	13
3.	कामां	50
4.	कुम्हेर	25
5.	नगर	39
6.	रूपवास	158
7.	डीग	33
8.	बयाना	77
9.	वैर	150
10.	बाड़ी	74
11.	बसेडी	15
12.	धौलपुर	91
13.	राजाखेड़ा	25
	योग....	793

————

परिशिष्ट—2

(ता० प्र० सं० 389 की सूची)

Criteria for declaring Industrially Backward Districts

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominently a producer of foodgrains/cash crops.

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita industrial output (Gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

NAME OF INDUSTRIALLY BACKWARD DISTRICTS IN RAJASTHAN

1. JALORE
2. BANSWARA
3. JHUNJHUNU
4. DUNGARPUR
5. NAGAUR*
6. CHURU*
7. ALWAR*
8. TONK
9. UDAIPUR*
10. JODHPUR*
11. SIROHI
12. JHALAWAR
13. SIKAR
14. BHILWARA*
15. JAISALMER
16. BARMER.

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 399 की सूची)

मधुमती पत्रिका के सम्पादक तथा उनको देय राशि और अवधि का विवरण

क. सं.	नाम संपादक	अवधि	प्रदत्त मानदेय
1.	डा० मोतीलाल मेनारिया	अप्रेल, 60 से 62	निः शुल्क
2.	डा० सोमनाथ गुप्त	जून 63 से दि० 63	,,
3.	डा० शान्तिलाल भारद्वाज	अक्तूबर 64 से	,,
4.	डा० शान्तिलाल भारद्वाज 150) रु० प्रतिमाह	अप्रेल 65 से अप्रेल 69	7650–00
5.	डा० पुरुषोतमलाल मेनारिया	मई-जून 69	निः शुल्क
6.	श्री प्रकाश आतुर (कार्यकारी संपादक)	जुलाई 69 से मार्च 70	,,
7.	श्री जनार्दनराय नागर	अप्रेल 70 से मार्च, 72	,,
8.	श्री मंगल सक्सेना 350) रु० प्रतिमाह	अप्रेल 72 से मई, 75	13,300-00
9.	डा० राजेन्द्र शर्मा 200) रु० प्रतिमाह	जून-अगस्त, 75	400-00
10.	डा० नवल किशोर	अगस्त, 75 से जून 76;	1200-00
11.	श्री जुगमंदिर तायल	फरवरी 76 से मार्च, 76	200-00

मधुमती पत्रिका का आय-व्यय का विवरण

सत्र 1	व्यय 2	ग्राहकों से आय 3	विज्ञापनों से आय 4
60-63	12256-79	212-00	
63-64	875-44	89-85	
64-65	4902-00	225-00	
65-66	20763-00	2430-00	
66-67	18819-13	8469-00	

1	2	3	4
67-68	22924-39	9248-00	
68-69	20433-00	10971-00	
69-70	28510-41	6141-00	
70-71	15269-57	5923-00	266-90
71-72	7738-60	4851-00	73-31
72-73	7118-55	5183-00	213-52
73-74	10921-50	3291-00	219-42
74-75	24999-96	13324-18	457-88
योग	195145-34	70358-03	1231-03

(140)

परिशिष्ट

(स्थगित प्रश्न संख्या

नामान्तकरण पंजिका ग्राम छाण, तहसील

	गत जमाबन्दी (खेवट खतौनी) से शुद्धि करने हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि					
प्रविष्टि क्रम संख्या	गत जमाबन्दी के खाते की संख्या	ओक पट्टी या तरफ का नाम	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप-जागीरदार, मालगुजार, बिस्वेदार या जमीदार) का नाम विवरण सहित	कृषक का नाम विवरण सहित	खेत का क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण	भूमि कर का राजस्व
1	2	3	4	5	6	7
489	खालसा 74		श्री सरकार	श्री भंवरसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत साकिन देह	216/4 13.00 बन्जड़ 1 216/1 4.72 बन्जड़ 1 216/3 13.00 बन्जड़ 1 — 3 किता 30.11)2	11.90 26-2-75

इस आराजी पर दूसरे आसामी काबिज वर्षों से है और उनके पुख्ता कुए बनाए हुए हैं। वैसे यह भूमि पूर्व में अनुसूचित जाति के सदस्य की है, पूर्व में नामान्तकरण गलत तसदीक भंवरसिंह के नाम हुआ है। अतः नामान्तकरण तसदीक होने योग्य नहीं है। पटवारी पूर्व नामान्तकरण की रिपोर्ट करे।

Page No 141

(5)

4

163 की सूची)

खण्डार, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान

नवीन अंकन जो वर्तमान के स्थान पर करना है								
नवीन (चालू) जमाबन्दी के खातों की सं०	थोक पट्टी या तरफ का नाम	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीरदार, मालगुजार, विस्वेदार या जमींदार) का नाम विवरण सहित	कृषक का नाम विवरण सहित	खेत का क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण	भूमिकर या राजस्व	परिवर्तन की किस्म व तिथि विक्रय अवस्था में उसकी कीमत व धरोहर या धरोहर की वापसी की दशा में उसकी रकम	नामांतकरण शुल्क जो लेना है	विशेष विवरण
8	9	10	11	12	13	14	15	16
		श्री सरकार	श्री शिवनारायण पुत्र भेराराम जाट, नरेन्द्रपालसिंह पुत्र रतिपालसिंह ना० बा० सर बाबा रामसिंह पुत्र मंगलसिंह ग्राम तलवनात, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।	216/4 13.00 बन्जड़ 1 216/3 13.00 बन्जड़ 1 2 किता 26.00	10=)॥ बट्टा ॥=) 10॥)।	विक्रय-पत्र रजिस्ट्री नं० 94 कल ता० 3-7-74, जिल्द नं० 8 पृष्ठ सं० 89 से 91 तादादी 1300 रुपये।		सेवामें—निवेदन है कि श्री भंवरसिंह राजपूत ने जरिये रजिस्ट्री बेनामा करा दिया है अतः नामान्तरकरण भरकर पेश है।

पंचायत—छाण

आज नामान्तकरण वास्ते तस्दीक पेश हुआ श्री भंवरसिंह राजपूत, आराजी खसरा नम्बर 216/4 13 बीघा, 216/3 13 बीघा, जरिये रजिस्ट्री श्री शिवनारायण पुत्र भेराराम जाट छाण नरेन्द्रपालसिंह पुत्र रतिपालसिंह बा० वनरक्षक, रामसिंह पुत्र मंगलसिंह को बेच दी है नामान्तकरण स्वीकार है, कागजात में अमल हो।

परिशिष्ट–5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति हेतु टंकण की परीक्षा

401. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डोली)

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर नियुक्ति के लिए टंकण गति की जांच लेना आवश्यक है ? यदि, हां तो कृपया आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने टंकण गति की जांच के आदेश जारी करते समय यह आवश्यक नहीं समझा कि आरक्षित कोटा को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति। जन-जाति के लोगों को टंकण परीक्षा की गति में कुछ निश्चित अवधि की छूट दी जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी टंकण की शर्त के कारण ही इस वर्ग के लोगों को नियुक्त करने में बाधा समझते है और निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो इस शर्त में छूट देने सम्बन्धित आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक की भर्ती के लिए टंकण की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। परन्तु सचिवालय में आवश्यक है। अधिसूचना संख्या एफ 2 (45) डी० ओ० पी०/बी–1/72 दिनांक 7-11-75 की प्रति संलग्न है।

(2) अधीनस्थ कार्यालयों में प्रश्न नहीं उठता लेकिन सचिवालय में कार्य प्रणाली की विशिष्ठता के कारण टंकण जानना आवश्यक है।

(3) जहां तक सचिवालय का प्रश्न है टंकण जानना आवश्यक है किन्तु निर्धारित कोटा पूरा करने के लिए उनको टंकण गति में उदारता बरती जाती है।

Government of Rajasthan

DEPARTMENT OF PERSONNEL (B-I)

Jaipur, November 7, 1975

NOTIFICATION

No. F. 2(45) DOP/B-I/72:—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the

Governor of Rajasthan hereby makes the following Rules further to amend the Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970 namely:—

1. *Short title and commencement*:—(1) These Rules may be called the Rajasthan Secretariat Ministerial Service (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force atonce.

2. *Amendment of Rule 16*:—In rule 16 of the Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970, hereinafter referred to as the principal rules, for the expression "Stenographers and the Vidhi Rachnakar/Translator", the expression "Lower Division Clerks, Stenographers and the Vidhi Rachnakars/Translators" shall be substituted.

3. *Amendment of Rule 17*:—In rule 17 of the Principal rules (a) in sub-rule (1), for the expression "The appointing authority or the Commission, as the case may be", the expression "The Commission" shall be substituted; and (b) In proviso to sub-rule (1), for the expression" 50% of the advertised vacancies, "the expression" 100% in the case of Lower Division Clerks and 50% in case of others of the advertised vacancies" shall be substituted.

4. *Amendment of Rule 19, 20 and 21*:—In rule 19,20 and 21 of the principal rules, for the expression "Appointing Authority or the Commission, as the case may be," wherever occuring, the expression "The Commission" shall be substituted.

5. *Amendment of Rule 22*:—In rule 22 of the principal rules (a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted namely:—

"(1)(a) for the posts of Telephone Operator, the Appointing Authority after interviewing the candidates shall prepare a list of the candidates who are considered suitable for appointment to the posts equal to twice the number of vacancies and arrange their names in order of merit.

(b) For the posts of the Lower Division Clerks, the Commission shall after written examination of the candidates, prepare a list of the successful candidates equal to twice the number of vacancies and arrange their names in order of merit and forward it to the Appointing Authority.

6. *Amendment of Rule 24:*—In rule 24 of the principal rules the following expression shall be added after the expression "specified in column 6 of Schedule I".

"On the 1st day of April preceding the date of selection under rules 25, 26 or 26A".

7. *Amendment of Schedule-1:*—In Schedule-1 Group (A) item at serial number 4 under column 4, the existing paragraph shall be re-numbered as (1) and, a new paragraph shall be added as follows:—

(2) Must have passed the competitive test (Held by the public Service Commission) as mentioned in part IV of Schedule-II.

8. *Amendment of Schedule II:*—In Schedule II of the principal rules, after part–III, the following new part shall be inserted namely:—

"PART—IV"

Competitive Examination for Lower Division Clerks

(Subjects)

1.	General Knowledge	100 Marks
2.	Arithmetic	100 Marks
3.	Hindi	100 Marks
4.	Typewriting in Hindi or English.	100 Marks (Speed Test)

Note:—1. The papers (except item 4) will be of 3 hours duration and minimum pass marks shall be 40%.

Time limit for item 4 will be 10 minutes and the minimum speed of type-writing in Hindi & English will be 20 and 26 words per minute respectively.

The standard of the examination shall be higher Secondary standard and scope of each subject shall be as follows:—

1. *General Knowledge*:—It will include elementary knowledge of History, Geography (with particular reference to Rajasthan), day-to-day science, current affairs and international affairs.

2. *Hindi*:—The papers will be set to test the candidate's proficiency in the language. Besides an essay to be written in Hindi, it may include precis writings, letter writings, use of idioms and translation from English to Hindi.

3. *Arithmetic*:—The paper shall be set to test the speed and accuracy of the candidates in making routine calculations.

4. *English/Hindi Type-writing*:—The minimum speed should be 26 words per minute in English and 20 words per minute in Hindi.

By Order of the Governor,
Sd/—
(T. V. Ramanan)
Special Secretary to Government.

जिला जालोर की ग्राम पंचायतों में सरपंचों एवं उप-सरपंचों के रिक्त पद

402. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में कई ग्राम पंचायतों में सरपंचों एवं उप सरपंचों के पद रिक्त पड़े हैं ? अगर हां, तो कौन-कौन सी पंचायतों के कौन-कौन से पद रिक्त कब से पड़े हैं ?

(2) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति सरकारी आदेशों के अनुसार कब तक कर दी जावेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिला परिषद्, जालोर के प्रमुख का पद रिक्त है ? अगर हां, तो कब से ? उक्त रिक्त पद का चुनाव कब तक करवा दिया जावेगा ?

(4) उक्त क्षेत्र की कौनसी पंचायत समिति में प्रधान या उप-प्रधान के पद कब से रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों के चुनाव कब तक करवाये जाकर पद भर दिये जावेंगे ?

(5) क्या यह सत्य है कि न्याय पंचायतें सरकार द्वारा खत्म कर दी गई हैं ? अगर हां, तो कब से ? जिला जालोर में न्याय पंचायतों के स्थान पर अब कार्य कौन कर रहा है एवं कब से ?

(6) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में कई ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत सचिव भी नहीं हैं ? अगर हां, तो कौनसी पंचायतों में कब-कब से पंचायत सचिवों के स्थान रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरा जाकर ग्राम पंचायतों के कार्य शुरू करवा दिए जावेंगे ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायतों को तेन्दू पत्तों के मुआवजे का भुगतान

403. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्र के चरागाहों में स्थित तेन्दू के पत्तों की उपज का नीलामी द्वारा ठेका देकर लाभ उठाती चली आ रही थी जो राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उस लाभ से वंचित हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसी पंचायतों को तीन साला औसत से मुआवजा देने का निर्णय लिया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय के उपरान्त भी ग्राम पंचायतों को मुआवजे की रकम का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब इस रकम का कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? और अब तक भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) अभी मामला सरकार के विचाराधीन है।

वेयर हाउस, मेड़ता द्वारा आमंत्रित टेण्डर

404. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वेयर हाउस, मेड़ता, जिला नागौर में दिनांक 9-1-76 से 15-1-76 तक रेलवे स्टेशन मेड़ता-सिटी से गोदाम तक खाद रखने हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? अगर हां, तो किसका टेण्डर स्वीकार किया जाकर माल ढोने की आज्ञा दी गई और उसकी रेट क्या थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 9-1-76 को चार टेण्डर आये थे और उन्हीं टेण्डरों को उसी दिन खोल कर एक पार्टी को खाद रेलवे स्टेशन से गोदाम तक ले जाने की लिखित आज्ञा दे दी जिस पर उसने खाद गोदाम तक पहुँचाने का काम 17-1-76 तक पूरा कर सूचना मेड़ता एवं जयपुर कार्यालयों में दे दी ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 15-1-76 आखिरी तारीख को कम रेट के दो टेण्डर आये जिस पर पूर्ण आदेश के अन्तर्गत नियुक्त ठेकेदार को दिनांक 19-1-76 को कम रेट पर काम करने के आदेश दिये गये जब कि माल ढोने का काम वह दिनांक 17-1-76 को ही पूर्ण कर चुका था ?

(4) क्या यह सही है कि माल रेलवे स्टेशन पर दिनांक 11-1-76 को ही पहुँच गया था अतः टेण्डर समय के पूर्व ही डेमरेज से बचाने के लिये खोले गये और ठेका देना तय कर लिया गया ? अगर हां, तो दिनांक 15-1-76 को कम रेट के टेण्डर आने पर 19-1-76 को कम रेट पर काम करने का आदेश पूर्व निर्धारित रेट वाले ठेकेदार को कैसे दिया गया जबकि ठेकेदार ने माल ढोने का काम पूरा कर लिया था ?

(5) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पुलिस लाइन जयपुर की मेस की व्यवस्था में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

405. श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस लाइन जयपुर में जवानों के भोजनालय (मेस) में मार्च, सन् 75 से अब तक किस-किस माह में एक डाइट का कितना-कितना पैसा जवानों से वसूल किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस डाइट स्केल में खाद्य पदार्थों के भाव गिर जाने के उपरान्त भी कोई अन्तर नहीं आया ?

(श्री रणजीतसिंह)

(3) क्या यह सही है कि मैस का सामान कई अधिकारियों के घर भेजा जाता है तथा बाजार भाव से ऊंचे मूल्यों पर सामान खरीदा जाता है और अधिकारियों की चाय पानी की पार्टियों का व्यय भी इस जनरल मैस के व्यय में शामिल किया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि मैस की व्यवस्था में काफी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस विभाग के बाहर के किसी अकाउन्ट्स ऑफिसर से इसकी जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) पुलिस लाइन जयपुर में विभिन्न मैसों का मार्च, सन् 1975 से फरवरी 1976 तक प्रत्येक जवान से भोजन का जो पैसा वसूल किया गया है, तत्सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) खाद्य पदार्थों के भाव गिर जाने पर डाइट-स्केल में अन्तर आया है।

(3) जी नहीं।

(4) मैस की व्यवस्था में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। समस्त मैसों का चैकिंग महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर और मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जयपुर द्वारा हर वर्ष किया जाता है जिनका पुलिस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मार्च, 1975 से फरवरी, 76 तक का प्रत्येक मेस का हर मास प्रति डाईट पर जो पैसे आये उसका स्टेटमेंट

मेस का नाम	मार्च 1975	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
A. P. I.	0.82	0.82½	0.90½	0.85	0.86½	0.89	0.88½	0.87	0.85	0.85½	0.83	0.84½
A. P. II	0.83	0.82½	0.86	0.82	0.85	0.87½	0.83½	0.83	0.83	0.82½	0.81	0.81
A. P. III	0.91	0.91½	0.92½	0.84	0.92	0.95	0.87½	0.87	0.95	0.95	0.85½	0.90
C. P. I	0.84½	0.80	0.84½	0.84	0.80½	0.82	0.81	0.81	0.84	0.85	0.83½	0.83
C. P. II	0.82	0.80	0.89	0.87	0.85	0.88	0.83	0.84½	0.86	0.90	0.87½	0.92
M. T.	1.08	1.15	1.08½	1.17	1.05½	0.87½	0.90½	0.94	1.02	1.00	0.88½	0.91
Raj Bhawan	0.95	0.87	0.88½	0.89	0.91	0.92½	0.87½	0.92	0.84	0.89½	0.92	0.89
DRF	0.90	0.94	0.98½	0.99	1.04½	0.95	0.91	0.90½	0.90	0.91	0.90	0.93½
Meat	1.87	1.82	1.96	1.90	1.90	1.99	1.96	1.98	1.85	1.88	1.81	1.82
Kheer	0.95	1.08	1.14	1.19	1.14	1.14	1.07	1.06	1.05	0.93	0.85	0.89

(150)

पाली के उद्योगों के सम्बन्ध में मीटिंग

406. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश ने दिनांक 12-2-76 को पाली के उद्योगों के सम्बन्ध में एक मीटिंग बुलाई थी ? यदि हां, तो उस मीटिंग में क्या निर्णय लिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

निर्णयों की सूची

जिलाधीश पाली द्वारा दिनांक 12-2-76 को बुलाई मीटिंग के निर्णय

1. मैसर्स चतुरभुज भंवर लाल इण्डस्ट्रीज, पाली को फैक्ट्री से खम्बे हटाये जाने बाबत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल शीघ्र कार्यवाही करें।

2. केरोसिन की आवश्यकता—जिला उद्योग अधिकारी शीघ्र इकाइयों की आवश्यकता प्रस्तुत करें।

3. मास्टर प्लान में कार्यरत इकाइयां दर्शाना—इकाइयां दर्शाई गई हैं।

4. रेल्वे क्रासिंग के सम्बन्ध में—जिलाधीश द्वारा क्षेत्रीय अधीक्षक, अजमेर को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जावे।

5. लघु उद्योग सेवा संस्थान का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा सम्बन्धित कार्यालय को पत्र लिखा जावे।

6. पाली जिले को पिछड़ा घोषित करने के सम्बन्ध में मामले को पुनः राज्य सरकार स्तर पर लिया जाना चाहिए।

7. विद्युतीय औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें निर्माण—राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को शीघ्र कार्य पूर्ण करना चाहिए।

8. नवलगढ़, सादड़ी, पीपल्या, सोजत में औद्योगिक क्षेत्र—राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

9. वर्तमान शेडों में परिवर्तन—उपक्रमियों की सुविधाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम सुविधायें उपलब्ध करदें।

10. **नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में**—राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा सडक, विद्युत् आवंटन से पहले उपलब्ध कराना चाहिये। सहायक नगर नियोजक शीघ्र सर्वेक्षण करें।

11. **वाटर पोलुशन**—राजस्थान टेक्सटाइल प्रोसेस एसोसिएशन के अध्यक्ष इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

12. **कच्चे माल का आवंटन**—जिला उद्योग अधिकारी इस बारे में सम्बन्धित विभाग के अधिकारी से 20,22 एवं 24 गेज की चद्दरों की सप्लाई के लिए पत्र-व्यवहार करेंगे।

13. **कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन हेतु**—कृषि भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिये परिवर्तन के बारे में जिलाधीश महोदय ने शीघ्र निपटारे के लिये आश्वासन दिया है।

14. **नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से पूर्व सुविधाएं**:—औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम भूखण्ड आवंटन के पूर्व सड़क, पानी, बिजली व नालो आदि की सुविधायें प्रदान करवायेंगे।

15. **जलदाय समस्या**—रेजीडेन्ट इन्जीनियर विद्युतीय औद्योगिक क्षेत्र के लिये शीघ्र ही पानी की लाइने डालने का प्रबन्ध करेंगे।

16. **विद्युत समस्या**—राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से पत्र व्यवहार करके उद्योगों को विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराने में प्राथमिकता का निर्धारण तथा अस्थाई कनेक्शनों को मार्च, 76 तक की अवधि तक बढ़ाने की कार्यवाही की जावे।

17. **बैंकों द्वारा वित्तीय समस्या**—स्थायीय कस्बों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये जिला उद्योग अधिकारी बैंक के एजेन्ट से मिलकर समस्या का समाधान करायेंगे। क्लियरिंग हाऊस की सुविधा के लिये मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने बतलाया कि आगामी माह में उपलब्ध हो सकेगी। बैंक द्वारा ड्राफ्ट कलेक्शन की रेट बढ़ाने के बारे में यह मामला आगामी लीड बैंक की मीटिंग में रखने का निर्णय लिया गया।

18. **अन्य स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास**—तोरन औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 1976 में राशि प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

19. **भावी औद्योगिक क्षेत्र**—जिलाधीश महोदय, ने बतलाया कि भावी औद्योगिक क्षेत्र की कुल मांग 800 एकड़ भूमि आंकि गई है जिसके बारे में शीघ्र सर्वे की जाकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

(152)

20. जिला औद्योगिक एवं खनिज परामर्शदात्री समिति की उप समिति का गठन—उप समिति का गठन किया गया जिसमें 3 अराजकीय अधिकारी व 6 राजकीय अधिकारी होंगे। जिला उद्योग अधिकारी, पाली इस समिति के पदेन सचिव एवं संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

आदिवासी क्षेत्र के विकास की योजना

407. श्री ओंकारलाल चौहान (झालावाड़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र के विकास की योजना तैयार हो गई है ? यदि हां, तो इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है ?

(2) यह योजना कब तक शुरू हो जायेगी ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि का स्थायी आवंटन

408. श्री ज्ञानसिंह (मादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर में कृषि भूमि के स्थायी आवंटन के लिये कुल कितने भूमिहीनों के प्रार्थना–पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) वर्ष 1973-74 व 1974-75 में इस क्षेत्र की उपलब्ध सिंचित भूमि में से कितनी भूमि आवंटन के अभाव में काश्त होने से बाकी है ?

(3) भूमिहीनों को कृषि भूमि के स्थायी आवंटन का कार्य कब तक पूरा किया जावेगा ?

(4) क्या सरकार इस क्षेत्र की बची हुई भूमि को नीलाम करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) स्थाई आवंटन हेतु 1,16,844 भूमिहीनों के प्रार्थना–पत्र विचाराधीन हैं।

(2) वर्ष 1973-74 व 1974-75 में इस क्षेत्र को उपलब्ध सिंचित भूमि में से कोई भूमि आवंटन के अभाव में काश्त होने से बाकी नहीं है।

(3) भूमिहीनों को कृषि भूमि के स्थाई आवंटन का कार्य ज्यों-ज्यों राजस्थान केनाल के कमाण्ड क्षेत्र में नई भूमि आयेगी त्यों-त्यों पूरा किया जायेगा।

(4) दस हजार जनसंख्या वाले शहरों के आठ मील की परिधि में पड़ने वाली भूमि ही नीलामी द्वारा बेची जायेगी।

बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़

409. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री में डस्ट कन्ट्रोलर प्लान्ट लग गया है और अब डस्ट नहीं उड़ती इस तरह का जवाब सदन में उद्योग मन्त्री द्वारा दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि डस्ट उड़ने की वजह से पब्लिक न्यूसेन्स का कोई मामला उप-खण्ड अधिकारी के पास चल रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस समय डस्ट उड़ कर सैनिक स्कूल के अहाते में जम कर भारत की भावी सैनिक पीढ़ी के स्वास्थ्य का हनन कर रही है ? और इसकी जानकारी सैनिक स्कूल के प्रिन्सीपल द्वारा मुख्य मन्त्रीजी को दी गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। डस्ट कन्ट्रोलर पहले से ही लगा हुआ है और सीमेन्ट डस्ट के रूप में नहीं अपितु लाइम स्टोन डस्ट उड़ती है, ऐसा उत्तर सदन में दिया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी हां। ऐसी जानकारी सैनिक स्कूल के प्रिन्सीपल द्वारा दी गई है। डस्ट उड़ने से सैनिक स्कूल के छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे रोकने के लिये सीमेन्ट फैक्ट्री में डस्ट कन्ट्रोल प्लान्ट पहले ही लगा हुआ है परन्तु इसकी कार्यकुशलता पर्याप्त नहीं है। पूर्ण नियन्त्रण हेतु कन्डीशनिंग टावर्स लगाना आवश्यक है क्योंकि यह यन्त्र भारत में उपलब्ध नहीं है इसलिये विदेश से मंगवाने हेतु आर्डर दिया जा चुका है और आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक आजावेगा और इस समस्या का समाधान हो जावेगा।

मोटे अनाज के न्यूनतम भाव

410. श्री गंगाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में जनवरी व फरवरी, 1976 में बाजरा, मूंग व मोठ के न्यूनतम भाव, उत्पादक को मिलने वाले, क्या रहे हैं ? जिलेवार बताने का कष्ट करें।

(2) उक्त दो महीनों में बाजरा, मूंग व मोठ उपभोक्ता को किन-किन भावों में मिलता रहा है ? जिलेवार बतलाने का कष्ट करें।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) यदि उत्पादक एवं उपभोक्ता से सम्बन्धित इन किस्मों के भावों में बड़ा अन्तर रहा है तो राज्य सरकार ने इस अन्तर को कम करने हेतु क्या कदम उठाये हैं।

(4) बाजरा की कीमत यदि "सपोर्ट प्राइस" से नीचे उतरी है तो राज्य सरकार ने क्या विचार किया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जनवरी व फरवरी 1976 में बाजरा, मूंग व मोठ के उत्पादकों को मिलने वाले न्यूनतम भावों की जिलेवार तालिका परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त दो महीनों में बाजरा, मूंग व मोठ उपभोक्ता को जिन-जिन भावों में मिलता रहा है; उसकी जिलेवार तालिका परिशिष्ठ "ब" में दर्शायी गयी है।

(3) उत्पादक को उपज का ठीक मूल्य दिलाने हेतु तथा उपभोक्ता को खाद्यान्न उचित भाव पर उपलब्ध हो इस दृष्टि से राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम 1963, बना कर मण्डी नियमन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

(4) सरकार द्वारा इस वर्ष बाजरा की खरीद सपोर्ट प्राइज पर बाजरा काला पड़ जाने के कारण उसे सार्वजनिक वितरण के उपयोग में नहीं ला सकने की कठिनाई के कारण नहीं की है।

उत्पादक को मिलने वाले न्यूनतम भाव 'क'

मंडी का नाम	जनवरी 76			फरवरी, 76		
	बाजरा	मूंग	मोठ	बाजरा	मूंग	मोठ
अजमेर	एन. टी.	—	—	एन. टी.	—	—
ब्यावर (अजमेर)	—	—	—	—	—	—
अलवर	75-00	—	—	60-00	—	—
बांदीकुई (जयपुर)	73-00	—	—	71-00	—	—
जयपुर	90-00	—	—	65-00	—	—
भरतपुर	68-00	—	—	61-25	—	—
खेरली (अलवर)	—	135-00	—	—	127-50	—
टोंक	75-00	—	—	64-50	—	—
बीकानेर	103-00	—	85-00	94-00	—	71-00
जोधपुर	88-00	—	—	80-00		
मेड़तासिटी (नागौर)	82-00	127-65	—	80-10	110-00	—
गंगापुर (सवाई माधोपुर)	78-00	—	—	63-50	—	—
हिण्डौन (,, ,,)	73-00	—	—	61-25	—	—

नोट:—(1) मोठ के लिये बीकानेर ही सबसे बड़ी मंडी है अतः मोठ के भाव केवल बीकानेर की मंडी से ही प्राप्त किये जाते हैं।

(2) एन. टी.=इस माह में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है।

उपभोक्ता को मिलने वाले भाव 'ख'

मंडी का नाम	जनवरी, 76			फरवरी, 76		
	बाजरा	मूंग	मोठ	बाजरा	मूंग	मोठ
अजमेर	एन. टी.	—	—	एन. टी.	—	—
ब्यावर (अजमेर)	90-00	—	—	—	—	—
अलवर	90-00	—	—	80-00	—	—
बांदीकुई (जयपुर)	80-00	—	—	78-00	—	—
जयपुर	100-00	—	—	75-00	—	—
भरतपुर	68-00	—	—	75-00	—	—
खेरली (अलवर)	—	125-00	—	—	126-00	—
टोंक	85-00	—	—	80-00	—	—
बीकानेर	110-00	—	100-00	100-00	—	80-00
जोधपुर	95-00	—	—	90-00	—	—
मेड़तासिटी (नागौर)	105-00	135-00	—	100-00	125-00	—
गंगापुर (सवाई माधोपुर)	90-00	—	—	75-00	—	—
हिण्डौन (सवाई माधोपुर)	एन. टी.	—	—	एन. टी.	—	—

नोट:—(1) मोठ के लिये बीकानेर ही सबसे बड़ी मंडी है, अतः मोठ के भाव केवल बीकानेर मंडी से ही प्राप्त किये जाते हैं।
(2) एन. टी.=इस माह में कोई ट्रान्जेक्शन नहीं हुआ है ।

(157)

ग्राम पलसाना (सीकर) में सब-तहसील बनाने का प्रस्ताव

411. श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश, सीकर ने तहसील दांतारामगढ़ में पलसाना ग्राम में सब-तहसील बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है ? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि लोगों को दांता रामगढ़ तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या जिलाधीश, ने राज्य सरकार को यह भी लिखा है कि इस सब-तहसील के होने से किसी प्रकार का खर्चा राज्य सरकार को वहन नहीं करना पड़ेगा ? यदि हां तो सब-तहसील खोलने में क्या रुकावट है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। परीक्षण करने पर उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।

(2) यह सही नहीं है कि इस सब-तहसील के होने से किसी प्रकार का खर्चा राज्य सरकार को वहन नहीं करना पड़ेगा।

विराटनगर में पुलिस थाने की स्थापना का निर्णय

412. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा विराटनगर (बैराठ) में थाना कायम किये जाने का निर्णय किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सच है कि बैराठ में जयपुर राज्य के समय से ही भवन एवं क्वार्टर्स बने हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक थाना चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15-12-75 को।

(2) जी हां। थाना कायम किया जाने हेतु गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन की कार्यवाही चल रही है।

नागानी सरपंच (तहसील रेवदर) द्वारा कृषि भूमि पर कब्जा

4‍13. श्री छोगमल शर्मा (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रेवदर तहसील में भूतपूर्व जागीरदार श्री बेरीसालसिंह, सरपंच; नागानी के पास सेटलमेन्ट के समय बहुत थोड़ी जमीन थी और उसके बाद गरीब काश्तकारों की जमीन हड़प करके अपनी कृषि भूमि बढ़ाते रहे ? यदि हां, तो श्री बेरीसालसिंह व उनके कुटुम्बियों के नाम सेटलमेन्ट के समय कितनी-कितनी जमीन थी और आज उनके कब्जे में कितनी-कितनी भूमि है ? विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व डी. आई. जी. श्री गुमानसिंह भाटी ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों की जमीन अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम जबरन दबा रखी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी भूमि इस परिवार ने बेनामी दबा रखी है ? और इसकी जांच करके कब तक खाली करवा दी जावेगी ? तथा किस-किस का कितनी-कितनी जमीन पर कब्जा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नागानी सरपंच श्री बेरीसालसिंह ने गरीब काश्तकारों की जमीनें गलत ढंग से अपने नाम करली थीं जिसकी पूर्ण जांच श्री रूपसिंह माथुर, कलेक्टर, जिला सिरोही द्वारा हो चुकी है ? यदि हां, तो उस केस को क्यों दबा रखा है ? तथा किस-किस की कितनी-कितनी जमीन अपने नाम कराई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में शक्कर वितरण के लिए परिवहन व कमीशन की दरों में बढ़ोतरी

414. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रान्त में रसद विभाग द्वारा वितरण की जाने वाली नियंत्रित दर की शक्कर पर खुदरा व्यापारियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता सहकारी समितियों को दी जाने वाली निर्धारित परिवहन व कमीशन की दरें क्या हैं और वे दरें कब से निर्धारित की हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिवहन दर निर्धारित करने के बाद पैट्रोल, डीज़ल वगैराह के भाव चार गुना बढ़ गए हैं और ट्रकों के मालिकों द्वारा किराया भी बढ़ा दिया गया है ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में आबादी कम होने से खुदरा व्यापारियों और सहकारी समितियों को चार और पाँच बोरी प्रति माह से अधिक नहीं मिलती ?

(4) क्या यह भी सही है कि खाली बोरी की कीमत कमीशन सहित करीब 6/– रुपया प्रति बोरी उन्हें मिलती है जो अपर्याप्त है, जिसके कारण कोई भी सहकारी समिति और व्यापारी ईमानदारी से व्यापार नहीं चला सकते ?

(5) क्या रसद विभाग परिवहन एवं कमीशन की दर उपरोक्त परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए बढ़ाना आवश्यक समझता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रसद विभाग क्या कदम लेने जा रहा है, की जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नियंत्रित दर की चीनी पर खुदरा व्यापारियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता समितियों जो कि सभी खुदरा विक्रेता की संज्ञा में आते हैं, को रु० 1.40 पैसा प्रति क्विन्टल की दर से कमीशन दिया जाता है। परिवहन खर्चा निम्न प्रकार से दिया जाता है:—

> 10 किलोमीटर तक 60 पैसा प्रति क्विन्टल; 20 किलोमीटर तक 1/– रु० प्रति क्विन्टल, 20 किलोमीटर से अधिक पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय की सीमा तक प्रचलित बाजार दर से दी जाती है। परिवहन व्यय की दरें निम्न प्रकार है:—
>
> अ श्रेणी का मार्ग 2-7 पैसा प्रति क्विन्टल प्रति किलो मी०
>
> ब श्रेणी का मार्ग 3-2 पैसा प्रति क्विन्टल प्रति किलो मी०
>
> स श्रेणी का मार्ग 4-5 पैसा प्रति क्विन्टल प्रति किलो मी०
>
> ये दरें दिनांक 1-1-75 से लागू हैं।

(2) उक्त अवधि के बाद पैट्रोल, डीजल आदि के भाव में बढ़ोतरी हुई है परन्तु चौगुने भाव नहीं बढ़े हैं तथा यह भी संभव है कि ट्रक मालिकों द्वारा भी किराया बढ़ाया गया है।

(3) जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में आवंटन में विभिन्नता होती है।

(4) चीनी की खाली बोरी की कीमत रुपये 5/– निर्धारित है तथा कमीशन रु० 1-40 प्रति क्विन्टल है। इस तरह खुदरा विक्रेता को 6-40 तथा परिवहन व्यय अलग से दिया जाता है।

Page No 160

(160)

(रसद मंत्री)

(5) दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिसमें समस्त खर्चों को सम्मिलित किया गया है अत: दरें बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

गांव सहजरासर (तहसील लूणकरणसर) को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने की मांग

415. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव सहजरासर, तहसील लूणकरणसर जो कि उपनिवेशन, तहसील लूणकरणसर में है, की एक इन्च भूमि में भी सिंचाई नहीं होती ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर प्रशासन ने भी उपनिवेशन विभाग को उपरोक्त सूचना दी है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस गांव को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) गांव सहजरासर तहसील लूणकरणसर के चक प्लान अभी प्राप्त नहीं हुए अत: इस गांव की भूमि में सिंचाई होगी या नहीं, नहीं कहा जा सकता।

(2) राजस्थान नहर प्रशासन ने राज्य सरकार को 21-12-74 को पत्र लिख कर उपनिवेशन आयुक्त से परामर्श करने की राय दी है। जो राज्य सरकार के विचाराधीन है मुकम्मिल रिपोर्ट आने पर ही, इस गांव को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग किया जाय या नहीं, पर निर्णय लिया जायगा।

परिशिष्ट—6

(तारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूची)

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों की सूची

1958-59

1. श्री जगतनारायण नाग, अध्यापक, राजकीय गांधी नेशनल स्कूल, अलवर
2. श्री राजेन्द्रसिंह, प्र० अ०, बेसिक प्राथमिक स्कूल, श्रीगंगानगर, जो अभी कार्यरत हैं स० अ०, रा० एम० पी० उ० मा० वि०, गंगानगर

1959-60

1. श्री डी० एम० जैन, प्र० अ०, रा० एम० पी० उ० मा० वि०; तोपदड़ा, अजमेर
2. श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, प्र० अ०, प्राथमिक स्कूल (क्रापट) श्री माधोपुर (सीकर)

1960-61

1. श्री बी० एन० पॉल, प्र० अ०, शिक्षा समिति हाई स्कूल, जयपुर
2. श्री मथुरालाल, प्र० अ०, राज. मिडिल स्कूल, पहूना (चित्तौड़)

1961-62

1. श्री भागीरथमल, प्र० अ०, गौतम हाई स्कूल, अजमेर
2. श्री रामजीवन शर्मा, व० अ०, सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर
3. श्री कनोजीलाल, स० प्र० अ०, राज० प्रा० वि०, कानट (सीकर)
4. श्री देवीसिंह राठौर, प्र० अ०, रा० प्रा० वि०, पिपाड़ सिटी (जोधपुर)

1962-63

1. श्री मोहनसिंह धावड़िया, प्र० अ०; एम० जी० एम० पी० उ० मा० वि०; गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
2. श्री गोवर्धनलाल जोशी, स० अ०, एम० पी० उ० मा० वि०, विद्याभवन उदयपुर
3. श्री जगदीशनारायण, अ०, रा० मिडिल स्कूल, गांधीभवन, अजमेर
4. श्री भूरमल शर्मा, प्र० अ०, रा० प्रा० वि., उम्मेदा (सीकर)

1963-64

1. श्री रामचन्द्र जैन, प्र० अ०, सेठ सम्पतराज दुगड़ विद्यालय, सरदारशहर
2. श्री के० एन० भार्गव, प्र० अ०, सरदार एम० पी० उ० मा० वि०, जोधपुर
3. श्री मांगीलाल गुप्ता, प्र० अ०, राज० मिडिल स्कूल, पाटनपोल (कोटा)
4. श्री सबलसिंह चौहान, स० अ०, सरदार एम० पी० उ० मा० वि० (प्राब० सेक्शन), जोधपुर

1964-65

1. श्री बी० पी० जोशी, प्र० अ०, लम्बरदार हाई स्कूल, उदयपुर
2. श्री मुरलीसिंह, प्र० अ०, एस० डी० प्राइमरी स्कूल, गंगानगर
3. श्रीमती सुशीलादेवी, स० अ०, राज० बालिका मिडिल स्कूल, नोहर

1965-66

1. श्री बी० पी० गुप्ता, प्र० अ०, एम० पी० उ० मा० वि०, कोटा
2. श्री नागराज वर्मा, प्र० अ०, राज० मिडिल स्कूल नं० 3, बाड़मेर
3. श्री रामप्रसाद सहेल, प्र० अ०, आन्ध्र स्कूल, बीकानेर

1966-67

1. श्री महेशचन्द्र भट्ट, प्र० अ०, एम० पी० उ० मा० वि०, डूंगरपुर
2. श्री रावतलाल, प्र० अ०, रा० प्रा० वि०, नागौरी गेट, जोधपुर
3. श्रीमती सुशीला दशोदर, प्र० अ०, विद्याभवन मान्टेसरी स्कूल, उदयपुर

1967-68

1. श्री रेवरेंड मदर डैमियन, प्रिंसीपल, सेंटमेरीज हायर सैकेण्डरी स्कूल, अजमेर
2. श्री रामलाल, प्र० अ०, राज० प्रा० शाला, भीममंडी 1, कोटा
3. श्री बृजभूषण शर्मा प्र० अ०, प्राथमिक शाला, रहरंड पो० जागई (भरतपुर)
4. श्री पं० नैनसुखदास, प्रिंसीपल, जैन संस्कृत कालेज, जयपुर

1968-69

1. श्री दाऊलाल माथुर, प्र० अ०, महात्मा गांधी उ० मा० वि०, जोधपुर
2. कुमारी विश्वेश्वरी बी० जुत्सी, प्र० अ०, राजकीय बाल विद्यालय सरदारपुरा, जोधपुर
3. श्री मूलराज व्यास, प्र० अ०, राज० प्रा० वि०, पावटा, जोधपुर

1969-70

1. श्री अमनलाल माहेश्वरी, प्र० अ०, माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
2. श्री रामसिंह, प्र० अ०, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रातानाडा, जोधपुर
3. श्री सज्जनसिंह प्र० अ०, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रायसर (अजमेर)

1970-71

1. श्री मालीराम शर्मा, प्र० अ०, राज० सादुल उ० मा० वि०, बीकानेर
2. श्री रामस्वरूप पारीक, प्र० अ०, राज० प्राथ० वि० चारभुजा मन्दिर, केकड़ी (अजमेर)
3. श्री मांगीलाल वर्मा, प्र० अ०, राज० आदर्श प्राथ० वि०, गुमानपुरा, कोटा

1971-72

1. श्री जनार्दनप्रसाद शर्मा, प्र० अ० राज० उ० मा० वि० तोपदड़ा, अजमेर
2. श्रीमती अनूपदेवी शर्मा, प्र० अ०, राज० कन्या प्रा० वि०, हाथीपोल, उदयपुर
3. कु० जैतूनबाई, प्र० अ०, राज० कन्या प्राथ० विद्यालय, झालरापाटन; (झालावाड़)
4. श्री कन्हैयालाल शर्मा, व० अ०, राज० धूलेश्वर संस्कृत कालेज, मनोहरपुर; (जयपुर)

1972-73

1. श्री श्यामलाल गौड़, आचार्य, रा० गोवर्धन उ० मा० वि०; नाथद्वारा (राजस्थान)
2. श्रीमती शान्तिदेवी जैन, प्र० अ०, राज० उ० प्रा० बालिका विद्यालय, सरदार शहर, (चूरू)
3. श्री नाथूलाल बैरणा, प्र० अ०, प्राथ० वि०, इन्द्रपुरिया, पारण

1973-74

1. श्री सिराज अहमद, प्रधानाचार्य, लम्बरदार उ० मा० वि०, उदयपुर
2. श्रीमती बी० मो० मसीह; प्र० अ०; राज० बालिका प्रा० वि०; सूरजपोल, उदयपुर

1974-75

1. श्री रामनारायण काबरा, व. अ. (अंग्रेजी) रा. उ. मा. वि.; भैसलाना (जयपुर)
2. श्री हीरालाल गौतम, प्र० अ० रा० प्रा० वि०, रामगंजमण्डी नम्बर–1, कोटा
3. श्री शोभालाल आचार्य, सहायक अध्यापक, राजकीय प्रा० विद्यालय, सांगानेर (भीलवाड़ा)

1975-76

1. श्री खेमाराम; प्रधानाध्यापक; रा० जाजोदिया उच्च मा० वि०, सुजानगढ़ (चूरू)
2. श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा, प्र० अ० प्रा० वि०, हमीरगढ़ (भीलवाड़ा)
3. स्व० श्री हुकमचन्द, प्र० अ०, रा० प्रा० वि०, नम्बर–1, छापर (चूरू)

(164)

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 206 की सूची)

सूची तहसील चाकसू एवं फागी जहां पटवार हैडक्वार्टर बने हुये हैं।

क्र० सं०	नाम पटवार मंडल	क्र० सं०	नाम पटवार मंडल
तहसील चाकसू		तहसील फागी	
1.	चंदलाई	1.	चितोड़ा
2.	ढिगोनिया	2.	नीमेड़ा
3.	दुदोली	3.	गोहन्दी
4.	गरुडवासी	4.	डाविच
5.	बड़ोदिया	5.	लसाड़िया
6.	बापु गांव	6.	नारेडा
7.	शिवदासपुरा	7.	माकरोटा
8.	कोटसावंदा	8.	फागी
9.	कोथुन	9.	पहाड़िया
		10.	कांसेल
		11.	चकवाडा

सूची तहसील चाकसू व फागी जहां पटवार मंडलों पर पटवार भवन नहीं बने हुये हैं।

क्र० सं०	नाम पटवार मंडल जहां पटवार भवन नहीं बने हैं।	क्र० सं०	नाम पटवार मंडल जहां पटवार भवन नहीं बने हैं
1	2	3	4
तहसील चाकसू		तहसील फागी	
1.	कुम्हारिया वास	1.	मंडोर
2.	सीमल्यावास बाटका	2.	बदाना
3.	बाड़ा पदमपुरा	3.	पचाला
4.	बरखेड़ा	4.	चोरू
5.	काठावाला	5.	मंडावरी
6.	करेड़ा खुर्द	6.	मेंहदवास

Page No 165

(165)

1	2	3	4
7.	उदयपुर	7.	किशोरपुरा
8.	माकोड़िया	8.	परवण
9.	हरिपुरा	9.	मांडी
10.	देवकिशनपुरा	10.	माधोराजपुरा
11.	डीलरिया	11.	भीपला
12.	मोज्याड़ा	12.	दोसरा
13.	कादेड़ा	13.	डीडावता
14.	तामड़िया	14.	रेनवाल
15.	जयसिंह पुरा	15.	हरसुलिया
16.	डुमली का वास	16.	झाडला
17.	धनी	17.	मोहब्बतपुरा
18.	चाकसू	18.	चांदमा कलां
19.	धक्करखावदा		
20.	बड़ली		
21.	सवाईमाधोसिंह पुरा		
22.	धान्देला		
23.	निमोड़िया		
24.	महादेवपुरा		
25.	मंडालिया मेदा		
26.	रूपाहेडी कलां		
27.	महादेवपुरा		
28.	खेड़ारानिवास		
29.	राडोली		
30.	ठीकरियागुजरान		
31.	देहलाला		
32.	रामनगर		
33.	झापदा कलां		
34.	ठीकरिया मीनान		

(166)

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 207 की सूची)

भूतपूर्व राजाओं से अधिग्रहीत भूमि का विवरण (आवंटन)

जिला सिरोही में भूतपूर्व राजाओं से 574-02 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है जिसमें से 567-74 एकड़ भूमि का आवंटन 128 भूमिहीनों में निम्न प्रकार किया गया है:—

		संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
1.	अनुसूचित जाति	69	232–40
2.	अनुसूचित जन-जाति	22	82–00
3.	सैनिक	1	4–00
4.	अन्य व्यक्ति	36	249–34
	योग ···	128	567–74

भूतपूर्व राजाओं से अधिग्रहीत भूमि का विवरण

क्र० सं०	नाम	क्षेत्रफल अधिग्रहीत राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-संपदा प्राप्ति अधिनियम के अन्तर्गत (एकड़ों में)	
1	2	3	
1.	अलवर	105	
2.	किशनगढ़	5849	
3.	बीकानेर	6441	
4.	बूंदी	1224	
5.	भरतपुर		नोटिस जारी किया जा चुका है। सुनवाई के लिये तारीख निर्धारित कर दी है।
6.	धौलपुर		नोटिस जारी किया जा चुका है। सुनवाई के लिये तारीख निर्धारित कर दी है
7.	बांसवाड़ा	2501	
8.	कुशलगढ़	1014	

1	2		3
9.	शाहपुरा	—	कार्यवाही की जा रही है।
10.	डूंगरपुर	17592	
11.	जयपुर		नोटिस दिया जा चुका है। सुनवाई चल रही है।
12.	जैसलमेर		1758 एकड़ भूमि धारा 6(1) व 6 (2) के अधीन खातेदारी अधिकार माने जाने से वास्तविक कब्जा किसी क्षेत्रफल का नहीं लिया गया है।
13.	जोधपुर	16661	
14.	झालावाड़		राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति अधिनियम; 1975 के अन्तर्गत कोई भी भूमि अधिग्रहण योग्य होना नहीं बतलाया गया है।
15.	कोटा		उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्यवाही रुकी हुई है।
16.	प्रतापगढ़		कार्यवाही की जा रही है।
17.	सिरोही	574	
18.	करौली	447	
19.	टोंक		राजस्थान भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी भूमि अधिग्रहण किये जाने योग्य नहीं बतलाया गया है।
20.	लावा		
21.	उदयपुर	890	
	योग	53,298	

परिशिष्ट—9

परिशिष्ट—क (अतारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूची)

क्रम सं०	भूमि अवाप्ति कार्यालय का नाम	कुल मामलों की संख्या	अवाप्त की गई भूमि का क्षेत्रफल		निर्णीत क्षति-पूर्ति की राशि	क्षेत्रफल अवाप्त की गई भूमि जिसके लिये निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया गया		क्षति-पूर्ति की राशि जिसका भुगतान किया जा चुका है	भुगतान के शेष क्षति-पूर्ति की राशि
			बीघा	बिस्वा		बीघा	बिस्वा		
1	2	3	4		5	6		7	8
1.	भूमि अवाप्ति अधिकारी, (जिलाधीश, जयपुर)	42	1450	07	45,39,202-22	1438	12	44,94,437-72	44,764-50
2.	भूमि अवाप्ति अधिकारी, (नगर विकास न्यास; जयपुर)	22	1682	13	79,61,641-84	720	18	26 88 307-05	52,73,334-79
3.	भूमि अवाप्ति अधिकारी, (सा. नि. वि.–1), जयपुर	14	558	03	3,60,960-16	494	18	2,98,024-16	62,936-00
4.	भूमि अवाप्ति अधिकारी, (सा. नि. वि., राष्ट्रीय राज मार्ग-II), जयपुर)	19	626	10	1,96,325-25	440	07	1,16,544-39	79,180-68

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	भूमि अवाप्ति अधिकारी, (एस. डी. ओ., आमेर)	कोई भूमि अवाप्ति का मामला नहीं चल रहा है।					
6.	भूमि अवाप्ति, अधिकारी, (एस. डी. ओ., दौसा)	5	1119	15	86,350-25	1119	15	86,350-25	—
7.	भूमि अवाप्ति अधिकारी, (एस. डी. ओ., सांभर	5	531	12	40 170-00	531	12	40,170-00	—
8.	भूमि अवाप्ति अधिकारी, (एस. डी. ओ., कोटपूतली)	3	67	15	67,025-00	67	15	69,025-00	—
	कुल योग....	110	6036	15	1,32,52,674-72	4813	17	77,92,858-57	54,60,816-15

(170)

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची)

जिन लोगों के आवासीय भू-खण्ड अवाप्त किये गये थे, उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	नाम मालिक	एरिया (स्क्वायर गज)	कीमत (मुआवजा)
1.	श्री भोलाराम पुत्र लादूराम माली	550	7,865.00
2.	,, बन्सी पुत्र घासीलाल	325	4,647.00
3.	,, पूसराम पुत्र घूलजी माली	300	4,290.00
4.	,, जमनाराम पुत्र पूसाराम	300	4,290.00
5.	,, परमराम पुत्र मांगीलाल	300	4,290.00
6.	,, मांगीलाल पुत्र भानूज	324	4,633.00
7.	,, जयराम पुत्र रंछोरजी	595	4,254.00
8.	,, सोहन पुत्र रंछोरजी माली	595	4,254.00
9.	,, प्रभूदास पुत्र पुरुषोत्तमदास	1081½	15,465.00
10.	,, सुरेशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र सोलंकी	948½	6,783.50
11.	,, श्रीमती पतासीदेवी पत्नी रामचन्द्र सोलंकी	,,	6,783.50
	योग		67,555.00

————

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची)

क्र० सं०	नाम जिला	नये राशन कार्ड बनाने के कार्य का विवरण
1.	अजमेर	कार्य प्रारंभ, जून, 76 तक पूरा होगा ।
2.	बांसवाड़ा	कार्य प्रारंभ, मार्च, 76 तक पूर्ण होगा ।
3.	अलवर	जनवरी, 76 में पूर्ण हो चुका है ।
4.	बाड़मेर	प्रोग्राम तैयार, अप्रैल, 76 तक पूर्ण होगा ।
5.	भरतपुर	पूर्ण हो चुका है ।
6.	भीलवाड़ा	मई, 1976 तक पूर्ण होगा ।
7.	बून्दी	15 अप्रैल, 1976 तक पूर्ण होगा ।
8.	चित्तौड़गढ़	अप्रैल, 76 से प्रारंभ होगा ।
9.	बीकानेर	75 में कार्य पूर्ण हो चुका है ।
10.	चूरू	मार्च, 75 में कार्य पूर्ण हो चुका है ।
11.	डूंगरपुर	कार्य अप्रैल, 76 से प्रारंभ होगा ।
12.	गंगानगर	जनवरी, 75 में कार्य पूर्ण हो चुका है ।
13.	जयपुर	15 फरवरी, 76 से प्रारंभ हो गया, 15 जून, 76 तक चलेगा ।
14.	जैसलमेर	जून, 76 तक पूर्ण होगा ।
15.	जालोर	फरवरी-मार्च 75 में कार्य पूर्ण हो चुका है ।
16.	झालावाड़	मई, 76 तक पूर्ण होगा ।
17	झुन्झुनू	कार्य प्रारंभ नहीं, योजना बनाई जा रही है ।
18	जोधपुर	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
19.	कोटा	राशन कार्ड जनवरी, 75 में बनाये जा चुके है ।
20.	नागौर	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
21.	पाली	जून, 76 तक पूर्ण होगा ।
22.	सवाई माधोपुर	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।
23.	सीकर	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
24.	सिरोही	दिसम्बर, 74 में बनाये गये थे जो सितम्बर 76 तक कार्य में आयेंगे ।
25.	टोंक	कार्य जारी है, मार्च, 76 तक पूर्ण होगा ।
26.	उदयपुर	कार्य पूर्ण हो चुका है ।

—:—

Page No 172

परिशिष्ट-12

(ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूची)

सिरोही जिले की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची मय छात्र/छात्रा संख्या के

क्र. सं.	नाम विद्यालय	छात्र/छात्रा संख्या
1	2	3
	उच्च माध्यमिक विद्यालय	**कक्षा 6 से 11 तक**
1.	रा० उ० मा० वि०, सिरोही	925
2.	रा० उ० मा० वि०, पिण्डवाड़ा	422
3.	रा० उ० मा० वि०, ग्राबू रोड़	536
4.	रा० उ० मा० वि०, ग्राबू पर्वत	387
5.	रा० उ० मा० वि०, कालन्द्री	191
	माध्यमिक विद्यालयों की सूची	
1.	रा० मा० वि०, शिवगंज	502
2.	रा० मा० वि०, पोसालिया	180
3.	रा० मा० वि०, जावाल	249
4.	रा० मा० वि०, रोहिड़ा	188
5.	रा० मा० वि०, स्वरूपगंज	300
6.	रा० मा० वि०; नादिया	90
7.	रा० मा० वि०; मण्डोर	170
8.	रा० मा० वि०; सिरोही	208
9.	रा० मा० वि०; रेवदर	189
10.	रा० मा० वि०; ग्रनादरा	122
11.	रा० मा० वि०, ग्रोर	65
12.	रा० कन्या मा० वि०, सिरोही	219
13.	रा० कन्या मा० वि०, ग्राबू पर्वत	85
14.	रा० कन्या मा० वि०, शिवगंज	224

जालोर जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सूची (छात्र संख्या सहित)

क्र. सं.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	छात्र/छात्रा संख्या (74-75)
1.	रा० उ० मा० वि०; भीनमाल	492
2.	रा० उ० मा० वि०, जालोर	474
3.	रा० उ० मा० वि०, गुडा बालान	345
4.	रा० उ० मा० वि०; सांचोर	386

(173)

1	2	3
माध्यमिक विद्यालय		
1.	रा० मा० वि०, महोर	265
2.	रा० मा० वि०, मादराजून	106
3.	रा० मा० वि०, बागरा	123
4.	रा० मा० वि०, सियाना	175
5.	रा० मा० वि०, जसवन्तपुरा	178
6.	रा० मा० वि०, मलवाड़ा	215
7.	रा० मा० वि०, बड़गांव	203
8.	रा० मा० वि०; झाब	122
9.	रा० मा० वि०, सायला	78
10.	रा० मा० वि०, उम्मेदाबाद	83
11.	रा० मा० वि०, दासवा	
12.	रा० मा० वि०; धानसा	
13.	रा० मा० वि०, साकड़	
14.	रा० मा० वि०, रामसीन	
कन्या माध्यमिक शाला		
1.	रा० कन्या मा० वि०, जालोर	191

सिरोही जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों की सूची

क्र. सं. 1	नाम विद्यालय 2	कार्यरत प्रधानाध्यापक का नाम 3	गृह जिला 4
1,	पिण्डवारा	श्री छगनलाल रावल	सिरोही
2.	कालिन्द्री	श्री शिवलाल पाटनी	सिरोही
3.	आबूरोड	श्री छतोमल	अजमेर
4.	आबूपर्वत	श्री रामलाल टण्डन	अजमेर

सिरोही जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों/सहायक प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

1.	शिवगंज	श्री कांतिचन्द्र बापना	जोधपुर
2.	पोसालिया	श्री बाबूलाल जैन	सिरोही
3.	मण्डार	श्री बिरमराम गर्ग	पाली
4.	रोहिड़ा	श्री जगदीश प्रकाश	झालावाड़

1	2	3	4
5.	सरूपगंज	श्री बाबूलाल अग्रवाल	जैसलमेर
6.	जावाल	श्री धरमाराम मीणा	सिरोही
7.	रेवदर	श्री सोहनलाल देवपुरा	उदयपुर
8.	सिरोही	श्री अमृतराज मेहता	जोधपुर
9.	श्रोर	श्री चुन्नीलाल शाह	सिरोही
10.	अनादरा	महेन्द्रसिंह चौधरी	भीलवाड़ा
11.	नान्दिया	श्री राधेश्याम शर्मा	सिरोही
12.	उ. मा. वि., सिरोही	श्री बलवीरचन्द मुरड़िया, स. प्र. अ.	सिरोही

जालोर जिले के उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों की सूची

उच्च माध्यमिक

1.	गुढ़ाबालोतान	श्री गुलाबचन्द श्रोसवाल	अजमेर
2.	सांचोर	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	जयपुर
3.	भीनमाल	श्री मगनमल बापना	सिरोही

माध्यमिक विद्यालय

1.	आहोर	श्री प्रहलाद व्यास	जोधपुर
2.	सियाना	श्री उमाशंकर व्यास	जोधपुर
3.	भीलवाड़ा	श्री बसंतपुरी गोस्वामी	पाली
4.	सायला	श्री जयप्रकाश मिश्र	जोधपुर
5.	जसवंतपुरा	श्री नन्दकिशोर सोनी	जोधपुर
6.	भादराजुन	श्री दलपतसिंह रानावत	पाली
7.	उमेदाबाद	श्री अम्बादास माथुर	जोधपुर
8.	भाब	श्री लक्ष्मीचन्द नागौर	पाली
9.	बड़गांव	श्री अमरसिंह कछावा	पाली
10.	बागरा	श्री अमरलाल माथुर	जोधपुर
11.	दासपा	श्री घेवरचन्द कोठारी	उदयपुर
12.	रामसींग	श्री श्यामलाल शर्मा	जोधपुर
13.	पानसा	श्री राधावल्लभ शर्मा	कोटा
14.	साकड़ा	श्री नरपतसिंह चौहान	जोधपुर
15.	उ. मा. वि., जालोर	श्री गोपाललाल डी. कल्ला, स. प्र. अ.	जोधपुर

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 221 की सूची)

पेयजल व्यवस्था का विस्तृत विवरण; तहसील श्री डूंगरगढ़

क्रम० सं०	नाम ग्राम	नाम ठेकेदार विवरण सहित	अवधि	दर	रकम खर्च
1	2	3	4	5	6
1.	सालासर	रामेश्वरलाल पुत्र हुकमसिंह पुरोहित, सालासर	23-4-73 से 26-4-73	25/-	200.00
2.	हुकरियासर	मालुराम पुत्र हरजीराम, कौम जाट, सा. देहू	25-3-73 से 30-4-73	24.83	148.98
	;,	सहीराम पुत्र पदमाराम जाट सा. देहू	,;	24.90	149.40
					298.38
3.	धाड़सर	पुखराज पुत्र मूलसिंह पुरोहित, सा. धाड़सर	22-12-72से 31-12-72	12.50	90.00
			1-1-73 से 31-1-73	,;	279.00
			1-2-73 से 15-2-73	12.50	135.00
			16-2-73 से 28-2-73	12.50	162.50
			1-3-73 से 15-3-73	9.00	135.00
			16-3-73 से 31-3-73	9.00	144.00
					945.50

(176)

1	2	3	4	5	6
4.	कैऊ	ताजाराम पुत्र पन्नाराम मेघवाल, कुऊ	7-3-73 से 31-3-73	12.50	312.50
			1-4-73 से 30-4-73	12.50	375.00
	,,	सुखाराम पुत्र गांधीराम जाट सा. बजरानसर	25-4-73 से 30-4-73	25.00	150.00
5.	भोजासर	गणेशाराम पुत्र रामूराम नाई, सा. देह	25-4-73 से 30-4-73	24.00	144.00
6.	दुसारना बड़ी	ग्रासु पुत्र काना मेघवाल	26-4-73 से 30-4-73	25.00	125.00
7.	हुसार नादिया-सरिया	साजनराम पुत्र हुकमाराम, सा. देह	26-4-73 से 30-4-73	25.00	125.00
8.	कोटासर	ग्रमा पुत्र रामू हरिजन	1-3-73 से 31-3-73	20.00	410.00
			1-4-73 से 30-4-73	20.00	600.00
					1010

-- --

(177)

पेयजल व्यवस्था जो ठेकेदारों को भुगतान शेष, तहसील श्री डूंगरगढ़

क्रम सं०	नाम ग्राम	कुआ नग	ठेकेदार का नाम	अवधि		दर	शेष रकम
1	2	3	4	5		6	7
1.	किमा	1	हीरालाल पुत्र ताजूराम दर्जी	1-7-73 से	5-7-75	25.00	125.00
2.	जोधासर	1	राजूराम पुत्र रूपाराम, पनीसर	1-7-73 से	6-7-73	25.00	150.00
3.	जोधासर	1	चैनसिंह पुत्र ध्रुवलसिंह राजपूत, जोधासर	1-7-73 से	7-7-73	22.70	147.55
4.	जोधासर	1	मोहनराम पुत्र भोपालराम जाट, आड़सर	29-4-73 से	30-4-73	29-00	58-00
		1	,, ,,	1-5-73 से	31-5-73	29-00	899-00
		1	,, ,,	1-6-73 से	7-6-73	29-00	203-00
		1	पुखराज पुत्र मूलसिंह पुरोहित, सा० देह	1-7-73 से	4-7-73	9-00	36-00
5.	धीरदेसर चूरू	1	जगदीश पुत्र भगा, कौम पुरोहित	1-7-73 से	4-7-73	25-00	100-00
6.	धीरदेसर चूरू	1	,, ,,	1-6-73 से	20-6-73	25-00	750-00
		1	भंवरसिंह पुत्र भगासिंह पुरोहित सा० देह	1-7-73 से	4-7-73	17-90	71-60
7.	राजपुरा	1	तेजसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत, सा० बाड़सर	1-7-73 से	20-7-73	12-50	250-00
8.	धीरदेसर चोटियान	1	पुराज पुत्र लादूराम जाट, धीरदेसर	25-5-73 से	31-5-73	23-88	167-16
			,, ,,	1-6-73 से	30-6-73	23-88	716-40
			,, ,,	1-7-73 से	5-7-73	23-88	119-40
			जससिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत	25-5-73 से	31-5-73	23.96	167.86
			,, ,,	1-6-73 से	30-6-73	23.69	719.90
			,, ,,	1-7-73 से	5-7-73	23.88	119.85

1	2	3	4	5		6	7
8-A.	शेरदेसर चोटियान	1	खेमाराम पुत्र बख्ताराम, जाति मेघवाल, सा. देह	1-5-73 से	31-5-73	12.50	387.50
		1	,, ,,	1-6-73 से	30-6-73	,,	375.00
		1	,, ,,	1-7-73 से	5-7-73	12.00	62.50
		1	,, ,,	1-6-73 से	30-6-73	24.90	747.00
	ढुसरियासर	1	सहीराम पुत्र पदमाराम जाट, सा० देह	1-6-73 से	30-6-73	24.90	747.00
9.	बीमासर	1	खेलाराम पुत्र चेताराम जाट, सा० देह	1-7-73 से	7-7-73	19.94	139.58
10.	बीमासर	1	चूनाराम पुत्र नारायण जाट	1-7-75 से	15-7-75	25-00	375.00
11.	भैसरिया	1	नरसाराम पुत्र हुकमाराम सारण	24-7-73 से	30-7-73	25-00	175.00
		1	,,	1-5-73 से	31-5-73	25-00	775-00
		1	,,	1-6-73 से	30-6-73	25-00	750.00
		1	,,	1-7-73 से	4-7-73	25-00	100.00
12.	बरपैठ	1	पन्नाराम पुत्र भासूराम जाट, सा० देह	2-6-73 से	30-6-73	24-60	713.40
		1	,,	1-7-73 से	7-7-73	24-73	172.00
13.	सीतासर भागीदाम	1	लालूराम पुत्र रालूराम जाट, सा० देह	24-4-73 से	30-4-73	25-00	175-00
		1	,,	1-6-73 से	30-6-73	25.00	750.00
		1	देवीसिंह पुत्र बख्तासिंह	24-4-73 से	30-4-73	25.00	175.00
14.	स्वाखर	1	पुखराम पुत्र मालूराम जाट, सा० देह	24-4-73 से	30-4-73	24.00	168.00
		1	,,	1-5-73 से	31-5-73	24.00	744.00
		1	,,	1-6-73 से	30-6-73	24.00	720.00
15.	जमरखसर	1	हनुमान पुत्र घनाराम, सा० खाखसर	1-6-73 से	30-6-73	34.00	1041.00
		1	,,	1-7-73 से	15-7-73	34.70	520.00

16.	उदासर चारणान	1	देवादास पुत्र मूलदास खाती, सा० देह		1-7-73 से 4-7-73	25.00	100.00
17.	पुनाखर	1	नेमनाथ पुत्र लालूराम, सा० देह		1-6-73 से 30-6-73	22 00	660.00
		1	,,		1-6-73 से 30-6-73	25.00	750.00
		1	,,	सिंहीवाल	1-7-73 से 7-7-73	25.00	175.00
		1	,,	हुडीवाल	1-7-73 से 7-7-73	22.00	151.00
		1	,,	,,	1-5-73 से 31-5-73	22.00	602.00
		1	,,	सिंहीवाल	27-5-73 से 31 5-73	25.00	125 00
18.	भानवारा	1	चैनराम पुत्र होमलाराम ब्राह्मण, सा० देह		17-3-73 से 22-3-73 कुल 93 टंकी प्रति टंकी	9.00	837.00
19.	धोलिया		शिवप्रसाद पुत्र हनुमानप्रसाद जाट, भादसर		10-7-73 से 31-3-73 कुल 258 टंकी	9.00	2554.20
			,,	,,			
			,,	,,	1-4-73 से 30-4-73 354 टंकी	9.90	3504.60
			,,	,,			
			,,	,,	1-5-73 से 31-5 73 364 टंकी	9.90	3603.60
			,,	,,			
			,,	,,	1-6-73 से 30-6-73 354 टंकी	9.90	3504.60
			,,	,,			
			,,	,,	1-7-73 से 15-7-73 60 टंकी	9.90	994.00
			,,				
	उदासर		सन्तोषकुमार पुत्र रामप्रसाद जाट, भादसर		29-4 73 से 30-4-73	13.50	—
			,,	,,	33 टंकी		

1	2	3	4	5	6	7
			सन्तोषकुमार पुत्र रामप्रसाद राट, झाड़सर	1-5-73 से 31-5-73 30 टंकी	13.50	—
			,, ,,	1-6-73 से 30-6-73 300 टंकी	13-50	—
20.	उदासर		,, ,,	1-7-73 से 5-7-73 50 टीन	13.50	—
21	कल्याणसर		सैमुराम पुत्र बैंगला जाट	1-3-73 से 15-7-73	25.00	944.00
				16-7-73 से 31-3-73		
22.	घमैंरु		म्रनाराम पुत्र चूनाराम जाट	जून 73 से जुलाई 73	25.00	725.00
						375.00
						50166.53

भुगतान शुदा राशि का विवरण—तहसील श्री डूंगरगढ़

क्र० सं० 1	नाम गांव 2	नाम ठेकेदार 3	समय 4	दर 5	राशि 6
1.	रेवाडा	मोहनलाल पुत्र भूरानाथ	24-4-73 से 30-6-73	17.55	1220.60
2.	बीघादर	चैनसिंह पुत्र घोरलसिंह	24-4-73 से 6-7-73	22.70	1493.60

3.	सो. उपाईया	उदादास पुत्र उमादास	24-4-73 से 8-7-73	25.20	1900
4.	सो. शिवदानसिंह	चुनाराम पुत्र हसरराव	,, ,,	20.00	1520.00
5.	सो. जोधासर	हीराराम पुत्र छोगाराम	,, ,,	25.00	1900.00
6.	दुसारनावडा	भासूराम पुत्र कानाराम	26-4-73 से 7-7-73	26.00	1650.00
7.	समदसर	भेराराम पुत्र गंगाराम	27-4-73 से 3-7-73	25.00	1700
8.	बाडेला	जवानाराम पुत्र रताराम	24-4-73 से 15-7-73	24.97	2047.54
9.	लाधदिया	शैतानसिंह पुत्र मगसिंह	24-4-73 से 15-7-73	25.00	2075.00
10.	इन्द्रपालसिंह	रिछपालसिंह पुत्र नरसिंह	25-4-73 से 30-6-73	25.00	1675.00
11.	,, ,,	मालाराम पुत्र गंगाराम	,, ,,	25.00	1657.00
12.	सालासर	रामेश्वर पुत्र हुकमसिंह, पुरा	23-4-73 से 1-7-73	25.00	2500.00
13.	सोतलाजग	गौरस पुत्र ताजराम चमार	9-4-73 से 30-6-73	12.50	1037.57
14.	कल्यापखर नया	तुलछाराम पुत्र केसाराम	22-4-73 से 15-7-73	25.00	1750
15.	,,	फूसा पुत्र जेठा	27-5-73 से 15-7-73	25.00	875.00
16.	,,	,, ,,	27-5-73 से 15-7-73	25.00	875.00
17.	माठसर	भंवरसिंह पुत्र हीमतसिंह	24-4-73 से 28-5-73	25.00	875.00
18.	,,	पुखराज पुत्र मूलसिंह	22-12-73 से 5-7-73	9.00	2450.00
19.	धीरदेसरपुरी	भंवरसिंह पुत्र मगसिंह	3-5-73 से 4-7-73	17.90	1058.10
21.	,,	जगदीश पुत्र मगसिंह	24-4-73 से 4-7-73	25.00	950.00
22.	ढुकरिया	मालू पुत्र हरजी जाट	24-4-73 से 4-7-73	24.83	2036.00
23.	,,	सहीराम पुत्र पदमाराम	24-4-73 से 15-7-73	24.90	921.30

Page No 182

(182)

1	2	3	4	5	6
24.	बीमासर	खेता वल्द चेतन जाट	1-5-73 से 7-7-73	19.50	1210.00
25.	बीमासर	मासूराम पुत्र हीराराम जाट	1-5-73 से 7-7-73	20.00	1300.00
26.	धाबूक	खिराजराम पुत्र मूलाराम	2-6-73 से 17-7-73	23.50	1081.00
27.	बखपुरा	मूलसिंह पुत्र गणपतसिंह	1-5-73 से 18-6-73	23.25	116.25
					69.75
28.	वीरानसर	भूनाराम पुत्र नारायनराम जाट	24-4-73 से 30-6-73	25	175.00
					715
					750
29.	साखतसर	धुकताराम पुत्र दुलाराम	24-4-73 से 7-7-73	24	168.00
					744.00
					720.00
					168.00
30.	केऊ	धुलाराम पुत्र मीथाराम	25-4-73 से 31-5-73	25.00	150.00
					775.00
31.	सोनिमावर मिठिया	बखराम पुत्र भगवानाराम मेघवाल	24-4-73 से 8-7-73	25.00	175.00
					775.00
					750.00
					200.00

32.	रानासरकुआवास	हरिसिंह पुत्र गोपाल सी राजपूत	24-4-73 से 8-7-75	25.00	175.00 775.00 750.00 200.00
33.	बावनसर	मोतूराम पुत्र उदाराम जाट	24-4-73 से 4-7-75	25.00	175.00 775.00 775.00 100.00
34.	जेतासर	बलदेव पुत्र हनुमानसिंह	23-4-73 से 30-4-73	24.75	198.00 442.50
35.	,,	,,	2-5-73 से 15-7-73		742.50 371.25
36.	कुमपाकदर	द्रोपदास पुत्र किशनदास स्वामी	24-4-73 से 8-7-73	25.00	175.00 775.00 250.00 200.00
40.	दुसारना बड़ीबार	रेवतराम पुत्र बुंदाराम जाट	26-4-73 से 31-5-73	25.00	900.00
41.	दुहरना पीपासरिया	सजनराम पुत्र हुकमराम जाट	26-11-73 से 31-6-73		1700.00
42.	तौलियासर	सुखाराम पुत्र रामकिशन पुरो०	25-4-73 से 3-5-73	85.00	225.00

1	2	3	4	5	6
43.	इन्द्रपालसिंह	धनराम पुत्र भूराराम जाट	25-4-73 से 30-6-73	25.00	150.00 775.00 750.00
44.	बेणिका	राजूराम पुत्र सपाराम वीरामन	25-4-73 से 30-6-73	25.00	1975.00
45.	सालावर	रामदेव पुत्र गंगसिंह	23-4-73 से 31-5-73	25.00	995
46.	भोजास	गनेशराम पुत्र लशराम	25-4-73 से 30-6-73	25.00	608.00
47.	धोलिया	लिछमन पुत्र दुलाराराम जाट, सा० धोलिया	1-4-73 से 30-6-73	,,	1820.00
48.	माणकराकर	सरदार पुत्र लुणाराम	20-4-73 से 5-7-73	19.00	855.00
49.	धीरदेसरपुरी	महाराम पुत्र हरीराम मेघवाल	2-4-73 से 2-5-75	8.70	269.00
50.	पीलासर	अभाराम पुत्र रामूलाल	1-4-73 से 7-7-73	20.00	1900.00
51.	केऊ	ताजाराम पुत्र पनाराम मेघवाल	1-4-73 से 21-5-73	12.50	637.50
52.	कल्याणसर	पूर्णराम पुत्र बिरदाराम मेघवाल	22-4-73 से 31-5-73	12.50	500.00
53.	वीरमदर	गणपतराम पुत्र मूलराम	29-4-73 से 26-7-73	,,	985.00
54.	राजपुरा	तेजसिंह पुत्र भीमसिंह	1-5-73 से 30-6-73	,,	762.50
55.	बिग्गावाल	हीरालाल पुत्र ताजूराम	23-5-73 से 30-6-73	25.00	975.00
56.	डूंगरगढ़	दुलाराम पुत्र पुरखाराम	4-5-73 से 5-7-73	25.00	147 500
57.	कल्याणसर नया	प्रभुराम पुत्र बिजराम	27-5-73 से 15-7-73	24.00	1200.00
58.	हेमाली	बुंजीराम पुत्र उमेदराम	2-6-73 से 7-7-73	27.00	972.00
59.	तोलिया टिकीवा	हरीराम पुत्र सूरताराम	16-5-73 से 4-7-73	8.00	1220.00

60.	सोनियावसिंह टिकव	चूनाराम पुत्र ताव	1-5-73 से 30-6-73	511.00 15.00	18515.00
61.	धनेऊ टंकी	धनाराम पुत्र चूनाराम	12-5-73 से 26-5-73	511.00	1490.00
62.	केऊटंकी	सुखाराम पुत्र विदाराम	25-4-73 से 15-5-73	511.00	2825.00
63.	वेणीसर	राजाराव पुत्र रूपाराम	29-4-73 से 7-7-73	10.00	1[illegible]400.00
64.	गजरपुरा	फतेहसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह	1-5-73 से 25-6-73	8 00	360 00
65.	माणकरासर	रामनाराव पुत्र भगवाना	20-4-73 से 15-7-73	9.00	2889.00
66.	जेतसर	कुंभाराम पुत्र रोडगर गुसाईं	2-5-73 से 15-7-73	9.80	6109.00

(186)

परिशिष्ट—14

(स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची)

जिला जयपुर की सन् 1975 तक पूर्ण होने वाली जमाबन्दियों में से शेष जमाबन्दियों की तहसीलवार सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	शेष जमाबन्दियों की संख्या
1.	जयपुर	—
2.	बस्सी	—
3.	चाकसू	—
4.	सांगानेर	—
5.	दोसा	8
6.	बसवा	17
7.	लालसोट	2
8.	सिकराय	3
9.	फुलेरा	—
10.	रीपयों	—
11.	दूदू	46
12.	आमेर	8
13.	जमवा रामगढ़	13
14.	कोटपुतली	18
15.	विराट नगर	—
	योग....	115

शुद्धि पत्र

दिनांक 26 मार्च, 1976

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	48	नीचे से 3	अग्य	अन्य
2.	74	ऊपर से 11	(2)	(3)
3.	79	नीचे से 12	उललब्धियों	उपलब्धियों
4.	81	शीर्ष	श्री शांति स्वरूप अग्नि होत्री	श्री खेतसिंह
5.	107	ऊपर से 5	श्री माणिक चन्द से[illegible]ामी	—
6.	163	ऊपर से 10	पीढ़ी	पीढ़ी
7.	195	ऊपर से 5	चाहता रखना	रखना चाहता
8.	241	ऊपर से 3	उपाठ्पक्ष	उपाध्यक्ष
9.	254	ऊपर से 5	निभाग	विभाग
10.	256	ऊपर से 2	किसी	किस